SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

2025 की प्रतिवेदन सं. 7

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार
आर्थिक और सेवा मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन सं. 7
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

विषय वस्तु

अध्याय/पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
अध्याय I	**प्रस्तावना**	
1.1	इस प्रतिवेदन के विषय में	1
1.2	लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1
1.3	लेखापरीक्षा हेतु योजना और संचालन	2
1.4	बजट और व्यय	3
1.5	उपयोगिता प्रमाण पत्र	5
1.6	केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा खातों को प्रस्तुत करने में विलंब	7
1.7	संसद के समक्ष केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति में विलंब	8
1.8	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के परिणाम	8
1.9	लंबित "की गई कार्रवाई टिप्पणी" (एटीएन) की स्थिति	9
1.10	मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	9
अध्याय II	**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय** **(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)**	
	केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	
2.1	मासिक चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान	11
अध्याय III	**कोयला मंत्रालय**	
	कोयला नियंत्रक संगठन	
3.1	चालू खाते में सरकारी निधियों को रखे जाने के कारण सरकारी राजकोष की हानि	15

अध्याय/पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय IV	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**	
	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	
4.1	सामान्य अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत परिकल्पित अवसंरचना का गैर-निर्माण	17
4.2	निष्फल व्यय और जुर्माने की वसूली न होना	21
	विदेश व्यापार महानिदेशालय	
4.3	वित्तीय सहायता का अनियमित वितरण	25
	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	
4.4	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से संबंधित प्रशासनिक मुद्दे	28
	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	
4.5	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, अंकलेश्वर की स्थापना एवं कार्यप्रणाली	55
अध्याय V	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**	
	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	
5.1	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण का कामकाज	74
अध्याय VI	**भारी उद्योग मंत्रालय**	
	एनएटीआरआईपी (नैट्रिप) कार्यान्वयन सोसायटी	
6.1	कर्मचारियों को प्रोत्साहनों का अनियमित भुगतान	86
अध्याय VII	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**	
	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत ग्यारह स्वायत्त निकाय	
7.1	मासिक चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान	90
अध्याय VIII	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	
	तेल उद्योग विकास बोर्ड	
8.1	आयकर और अग्रिम कर पर अधिभार के कम भुगतान पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	93

अध्याय/पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय IX	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**	
	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण	
9.1	न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए घाटशुल्क की प्राप्ति न होना	97
अध्याय X	**वस्त्र मंत्रालय**	
	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	
10.1	तदर्थ बोनस के लिए अनियमित भुगतान	101
अध्याय XI	**पर्यटन मंत्रालय**	
11.1	खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना न होने के कारण धनराशि अवरुद्ध होना	103
11.2	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, कोट्टायम की स्थापना के लिए जारी धनराशि को अवरुद्ध करना	106
	भारतीय पाककला संस्थान	
11.3	भारतीय पाककला संस्थान का कामकाज	109
	अनुलग्नक- I से XV	151-243

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। निकाय या प्राधिकरण, जो भारत के समेकित कोष से अनुदान/ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं, उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित नहीं किए जा सके। जहां भी आवश्यक हुआ, 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा किए गए आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

2. प्रतिवेदन में 10 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए थे, जिसमें उन्हें छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान भी दो पैराग्राफों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है:

3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ़ो की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके लिए मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
1.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	1	-
2.	कोयला मंत्रालय	1	-
3.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	5	1*
4.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	1	-
5.	भारी उद्योग मंत्रालय	1	-
6.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1	-
7.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1	-
8.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	1	-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ़ो की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके लिए मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
9.	वस्त्र मंत्रालय	1	1
10.	पर्यटन मंत्रालय	3	-
योग		**16**	**2**

* यद्यपि मंत्रालय ने मसौदा पैरा पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, फिर भी लेखापरीक्षिती अर्थात विदेश व्यापार महानिदेशालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है तथा वसूली के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है।

II प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों के संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी दिनांक 11 जुलाई 2017 और 26 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के मामले में वर्तमान में स्वीकार्य मौजूदा भत्तों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्तों की संशोधित दरों के अनुसार संशोधित किया जाना था। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में जिन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे जुलाई 2017 से वेतन से हटा दिये जाएंगे और यदि किसी मौजूदा भत्ते को जारी रखने की कोई मांग या आवश्यकता है, जिस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है या प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, तो इसे वित्त मंत्रालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय द्वारा पुनः अधिसूचित किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने कर्मचारियों को अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.88 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैरा 2.1)

कोयला नियंत्रक संगठन

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005, नियम 7 में यह प्रावधान है कि "सरकार द्वारा या उसकी ओर से सरकार के बकाया के रूप में या जमा, धन प्रेषण या अन्यथा प्राप्त सभी धनराशियों को बिना देरी के सरकारी खाते में लाया जाएगा"। जीएफआर, 2017 के नियम 7 के तहत इसे दोहराया गया। हालांकि, इन नियमों का उल्लंघन करते हुए, भुगतान आयुक्त ने एक चालू खाता (जून 2015) खोला और कोयला ब्लॉकों के पूर्व आवंटियों को भुगतान के लिए उक्त खाते में पैसा जमा कर दिया। जून 2016 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान, संवितरण के लिए चालू खाते में ₹209.28 करोड़ की राशि जमा की गई, जिसमें से मार्च 2022 तक केवल ₹86.53 करोड़ का संवितरण किया गया, जिससे चालू खाते में ₹122.75 करोड़ की शेष राशि बची, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिला। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सरकारी खाता न खुलने के कारण सरकारी खजाने को ₹11.77 करोड़ का नुकसान हुआ।

(पैरा 3.1)

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सूरत में आमों और अन्य फलों के लिए एसेप्टिक पैकेजिंग लाइन और कैनिंग लाइन (प्रसंस्करण संयंत्र) और नवसारी और वलसाड में दो मशीनीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) को ₹10.00 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसएएमबी ने प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया तथा स्वीकृत स्थानों पर दो पैक हाउस स्थापित करने के बजाय सूरत में एक मौजूदा पैक हाउस को उन्नत किया। हालाँकि, एपीडा ने जीएसएएमबी को ₹8.90 करोड़ की पात्र सहायता के मुकाबले 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता (₹10.00 करोड़) जारी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी हुई। इस प्रकार, दक्षिण गुजरात के आदिवासी किसानों के लाभ के लिए नवसारी और वलसाड में पैक हाउस स्थापित करने का उद्देश्य विफल हो गया।

(पैरा 4.1)

एपीडा ने केरल के एलांजी गांव में निर्यातोन्मुख फल एवं सब्जी उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद (सीएफआरडी), केरल को ₹7.35 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की (मार्च 2015)। एपीडा और सीएफआरडी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, परियोजना को सितंबर 2016 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित तिथि से सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, जुलाई 2024 तक परियोजना पूरी नहीं हुई। परियोजना पूरी न होने और स्थापित उपकरणों के खराब होने के बावजूद, एपीडा ने न तो सीएफआरडी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी (₹3.67 करोड़) को लागू किया, न ही देरी के लिए सीएफआरडी पर कोई जुर्माना लगाया और इसके बजाय परियोजना को पूरा करने की समयसीमा को बार-बार बढ़ाया। इस प्रकार, एपीडा द्वारा समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.61 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही ₹36.75 लाख का जुर्माना वसूल नहीं किया गया।

(पैरा 4.2)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग ने 27 फरवरी 2019 को 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता' योजना अधिसूचित की। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। योजना के तहत सहायता अधिसूचना के अनुलग्नक (1) में उल्लिखित उत्पादों को छोड़कर, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अध्याय 1 से 24 के अंतर्गत आने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए प्रदान की जानी थी। इसके अलावा, पात्र और अपात्र दोनों श्रेणी के कार्गो वाले कंटेनर के लिए सहायता उपलब्ध नहीं थी। योजना के तहत 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 489 आवेदनों के संबंध में ₹44.46 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली ने योजना के तहत एक निजी संस्था को 1,092 दावों के विरुद्ध ₹3.97 करोड़ की प्रतिपूर्ति की, जिसमें से अयोग्य उत्पादों वाले कंटेनरों के लिए प्रदान किए गए 122 दावों

से संबंधित ₹66.10 लाख (16.65 प्रतिशत) की प्रतिपूर्ति अनियमित थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (अगस्त 2022 और मार्च 2023) के बाद, नवंबर 2022 में निजी संस्था से अतिरिक्त प्रतिपूर्ति वसूल की गई। तथापि, उन सभी मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है जहां योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ताकि अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के मामलों में वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अनुशंसाएँ:

(1) लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई विसंगतियों के दृष्टिगत, विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक के कार्यालय उन सभी मामलों की समीक्षा करें जिनमें परिवहन और विपणन सहायता योजना के अंतर्गत उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और यदि कोई अतिरिक्त अदायगी की गई थी, तो उसे वसूल करें।

(2) विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक के कार्यालयों को परिवहन एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित अपने स्वयं की लेखापरीक्षा प्रणाली का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा अतिरिक्त अदायगी से संबंधित सभी मामलों में वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

(पैरा 4.3)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफ़टी) की स्थापना वर्ष 1963 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत के बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान देने के लिए की गई थी और वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया था। आईआईएफ़टी अपने दिल्ली परिसर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए, एमए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा, आईआईएफ़टी अपने कोलकाता और काकीनाडा परिसरों में सम्पूर्ण एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) कार्यक्रम भी चलाता है।

2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए 'आईआईएफटी में प्रशासनिक मुद्दों' पर अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं:

- आईआईएफटी के मैदानगढ़ी परिसर के निर्माण में लगभग सात वर्षों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण भूमि की लागत (₹26.62 करोड़) के अलावा, आईआईएफटी द्वारा 2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए भुगतान किया गया ₹5.32 करोड़ का भूमि किराया निष्फल हो गया।
- बिना किसी अनिवार्य अनुमोदन के आईआईएफटी के शिक्षकों के वेतनमान को भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों के समतर किया गया, जो केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों के अंतर्गत आते थे। आईआईएफटी एक 'मानित विश्वविद्यालय' था, जिसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों के लिए एक अलग वेतन संरचना निर्धारित की थी। ऐसे में, आईआईएफटी के शिक्षकों को केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों के लिए निर्धारित वेतनमान के बराबर वेतनमान प्रदान करना उचित नहीं था।
- आईआईएफटी ने एक प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसमें प्रत्येक वर्ष शिक्षकों से अपेक्षित न्यूनतम कार्य निर्दिष्ट किया गया, जिसमें न्यूनतम कार्यभार से अधिक होने पर शिक्षकों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान था, तथा शिक्षकों के लिए 'शोध प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहन' पर नीति थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानित विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना अधिसूचित या समर्थित नहीं की गई थी। इसके अलावा, आईआईएफटी ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय से अपने शिक्षकों को प्रोत्साहन के भुगतान के लिए अनुमोदन नहीं मांगा।
- वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, आईआईएफ़टी ने अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नियमित रूप से प्रतिस्पर्धी बोलियाँ आमंत्रित की। इसके अलावा, आईआईएफ़टी ने निजी कंपनियों की सावधि जमाओं में ₹36 करोड़ की सीमा तक निवेश किया, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अनुसार निवेश के निर्धारित तरीकों के अनुरूप नहीं था। अपने आयकर सलाहकार की सलाह पर, आईआईएफ़टी ने निजी कंपनियों में निवेश की गई सभी सावधि जमाओं को समय से पहले बंद करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.42 करोड़ की सीमा तक ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

- आईआईएफटी ने वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति के बिना 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹32.46 लाख के तदर्थ बोनस का भुगतान किया।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में 28 जून 1993 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सलाह दी कि वित्तीय वर्ष 1993-94 से अग्रिम वेतन वृद्धि देने की प्रणाली को प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त राशि के अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। हालांकि, आईआईएफटी ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आईआईएफटी कर्मचारियों के प्रायोजन और विशेष योग्यता प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के संबंध में नियमों को मंजूरी दी (मई 2004)।
- व्यय विभाग ने 12 अप्रैल 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्देश दिया कि वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के तहत पदों के सृजन के संबंध में सभी प्रत्यायोजित शक्तियां वापस ली जाती हैं और केवल वित्त मंत्री (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के पदों के लिए) और मंत्रिमंडल (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के पदों के लिए) ही पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। हालांकि, आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड ने इन पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना वित्त अधिकारी का एक पद, सहायक रजिस्ट्रार (राजभाषा) का एक पद और सलाहकारों के 14 पदों के बदले में सहायक प्रोफेसरों के 14 पद सृजित किए।
- अक्टूबर 2014 में आईआईएफटी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार भर्ती नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, रजिस्ट्रार के पद को लेवल 13ए से लेवल 14 तक अपग्रेड किया गया जो पदों के सृजन के बराबर था। हालांकि, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई। साथ ही, भर्ती नियमों के उल्लंघन में रजिस्ट्रार को कार्यकाल का अनियमित विस्तार दिया गया।
- आईआईएफटी के निदेशक द्वारा अधिगृहित आवास का बाजार किराया आईआईएफटी द्वारा वहन किया गया, जो उचित नहीं था, क्योंकि निदेशक आवास किराया भत्ते के हकदार थे, न कि बाजार किराए की प्रतिपूर्ति के। इसके

अलावा, आईआईएफटी ने निदेशक के आवासीय परिसर के लिए बिजली बिलों की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की। इस संबंध में वाणिज्य विभाग से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया, इसलिए किराए और बिजली बिलों पर व्यय अनियमित था।

(पैरा 4.4)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान

'फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान की स्थापना एवं कार्यप्रणाली' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं:

- फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) के प्रबंधन ने 2013-14 में स्वीकृत अंकलेश्वर में एफडीडीआई के नए परिसर की स्थापना से पहले विस्तृत व्यवहार्यता विश्लेषण नहीं किया, जबकि वर्ष 2013-14 में मौजूदा आठ परिसरों में नामांकन में कमी थी। इसके अलावा, एफडीडीआई, मुख्यालय, नोएडा द्वारा तैयार (जनवरी 2014) विस्तृत व्यवहार्यता प्रतिवेदन में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र को उस क्षेत्र में चमड़ा उद्योग और कारीगरों के अस्तित्व को देखते हुए, नए परिसर की स्थापना के लिए आदर्श माना गया और तदनुसार राजकोट और गांधीनगर को केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया। हालांकि, एफडीडीआई परिसर अंकलेश्वर में स्थापित किया गया, जहां पारंपरिक या आधुनिक फुटवियर उद्योगों की मजबूत उपस्थिति नहीं थी।
- पिछले सात शैक्षणिक वर्षों के दौरान अंकलेश्वर परिसर में 825 सीटों की उपलब्धता के मुकाबले केवल 94 छात्रों ने ही प्रवेश लिया। इसका कारण प्रचार-प्रसार गतिविधियों में कमी, संकायों/कर्मचारियों की अपर्याप्त नियुक्ति, कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति न होना आदि हैं। साथ ही, स्किल इंडिया कार्यक्रम के साथ सहयोग के लिए एफडीडीआई की गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के बाद भी, कुछ ही उम्मीदवारों को अल्पकालिक कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया। नतीजतन, अंकलेश्वर परिसर में 800-1,000 छात्रों को समायोजित करने के लिए ₹101.48 करोड़ की लागत से बनाए गए बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया।

- एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने ₹67.02 करोड़ की लागत से अंकलेश्वर में एफडीडीआई परिसर के निर्माण और विकास के लिए कार्य सौंपा (3 मार्च 2014), जिसकी निर्धारित समाप्ति तिथि 4 दिसंबर 2015 थी। हालांकि, निर्माण कार्य 4 जुलाई 2016 को देरी से पूरा हुआ। अनुबंध समझौते के अनुसार, ₹4.39 करोड़ मूल्य की प्रदर्शन बैंक गारंटी 30 सितंबर 2017 तक वैध होनी चाहिए थी। हालांकि, एफडीडीआई के पास उपलब्ध प्रदर्शन बैंक गारंटी केवल 3 मार्च 2017 तक वैध थी और इसे एफडीडीआई द्वारा 31 अगस्त 2017 को छोड़ दिया गया था, जबकि निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से बड़ी संख्या में खामियां थीं (अगस्त 2016 से देखी जा रही थीं) जो समझौते में प्रदर्शन बैंक गारंटी खंड का उल्लंघन था।
- एफडीडीआई, अंकलेश्वर के 27 विद्यार्थियों के फीडबैक सर्वेक्षण के अनुसार, 66 प्रतिशत उत्तरदाता एफडीडीआई, अंकलेश्वर में उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे (उन्होंने खराब/औसत ग्रेडिंग दी), जिससे संस्थान के खराब प्रदर्शन का संकेत मिलता है।

अनुशंसाएँ:

1. एफडीडीआई भविष्य में नया परिसर स्थापित करने से पहले स्थानीय उद्योग और परंपराओं की उपस्थिति, बाजार की मांग, स्थान की उपयुक्तता, मौजूदा परिसरों में नामांकन आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए विस्तृत व्यवहार्यता विश्लेषण कर सकता है।

2. अंकलेश्वर में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा, एफडीडीआई के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित किया जा सकता है और सुपरिभाषित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ अलग-अलग शैक्षणिक और प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए अंकलेश्वर परिसर के लिए एक समर्पित प्रवेश प्रचार टीम और रणनीतिक योजना बनाई जा सकती है।

3. अंकलेश्वर परिसर के बुनियादी ढांचे की स्थिरता और इष्टतम उपयोग के लिए नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा अल्पकालिक कार्यक्रमों , डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, उद्योग विशिष्ट कार्यक्रमों आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एफडीडीआई अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए परिसर के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की संभावना का भी मूल्यांकन कर सकता है।

(पैरा 4.5)

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(5) के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि का प्रबंधन करने के लिए की गई। इस निधि को अधिनियम की धारा 125(1) के तहत स्थापित करने का उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना तथा निधि में हस्तांतरित किए गए दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर और शेयरों की वापसी करना है। 31 मार्च 2023 तक, निधि में कुल ₹5,714.51 करोड़ की राशि पड़ी हुई थी। इस राशि में से, आईईपीएफए ने अपनी स्थापना के बाद से ₹39.20 करोड़ (0.68 प्रतिशत) की दावा न की गई राशि वापस कर दी है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक, 1,185 कंपनियों से संबंधित कुल 12,092.35 लाख शेयर आईईपीएफ़ए के पास पड़े थे। आईईपीएफ़ए द्वारा स्थापना के बाद से निवेशकों को कुल 238.83 लाख शेयर (1.93 प्रतिशत) लौटाए गए हैं।

आईईपीएफए के अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं::

- आईईपीएफए के पास बंद हो चुकी कंपनियों के मामले में निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश/शेयर वापस करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ऐसी कंपनियों से सत्यापन संभव नहीं था। ऐसी व्यवस्था के अभाव में, बंद होने से पहले कंपनियों द्वारा हस्तांतरित किए गए शेयर या दावा न किए गए लाभांश का दावा निवेशक नहीं कर सकते थे। 31 मार्च 2023 तक आईईपीएफए के पास बंद हो चुकी कंपनियों की लाभांश राशि ₹4.30 करोड़ थी।

- आईईपीएफए ज्यादातर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (सीएससी) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। हालांकि, आईईपीएफए द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों में आईपीपीबी, सीएससी और एनवाईकेएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत केवल 10.96 लाख नागरिकों को कवर किया गया। निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा

डिजिटल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस, सिनेमा और आउटडोर विज्ञापनों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा था।

- आईईपीएफए ने मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) का चयन किया (मार्च 2020) और एनआईएसजी को ₹72.52 लाख (करों और अन्य स्वीकार्य खर्चों को छोड़कर) की अनुमानित लागत के साथ कार्य आदेश जारी किया (अगस्त 2020)। इस परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, जुलाई 2024 तक यह पूरा नहीं हुआ था। आज तक (जुलाई 2024) मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ-साथ आईओएस ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, आईईपीएफ़ए देरी के लिए एनआईएसजी पर कोई जुर्माना नहीं लगा सकता था क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के विकास में देरी के लिए समझौते में कोई जुर्माना खंड शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार, नागरिकों को मोबाइल टेलीफोनी का उपयोग करके आईईपीएफ़ए की सेवाओं तक पहुँचने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का उद्देश्य अभी तक हासिल नहीं हुआ।
- आईईपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियमावली, 2016 के नियम 8(3) के अनुसार, आईईपीएफए को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, जिसमें उन कंपनियों का विवरण दिया जाना था, जो बकाया राशि को फंड में स्थानांतरित करने में विफल रही हैं। इसके अलावा, नियम 8(4) के अनुसार, आईईपीएफए को अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, जिसमें उन कंपनियों का विवरण दिया जाना था, जो दावा न की गई राशि की पहचान के संबंध में नियम 5(8) में संदर्भित जानकारी दाखिल करने में विफल रही हैं। आईईपीएफए इन प्रतिवेदनों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं कर रहा था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए उपर्युक्त प्रतिवेदन आईईपीएफए द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को जून 2024 में ही भेजी गई।

अनुशंसाएं:

1) आईईपीएफए बंद हो चुकी कम्पनियों के संबंध में दावों के सत्यापन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करे, जिससे ऐसी कम्पनियों के निवेशक भी अपनी दावा न की गई राशियों/शेयरों का दावा करने में सक्षम हो सकें।

2) आईईपीएफए पर्याप्त कवरेज के साथ प्रभावी आउटरीच गतिविधियाँ सुनिश्चित करे। निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मीडिया/सोशल मीडिया, भारी संख्या में (बल्क) एसएमएस, सिनेमा, आउटडोर विज्ञापनों पर विचार करे।

3) आईईपीएफए मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ दृढ़तापूर्वक आगे बढ़े। पूरा होने में विलंब के लिए जुर्माना लगाने पर भी प्राधिकरण विचार करे।

4) आईईपीएफए मंत्रालय को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियमावली, 2016 का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करे।

(पैरा 5.1)

एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी

वित्त मंत्रालय के 13 जनवरी 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को प्रस्तावित लाभों का अंतिम पैकेज, जिनके वेतनमान और भत्ते तथा सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान नहीं हैं, संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से अधिक लाभकारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, अंतिम पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी की एक इकाई इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने सोसायटी की गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के बिना और वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना, निदेशक, आईसीएटी की मंजूरी से सितंबर 2016 से प्रभावी एक प्रदर्शन लिंक्ड वैरिएबल पे स्कीम लागू की। इसके कारण 2016-17 से 2021-22 तक के वर्षों के दौरान योजना के तहत

नियमित कर्मचारियों (₹52.42 करोड़), संविदा कर्मचारियों (₹1.04 करोड़) और निदेशक, आईसीएटी (₹6.01 करोड़) को ₹59.47 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैरा 6.1)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों के संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी दिनांक 11 जुलाई 2017 और 26 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के मामले में वर्तमान में स्वीकार्य मौजूदा भत्तों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्तों की संशोधित दरों के अनुसार संशोधित किया जाना था। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रतिवेदन में जिन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे जुलाई 2017 से वेतन से समाप्त हो जाएंगे और यदि किसी मौजूदा भत्ते को जारी रखने की कोई मांग या आवश्यकता है, जिस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है या प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, तो इसे वित्त मंत्रालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय द्वारा पुनः अधिसूचित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 11 स्वायत्त निकायों ने जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक अपने कर्मचारियों को मासिक चिकित्सा भत्ता देना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.79 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैरा 7.1)

तेल उद्योग विकास बोर्ड

तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा ने आयकर पर अधिभार की दर का कम आकलन किया और अग्रिम कर का कम भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹5.64 करोड़ की ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैरा 8.1)

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर उर्वरकों के आयात को संभालने के लिए गोदाम बनाने हेतु भूमि के आवंटन के लिए एक पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए (जून 2008), लेकिन इसमें न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड को शामिल नहीं किया गया, जैसा कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अनुरोध किया था, ताकि पंजीकरण शुल्क से बचा जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के लिए एक अलग समझौता प्रस्तुत किया (जनवरी 2009)।

हालांकि, वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के लिए अलग से समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रही और न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए घाटशुल्क के लिए बैंक गारंटी भी एकत्र नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा:

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर न करने की जिम्मेदारी तय की जाए।

(पैरा 9.1)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

व्यय विभाग ने वर्ष 2014-15 तक केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान करने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया। हालांकि, वर्ष 2015-16 के बाद से विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2014-15 के बाद भी अपने कर्मचारियों को 2015-16 से 2021-22 तक ₹2.41 करोड़ की राशि का तदर्थ बोनस देना जारी रखा। इस प्रकार, व्यय विभाग से किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में, संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान अनियमित था।

(पैरा 10.1)

पर्यटन मंत्रालय

होटल प्रबंधन संस्थानों/खाद्य शिल्प संस्थानों/यात्रा एवं पर्यटन संस्थानों की स्थापना/उन्नयन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य शिल्प संस्थान के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित सोसायटी इस योजना के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। सहायता पर तभी विचार किया जाना था जब संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सभी प्रकार से दोषमुक्त, कम से कम तीन एकड़ आकार का विकसित भू-खंड हस्तांतरित कर दिया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटन मंत्रालय ने दिसंबर 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए ₹2.00 करोड़ की निधि जारी की, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सोसायटी का गठन और सोसायटी को भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने उपरोक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किए बिना फरवरी 2010 में खाद्य शिल्प संस्थान को मेरठ तथा उसके बाद जुलाई 2021 में गोरखपुर स्थानांतरित करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। इसके अलावा, मंत्रालय ने धनराशि जारी करने के लिए स्वीकृति पत्र में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 तथा 2017 में उल्लिखित शर्तों को शामिल नहीं किया, जिसमें सहायता अनुदान की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अनुदान राशि को ब्याज सहित वापस करने का प्रावधान है। परिणामस्वरूप, 15 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना की गई है और न ही राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता वापस की है।

(पैरा 11.1)

पर्यटन मंत्रालय ने होटल प्रबंधन संस्थानों/खाद्य शिल्प संस्थानों/भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थानों/पॉलिटेक्निक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सरकारी कॉलेजों/सरकारी व्यावसायिक स्कूलों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत केरल के कोट्टायम में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एसआईएचएम) की स्थापना के लिए ₹4.00 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की (सितंबर 2013)। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नए होटल प्रबंधन संस्थान/ खाद्य शिल्प संस्थान के लिए

प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो केरल राज्य सरकार ने मंत्रालय को डीपीआर या कोई लागत अनुमान प्रस्तुत किया और न ही मंत्रालय ने राज्य सरकार से इसकी मांग की। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा परियोजना को सटीक दायरे, विस्तृत उद्देश्यों और कार्यान्वयन रणनीति का पता लगाए बिना मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा, मंत्रालय ने परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करने के मंत्रालय के अनुरोधों पर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद, परियोजना को पूरा करने के लिए जुलाई 2016 की मूल निर्धारित समाप्ति तिथि के बजाय 31 दिसंबर 2022 तक का समय विस्तार दिया। मंत्रालय ने जारी की गई सहायता (जुलाई 2023) की वापसी के लिए केवल लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने (मई 2023) के बाद ही कार्रवाई की। परिणामस्वरूप, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना के इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

(पैरा 11.2)

भारतीय पाककला संस्थान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति में भारतीय पाककला संस्थान की स्थापना के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी (मार्च 2014), जिसका उद्देश्य एक विशेषज्ञ, शोध-उन्मुख संस्थान के रूप में कार्य करना था, जो भारतीय व्यंजनों के विभिन्न रंगों और स्वादों को संरक्षित, प्रलेखित और बढ़ावा देगा। संस्थान ने वर्ष 2018-19 से अपने तिरुपति परिसर के साथ-साथ क्षेत्रीय परिसर, नोएडा से भी परिचालन शुरू किया।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए संस्थान के अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ सामने आईं:

- कैबिनेट की मंजूरी (मार्च 2014) के अनुसार, संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में विशिष्ट कार्यक्रम शामिल होने थे, जैसे कि पाककला और विज्ञान में बीएससी, पाककला में एमएससी, खाद्य और पेय सेवा प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा, अल्पकालिक कौशल उन्नयन कार्यक्रम और अभ्यासरत शेफ के लिए कौशल और योग्यता प्रमाणन। हालांकि, संस्थान ने केवल बीबीए (पाककला) और एमबीए

(पाककला) पाठ्यक्रम पेश किए, और बीएससी, एमएससी या कोई भी अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया। इसके अलावा, पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों में बीबीए (पाककला) और एमबीए (पाककला) पाठ्यक्रमों में औसत नामांकन दोनों पाठ्यक्रमों में क्रमशः बैठने की क्षमता का केवल 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत था।

- संस्थान को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग टेक्नोलोजी परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी थी। हालांकि, संस्थान ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को नामांकित किया। संस्थान के लिए आगे का रास्ता सुझाने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने भी संस्थान में अपर्याप्त छात्र प्रवेश के लिए इस विचलन को एक प्रमुख कारण के रूप में पहचाना।

- संस्थान को विश्व स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में काम करना था और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के लिए अनुसंधान और शिक्षण विकास को बढ़ावा देना था। हालांकि, संस्थान ने या तो पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया या पहले से स्थापित सुविधाओं का उपयोग नहीं किया। दोनों परिसरों में पुस्तकालय की सुविधाएं अपर्याप्त थीं, जबकि तिरुपति परिसर में कंप्यूटर लैब और अनुसंधान कार्य केंद्र अपर्याप्त थे। पाककला संग्रहालय भी कार्यात्मक नहीं थे और कोई पेटेंट और कानूनी प्रकोष्ठ नहीं था। संस्थान ने अपने विषय क्षेत्र में अध्ययन और सर्वेक्षण भी नहीं किए, जैसा कि परिकल्पित था, और अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ संबंधों की दिशा में भी काम नहीं किया।

- संस्थान में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए समयसीमा 2014-15 थी। हालाँकि, भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, संस्थान के दोनों परिसर सीमित संविदा कर्मचारियों के साथ काम कर रहे थे।

- नोएडा और तिरुपति दोनों परिसरों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि निर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ उपयोग में नहीं थीं या रखरखाव न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गईं। पूरे नोएडा परिसर की इमारत खस्ताहाल थी, लिफ्ट

उपयोग में नहीं थीं और दोनों परिसरों में सीवेज और जल उपचार संयंत्र काम नहीं कर रहे थे। तिरुपति परिसर में अग्नि अलार्म प्रणाली काम नहीं कर रही थी। दोनों परिसरों में रसोई और प्रयोगशाला उपकरण भी बेकार पड़े थे। इसके अलावा, संस्थान ने अपनी परिसंपत्तियों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई वार्षिक रखरखाव अनुबंध नहीं किया था। साथ ही, स्टोर और उपभोग्य सामग्रियों के संबंध में प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का अभाव था, जिससे बर्बादी या दुरुपयोग की संभावना थी।

- तिरुपति परिसर द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन न किए जाने तथा नोएडा परिसर के नाम पर भूमि का नामांतरण न किए जाने के कारण, दोनों परिसर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सके, जो संस्थान को आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक थीं। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां, भारतीय रेस्तरां, कैफे और भोजन के लिए निर्मित अवसंरचनाएं बेकार पड़ी रहीं। संचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान ₹25.48 करोड़ की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के विपरीत, दोनों परिसरों से केवल ₹8.09 करोड़ की वास्तविक आय हुई। परिणामस्वरूप, संस्थान के संचालन के तीसरे वर्ष से आत्मनिर्भर बनने का परिकल्पित उद्देश्य अधूरा रह गया।

इस प्रकार, अपनी स्थापना के नौ वर्ष बाद भी संस्थान अभी तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो पाया है और अपने परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है।

(पैरा 11.3)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देन की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और साथ ही इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेकशीलता और प्रभावशीलता का निर्धारण किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की जाती है। ये मानक उन मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के संचालन में पालन करने की अपेक्षा की जाती है एवं अननुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षित संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद कमज़ोरियों पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/टिप्पणियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाने में सक्षम बनाएँ जो संगठनों के बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएँ, इस प्रकार, बेहतर शासन में योगदान दें।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा को स्पष्ट करने के अलावा **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय-II से XI में आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष/टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को रिपोर्ट करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम,

1971 (अधिनियम) से प्राप्त होता है। सीएजी अधिनियम की धारा[1] 13 और धारा[2] 17 के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है।

संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित निकाय जिनमें सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं, उन्हें अधिनियम की धारा[3] 19(2) के अंतर्गत वैधानिक रूप से लेखापरीक्षा के लिए लिया जाता है। अधिनियम की धारा[4] 20(1) के अंतर्गत सार्वजनिक हित में अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) का लेखापरीक्षण सीएजी को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा, निकाय या प्राधिकरण, जो भारत के समेकित कोष से अनुदान/ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, अधिनियम की धारा[5] 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं।

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकाय, जिनको अधिनियम की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है, **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध हैं।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया, व्यय, उसकी गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों के आकलन और हितधारकों की चिंताओं के आधार पर मंत्रालय/विभाग और उसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई के जोखिम के आकलन के साथ शुरू होती है। इस अभ्यास में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों

---

[1] (i) भारत की संचित निधि से हुए सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और अन्य सहायक खातों की लेखापरीक्षा।

[2] संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार और स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा करना और उन पर रिपोर्ट देना।

[3] संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित निगमों (कंपनियां नहीं) के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन और प्रयोग संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

[4] जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा संसद द्वारा या उसके अधीन बनाए गए किसी कानून द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, वहां यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा, जैसा भी हो, ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा।

[5] जहां कोई निकाय या प्राधिकरण भारत या किसी राज्य या विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होता है, वहां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, उस निकाय या प्राधिकरण पर उस समय लागू सभी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा करेगा तथा अपने द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्ययों पर प्रतिवेदन देगा।

पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है। इसके बाद ऐसे जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। चयनित/नियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली निरीक्षण प्रतिवेदन इकाइयों के प्रमुखों को जारी की जाती हैं। इकाइयों से अनुरोध किया जाता है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, तब लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के रूप में अलग से जारी की जाती हैं तथा उन्हें सीएजी की रिपोर्टों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

1.4 बजट और व्यय

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों (जहां भी लागू हो) के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि 2021-22 और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बजट और व्यय की तुलनात्मक स्थिति[6] तालिका 1.1 में दी गई है:

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	वर्ष	बजट (अनुदान/ विनियोजन)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	अव्ययित बजट का %
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय					
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	**2021-22**	**233.15**	**208.28**	**24.87**	**10.67%**
	2020-21	295.70	293.04	2.66	0.90%
नागर विमानन मंत्रालय	**2021-22**	**72,424.46**	**71,918.20**	**506.26**	**0.70%**
	2020-21	4,131.62	4,090.18	41.44	1.00%
कोयला मंत्रालय	**2021-22**	**644.11**	**573.68**	**70.43**	**10.93%**
	2020-21	882.63	571.64	310.99	35.23%
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय					
वाणिज्य विभाग	**2021-22**	**7,688.42**	**7,351.25**	**337.17**	**4.39%**

[6] *संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे*

मंत्रालय/ विभाग	वर्ष	बजट (अनुदान/ विनियोजन)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	अव्ययित बजट का %
	2020-21	6,219.33	4,582.82	1,636.51	26.31%
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	**2021-22**	**8,382.03**	**8,303.64**	**78.39**	**0.94%**
	2020-21	8,254.67	7,559.13	695.54	8.43%
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	**2021-22**	**737.13**	**649.97**	**87.16**	**11.82%**
	2020-21	752.63	666.54	86.09	11.44%
वित्त मंत्रालय					
वित्तीय सेवाएँ विभाग	**2021-22**	**87,202.70**	**75,393.90**	**11,808.80**	**13.54%**
	2020-21	60,780.64	48,939.16	11,841.48	19.48%
निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	**2021-22**	**110.52**	**86.55**	**23.97**	**21.69%**
	2020-21	132.11	71.72	60.39	45.71%
लोक उद्यम विभाग	**2021-22**	**177.00**	**23.30**	**153.70**	**86.84%**
	2020-21	24.15	16.15	8.00	33.13%
भारी उद्योग मंत्रालय	**2021-22**	**1,291.06**	**1,177.98**	**113.08**	**8.76%**
	2020-21	1,532.45	896.55	635.90	41.50%
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	**2021-22**	**1,07,283.22**	**1,06,987.19**	**296.03**	**0.28%**
	2020-21	67,786.29	53,410.65	14,375.64	21.21%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**2021-22**	**15,699.71**	**15,160.47**	**539.24**	**3.43%**
	2020-21	8,572.24	5,647.83	2,924.41	34.11%
खान मंत्रालय	**2021-22**	**4,378.39**	**4,339.84**	**38.55**	**0.88%**
	2020-21	1,851.41	1,435.28	416.13	22.48%
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**2021-22**	**16,643.80**	**5,753.64**	**10,890.16**	**65.43%**
	2020-21	46,813.02	42,189.88	4,623.14	9.88%
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	**2021-22**	**2,614.74**	**2,038.03**	**576.71**	**22.06%**
	2020-21	2,365.01	1,907.63	457.38	19.34%
विद्युत मंत्रालय	**2021-22**	**24,551.39**	**23,317.88**	**1,233.51**	**5.02%**
	2020-21	22,284.79	14,940.49	7,344.30	32.96%
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**2021-22**	**2,48,917.83**	**2,38,104.43**	**10,813.40**	**4.34%**
	2020-21	1,96,544.85	1,89,789.88	6,754.97	3.44%
इस्पात मंत्रालय	**2021-22**	**43.01**	**40.15**	**2.86**	**6.63%**
	2020-21	100.00	74.31	25.69	25.69%
वस्त्र मंत्रालय	**2021-22**	**11,515.56**	**11,170.90**	**344.66**	**2.99%**
	2020-21	3,520.98	3,146.97	374.01	10.62%

मंत्रालय/ विभाग	वर्ष	बजट (अनुदान/ विनियोजन)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	अव्ययित बजट का %
पर्यटन मंत्रालय	**2021-22**	**2,032.06**	**803.88**	**1,228.18**	**60.44%**
	2020-21	2,506.10	1,138.43	1,367.67	54.57%
कुल	**2021-22**	**6,12,570.29**	**5,73,403.18**	**39,167.11**	**6.39%**
	2020-21	4,35,350.62	3,81,368.28	53,982.34	12.40%

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2021-22 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय ₹5,73,403.18 करोड़ था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹3,81,368.28 करोड़ था, 2021-22 में ₹1,92,034.90 करोड़ (50.35 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- 2021-22 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए कुल ₹5,73,403.18 करोड़ के व्यय में से, 41.52 *प्रतिशत* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया, इसके बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (18.66 *प्रतिशत*) और वित्तीय सेवाएँ विभाग (13.15 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।
- पांच मंत्रालयों/विभागों *अर्थात* पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों ने 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में अधिकतम वृद्धि नागर विमानन मंत्रालय (1,658 *प्रतिशत*) द्वारा दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में अधिकतम कमी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (86 *प्रतिशत*) द्वारा दर्ज की गई।
- वर्ष 2021-22 के दौरान ₹6,12,570.29 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/विभागों का कुल अव्ययित बजट ₹39,167.11 करोड़ था, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 12.40 *प्रतिशत* अव्ययित बजट की तुलना में कुल अनुदान/विनियोग का 6.39 *प्रतिशत था।*

1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति

से 12 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित होते हैं। 14 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2021 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में ₹12,571.28 करोड़ की राशि से जुड़े 7,260 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति (मार्च 2022 तक) को दर्शाने वाले मंत्रालय/विभाग-वार विवरण, जो वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के बाद बकाया रह गए थे, जिसमें अनुदान जारी किए गए थे, **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की आयु-वार स्थिति का सारांश नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में विलंब की सीमा	31 मार्च 2022 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	2,846	5,734.12
1-5	2,882	5,114.43
5 से ऊपर	1,532	1,722.73
कुल	**7,260**	**12,571.28**

₹ 12,571.28 करोड़ की राशि वाले उपरोक्त 7,260 उपयोगिता प्रमाणपत्रों के संबंध में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं मिल सका कि यह राशि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा संस्वीकृत/अधिकृत किया गया था।

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य रूप से सात मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या का 98.13 *प्रतिशत* हैं, जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 97.99 *प्रतिशत* है। मार्च 2022 तक सात मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण धन मूल्य वाले बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2022 तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च[7] 2022 तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,234	4,925.56
2.	वित्तीय सेवाएँ विभाग	8	4,125.84
3.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	860	1,563.43

[7] *मार्च 2021 तक जारी अनुदान के लिए*

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च[7] 2022 तक	
		संख्या	राशि
4.	वस्त्र मंत्रालय	4,861	995.15
5.	भारी उद्योग मंत्रालय	86	373.53
6.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	50	202.07
7.	वाणिज्य विभाग	25	132.66
	कुल	**7,124**	**12,318.24**

1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखा प्रस्तुत करने में विलंब

सदन के पटल पर रखे गए पत्रों की समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1975-76) में अनुशंसा की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखा वर्ष (वित्तीय वर्ष) की समाप्ति के तीन महीने के भीतर अपने खातों को अंतिम रूप देना /तैयार करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है।

तालिका 1.4 केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में हुए विलंब को दर्शाती है:

तालिका 1.4: केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए खाते प्रस्तुत करने में विलंब

	विलंब की अवधि			
	1 महीने तक	1-3 महीने	3-6 महीने	6 महीने से अधिक
केंद्रीय स्वायत्त निकायों की संख्या	11	9	8	1

वर्ष 2021-22 के लिए जिन केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खाते विलंब से प्रस्तुत हुए हैं, उनका विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए खाते प्रस्तुत करने में सबसे अधिक विलंब फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (8 महीने), नाविक भविष्य निधि संगठन (5 महीने), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (5 महीने) और राष्ट्रीय जूट बोर्ड (5 महीने) के मामले में देखा गया।

1.7 संसद के समक्ष केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति में विलंब

समिति ने यह भी अनुशंसा की कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित खातों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर, अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

जिन केंद्रीय स्वायत्त निकायों ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखापरीक्षित खातों को संसद के किसी एक या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया (मार्च 2023 तक), उनका विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिनके वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित खाते जारी किए गए लेकिन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम
2.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
3.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश
4.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
5.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु
6.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता
7.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
8.	स्ट्रेस्ड असेट्स स्टेबिलाईज़ेशन फ़ंड, मुंबई
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली

इसके अलावा, 26 केंद्रीय स्वायत्त निकाय ऐसे थे जिनके वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षित खाते नियत तिथि के बाद संसद में रखे गए थे। विवरण **अनुलग्नक-V** में दर्शाया गया है।

1.8 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रमाणित अंतिम खातों में संलग्न किए जाते हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में पेश किया जाना होता है। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां **अनुलग्नक-VI** में दी गई हैं। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे उल्लिखित हैं:

(क) 14 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई **(अनुलग्नक-VII)**;

(ख) 15 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया **(अनुलग्नक-VIII)**;

(ग) 9 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-IX)**;

(घ) 19 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-X)**; तथा

(ड़) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप चार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों को संशोधित किया गया **(अनुलग्नक-XI)**।

1.9 लंबित "की गई कार्रवाई टिप्पणी" (एटीएन) की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 17 अगस्त 1995 को संसद में पेश की गई अपनी 105वीं रिपोर्ट (दसवीं लोकसभा -1995-96) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 से सीएजी की रिपोर्टों के सभी पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अंतर्गत एक निगरानी सेल बनाया गया, जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांचे गए एटीएन के समन्वय और संग्रह का कार्य सौंपा गया और उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को भेजना था।

सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संघ सरकार (सिविल-आर्थिक और सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 23 एटीएन बकाया थे, लेकिन केवल 16 एटीएन प्राप्त हुए और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों में थे (मार्च 2023)। बकाया एटीएन का विवरण **अनुलग्नक-XII** में दर्शाया गया है।

1.10 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की सिफारिशों पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि वे सीएजी की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा

लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने और उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करने के लिए भेजे जाते हैं। इस रिपोर्ट में 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। 14 पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर प्राप्त हुए। दो लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, जहां मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, एक मामले में लेखापरीक्षित इकाई *अर्थात* विदेश व्यापार महानिदेशालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और वसूली के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की। प्राप्त प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट (नवम्बर 2024) में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

अध्याय II: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

2.1 मासिक चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान

7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा मासिक चिकित्सा भत्ते की अनुशंसा न किए जाने के बावजूद भी केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने कर्मचारियों को अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक ₹1.88 करोड़ की राशि के मासिक चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान किया।

केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), चेन्नई (जिसे पहले केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता था) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। इस विशेषीकृत संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुशासनों में जनशक्ति विकसित करना था। सीआईपीईटी पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों से काम करता है।

सीआईपीईटी की प्रशासनिक नियमावली में प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह ₹1,250 की दर से बाह्य रोगी उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 प्रति वर्ष है। प्रतिपूर्ति की दर को 1 अक्टूबर 2017 से बढ़ाकर (सितंबर 2017) अधिकतम ₹19,200 प्रति वर्ष (अर्थात ₹1,600 प्रति माह) कर दिया गया था।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने भत्तों पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में 11 जुलाई 2017 और 26 जुलाई 2017 को जारी अपने कार्यालय ज्ञापनों में कहा कि:

- क्वासी गवर्नमेंट संगठनों, स्वायत्त निकायों और वैधानिक निकायों जो केंद्र सरकार द्वारा गठित एवं वित्तपोषित / नियंत्रित है, के कर्मचारियों के मामले में वर्तमान में स्वीकार्य ऐसे विद्यमान भत्ते जो केन्द्र सरकार के पैटर्न के अनुसार हैं, उन्हें 7वें केन्द्रीय

वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्तों की संशोधित दरों के संबंध में 6 जुलाई 2017 के संकल्प में निहित निर्णय के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

- ऐसे सभी भत्ते जुलाई 2017 से वेतन से हट जाएंगे जिनका सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। यदि किसी ऐसे मौजूदा भत्ते को जारी रखने की कोई मांग या आवश्यकता है जिस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है या प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, तो उसे वित्त मंत्रालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय द्वारा पुनः अधिसूचित किया जाना चाहिए।

ऐसा पाया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में सेवारत कर्मचारियों को देय चिकित्सा व्यय के लिए किसी निश्चित भत्ते का कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2021 में सीआईपीईटी ने निर्णय लिया कि बाह्य रोगी उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि (यानी ₹1,600 प्रति माह) अप्रैल 2021 के वेतन से कर्मचारियों के मासिक वेतन में शामिल की जाएगी। इस प्रकार, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को सीआईपीईटी द्वारा कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ जारी किए जाने वाले एक निश्चित मासिक भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया।

अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक सीआईपीईटी द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान की गई निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ता की राशि निम्नानुसार थी:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	राशि
1.	एसपीसी[8]-सीआईपीईटी मुख्यालय, चेन्नई	27.56
2.	सीआईपीईटी-आईपीटी[9], चेन्नई	34.88
3.	सीआईपीईटी-एआरएसटीपीएस[10], चेन्नई	8.66
4.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस[11], अमृतसर	13.44
5.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस, बद्दी	13.15
6.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस, देहरादून	11.15
7.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस, वाराणसी	3.65

[8] *सेवा प्रदाता सेल*

[9] *पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान*

[10] *प्रौद्योगिकी और उत्पाद सिमुलेशन के लिए उन्नत अनुसंधान स्कूल*

[11] *कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र*

क्रम सं.	इकाई का नाम	राशि
8.	सीआईपीईटी-आईपीटी, लखनऊ	24.97
9.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस, ग्वालियर	7.54
10.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस, भोपाल	22.00
11.	सीआईपीईटी-सीएसटीएस, जयपुर	20.77
कुल		**187.77** **(~ ₹1.88 करोड़)**

चूंकि सीआईपीईटी भारत सरकार के समान ही वेतन और भत्ते का प्रतिमान अपनाता है इसलिए इसके कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ता देना अनियमित था। यदि भत्ते के लिए कोई मांग या आवश्यकता थी, तो वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए था। हालांकि, अभिलेख में ऐसी कोई अधिसूचना या अनुमोदन नहीं पाया गया।

इस प्रकार, सीआईपीईटी द्वारा अपने कर्मचारियों को निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक ₹1.88 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

सीआईपीईटी मुख्यालय, चेन्नई ने अपने उत्तर (नवंबर 2022) में कहा कि वित्त मंत्रालय का 11 जुलाई 2017 का आदेश सीआईपीईटी पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी अपनी प्रशासनिक नियमावली है जिसे शासी परिषद और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने कहा (मई 2024) कि सीआईपीईटी एक आत्मनिर्भर स्वायत्त संस्था है जिसमें वेतन, भत्ते आदि जैसे आवर्ती व्यय आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से भुगतान किए जाते हैं। विभाग ने सीआईपीईटी को केवल पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया। साथ ही, सीआईपीईटी को सीजीएचएस आदि जैसी किसी भी चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था। विभाग ने आगे कहा (सितंबर 2024) कि सीआईपीईटी ने मार्च 2021 में प्रतिपूर्ति-आधारित भुगतान को एक निश्चित भत्ते में बदलने का आंतरिक निर्णय लिया था। हालांकि, सितंबर 2024 से निश्चित भत्ता बंद कर दिया गया है।

सीआईपीईटी और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के उत्तर व्यय विभाग के 11 जुलाई 2017 और 26 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापनों की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हैं, जिनमें

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में जिन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें जुलाई 2017 के वेतन से बंद कर दिया जाएगा और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत कवर नहीं किए गए किसी मौजूदा भत्ते को जारी रखने की किसी मांग या आवश्यकता के मामले में, भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय द्वारा फिर से अधिसूचित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्वायत्त निकायों के लिए उक्त कार्यालय ज्ञापन में कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी जो अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से अपने आवर्ती खर्चों को पूरा कर रहे थे। इस प्रकार, सीआईपीईटी का अपने कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ता देने का निर्णय व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, अप्रैल 2021 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान सीआईपीईटी द्वारा ₹1.88 करोड़ की राशि के निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान अनियमित था। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद, सीआईपीईटी ने सितंबर 2024 से भत्ते को बंद करके सुधारात्मक कार्रवाई की है।

अध्याय III: कोयला मंत्रालय

कोयला नियंत्रक संगठन

3.1 चालू खाते में सरकारी निधियों को रखे जाने के कारण सरकारी राजकोष की हानि

भुगतान आयुक्त को कोयला खंडों के पूर्व आवंटियों को भुगतान के लिए धनराशि सौंपी गई थी। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 और 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आयुक्त ने उपलब्ध धनराशि को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय चालू खाते में रखा। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹11.77 करोड़ का घाटा हुआ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 से मार्च 2011 के बीच आवंटित 204 कोयला खंडों का आवंटन रद्द कर दिया (अगस्त/सितंबर 2014)। न्यायालय ने केंद्र सरकार को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कोयला खंडों का नए सिरे से आवंटन करने का भी निर्देश दिया। तदनुसार, नए आवंटियों से भुगतान प्राप्त किया जाना था और साथ ही उन पूर्व आवंटियों को मुआवज़ा दिया जाना था जिनके आवंटन रद्द कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने पूर्व आवंटियों को देय राशि वितरित करने के उद्देश्य से कोयला नियंत्रक[12] को 'भुगतान आयुक्त' के रूप में नियुक्त किया (नवंबर 2014)।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि "सरकार द्वारा या उसकी ओर से सरकार के बकाया के रूप में या जमा, प्रेषण या अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि को बिना किसी विलंब के सरकारी खाते में लाया जाएगा"। इसके अलावा, नियम 9 में यह प्रावधान है कि "केंद्र सरकार के संबंधित विभाग का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकारी प्राप्तियों और बकाया राशि का सही और तुरंत मूल्यांकन, संग्रह और विधिवत रूप से समेकित निधि या सार्वजनिक खाते, जैसा भी मामला हो, में जमा किया जाए"। जीएफआर, 2017 के नियम 7 और 9 के अंतर्गत भी यही दोहराया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएफआर के नियम 7 का उल्लंघन करते हुए भुगतान आयुक्त ने बैंक में एक चालू खाता (जून 2015) खोला और पूर्व आवंटियों को भुगतान के लिए उक्त खाते में पैसे जमा कर दिए। जून 2016 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान, उक्त चालू खाते में संवितरण के लिए ₹209.28 करोड़ की राशि जमा की गई जिसमें से

---

[12] कोयला नियंत्रक संगठन का कार्यालय, कोलकाता

मार्च 2022 तक केवल ₹86.53 करोड़ ही वास्तव में संवितरित किए गए, जिससे चालू खाते में ₹122.75 करोड़ की शेष राशि बची जिस पर कोई ब्याज नहीं मिला।

भारतीय रिज़र्व बैंक उपलब्ध निधियों को उधार देता है और रेपो दर[13] पर ब्याज अर्जित करता है। इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सरकारी खाता न खोलने के कारण, सरकारी खजाने को ₹11.77 करोड़ का नुकसान हुआ **(अनुलग्नक-XIII)**।

कोयला नियंत्रक कार्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2023) कि भुगतान में विलंब कोयला खदानों के आवंटियों द्वारा समय पर सूचना दिए जाने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण हुआ। इसने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (मार्च 2022) के बाद, ₹122.75 करोड़ की असंवितरित राशि नामित प्राधिकरण के सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दी गई (जुलाई 2022)।

मंत्रालय ने भी कोयला नियंत्रक कार्यालय के विचारों का समर्थन किया (जनवरी 2024)।

कोयला नियंत्रक/मंत्रालय के कार्यालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि भुगतान आयुक्त के पास उपलब्ध बड़ी मात्रा में संचित धनराशि सरकारी खाते में स्थानांतरित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को नुकसान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही सुधारात्मक कार्रवाई की गई, जो संगठन में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार, जीएफआर का उल्लंघन करते हुए सरकारी खाते से बाहर धनराशि रखने के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹11.77 करोड़ का घाटा हुआ।

[13] *भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर पर ब्याज लेता है (ऑडिट अवलोकन में उल्लिखित अवधि के दौरान सबसे कम होने के कारण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) जब एक वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है।*

अध्याय IV: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4.1 सामान्य अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत परिकल्पित अवसंरचना का गैर-निर्माण

सामान्य अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सूरत, गुजरात में एक परियोजना के संबंध में गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) को ₹10.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। हालाँकि, परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित, जीएसएएमबी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर दो पैक हाउस स्थापित करने के बजाय केवल एक मौजूदा पैक हाउस को अपग्रेड किया गया, जिसके बावजूद एपीडा द्वारा पूरी वित्तीय सहायता जारी कर दी गई। इसके अलावा, परियोजना को मंजूरी देने से पहले एपीडा द्वारा सभी बाधाओं से मुक्त और जीएसएएमबी के कब्जे में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि निर्यात संवर्धन नियोजन योजना के विभिन्न घटकों *अर्थात* अवसंरचना विकास, बाजार विकास और गुणवत्ता विकास के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सामान्य अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत, एपीईडीए को गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सूरत में आम और अन्य फलों के लिए एसेप्टिक पैकेजिंग लाइन और कैनिंग लाइन एवं नवसारी और धरमपुर, वलसाड में दो मशीनीकृत संग्रह केंद्र/पैक हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव (दिसंबर 2013) मिला। योजना के स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र परियोजना लागत ₹15.69 करोड़ थी, जिसमें सूरत में मुख्य प्रसंस्करण केंद्र के लिए ₹9.89 करोड़ और दो संग्रह केंद्रों की स्थापना के लिए ₹5.80 करोड़ शामिल थे।

एपीडा द्वारा गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड को 26 अक्टूबर 2015 को तीन किस्तों में जारी की जाने वाली ₹10.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। एपीडा और गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बीच 28 अक्तूबर 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बोर्ड ने 18 महीने के भीतर यानी 27 अप्रैल 2017 तक परियोजना को चालू करने की प्रतिबद्धता जताई थी। परियोजना

को गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उत्पाद विपणन समिति, सूरत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था।

एपीडा ने फरवरी 2016 में गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड को अग्रिम के रूप में ₹4.00 करोड़ की पहली किस्त जारी की। दिसंबर 2016 में, कृषि उत्पाद विपणन समिति, सूरत ने गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सूचित किया कि नवसारी और धरमपुर में पैक हाउस के लिए प्रस्तावित स्थलों को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि भूस्वामियों ने परियोजना के लिए स्थल सौंपने से इनकार कर दिया है। मार्च 2017 में, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एपीडा को सूचित किया कि मुख्य प्रसंस्करण इकाई पूर्ण होने के उन्नत चरण में थी और स्थानांतरित स्थलों पर दो पैक हाउस पर काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। सितंबर 2017 में एपीडा द्वारा ₹4.00 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की गई।

जुलाई 2018 में, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एपीडा को सूचित किया कि मुख्य प्रसंस्करण संयंत्र जून 2017 में चालू हो गया था और कृषि उत्पाद विपणन समिति, सूरत के परिसर में एक पैक हाउस स्थापित किया गया था क्योंकि नवसारी और वलसाड में स्थानांतरित स्थलों पर बनाए जाने वाले दो पैक हाउसों के लिए भूमि अभी तक गुजरात सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई थी। फरवरी 2020 में परियोजना का भौतिक सत्यापन करने के बाद, जनवरी 2021 में एपीडा द्वारा ₹2.00 करोड़ की शेष अनुदान राशि जारी की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) सूरत में पैक हाउस की स्थापना के लिए गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एपीडा से कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद, एपीडा की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (फरवरी 2020) में परियोजना का नाम बदलकर फ़ूड प्रोसेसिंग विथ आसेप्टिक एंड कैनिंग लाइन्स विथ पैक हाउस के रूप में 100 *प्रतिशत* पूरा होना दिखाया गया और ₹2.00 करोड़ की शेष वित्तीय सहायता जारी करने की अनुशंसा की गई।

(ii) एपीडा की सैद्धांतिक मंजूरी और एपीडा और गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, सूरत में मुख्य प्रसंस्करण केंद्र और नवसारी और वलसाड में दो संग्रह केंद्र/पैक हाउस स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र से संबंधित कार्य जून 2017 में पूरा हो गया था, लेकिन दो पैक हाउस से संबंधित काम शुरू भी नहीं हुआ था। इसलिए, ₹9.89 करोड़ की लागत वाली परियोजना का केवल एक हिस्सा ही पूरा हो पाया। सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार,

एपीईडीए परियोजना लागत का अधिकतम 90 *प्रतिशत* सहायता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड ₹8.90 करोड़ (यानी, ₹9.89 करोड़ का 90 *प्रतिशत*) की सहायता के लिए पात्र था।

(iii) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एपीडा द्वारा वित्तीय सहायता पर विचार करने के लिए सभी बाधाओं से मुक्त और कार्यान्वयन एजेंसी के कब्जे में भूमि की उपलब्धता पहली आवश्यकता थी। हालांकि, एपीडा ने दो पैक हाउस के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना को मंजूरी दे दी, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि भूस्वामियों ने पैक हाउस के निर्माण के लिए मूल रूप से पहचाने गए स्थलों पर भूमि सौंपने से इनकार कर दिया।

(iv) इस योजना का उद्देश्य नवसारी और वलसाड जिलों के उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों से ताजे फल और सब्जियों की खरीद के लिए संग्रह केंद्र सह पैक हाउस स्थापित कर दक्षिण गुजरात के आदिवासी किसानों की मदद करना था। हालांकि, इन क्षेत्रों के आदिवासी किसानों की उपज के उपचार और रसद के लिए ऐसी कोई बुनियादी सुविधाएं स्थापित नहीं की जा सकीं।

(v) सूरत में स्थापित किया गया वन पैक हाउस वास्तव में स्थानीय किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था, जहां अधिकांश बुनियादी ढांचे और उपकरण मौजूद थे, तथा कुछ और उपकरणों को शामिल करके केवल इसे उन्नत किया गया था।

इस प्रकार, एपीडा ने परियोजना के लिए ₹10.00 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी करते हुए गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड को ₹1.10 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की। इसके अलावा, पैक हाउस के स्थान में परिवर्तन के कारण, नवसारी और वलसाड में संग्रह केंद्र सह पैक हाउस स्थापित करके दक्षिण गुजरात के आदिवासी किसानों की मदद करने का उद्देश्य विफल हो गया।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2022) कि वलसाड और नवसारी में पैक हाउस के लिए प्राधिकारियों द्वारा भौतिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए, किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के अनुरोध पर, कृषि उपज बाजार समिति, सूरत के परिसर में सैद्धांतिक मंजूरी में उल्लिखित समान उपकरण और मशीनरी वाले एक पैक हाउस की स्थापना की गई। प्रबंधन ने आगे कहा (मई 2023) कि:

- जैसा कि लेखापरीक्षा में पाया गया, सूरत में पैक हाउस की स्थापना के लिए गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एपीडा से कोई पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था।

इसलिए, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड को ब्याज सहित अतिरिक्त अनुदान जमा करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था।

- पैक हाउसों के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पैक हाउसों के लिए दोनों स्थानों के नक़्शे के साथ प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।

निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- नवसारी और वलसाड में परिकल्पित स्थानों पर दो पैक हाउस स्थापित नहीं किए गए बल्कि उसके बजाय एक अन्य स्थान अर्थात सूरत में मौजूद एक पैक हाउस को *उन्नत* किया गया था। इसलिए सूरत में पैक हाउस के उन्नयन की लागत को एपीडा द्वारा वित्त पोषित करने के बजाय कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाना चाहिए था।
- नवसारी और वलसाड में दो पैक हाउस स्थापित करने के लिए प्राधिकरणों द्वारा भौतिक भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि परियोजना को मंजूरी देने से पहले एपीडा द्वारा सभी बाधाओं से मुक्त और कार्यान्वयन एजेंसी के कब्जे में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। पैक हाउस के स्थानों के लिए नक़्शे प्रदान करने से निर्दिष्ट स्थानों पर बाधाओं से मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, जो एपीडा द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता थी।

मंत्रालय ने एपीडा द्वारा उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय को संबोधित एपीडा के 16 फरवरी 2024 के उत्तर की एक प्रति भेजी (अप्रैल 2024), जिसमें बताया गया कि एपीडा ने गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड से ₹0.67 करोड़ की राशि के लागू ब्याज सहित ₹1.10 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के मुख्य सचिव से अनुरोध किया था (दिसंबर 2023)।

एपीडा (11 जुलाई, 2024) तथा मंत्रालय (21 नवंबर, 2024) ने आगे बताया कि गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जून, 2024 में ₹1.10 करोड़ तथा अक्तूबर, 2024 में ब्याज के ₹0.67 करोड़ की राशि वापस कर दी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि इस परियोजना के माध्यम से नवसारी और वलसाड में संग्रहण केंद्र सह पैक हाउस स्थापित करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

4.2 निष्फल व्यय और जुर्माने की वसूली न होना

केरल में एक परियोजना की स्थापना के लिए खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद, केरल के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.61 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और ₹36.75 लाख का जुर्माना वसूल नहीं हो सका।

केरल के खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद ने (सितंबर 2014) केरल के एलांजी गांव में निर्यातोन्मुख फलों और सब्जियों के लिए शीत भंडारण और निर्जलीकरण सुविधा स्थापित करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परियोजना की कुल लागत ₹10.55 करोड़ थी। एपीडा ने (मार्च 2015) खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद को ₹7.35 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए 'सैद्धांतिक स्वीकृति' प्रदान की। शेष ₹3.20 करोड़ की राशि केरल सरकार द्वारा दी जानी थी।

एपीडा और खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच 19 मार्च 2015 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना को एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर की तिथि से 18 महीने की अवधि (यानी 18 सितंबर 2016 तक) के भीतर पूरा किया जाना था। धनराशि तीन किस्तों क्रमशः 50 *प्रतिशत*, 40 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* में जारी की जानी थी। एपीडा ने 31 मार्च 2015 को समतुल्य मूल्य की बैंक गारंटी प्राप्त करने के विरुद्ध ₹3.67 करोड़ की पहली किस्त जारी की थी। खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद द्वारा चालू बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद, एपीडा ने मार्च 2017 में भौतिक सत्यापन किया और सत्यापन के दौरान देखी गई कार्य की प्रगति के आधार पर, ₹2.94 करोड़ की दूसरी किस्त में से 28 जून 2017 को ₹1.84 करोड़ (स्वीकृत सहायता का 25 *प्रतिशत)* की राशि जारी की गई। दूसरी किस्त की शेष राशि यानी ₹1.10 करोड़ (स्वीकृत सहायता का 15 *प्रतिशत*) 21 मार्च 2018 को जारी की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- निर्धारित समय से सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हुई। जुलाई 2022 में भौतिक सत्यापन और सितंबर 2022 में संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वास्तविक कार्य का केवल 60 *प्रतिशत* ही पूरा हुआ है और स्थापित मशीनें कार्यशील स्थिति में नहीं थी।

- मार्च 2017 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई थी कि दूसरी किस्त का ₹1.10 करोड़ का हिस्सा निर्जलीकरण इकाई के संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के बाद जारी किया जा सकता है। हालांकि, एपीडा ने संयंत्र और मशीनरी की स्थापना से पहले ही खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद के अनुरोध पर राशि (मार्च 2018) जारी कर दी।
- एपीडा और खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 8 के अनुसार, किसी भी विलंब के मामले में, स्वीकृत लागत के अधिकतम पांच *प्रतिशत* के अधीन विलंब की स्थिति में प्रत्येक महीने के लिए एक *प्रतिशत* का जुर्माना लगाया जाना था। चूंकि परियोजना में विलंब हुई थी, इसलिए एपीडा द्वारा ₹36.75 लाख (₹7.35 करोड़ का पांच *प्रतिशत*) का जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। हालांकि, एपीईडीए ने खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।
- एमओयू के खंड 5(सी) के अनुसार, एजेंसी को हर समय परिसंपत्तियों को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखना होगा। इसके अलावा, एमओयू के खंड 12 के अनुसार, यदि एजेंसी एमओयू की शर्तों का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे 10 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित संपूर्ण अनुदान वापस करना होगा। जुलाई 2022 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन और सितंबर 2022 के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन से पता चला कि स्थापित उपकरण कार्यशील स्थिति में नहीं थे और उचित उपयोग न होने कारण उनमें जंग लग गयी थी और वे खराब हो गए थे। हालांकि, एपीडा ने खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद से किसी भी तरह की वापसी की मांग नहीं की।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023 और नवंबर 2023) कि:

- निर्जलीकरण इकाई के संयंत्र और मशीनरी के भुगतान के लिए खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद के अनुरोध (फरवरी 2018) पर, एपीडा ने जनवरी 2018 के मासिक अद्यतन और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु से मार्च 2018 में प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद, दूसरी किस्त के शेष ₹1.10 करोड़ का संवितरण किया। एमओयू के अनुसार, एपीडा को पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद दूसरी किस्त पूरी तरह से जारी करनी थी।

- खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद को 2018 में भारी बारिश और कोविड-19 जैसी समस्याओं का सामना करने की वजह से परियोजना में विलंब हुई। साथ ही, कार्यस्थल पर कुछ शुरुआती समस्याओं के कारण अतिरिक्त कार्य करना पड़ा। कोविड-19 प्रकोप के कारण, जुलाई 2021 में निर्धारित समय पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, हालांकि, आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों के साथ अद्यतन एवं तस्वीरें ली गईं।
- खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद के अनुरोध पर तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि परियोजना का 70 *प्रतिशत* कार्य पूरा हो चुका है तथा 75 *प्रतिशत* वित्तीय प्रगति प्राप्त हो चुकी है, परियोजना के हित में 31 दिसंबर 2023 तक अंतिम विस्तार प्रदान किया गया। यदि परियोजना में इस समय-सीमा से ज्यादा विलंब होती है तो एपीडा बैंक गारंटी (₹3.67 करोड़) के नकदीकरण के लिए आगे बढ़ेगा।

मंत्रालय ने नवंबर 2023 में एपीडा द्वारा दिए गए उत्तर की पुष्टि की (2 फरवरी 2024)। इसके अलावा, प्रबंधन ने सूचित किया (15 मार्च 2024) कि खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद ने लंबित कार्य को पूरा करने और पट्टे के आधार पर सुविधा संचालित करने और जुलाई 2024 तक संयंत्र को पूरी तरह से चालू करने के लिए संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। तदुपरांत, परियोजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए, प्रबंधन ने आगे कहा (अगस्त 2024) कि:

- परियोजना को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद के आगे के अनुरोध (जून 2024) पर विचार करते हुए, एपीडा ने समयसीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी। खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद ने ₹3.67 करोड़ की बैंक गारंटी को 31 जुलाई 2025 तक की दावा अवधि के साथ 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया।
- एपीडा ने विभिन्न अवसरों पर समयसीमा बढ़ाने का सचेत निर्णय लिया था क्योंकि यह परियोजना केरल के किसानों के लिए एपीडा द्वारा अधिसूचित उत्पादों के निर्यात की पूर्ण क्षमता का दोहन करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2024) कि:

- खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद ने परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा बोलीदाता को अंतिम रूप दे दिया है।

परियोजना की फ्रीजिंग लाइन 90 दिनों में चालू हो जाएगी तथा डिहाइड्रेशन लाइन कार्य मिलने के 180 दिनों में चालू हो जाएगी।

- एपीडा ने अनुदान की वसूली के लिए ना तो बैंक गारंटी का उपयोग किया और ना ही खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद पर जुर्माना लगाया एवं परिषद की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस सुविधा के पूरा हो जाने पर इससे लाभान्वित होने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न अवसरों पर समयसीमा बढ़ाई है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को निम्नलिखित के आलोक में देखा जा सकता है:

- जुलाई 2022 में किए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार, परियोजना को पूरा करने के लिए ₹10-12 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी। हालांकि, खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद के खिलाफ जुर्माना लगाने के संबंध में कार्रवाई करने के बजाय, एपीईडीए ने परियोजना को पूरा करने की समयसीमा को बार-बार बढ़ाया।
- परियोजना अंतिम रूप से बढ़ाई गई तिथि अर्थात 31 दिसंबर 2023 तक भी पूरी नहीं हुई, फिर भी एपीडा ने नवंबर 2023 के अपने उत्तर के अनुसार बैंक गारंटी को भुनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि इसके बजाय परियोजना के पूर्ण होने की समयसीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी।
- समयसीमा में बार-बार विस्तार किया गया है और परियोजना अभी भी अधूरी है। इसके अलावा, स्थापित मौजूदा संयंत्र और मशीनरी पहले ही खराब हो चुकी है, जिससे एपीडा द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता उस स्तर तक निष्फल हो गई है।

इस प्रकार, एपीडा द्वारा समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के खराब होने के कारण ₹6.61 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही ₹36.75 लाख का जुर्माना भी वसूल नहीं हो सका।

विदेश व्यापार महानिदेशालय

4.3 वित्तीय सहायता का अनियमित वितरण

विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक का कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली ने परिवहन एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत एक निजी संस्था को 122 दावों के विरुद्ध ₹66.10 लाख की अनियमित सहायता प्रदान की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अनियमित भुगतान की वसूली की गई। तथापि, उन सभी मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है जहां योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ताकि अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के मामलों में वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 27 फरवरी 2019 को 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता' नामक एक योजना अधिसूचित की। इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज के माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था ताकि ट्रांस-शिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात में शामिल परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम किया जा सके और निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा दिया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक के नेतृत्व में विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से प्रदान की जानी थी। यह योजना शुरू में 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक किए गए निर्यातों के लिए लागू थी और बाद में इसे 31 मार्च 2021 तक किए गए निर्यातों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत परिवहन सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को विदेश व्यापार नीति 2015-20 के प्रावधानों के अनुसरण में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 7(ए) में शामिल किया गया था।

वाणिज्य विभाग की 27 फरवरी 2019 की अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि:

(1) इस योजना के अंतर्गत सहायता, भुगतान की गई माल ढुलाई की प्रतिपूर्ति के भाग के रूप में प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से नकद प्रदान की जानी थी।

(2) समुद्री मार्ग से उत्पादों के निर्यात के लिए, सहायता एक पूरे बीस फीट समतुल्य इकाई (टीईयू) कंटेनर के लिए भुगतान किए गए भाड़े पर आधारित होनी थी। चालीस फीट के कंटेनर को दो टीईयू के बराबर माना जाना था।

(3) अधिसूचना के अनुलग्नक (1) में उल्लिखित उत्पादों को छोड़कर, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली[14] के अध्याय 1 से 24 के अंतर्गत आने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए सहायता प्रदान की जानी थी।

(4) यह सहायता ऐसे कंटेनर के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसमें पात्र और अपात्र दोनों श्रेणी का माल हो।

विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत 489 आवेदनों के संबंध में ₹44.46 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई। इन 489 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने पांच संस्थाओं से संबंधित ऐसे आठ मामलों की यादृच्छिक रूप से जांच की जिन्हें योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी की गई थी। निजी संस्था से संबंधित इनमें से तीन मामलों में, यह देखा गया कि निजी संस्था को 1,092 दावों के विरुद्ध ₹3.97 करोड़ की वित्तीय सहायता/अदायगी दी गई, जिसमें से 122 दावों से संबंधित ₹66.10 लाख (16.65 *प्रतिशत)* की अदायगी इस तथ्य के कारण अनियमित थी कि इन मामलों में वित्तीय सहायता अयोग्य उत्पादों वाले कंटेनरों के लिए प्रदान की गई थी, जिनका उल्लेख 27 फरवरी 2019 की उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक (1) में किया गया था। इन कंटेनरों में भेजे गए सामान में हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड 0406 वाले पनीर/पनीर क्यूब्स (पनीर) शामिल थे, जिन्हें योजना के अंतर्गत बाहर रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा ₹66.10 लाख की वित्तीय सहायता अनियमित रूप से जारी की गई।

इसके अलावा, प्रक्रियाओं के लिए पुस्तिका के अध्याय 7(ए) के पैरा 7(ए).05 के अंतर्गत निर्धारित अपने स्वयं के लेखापरीक्षा प्रणाली के अनुसार, जिन मामलों में अध्याय के अंतर्गत लाभ पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं उनमें से 10 *प्रतिशत* मामलों को जांच के लिए यादृच्छिक आधार पर चुना जाएगा। यदि ऐसी जांच में कोई विसंगति और/या अधिक दावा पाया जाता है, तो आवेदक एक महीने के भीतर ऐसी विसंगति को ठीक करने और/या वसूली योग्य राशि पर 15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावा की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए बाध्य होगा। विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक

[14] ***नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) का उपयोग दुनिया भर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए किया जाता है। एचएसएन के तहत, सभी वस्तुओं और सेवाओं को 21 अनुभागों और 99 अध्यायों में विभाजित किया गया है।***

का कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली से 2019-20 से 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चुने गए मामलों/दावों की संख्या और विसंगति के मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी/विवरण प्रदान करने का अनुरोध (जून 2022) किया गया था। हालांकि, उस कार्यालय द्वारा कोई अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक का कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी 27 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुलग्नक (1) के अनुसार अपात्र उत्पादों को ले जाने वाले कंटेनरों के संबंध में एक निजी संस्था को योजना के अंतर्गत ₹66.10 लाख की अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अगस्त 2022 और मार्च 2023), विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक का कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली ने दस्तावेज प्रस्तुत किये (अप्रैल 2023) जिसमें दर्शाया गया कि अतिरिक्त अदायगी की पूरी राशि निजी संस्था द्वारा नवंबर 2022 में जमा कर दी गई थी। तथापि, चूंकि लेखापरीक्षा ने केवल एक निजी इकाई के कुछ नमूना-जांच किए गए मामलों के संबंध में ही वसूली की ओर संकेत किया है, इसलिए विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक के कार्यालय को उन सभी मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है जहां योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अनुशंसाएँ:

(1) लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई विसंगतियों के दृष्टिगत, विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक के कार्यालय उन सभी मामलों की समीक्षा करें जिनमें परिवहन और विपणन सहायता योजना के अंतर्गत उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और यदि कोई अतिरिक्त अदायगी की गई थी, तो उसे वसूल करें।

(2) विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक के कार्यालयों को परिवहन एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित अपने स्वयं की लेखापरीक्षा प्रणाली का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा अतिरिक्त अदायगी से संबंधित सभी मामलों में वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा सिफारिशों के उत्तर में, विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक का कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली ने कहा (नवंबर 2023) कि ऐसे सभी मामलों पर कार्रवाई

की जा रही है जिनके संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निजी इकाई को अतिरिक्त अदायगी की गई थी और इकाई को दो अन्य मामलों में जारी ₹44.39 लाख की अतिरिक्त अदायगी 15 *प्रतिशत* की दर से ब्याज के साथ जमा करने का अनुरोध किया गया था/ इसके अलावा, दूसरी लेखापरीक्षा अनुशंसा का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मामला मार्च 2023 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2024)।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

4.4 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से संबंधित प्रशासनिक मुद्दे

4.4.1 प्रस्तावना

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफ़टी) की स्थापना वर्ष 1963 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत के बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान देने के लिए की गई थी। वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान को 'मानित विश्वविद्यालय[15]' का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद[16] ने वर्ष 2005 और 2015 में आईआईएफ़टी को ग्रेड 'ए' संस्थान के रूप में मान्यता दी। आईआईएफ़टी अपने दिल्ली परिसर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए, एमए डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा, आईआईएफ़टी अपने कोलकाता और काकीनाडा परिसरों में पूर्ण विकसित एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) कार्यक्रम भी चलाता है।

4.4.2 आईआईएफटी का शासन और प्रबंधन

संस्थान के संघ के ज्ञापन और प्रबंधन के नियमों के अनुसार, संस्थान का सर्वोच्च शासी निकाय कुलपति की अध्यक्षता वाला एक प्रबंधन बोर्ड होगा और इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 15 सदस्य होंगे। प्रबंधन बोर्ड के कार्यों में मुख्य रूप से शैक्षणिक कर्मचारियों

---

[15] केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार, आयोग की सलाह पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अलावा कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय माना जाएगा, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे संस्थान पर लागू होंगे जैसे कि वह अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय हो।

[16] राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है, जो संस्थान की 'गुणवत्ता स्थिति' के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है। अपने मूल्यांकन के आधार पर, एनएएसी संस्थानों को आठ ग्रेडिंग में से एक ग्रेड देता है, जैसे कि ए++, ए+, ए, बी++, बी+, बी, सी और डी (जिसमें ए++ उच्चतम ग्रेडिंग है)।

की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को निर्धारित करना; समितियों और लेखा परीक्षकों की नियुक्ति; पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए योजनाओं का गठन; वित्त, खातों, निवेश, संपत्ति का प्रबंधन एवं संस्थान के अन्य सभी प्रशासनिक मामले शामिल हैं।

4.4.3 स्वीकृत संख्या और पदस्थ व्यक्ति

31 मार्च 2024 तक, आईआईएफटी, दिल्ली में स्वीकृत संख्या और पदस्थ व्यक्ति निम्नवत थे:

तालिका 4.1: आईआईएफटी, दिल्ली में स्वीकृत पद एवं पदस्थ कार्मिक

विवरण	स्वीकृत पद	पदस्थ कार्मिक
प्रोफेसर	32	8
एसोसिएट प्रोफेसर	36	18
सहायक प्रोफेसर	57	39
गैर-शिक्षण कर्मचारी (समूह 'क' और समूह 'ख')	190	87

4.4.4 कार्यशील परिणाम

31 मार्च 2023 तक, आईआईएफ़टी को भारत सरकार से कुल ₹247.18 करोड़ का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ था। 2017-18 से 2022-23 तक पिछले छह वर्षों में आईआईएफ़टी के कार्य परिणाम इस प्रकार थे:

तालिका 4.2: 2017-18 से 2022-23 के दौरान आईआईएफटी के कार्य परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व अनुदान	25.90	9.79	27.63	15.66	21.00	26.93
सेवाओं से आय	80.86	83.77	84.54	79.17	92.26	106.20
अन्य आय	20.71	24.70	26.07	27.88	33.55	38.28
कुल आय	127.47	118.26	138.24	122.71	146.81	171.41
कुल व्यय	74.48	88.27	85.77	93.24	94.31	128.91
आधिक्य	52.99	29.99	52.47	29.47	52.50	42.50

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-18 में संस्थान की कुल आय ₹127.47 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹171.41 करोड़ हो गई है, जबकि इस अवधि के दौरान व्यय में वृद्धि के कारण शुद्ध अधिशेष ₹52.99 करोड़ से घटकर ₹42.50 करोड़ हो गया है।

4.4.5 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में आईआईएफटी के डेटा/अभिलेख की जांच और विश्लेषण, आईआईएफटी के अधिकारियों के साथ चर्चा, लेखापरीक्षा प्रश्नों का जारी होना और आईआईएफटी के जवाबों की जांच शामिल थी। डेटा और लेखापरीक्षा टिप्पणियों को बाद में मार्च 2023 तक अद्यतन किया गया।

अगस्त 2023 में वाणिज्य विभाग को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ़ जारी किया गया। वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफ़टी को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर किए जाने वाले कुछ सुधारात्मक कार्यों के बारे में सूचित किया और आईआईएफ़टी को निर्देश दिया (अक्टूबर 2023) कि वह इस प्रकार की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों के आधार पर लेखापरीक्षा को एक उपयुक्त उत्तर भेजे। तदनुसार, आईआईएफ़टी ने अक्टूबर 2023 में ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर प्रस्तुत किए।

वाणिज्य विभाग द्वारा आईआईएफटी को दिए गए निर्देश (सितंबर 2023) और आईआईएफटी द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्रवाई एवं लेखापरीक्षा को दी गई सूचना (अक्टूबर 2023) को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

4.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.4.6.1 मैदानगढ़ी में आईआईएफटी परिसर के निर्माण में अत्यधिक विलंब

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु परिसर के विस्तार के लिए आईआईएफटी को मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में 5.6 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी (जनवरी 2015)। आईआईएफटी द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान की गई भूमि की कुल लागत ₹27.28 करोड़ थी, जिसमें भूमि की लागत का 2.5 *प्रतिशत* (यानी ₹66.54 लाख) का भूमि किराया शामिल था, जो हर साल देय था। 5 फरवरी 2016 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आईआईएफटी को भूमि का कब्ज़ा

सौंप दिया गया। भूमि आवंटन की शर्तों और नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था:

i. आवंटित भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु परिसर के विस्तार के लिए किया जाएगा।

ii. भूमि पर निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त करने से पहले भवन योजना को पट्टादाता (दिल्ली विकास प्राधिकरण) से आईआईएफटी द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए और स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य कब्जा लेने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर (अर्थात 4 फरवरी 2018 तक) पूरा किया जाना चाहिए।

भूमि अधिग्रहित करने के एक वर्ष बाद आईआईएफ़टी ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एक एजेंसी की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की (फरवरी 2017)। सितंबर 2017 में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया गया। आईआईएफ़टी ने एनबीसीसी द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फरवरी 2018 में वाणिज्य विभाग को सौंपा। वाणिज्य विभाग ने ₹302.64 करोड़ की लागत पर परियोजना को मंजूरी दी (जनवरी 2019)।

लेआउट प्लान और ड्राइंग तैयार करने के दौरान, आईआईएफ़टी ने पाया कि आवंटित 5.6 एकड़ भूमि में से 1.16 एकड़ भूमि भू-आकृति विज्ञान रिज के अंतर्गत आती है। चूंकि रिज प्रबंधन बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना इस भूमि पर किसी निर्माण की अनुमति नहीं थी, इसलिए आईआईएफ़टी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बोर्ड से संपर्क किया (अगस्त 2018)। आईआईएफ़टी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से 5 फरवरी 2019 से तीन साल की अवधि के लिए बिना कोई संयोजन शुल्क[17] लगाए निर्माण के लिए समयसीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया (नवंबर 2018/मार्च 2019)। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना किसी संयोजन शुल्क के 4 फरवरी 2022 तक समयावधि विस्तार का अनुमोदन दे दिया (अक्टूबर 2019)। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया गया।

आईआईएफटी ने एनबीसीसी के साथ समझौता किया (28 जून 2019) और मैदानगढ़ी परिसर के निर्माण का काम सौंपा। काम पूरा करने की समयसीमा 24 महीने थी। आईआईएफटी द्वारा एनबीसीसी को निम्नवत ब्याज मुक्त अग्रिम राशि जारी की गई:

---

[17] भूमि पर कब्जे के बाद निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा न होने पर संयोजन शुल्क लगाया जाता है।

तालिका 4.3: आईआईएफटी द्वारा एनबीसीसी को जारी ब्याज मुक्त अग्रिम

क्रम सं.	विवरण	एनबीसीसी को दिया गया अग्रिम (₹ करोड़)	आईआईएफटी द्वारा भुगतान की तिथि
1.	स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मिट्टी की जांच के लिए	0.05	15.06.2018
2.	शिलान्यास समारोह एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए	1.00	12.03.2019
3.	साइट विकास और बैरिकेडिंग कार्य के लिए	1.40	27.10.2020
4.	वाणिज्य विभाग से प्राप्त एवं एनबीसीसी को भुगतान किए गए अनुदान का शेष	27.54	26.03.2021
कुल		**29.99**	

रिज प्रबंधन बोर्ड ने मार्च 2021 में आईआईएफटी के प्रस्ताव की अनुशंसा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति[18] को की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति रिज प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा से सहमत नहीं थी और उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण से निकटवर्ती जमीन आवंटित करने का सुझाव दिया था। तदनुसार, आईआईएफटी ने निकटवर्ती जमीन के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से संपर्क किया (अगस्त 2021)। इसके बाद, आईआईएफटी ने एनबीसीसी से यह कहते हुए कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निकटवर्ती जमीन का आवंटन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है ₹27.54 करोड़ की राशि वापस करने का अनुरोध किया (नवंबर 2021)। हालांकि, एनबीसीसी ने आईआईएफटी को राशि वापस नहीं की। इस बीच, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आईआईएफटी को 1.98 एकड़ अतिरिक्त जमीन सौंप दी (नवंबर 2022)।

जनवरी 2023 में, एनबीसीसी ने कहा कि निर्माण लागत सूचकांक में संशोधन, जीएसटी की दर में संशोधन और भूमि के विकास की लागत में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है (जनवरी 2019 से जब परियोजना को मंजूरी दी गई थी)। इसलिए, एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत संशोधित लागत अनुमानों पर विचार करने के बाद, वाणिज्य विभाग द्वारा

[18] *भू-आकृतिक विज्ञान रिज क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के लिए रिज प्रबंधन बोर्ड एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।*

परियोजना लागत को ₹302.64 करोड़ से संशोधित कर (अप्रैल 2023) ₹387.51 करोड़ कर दिया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि रिज प्रबंधन बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण संभव नहीं था, आईआईएफटी ने परिसर के निर्माण के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता किया (जून 2019) और एनबीसीसी को ₹27.54 करोड़ का ब्याज मुक्त अग्रिम भी जारी किया (मार्च 2021) जिसके विरूद्ध कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया।

(ii) आईआईएफटी ने एनबीसीसी से अग्रिम के लिए कोई बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना ₹27.54 करोड़ का ब्याज-मुक्त अग्रिम भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹27.54 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई और परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

(iii) मैदानगढ़ी परिसर में निर्माण कार्य शुरू होने में अत्यधिक विलंब के कारण, भूमि की लागत (₹26.62 करोड़) के अलावा, आईआईएफटी द्वारा 2016-17 से 2023-24 तक ₹66.54 लाख प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया गया ₹5.32 करोड़ का भूमि-किराया निष्फल रहा।

(iv) आईआईएफटी दिल्ली विकास प्राधिकरण को संयोजन शुल्क[19] का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था, क्योंकि निर्माण 4 फरवरी 2022 (वह अवधि जिसके लिए संयोजन शुल्क का भुगतान किए बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तार दिया गया था) तक तक पूरा नहीं हो सका।

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि रिज प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर अनुशंसाएँ केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को भेजे जाने के बाद, 26 मार्च 2021 को एनबीसीसी को ₹27.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। आईआईएफटी को अगस्त 2021 में ही पता चला कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के पास रिज प्रबंधन बोर्ड पर अधिभावी अधिकार था।

आईआईएफटी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि रिज प्रबंधन बोर्ड ने अपनी अनुशंसाएँ केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को भेज दी थीं, लेकिन निर्माण

---

[19] आईआईएफटी द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय संयोजन शुल्क से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

शुरू करने के लिए आईआईएफटी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। ऐसे में, एनबीसीसी को ब्याज मुक्त अग्रिम जारी करना अनुचित था क्योंकि अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता था। एनबीसीसी द्वारा ₹27.54 करोड़ की राशि अभी भी वापस की जानी थी (जून 2023) और अग्रिम जारी होने के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था।

इस प्रकार, भूमि पर कब्जा लेने के लगभग सात वर्ष बीत जाने के बाद भी मैदानगढ़ी में परिसर का निर्माण शुरू नहीं हो सका, जिससे एनबीसीसी के पास ₹27.54 करोड़ की निधि अवरुद्ध हुई एवं उसके परिणामस्वरूप उस पर ब्याज की हानि के अलावा ₹31.94 करोड़[20] का व्यय निष्फल रहा। नई अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफ़टी को निर्देश दिया कि वह भविष्य में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करते समय भुगतान शर्तों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान/खंड शामिल करे ताकि परियोजनाओं के चालू होने में विलंब की स्थिति में आईआईएफ़टी के वित्तीय हितों की रक्षा की जा सके। विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि, जहाँ तक संभव हो, भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होने और आवश्यक वैधानिक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही निधि जारी की जाए।

4.4.6.2 शिक्षकों के वेतनमान का गलत संरेखण

आईआईएफटी को वर्ष 2002 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया था। इसके एसोसिएशन के ज्ञापन और प्रबंधन के नियमों के अनुसार, आईआईएफटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान का पालन करना आवश्यक था, जबकि केंद्रीय वित्तपोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों के लिए, शिक्षकों के वेतन में संशोधन के लिए 27 अक्टूबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक अलग अधिसूचना जारी की गई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआईएफटी के शिक्षकों के वेतनमान को भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों के साथ संरेखित कर दिया गया था जो केंद्रीय वित्त पोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, चूंकि केंद्रीय वित्त पोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों के शिक्षकों के वेतनमान मानित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों से अधिक थे, इसलिए शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने से पहले व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय एवं प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी अवश्य लेनी चाहिए।

[20] *2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए ₹5,32,35,840 भूमि किराए के साथ ₹26,61,79,200 का प्रीमियम*

प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमों के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड प्रबंधन का मुख्य अंग होगा और संस्थान के नियम बनाने की शक्तियों के साथ मानित विश्वविद्यालय संस्थान का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय होगा। आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड ने 26 मार्च 2003 को आयोजित अपनी बैठक में आईआईएफटी के संकाय के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों का पालन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए:

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वेतनमानों में संशोधन के लिए जारी अधिसूचनाएँ भारतीय प्रबंधन संस्थानों सहित केंद्रीय वित्तपोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों के लिए स्पष्ट हैं। चूँकि आईआईएफ़टी एक केंद्रीय वित्तपोषित प्रोद्योगिकी संस्थान नहीं है, इसलिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों को अपनाने का प्रबंधन बोर्ड का निर्णय उचित नहीं था।

(ख) वर्ष 1999 में आईआईएफ़टी द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों को अपनाए जाने के समय, शिक्षकों की योग्यता आवश्यकता भी भारतीय प्रबंधन संस्थानों के शिक्षकों के समान रखी गई थी। हालाँकि, आईआईएफ़टी द्वारा शिक्षकों की भर्ती में उच्च योग्यता आवश्यकताओं के कारण आ रही कठिनाईयों का हवाला देते हुए, प्रबंधन बोर्ड ने 26 मार्च 2003 को आयोजित अपनी बैठक में आईआईएफ़टी में शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता आवश्यकताओं में ढील दी। इस प्रकार, आईआईएफ़टी ने शिक्षकों की योग्यता आवश्यकताओं में ढील दी जबकि वेतनमान भारतीय प्रबंधन संस्थानों के समकक्ष प्रदान किए।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केवल 16 केंद्रीय वित्तपोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों को अधिसूचित किया था और आईआईएफ़टी उनमें नहीं था। आईआईएफ़टी एक मान्य विश्वविद्यालय था जिसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों के लिए एक अलग वेतन संरचना निर्धारित की थी। ऐसे में, आईआईएफ़टी के शिक्षकों को केंद्रीय वित्तपोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों के लिए निर्धारित वेतन के बराबर वेतन पैकेज देना उचित नहीं था।

लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति जताते हुए, वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफटी को मामले की जांच करने और वेतनमानों के गलत संरेखण की पुष्टि करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करने, किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के

संबंध में सलाह देने, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तय करने और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में सलाह देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। आईआईएफटी को यह भी निर्देश दिया गया कि संस्थान के किसी भी मामले के संबंध में स्वायत्त निकायों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देश या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्पष्ट अधिसूचनाओं को प्रबंधन बोर्ड के निर्णयों द्वारा इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय है।

अनुपालन में, आईआईएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि आईआईएफटी संकाय को वेतनमान के विस्तार के मामले की जांच करने के लिए 26 सितंबर 2023 को बाह्य विशेषज्ञों, वाणिज्य विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की संरचना के साथ एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और वाणिज्य विभाग/व्यय विभाग से अनुमोदन के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

4.4.6.3 शिक्षकों को प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 30 सितम्बर 2008 और 13 जनवरी 2017 के आदेशों के अनुसार, जो क्रमशः 6$^{वें}$ केन्द्रीय वेतन आयोग और 7$^{वें}$ केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित हैं, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन ढाँचे के कार्यान्वयन के आदेश ऐसे स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों तक बढ़ाए गए थे, जिनका वेतनमान और भत्ते का पैटर्न केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान था। ऐसे कर्मचारियों की श्रेणियों के मामले में जिनकी परिलब्धियों की संरचना का पैटर्न केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान नहीं था, प्रत्येक स्वायत्त निकाय के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग में एक अलग 'अधिकारियों का समूह' गठित किया जाना था। समूह वेतनमानों के संशोधन के प्रस्तावों की जांच करेगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इन स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को विस्तारित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभों का अंतिम पैकेज केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणियों को स्वीकार्य लाभ से अधिक लाभकारी न हो। वित्त मंत्रालय के 26 जुलाई 2017 के आदेश के अंतर्गत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्तों की संशोधित दरें स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को भी प्रदान की गईं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) कार्य मानदंड योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों का अनियमित भुगतान

17 अप्रैल 2008 को आईआईएफटी में एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक वर्ष शिक्षकों से अपेक्षित न्यूनतम कार्य निर्दिष्ट किया गया था, साथ ही न्यूनतम कार्यभार से अधिक कार्य करने पर शिक्षकों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान भी था। 5 फरवरी 2008 को आयोजित अपनी बैठक में प्रबंधन बोर्ड ने जुलाई 2007 से पूर्वव्यापी रूप से कार्य मानदंड योजना को मंजूरी दी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, कार्य मानदंड योजना की शुरूआत के बाद से मार्च 2019 तक इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आईआईएफटी द्वारा ₹17.43 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

न्यूनतम कार्यभार से अधिक काम के लिए भुगतान शिक्षकों को पहले से दिए जा रहे वेतन और भत्तों के अतिरिक्त था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मानित विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग[21] द्वारा ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना अधिसूचित या पृष्ठांकित नहीं की गई थी। इसके अलावा, आईआईएफ़टी ने अपने संकायों के कार्य मानदंड प्रोत्साहन के भुगतान के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन नहीं लिया। इसलिए, ₹17.43 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि शिक्षकों को पहले से ही दिए जा रहे परिवहन भत्ते के अलावा कक्षाएं लेने के लिए वाहन भत्ता भी दिया जा रहा था। शिक्षकों के नियमित कार्य में भाग लेने के लिए वाहन भत्ते के भुगतान का औचित्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाया गया।

प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि प्रबंधन बोर्ड की उचित मंजूरी के बाद शिक्षकों के लिए कार्य मानदंड प्रोत्साहन शुरू किया गया था। संस्थान अपने शिक्षकों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों का अनुसरण कर रहा था और शिक्षकों ने बार-बार निदेशक को बताया था कि कार्य मानदंड प्रोत्साहन योजना भारतीय प्रबंधन संस्थानों जैसे विभिन्न प्रबंधन संस्थानों में प्रचलित थी और इसे आईआईएफटी में भी लागू किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की

---

[21] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल यह निर्धारित किया था कि पूर्ण रोजगार में शिक्षकों का कार्यभार एक शैक्षणिक वर्ष में तीस कार्य सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह चालीस घंटे से कम नहीं होना चाहिए. हालाँकि, आयोग द्वारा कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया गया था।

मंजूरी नहीं ली गई थी क्योंकि यह योजना पहले से ही भारतीय प्रबंधन संस्थानों में प्रचलित थी और आईआईएफटी अपने स्वीकृत बजट से खर्च को पूरा कर रहा था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईआईएफटी एक 'मानित विश्वविद्यालय' है और इसलिए इसके वेतनमान को भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ संरेखित करना सही नहीं था जैसा कि पैरा 4.4.6.2 में बताया गया है। कार्य मानदंड प्रोत्साहन का अनुदान यूजीसी द्वारा 'मानित विश्वविद्यालय' के लिए निर्धारित नियमावली/विनियमों के विचलन में था। इसके अलावा, चूंकि आईआईएफटी एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए कार्य मानदंड प्रोत्साहन के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता थी।

(ख) शोध प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान

20 दिसंबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में प्रबंधन बोर्ड ने "शिक्षकों के लिए शोध प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहन" नीति को मंजूरी दी। स्वीकृत नीति के अनुसार, रैंक की गई पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र के लिए, पत्रिका की रैंकिंग के आधार पर आईआईएफ़टी द्वारा ₹25,000 से ₹10 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुसंधान प्रोत्साहन का भुगतान शिक्षकों को पहले से दिए जा रहे वेतन और भत्तों के अतिरिक्त था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'मान्य विश्वविद्यालयों' के लिए ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना अधिसूचित या पृष्ठांकित नहीं की गई थी। इसके अलावा, आईआईएफ़टी ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और उसके प्रशासनिक मंत्रालय से शिक्षकों को अनुसंधान प्रोत्साहन के भुगतान के लिए अनुमोदन नहीं मांगा था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, दिसंबर 2017 से अप्रैल 2022 तक अनुसंधान प्रोत्साहन योजना की शुरूआत के बाद से, आईआईएफ़टी द्वारा अनुसंधान प्रोत्साहन के रूप में ₹1.76 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था, जो अनियमित था।

प्रबंधन ने कहा कि संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए, प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी से आईआईएफटी में शोध प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन की नीति लागू की गई थी। यह भी कहा गया कि योजना का अनुमोदन और कार्यान्वयन भारतीय प्रबंधन संस्थानों में पहले से ही प्रचलित योजनाओं के अनुरूप है, और आईआईएफटी भारत सरकार से बजटीय सहायता पर किसी भी निर्भरता के बिना अपने स्वयं के धन से व्यय को पूरा कर रहा है।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए:

(क) भारतीय प्रबंधन संस्थानों के विपरीत, आईआईएफटी केंद्र द्वारा वित्तपोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों में से नहीं था। ऐसे में भारतीय प्रबंधन संस्थानों के अनुरूप प्रोत्साहन नीति की शुरुआत करना उचित नहीं था।

(ख) अपने स्वयं के कोष से व्यय को पूरा करना वेतन और भत्ते के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय/प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान नहीं करता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमति जताते हुए वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफटी को मामले की जांच करने, प्रोत्साहन योजना को बंद करने जैसी उचित कार्रवाई की अनुशंसा करने, किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के संबंध में सलाह देने, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तय करने और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में सलाह देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। आईआईएफटी को यह भी निर्देश दिया गया कि एक स्वायत्त निकाय होने के नाते, किसी भी वैधानिक प्रावधान के बिना या व्यय विभाग और प्रशासनिक विभाग की मंजूरी के बिना किसी भी अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान अनियमित है और इसका इस आधार पर उपशमन नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के व्यय को भारत सरकार से बजटीय सहायता पर निर्भरता के बिना अपने स्वयं के धन से पूरा किया गया था।

अनुपालन में, आईआईएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि मामले की जांच के लिए 26 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें बाह्य विशेषज्ञ, वाणिज्य विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य शामिल थे। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसके बाद वाणिज्य विभाग/व्यय विभाग से अनुमोदन के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

4.4.6.4 अधिशेष निधियों का अस्वीकार्य स्रोतों में निवेश

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने दिनांक 15 जनवरी 2008 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी विभागों/मंत्रालयों को सलाह दी कि थोक जमा के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने की प्रथा को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए।

आईआईएफटी अपने अधिशेष निधियों के निवेश के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 में निहित प्रावधानों का पालन कर रहा था। अधिनियम की धारा 11 (5) में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आय में से अधिशेष निधियों के

निवेश के रूपों और तरीकों को निर्दिष्ट किया गया है। अधिशेष निधियों के निवेश के बारे में अनुशंसाएँ करने के लिए आईआईएफटी द्वारा एक निवेश समिति[22] का गठन किया गया था। विभिन्न निवेश विकल्पों की ब्याज दरों की जांच के आधार पर, निवेश समिति ने प्रबंधन से उन रास्तों की अनुशंसा की जिनमें निवेश किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएफटी ने निवेश समिति की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के आधार पर मई 2019 में ₹28 करोड़, अक्टूबर 2019 में ₹53.77 करोड़ और नवंबर 2019 में ₹17.92 करोड़ की अधिशेष निधि का निवेश किया। हालांकि, निजी कंपनियों की सावधि जमा में ₹36 करोड़ की सीमा तक निवेश किया गया था, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अनुसार निवेश के निर्धारित तरीकों के अनुसार नहीं था। अपने आयकर सलाहकार की सलाह पर कि इस तरह के निवेश से होने वाली आय को आकलन वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी छूट से वंचित किए जाने का सीधा जोखिम था, आईआईएफटी ने निजी कंपनियों में निवेश की गई सभी सावधि जमाओं को समय से पहले बंद करने और अधिनियम की धारा 11(5) के अनुसार अन्य उपयुक्त उपकरणों में राशि को पुनर्निवेश करने का फैसला किया। सावधि जमाओं के समय से पहले बंद किए जाने के कारण ₹1.42[23] करोड़ की सीमा तक ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, आईआईएफ़टी ने अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नियमित रूप से प्रतिस्पर्धी बोलियाँ आमंत्रित कीं। आईआईएफ़टी द्वारा इस तरह की नवीनतम अभिरुचि की अभिव्यक्ति फरवरी 2022 में आमंत्रित की गई थी।

इस प्रकार, निवेश समिति आईआईएफटी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करने में विफल रही क्योंकि उसने आईआईएफटी को ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने का सुझाव दिया था जिनसे होने वाली आय आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत छूट के लिए पात्र नहीं थी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि यह गलती अनजाने में हुई थी और निवेश समिति को दो बाह्य विशेषज्ञों को शामिल कर पुनर्गठित किया गया था, जिनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अधिशेष निधियों का निवेश सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी 8 मई 2017 के

---

[22] *लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ किए जाने पर आईआईएफटी ने सूचित किया (फरवरी 2024) कि निवेश समिति की अनुमोदित संदर्भ शर्तों का कोई विवरण उनके अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।*

[23] *जमाराशियों के समय-पूर्व बंद होने की तिथि तक प्राप्त ब्याज की राशि और उसी तिथि तक अर्जित ब्याज की राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित, यदि निधियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अनुसार निवेश के निर्धारित तरीके से निवेश किया गया होता।*

कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्देशित था, जिसके अनुसार सीपीएसई बैंकों से प्रतिस्पर्धी कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक ब्याज कमाने के लिए सद्भावनापूर्वक निवेश किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक उद्यम विभाग का दिनांक 8 मई 2017 का कार्यालय ज्ञापन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू था, न कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए। इसके अलावा, बैंकों से कोटेशन मंगाना वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों (15 जनवरी 2008) के विरुद्ध था।

वाणिज्य विभाग ने आईआईएफटी को निर्देश दिया (सितंबर 2023) कि वह अपने वित्तीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से निवेश समिति में बाहय विशेषज्ञों को शामिल करे, जो अनुमेय निवेश साधनों से संबंधित मामलों/नीतियों से परिचित हों।

4.4.6.5 कर्मचारियों को अनियमित/ अनधिकृत भुगतान

(क) व्यक्तिगत वेतन का अनियमित भुगतान

मौलिक नियम 9(23) के अनुसार, वैयक्तिक वेतन का अर्थ है सरकारी कर्मचारी को दिया गया अतिरिक्त वेतन - (i) वेतन में संशोधन या अनुशासनात्मक उपाय के अलावा किसी अन्य कारण से ऐसे स्थाई वेतन में कटौती के कारण उसे स्थायी पद के अलावा किसी स्थाई पद के संबंध में होने वाली मूल वेतन की हानि से बचाने के लिए, (ii) असाधारण परिस्थितियों में, अन्य वैयक्तिक कारणों से।

मौलिक नियम 9(23) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अन्य व्यक्तिगत कारणों से वैयक्तिक वेतन दिए जाने के मामले में, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय को संदर्भ देना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2023-24 (30 सितंबर 2023 तक) के दौरान, आईआईएफटी के तीन कर्मचारियों को कुल ₹36.67 लाख का व्यक्तिगत वेतन मिला। इन कर्मचारियों को व्यक्तिगत वेतन देने के लिए अभिलेख में कोई औचित्य नहीं पाया गया। वित्त मंत्रालय से अनुमोदन के अभाव में, व्यक्तिगत वेतन के रूप में ₹36.67 लाख का भुगतान अनियमित है।

प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि तीनों कर्मचारी संस्थान में वार्डन/सहायक वार्डन का कार्यभार संभाल रहे थे और उन्हें परिसर में आवास उपलब्ध कराया जा रहा था, इसलिए वे मकान किराया भत्ते के पात्र नहीं थे। इसलिए, उन्हें पात्रता-आधारित स्टाफ क्वार्टर की अनुपलब्धता के कारण, व्यक्तिगत वेतन के रूप में मकान किराया भत्ते के 50 *प्रतिशत* के बराबर भत्ते

के साथ मुआवजा दिया जा रहा था। आगे यह भी कहा गया कि यह राशि वास्तव में व्यक्तिगत वेतन नहीं थी, बल्कि उनके कार्यभार के अलावा अतिरिक्त प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मानदेय थी।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है:

(क) पात्रता आधारित आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में मकान किराया भत्ते के 50 *प्रतिशत* के बराबर मुआवजे का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

(ख) यह दावा भारत सरकार के किसी भी उपयुक्त आदेश द्वारा समर्थित नहीं था कि प्रदान किया गया वैयक्तिक वेतन वास्तव में मानदेय था।

(ग) मौलिक नियमों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना ही व्यक्तिगत वेतन प्रदान कर दिया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत होते हुए वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफ़टी को तत्काल प्रभाव से व्यक्तिगत वेतन बंद करने और भारत सरकार के आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त कार्य करने के लिए स्वीकार्य भत्ते/अतिरिक्त कार्य भत्ते या किसी अन्य समान पात्रता के अन्य रूपों का पता लगाने का निर्देश दिया। आईआईएफ़टी को यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे प्रस्तावित अतिरिक्त भत्ते को प्रशासनिक विभाग/व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अनुपालन में, आईआईएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि व्यक्तिगत वेतन कार्यालय आदेश दिनांक 25 सितंबर 2023 के अनुसार सितंबर 2023 से बंद कर दिया गया था। हॉस्टल वार्डन को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

(ख) कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने समूह 'सी', 'डी' में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह 'बी' में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को सालाना गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) के अनुदान के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया। केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के आदेश अलग से जारी किए गए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के लिए कार्यालय ज्ञापन हर साल जारी किया जाता था, जिसमें 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि भी

शामिल है, जबकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का आदेश केवल वर्ष 2014-15 तक जारी किया गया था और उसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद, आईआईएफ़टी ने 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹32.46 लाख का तदर्थ बोनस दिया।

प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि आईआईएफटी ने भारत सरकार के निर्देशों/आदेशों को पूर्ण रूप से अपनाया है, साथ ही वेतन और भत्ते भी अपने उपनियमों में शामिल किए हैं। आईआईएफटी ने आगे कहा कि व्यय को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय के आदेश, जिसके आधार पर आईआईएफटी द्वारा तदर्थ बोनस दिया गया था, स्वायत्त निकायों पर लागू नहीं होता था। इसलिए, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत होते हुए, वाणिज्य विभाग ने आईआईएफटी को तदर्थ बोनस का भुगतान बंद करने और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की स्वीकार्यता और पहले से भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की वसूली पर व्यय विभाग से सलाह लेने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (सितंबर 2023)।

अनुपालन में, आईआईएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि भविष्य में तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था और अनुमोदन मिलने तक इसे रोक दिया गया है।

(ग) अग्रिम वेतन वृद्धि के स्थान पर एकमुश्त प्रोत्साहन देने संबंधी अनुदेशों का उल्लंघन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 28 जून 1993 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के भुगतान के बारे में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी कि वित्तीय वर्ष 1993-94 से अग्रिम वेतन वृद्धि देने की प्रणाली को प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त राशि के अनुदान से बदल दिया जाएगा। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे डीओपीटी के उपरोक्त दिशा-निर्देशों (जून 1993) के आलोक में मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करें। मामले को और स्पष्ट किया गया और डीओपीटी द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1995 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एकमुश्त प्रोत्साहन के मानकीकृत पैमाने जारी किए गए।

डीओपीटी द्वारा 9 अप्रैल 1999 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एकमुश्त प्रोत्साहन के लिए योग्यता की सूची और प्रत्येक योग्यता के लिए लागू एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (₹2,000 से ₹10,000 तक) के साथ निर्देशों को दोहराया गया। कार्यालय ज्ञापन में यह भी

प्रावधान किया गया था कि योग्यता का ग्रहण सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के कार्यों या अगले उच्च पद पर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होना चाहिए। एकमुश्त प्रोत्साहन की दरों को सरकार द्वारा संशोधित किया गया और डीओपीटी द्वारा दिनांक 15 मार्च 2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आईआईएफटी कर्मचारियों के प्रायोजन और विशेष योग्यता प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में नियमों को मंजूरी दी (मई 2004), और इन नियमों को अधिसूचित करते हुए 5 जुलाई 2004 को एक कार्यालय आदेश जारी किया। नियमों की अधिसूचना के बाद, आईआईएफटी के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई। अग्रिम वेतन वृद्धि के स्थान पर एकमुश्त प्रोत्साहन देने के निर्देशों के बावजूद, आईआईएफटी ने अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने की योजना को अधिसूचित किया और इस संबंध में डीओपीटी के निर्देशों के साथ इसे संरेखित करने के लिए योजना की कभी समीक्षा नहीं की गई। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पांच कर्मचारियों के मामले में ₹10.57 लाख की अग्रिम वेतन वृद्धि का भुगतान पाया गया।

प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि भारत सरकार की एकमुश्त प्रोत्साहन योजना को आईआईएफटी में समय पर लागू नहीं किया जा सका और संस्थान ने अपने उपनियमों के प्रावधानों को जारी रखा है। आगे कहा गया कि एकमुश्त प्रोत्साहन देने का मामला प्रक्रियाधीन है और प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत होते हुए वाणिज्य विभाग ने आईआईएफटी को निर्देश दिया (सितंबर 2023) कि डीओपीटी के निर्देशों के अनुरूप लाभों को प्रतिबंधित करने के लिए वास्तविक पात्रता और किए गए अनियमित भुगतान के अंतर की सीमा तक वसूली शुरू करे।

अनुपालन में, आईआईएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जहां भी अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई थी, उसे फिर से तय कर दिया गया है। वसूली आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और सितंबर 2023 से वसूली प्रभावी हो गई है।

4.4.6.6 नियमों और उपनियमों में प्रतिबंधात्मक खंडों को शामिल न करना

वित्त मंत्रालय ने स्वायत्त निकायों की वित्तीय शक्तियों के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 1984 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि स्वायत्त निकायों के नियम और उपनियम, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित

हैं, में पदों के सृजन, उनके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन और इसी प्रकार के स्थापना व्यय के मामलों में ऐसे संगठनों के शासी निकायों की शक्तियों से संबंधित प्रतिबंधात्मक खंड अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने चाहिए और विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के प्रासंगिक नियमों/उपनियमों/विनियमों में एक खंड शामिल किया जा सकता है कि रोजगार संरचना से संबंधित प्रस्ताव अर्थात वेतनमान, भत्ते और उनके संशोधन को अपनाना और एक निर्दिष्ट वेतन स्तर से ऊपर के पदों का सृजन करने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

आईआईएफटी के नियमों और उपनियमों की समीक्षा से पता चला कि उनमें पदों के सृजन के संबंध में कोई प्रतिबंधात्मक खंड नहीं थे। इसके अलावा, रोजगार संरचना से संबंधित नियमों/उपनियमों/विनियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए।

वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफटी को निर्देश दिया:

(i) आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा और वाणिज्य विभाग के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ डीओपीटी द्वारा जारी मॉडल भर्ती नियमों के अनुरूप सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के भर्ती नियमों को संशोधित/अद्यतन करना।

(ii) आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा और वाणिज्य विभाग के अनुमोदन के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों कर्मचारियों के लिए लागू सेवा नियमों को संशोधित/अद्यतन करना।

(iii) आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा और वाणिज्य विभाग के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम विनियमों के अनुरूप संस्थान के एसोसिएशन के ज्ञापन को संशोधित/अद्यतन करना।

(iv) आईआईएफटी के नियमों/उपनियमों/विनियमों में प्रतिबंधात्मक खंडों को शामिल करने का प्रस्ताव।

अनुपालन में, आईआईएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानित विश्वविद्यालय विनियमों, 2023 को अधिसूचित किया है (जून 2023)। एसोसिएशन के ज्ञापन का संशोधन प्रक्रियाधीन था और प्रतिबंधात्मक खंडों को इसमें विधिवत शामिल किया जाएगा।

नियमों और उपनियमों में प्रतिबंधात्मक खंडों को शामिल न करने का प्रभाव:

नियमों/उपनियमों/विनियमों में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनियमितताएं हुईं:

(क) पदों का अनियमित सृजन

व्यय विभाग ने 12 अप्रैल, 2017 के कार्यालय ज्ञापन *के अंतर्गत* निर्देश दिया है कि वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमों के अंतर्गत सौंपे गए पदों के सृजन के संबंध में सभी शक्तियां वापस ले ली गई हैं तथा केवल वित्त मंत्री (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के पदों के लिए) और मंत्रिमंडल (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के पदों के लिए) ही पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड ने 4 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी 44वीं बैठक में एक वित्त अधिकारी, एक सहायक रजिस्ट्रार (राजभाषा) और सलाहकारों के 14 पदों[24] के बदले सहायक प्रोफेसरों के 14 पदों के सृजन को मंजूरी दी। 14 अतिरिक्त पदों के सृजन के बाद सहायक प्रोफेसर के पद के लिए स्वीकृत संख्या बढ़कर 30 हो गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी सृजित पद समूह 'ए' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसलिए व्यय विभाग के पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार इन पदों के सृजन के लिए आईआईएफटी का प्रबंधन बोर्ड नहीं बल्कि वित्त मंत्री ही सक्षम प्राधिकारी थे। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अभाव में सहायक प्रोफेसरों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 16 से बढ़ाकर 30 करना अनियमित था। सहायक प्रोफेसरों की संख्या 2019-20 में 12 से बढ़कर 2020-21 में 15 और 2021-22 में 20 हो गई। इसलिए, अधिकृत स्वीकृत पदों की संख्या 16 से अधिक चार सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति भी अनियमित थी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि वित्त अधिकारी के एक पद के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन 24 मार्च 2023 को प्राप्त हो गया था। साथ ही, प्रबंधन बोर्ड द्वारा सहायक प्रोफेसरों के 14 पद (परामर्शदाताओं के 14 पदों के बदले में) सृजित किए गए थे, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के

[24] *सलाहकार एक संविदात्मक, तदर्थ और कार्यकाल आधारित पद है। आईआईएफटी ने अनुबंध के आधार पर 14 सलाहकार नियुक्त किए। जबकि संविदात्मक, आवधिक परामर्शदाताओं के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं था, आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड द्वारा परामर्शदाताओं के इन 14 पदों को वर्ष 1998 (10 पद) और 2008 (4 पद) में अनुमोदित किया गया था।*

अनुसार, प्रबंधन बोर्ड संस्थान के प्रत्येक मामले के संबंध में संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगा।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईआईएफटी मुख्य रूप से वाणिज्य विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इस प्रकार, वित्त मंत्री की मंजूरी के बिना पदों का सृजन अनियमित था क्योंकि यह व्यय विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, चूंकि सलाहकार का पद एक संविदात्मक (तदर्थ) पद था जबकि सहायक प्रोफेसर का पद एक नियमित पद था, इसलिए सलाहकारों के 14 पदों को सहायक प्रोफेसरों के 14 पदों में बदलना ऐसे पदों के सृजन के बराबर था जिसके लिए भी वित्त मंत्री की मंजूरी की आवश्यकता थी।

वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफटी को सहायक रजिस्ट्रार (राजभाषा) के एक पद और सहायक प्रोफेसरों के 14 पदों के अनियमित सृजन के लिए व्यय विभाग से कार्योत्तर स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आईआईएफटी को उन पदों के लिए भर्ती नियमों में उचित संशोधन करने का भी निर्देश दिया गया, जहां पदों की संख्या स्वीकृत क्षमता से अधिक थी। इसके अलावा, आईआईएफटी को पदों के सृजन पर वित्त मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।

आईआईएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि सहायक प्रोफेसरों के 14 पदों के सृजन के लिए कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग/व्यय विभाग को भेजा जाएगा ताकि मामले को नियमित किया जा सके। इसके अलावा, सहायक रजिस्ट्रार (राजभाषा) के एक पद के सृजन के संबंध में, व्यय विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

(ख) रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितता एवं अन्य अनियमितताएं

रजिस्ट्रार ने 22 अक्टूबर 2014 को ₹37,400 - ₹67,000 के वेतनमान और ₹8,900 के ग्रेड पे पर आईआईएफ़टी में नियुक्ति प्राप्त की थी। वर्ष 2014 के दौरान लागू भर्ती नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे। अगस्त 2020 में भर्ती नियमों को संशोधित किया गया और नए भर्ती नियमों में कहा गया कि रजिस्ट्रार 5 साल के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। नए भर्ती नियमों के माध्यम से, पद को अपग्रेड किया गया और लेवल 14 (7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स के अनुसार) में रखा गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितताएं

2014 में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के समय लागू पहले के भर्ती नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार के पद के लिए एक आवश्यक योग्यता यह थी कि उम्मीदवार के पास सरकारी/अर्ध-सरकारी उद्योग या व्यापार या शैक्षणिक या अर्ध-शैक्षणिक संस्थान में उपयुक्त प्रशासनिक क्षमता में 14 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव ₹14,300-400-18,300 (पूर्व-संशोधित) के ग्रेड में होना चाहिए। यह ₹8,700 के ग्रेड वेतन के साथ ₹37,400-67,000 के छठे वेतन आयोग के वेतन ग्रेड के बराबर है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2014 में नियुक्त रजिस्ट्रार ने ₹8,000 के ग्रेड वेतन के साथ ₹37,400-67,000 के वेतनमान में काम किया था और इस प्रकार वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि दो उम्मीदवारों की पात्रता का पता लगाने के लिए, चयन समिति ने उस समय दोनों अधिकारियों द्वारा प्राप्त सकल वेतन की गणना की। चयन समिति की अनुशंसा प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखी गई और 19 सितंबर 2014 को आयोजित अपनी 30वीं बैठक में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई। रजिस्ट्रार के लिए पात्रता की शर्त में कोई छूट नहीं थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि उस समय लागू भर्ती नियमों में रजिस्ट्रार के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र उम्मीदवारों हेतु एक वस्तुनिष्ठ मानदंड प्रदान किया गया था और उसमें ढील नहीं दी गई थी। इस प्रकार, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सकल वेतन के आधार पर चयन करना उचित नहीं था।

(ii) पद का अनियमित उन्नयन

आईआईएफटी के लिए नए भर्ती नियम अगस्त 2020 में अधिसूचित किए गए थे। पहले के भर्ती नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार का पद पे बैंड ₹37,400-67,000 प्लस ग्रेड पे ₹8,900 था, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लेवल 13ए के बराबर था। नए भर्ती नियमों ने पद को लेवल 14 में अपग्रेड कर दिया। चूंकि लेवल 13ए से लेवल 14 तक पद का अपग्रेडेशन पद के सृजन के बराबर है, इसलिए इसे व्यय विभाग के 12 अप्रैल 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कैबिनेट की मंज़ूरी के बिना पद का अपग्रेडेशन/उन्नयन अनियमित था।

प्रबंधन ने कहा (मई/जून 2023) कि:

(क) लेवल 13ए से लेवल 14 तक पद का उन्नयन पद सृजन के बराबर नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रार का पद पहले से ही लेवल-14 पर मौजूद था और पहले रजिस्ट्रार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लेवल 14 के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त किए थे। इसके अलावा, पद के लिए विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त उम्मीदवार को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लेवल 14 में वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।

(ख) 2013-14 में प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार का पद ₹8,900 ग्रेड पे का था। हालाँकि, प्रबंधन बोर्ड ने 20 दिसंबर 2011 को आयोजित अपनी 21वीं बैठक में रजिस्ट्रार के पद के लिए ₹10,000 का ग्रेड पे उन लोगों के लिए अनुमोदित किया जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करते थे।

(ग) वेतनमान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप उन्नयन किया गया।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड, मानित विश्वविद्यालय संस्थान का प्रबंधन का प्रमुख अंग और सर्वोच्च कार्यकारी निकाय होगा, जिसके पास मानित विश्वविद्यालय संस्थानों के नियम बनाने की शक्तियां होंगी।

इस उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए:

- रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए विज्ञापन के समय, यह पद उस समय लागू भर्ती नियमों के अनुसार वेतन बैंड ₹37,400-67,000 प्लस ग्रेड वेतन ₹8,900 था।
- प्रबंधन का यह तर्क कि पद का उन्नयन पद के सृजन के बराबर नहीं है, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर सही नहीं है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पद के उन्नयन में उस स्तर से उच्च स्तर पर पद का सृजन शामिल है जिस पर पद स्वीकृत है और इसलिए व्यय विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी स्वायत्त निकाय में किसी भी पद का उन्नयन नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि पद का उन्नयन पद के सृजन के बराबर है, जिस व्यय विभाग के दिनांक 4 जनवरी 2024 के कार्यालय ज्ञापन में दोहराया गया था।

(iii) रजिस्ट्रार के कार्यकाल का अनियमित विस्तार

नए भर्ती नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार के पदों के लिए निर्धारित अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष था। जब अगस्त 2020 में नियम अधिसूचित किए गए, तब रजिस्ट्रार ने पहले ही पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। हालांकि, अगस्त 2020 से रजिस्ट्रार को लेवल 14 में रखा गया और पुराने भर्ती नियमों के अनुसार 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक विस्तार दिया गया। रजिस्ट्रार के कार्यकाल के विस्तार के लिए अभिलेखों में कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि नए भर्ती नियमों में कहीं भी यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ये पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे और इसलिए वर्तमान रजिस्ट्रार पुराने भर्ती नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु, यानी 62 वर्ष, प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नए भर्ती नियमों में रजिस्ट्रार के लिए केवल पांच साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है और कोई सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित नहीं की गई है। उत्तर रजिस्ट्रार के पद के लिए पांच साल के अधिकतम निर्धारित कार्यकाल से विचलन के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताता है।

वाणिज्य विभाग ने (सितंबर 2023) आईआईएफटी को सलाह दी कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितता और लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामला विभाग के सतर्कता अनुभाग के सक्रिय विचाराधीन है और सतर्कता मामले के परिणाम और सतर्कता अनुभाग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर उचित निर्देश/कार्रवाई अलग से जारी की जाएगी। आईआईएफटी को रजिस्ट्रार के पद के अनियमित उन्नयन और कार्यकाल के अनियमित विस्तार की पुष्टि करने के लिए मामले में विचार करने का भी निर्देश दिया गया।

4.4.6.7 आईआईएफटी के निदेशक को सुविधाओं का अनियमित विस्तार

आईआईएफटी के निदेशक को ₹75,000 (नियत) वेतन एवं ₹5,000 प्रतिमाह का विशेष भत्ता सहित भत्तों पर पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था (अगस्त 2017)।

इसके अलावा, आईआईएफटी द्वारा निदेशक को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गईं:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करने वाले अध्यादेशों का हवाला देते हुए,

निदेशक को पानी, बिजली और किराया-मुक्त सुसज्जित आवासीय सुविधा प्रदान की गई।

- आईआईएफटी के निदेशक ने 19 जुलाई 2019 तक अपने पिछले नियोक्ता अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा प्रदान किए गए आवास पर कब्जा कर लिया। आईआईएफटी ने जेएनयू को दो महीने (नवंबर और दिसंबर 2018) के लिए बाजार किराया (₹39,089 प्रति माह की दर से) और जनवरी 2019 से बाजार किराए का दोगुना (₹78,178 प्रति माह की दर से) भुगतान किया। जुलाई 2019 के बाद, आईआईएफटी के निदेशक ने आईआईएफटी के परिसर में आईआईएफटी द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहना शुरू कर दिया।
- जेएनयू के नियमों का हवाला देते हुए, जिसके अंतर्गत जेएनयू के कुलपति को बिजली शुल्क की 50 *प्रतिशत* अदायगी का अधिकार है, अगस्त 2017 से जुलाई 2019 की अवधि के लिए बिजली बिलों की 50 *प्रतिशत* राशि आईआईएफटी द्वारा वहन की गई थी। आईआईएफटी परिसर में आवास पर कब्जा करने के बाद, आईआईएफटी के निदेशक को मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति की सुविधा दी गई थी, जिसका खर्च तब से आईआईएफटी द्वारा पूरी तरह से वहन किया जा रहा है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(क) परिवहन भत्ते का अनियमित अनुदान

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदत्त करने के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग के 7 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 और उससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी, जो आधिकारिक कार के उपयोग के हकदार हैं, उन्हें आधिकारिक कार सुविधा का लाभ उठाने या ₹15,750/- प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ता लेने का विकल्प दिया जाएगा।

आईआईएफटी के निदेशक को सरकारी कार आवंटित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उन्हें परिवहन भत्ता भी दिया गया था जो अनियमित था क्योंकि वे सरकारी कार की सुविधा का लाभ उठा रहे थे।

प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि निदेशक ने कार्यस्थल और निवास के बीच आवागमन के लिए कभी भी सरकारी कार का उपयोग नहीं किया। इसलिए, उन्हें परिवहन भत्ता दिया जाना चाहिए।

प्रबंधन का उत्तर आईआईएफटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि निदेशक कार्यस्थल और निवास स्थान के बीच आवागमन के लिए सरकारी कार का उपयोग कर रहे थे और इसलिए वे परिवहन भत्ते के हकदार नहीं थे।

(ख) निदेशक द्वारा अधिगृहित आवास के लिए बाजार दर पर अनियमित किराया प्रदान करना

जेएनयू में आईआईएफटी के निदेशक द्वारा लिए गए आवास का बाजार किराया आईआईएफटी द्वारा वहन किया गया था, जो उचित नहीं था क्योंकि आईआईएफटी के निदेशक के आवास के लिए बाजार किराए की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं था। अगस्त 2017 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान, आईआईएफटी ने जेएनयू में आईआईएफटी के निदेशक द्वारा लिए गए आवास के लिए बाजार किराए के भुगतान पर ₹5.95 लाख का व्यय किया। यह व्यय अनियमित था क्योंकि वाणिज्य विभाग से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था।

प्रबंधन ने बताया (मई 2023) कि आईआईएफटी के पूर्व निदेशक को भी सितंबर 2012 से नवंबर 2016 तक बाजार लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया था और पूर्वता में यही लाभ वर्तमान निदेशक को भी दिया गया।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आईआईएफटी द्वारा आवास उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में निदेशक प्रचलित दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार थे, न कि बाजार किराए की अदायगी के। इसके अलावा, संस्थान में विद्यमान त्रुटिपूर्ण पिछली प्रथाओं को अस्वीकार्य भत्ता जारी रखने का आधार नहीं माना जा सकता।

(ग) बिजली बिलों का 50 *प्रतिशत* अनियमित भुगतान

अगस्त 2017 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान, आईआईएफटी ने निदेशक के आवासीय परिसर के लिए बिजली बिलों के 50 *प्रतिशत के* भुगतान पर ₹1.27 लाख का व्यय किया। इस संबंध में वाणिज्य विभाग से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था और इसलिए उपरोक्त व्यय अनियमित था।

प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि जेएनयू के कुलपति की पात्रता के अनुरूप आईआईएफटी के निदेशक को बिजली बिलों का 50 *प्रतिशत* देने का अधिकार दिया गया है। आगे कहा

गया कि चूंकि जेएनयू के कुलपति को आईआईएफटी के निदेशक के समान वेतन मिलता है, इसलिए पद समान हैं, साथ ही सुविधाएं और भत्ते भी समान हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईआईएफटी के निदेशक के भत्तों और सुविधाओं की तुलना जेएनयू जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के भत्तों और सुविधाओं से करना उचित नहीं था, क्योंकि आईआईएफटी एक मानित विश्वविद्यालय होने के अलावा वाणिज्य विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय भी है। इसके अलावा, आईआईएफटी का प्रबंधन बोर्ड संस्थान के निदेशक के लिए कोई नया भत्ता तय करने और देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। निदेशक को दी गई सुविधा के लिए वाणिज्य विभाग से मंजूरी की आवश्यकता थी।

वाणिज्य विभाग ने आईआईएफटी को निर्देश दिया कि (सितंबर 2023):

(i) वर्तमान में निदेशक, आईआईएफटी को दी जा रही स्वीकार्य पात्रता के अतिरिक्त किसी भी अस्वीकार्य लाभ या परिलब्धियों, भत्ते या सुविधाओं को बंद किया जाए, तथा किए गए ऐसे अनियमित भुगतानों के लिए जिम्मेदारी और उत्तर देही तय की जाए तथा ऐसी अनियमित राशि की वसूली की संभावना का पता लगा जाए।

(ii) ध्यान दिया जाए कि संगठन में विद्यमान त्रुटिपूर्ण पिछली प्रथाओं को अस्वीकार्य भत्ता प्रदान करने का आधार नहीं माना जा सकता। आवश्यकतानुसार प्रशासनिक विभाग की सलाह/अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(iii) ध्यान दिया जाये कि आईआईएफटी का प्रबंधन बोर्ड वाणिज्य विभाग की मंजूरी के बिना संस्थान के निदेशक के लिए नए वेतन और भत्ते तय करने और लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

आईआईएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जिस निदेशक को बताई गई सुविधाएं प्रदान की गई थीं, वे सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान निदेशक द्वारा अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं ली गई है और प्रशासनिक विभाग की मंजूरी के बिना निदेशक को ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

4.4.7 निष्कर्ष

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की 2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए की गई लेखापरीक्षा से पता चला है कि इसके मैदानगढ़ी परिसर के निर्माण में असामान्य विलंब

हुआ है, जिसके कारण भूमि की लागत (₹26.62 करोड़) के अलावा, आईआईएफटी द्वारा भुगतान किया गया ₹5.32 करोड़ का भूमि किराया निष्फल हो गया।

संस्थान, एक 'मानित विश्वविद्यालय' होने के अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और इसलिए, स्वायत्त निकायों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों द्वारा शासित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने संस्थान के कामकाज में कई अनियमितताओं को देखा। यह पाया गया कि संस्थान ने वित्त मंत्रालय या प्रशासनिक मंत्रालय के मंजूरी के बिना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए अपने शिक्षकों के वेतनमान को केंद्रीय रूप से वित्त पोषित प्रोद्योगिकी संस्थानों के वेतनमान के साथ संरेखित किया। इसके अलावा, संस्थान ने वित्त मंत्रालय/प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन के बिना कार्य मानदंड योजना के अंतर्गत और शोध प्रकाशनों के लिए अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन का भुगतान किया, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'मानित विश्वविद्यालयों' के लिए ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना अधिसूचित या पृष्ठांकित नहीं की गई थी। संस्थान ने वित्त मंत्रालय/प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति के बिना अपने कार्मिकों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान भी किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए, संस्थान ने अपने कर्मचारियों को विशेष योग्यता प्राप्त करने पर एकमुश्त प्रोत्साहन के स्थान पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संस्थान ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष निधियों के निवेश की अपनी नीति के विरुद्ध निजी कंपनियों की सावधि जमा प्राप्तियों में अपने अधिशेष निधियों का निवेश किया। परिणामस्वरूप, आयकर छूट के लिए ऐसे निवेशों से होने वाली आय की अयोग्यता के कारण उसे सावधि जमाओं को समय से पहले बंद करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप ₹1.42 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

संस्थान ने रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति, पद के उन्नयन और रजिस्ट्रार के कार्यकाल के विस्तार के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में अगस्त 2020 में अधिसूचित भर्ती नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, संस्थान ने प्रशासनिक मंत्रालय से किसी भी अनुमोदन के बिना निदेशक को परिवहन भत्ता (आधिकारिक कार सुविधा होने के बावजूद), आवास के लिए बाजार किराया और बिजली बिलों का 50 *प्रतिशत* की अदायगी की सुविधा भी प्रदान की।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान

4.5 फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, अंकलेश्वर की स्थापना एवं कार्यप्रणाली

4.5.1 परिचय

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना 1986 में (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकसित करना, भारतीय फुटवियर उद्योग के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा प्रदान एवं विकसित करना तथा विशेष रूप से देश से गुणवत्ता वाले फुटवियर के निर्यात और संबद्ध उत्पादों के विकास को बढ़ावा देना था। एफडीडीआई को 2017 में एफडीडीआई अधिनियम के अधिनियमन द्वारा "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" का दर्जा दिया गया है।

एफडीडीआई-अंकलेश्वर परिसर:

अंकलेश्वर परिसर देश में एफडीडीआई के उन 12 परिसरों में से एक है जिनमें वर्ष 2017-18 से शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। यह परिसर गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा आवंटित अत्याधुनिक आवास और इमारतों वाली 10 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है।

अंकलेश्वर परिसर में वर्तमान में चार वर्ष की अवधि वाले दो स्नातक डिग्री कार्यक्रम नामतः बी.डेस. (फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन) और बी.डेस. (फैशन डिजाइन) चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवेश पूरे भारत में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित अखिल भारतीय चयन परीक्षा (एआईएसटी) में प्राप्त रैंक के आधार पर दिए जाते हैं।

4.5.2 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा के दायरे में एफडीडीआई अंकलेश्वर की स्थापना से लेकर मार्च 2024 तक की अवधि के लिए स्थापना, शैक्षणिक गतिविधियों और परिसंपत्तियों के उपयोग को शामिल किया गया है।

4.5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

4.5.3.1 अंकलेश्वर में अतिरिक्त एफडीडीआई परिसर की स्थापना

वित्त मंत्रालय ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अंतर्गत संस्थागत सुविधाओं की स्थापना को मंजूरी दी (अक्टूबर 2013) तथा गुजरात में एफडीडीआई की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ निर्धारित किए।

तदनुसार, एफडीडीआई मुख्यालय, नोएडा द्वारा गुजरात में एफडीडीआई की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई (जनवरी 2014)। परिसर की परिकल्पना वर्ष के किसी भी समय 800-1,000 छात्रों की प्रस्तावित क्षमता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई ताकि शिक्षा की प्रभावी और गुणात्मक डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एफडीडीआई, गुजरात के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी (फरवरी 2014)। ₹100 करोड़ की स्वीकृत निधि के मुकाबले ₹101.48 करोड़ की लागत से अंकलेश्वर में एफडीडीआई परिसर की स्थापना की गई, जिसने 2017-18 से काम करना शुरू कर दिया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखी:

1) शैक्षणिक वर्ष 2010-11 और 2013-14 के बीच एफडीडीआई के मौजूदा परिसरों में नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 4.4: एफडीडीआई के मौजूदा परिसरों में नामांकन की स्थिति

परिसर का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नोएडा	319	295	423	378
चेन्नई	44	29	77	88
छिंदवाड़ा	15	82	109	72
फुरसतगंज	229	125	192	163
जोधपुर	0	0	24	90
कोलकाता	50	100	133	162
रोहतक	60	106	177	139
गुना	0	0	0	0
कुल नामांकन	**717**	**737**	**1,135**	**1,092**
कुल उपलब्ध सीटें	**अनु**	**अनु**	**1,820**	**1,680**
रिक्त सीटों का *प्रतिशत*			**38%**	**35%**

*** अनु - अनुपलब्ध**

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ने प्रशिक्षित श्रमशक्ति की अत्यंत अभाव और संबंधित उद्योग में उच्च मांग के आधार पर एफडीडीआई के अतिरिक्त परिसरों की स्थापना को उचित ठहराया। उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि एफडीडीआई के आठ परिसर पहले से ही कार्य कर रहे थे और शैक्षणिक वर्ष 2012-13 और 2013-14 में उपलब्ध सीटों के मुकाबले नामांकन में कमी क्रमशः 38 *प्रतिशत* और 35 *प्रतिशत* थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अतिरिक्त परिसर खोलने की व्यवहार्यता को उचित ठहराते समय मौजूदा एफडीडीआई परिसरों में उपलब्ध सीटों के मुकाबले नामांकन में महत्वपूर्ण कमी पर डीपीआर में विचार नहीं किया गया था। अगर डीपीआर में इन तथ्यों पर उचित विचार गया होता तो सक्षम प्राधिकारी को गुजरात में अतिरिक्त एफडीडीआई परिसर की स्थापना से पहले एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में कहा कि अंकलेश्वर परिसर की स्थापना गुजरात क्षेत्र में फुटवियर और संबद्ध उद्योग में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए दूरगामी सोच से की गई थी। शुरुआती वर्षों में, संस्थान का प्रदर्शन कम हो सकता है, लेकिन आगे चलकर यह निश्चित रूप से उस उद्देश्य के लक्ष्य को पूरा करेगा जिसके लिए परिसर की स्थापना की गई थी। एफडीडीआई ने अगले शैक्षणिक वर्ष से नामांकन में सुधार करने के लिए एफडीडीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए मुख्यालय और स्थानीय स्तर पर संबंधित समर्पित प्रवेश/परामर्श दल भी स्थापित किए।

प्रबंधन के उत्तर से सहमति जताते हुए मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2023) कि एफडीडीआई को घोषित सीटों और भरी हुई सीटों के बीच के अंतर को कम करने के लिए समय-समय पर निर्देसहित भी किया गया हैं तथा उम्मीद है कि एफडीडीआई आगामी सत्र में लक्ष्य हासिल कर लेगा।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परिसर में गतिविधियां 2017 से शुरू हुईं और सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 'शून्य प्रवेश' के साथ प्रवेश न्यूनतम[25] रहे हैं।

[25] ***एफडीडीआई अंकलेश्वर में 2017-18 में 13, 2018-19 में 36, 2019-20 में 15, 2020-21 में 8, 2021-22 में 8, 2022-23 में शून्य और 2023-24 में 14 प्रवेश हुए।***

2) एफडीडीआई मुख्यालय, नोएडा द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र[26] पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि चमड़ा उद्योग और कारीगर सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हैं। साथ ही, सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों की क्लस्टर मैपिंग गांधीनगर और राजकोट को केंद्र बिंदु मानते हुए की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीआर तैयार करते समय राजकोट से लगभग 380 किलोमीटर दूर अंकलेश्वर में परिसर की व्यवहार्यता पर विचार तक नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना संगत है कि अंकलेश्वर रासायनिक और दवा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। हालाँकि, यहाँ फुटवियर या चमड़ा उद्योग नहीं है।

एफडीडीआई ने एफडीडीआई परिसर की स्थापना से पहले एक स्थान के रूप में अंकलेश्वर का चयन करने की व्यवहार्यता और व्यावहारिकता का आकलन/विश्लेषण नहीं किया, जिसमें पारंपरिक या आधुनिक फुटवियर उद्योगों की मजबूत उपस्थिति नहीं थी। अंकलेश्वर, गुजरात में भूमि पहले से ही 23 दिसंबर 2013 को एफडीडीआई द्वारा अधिग्रहित की गई थी, यानी डीपीआर को अंतिम रूप देने से पहले।

एफडीडीआई परिसर की स्थापना से पहले अंकलेश्वर को स्थान के रूप में चुनने की व्यवहार्यता और व्यावहारिकता का आकलन/ विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि वहां पारंपरिक या आधुनिक फुटवियर उद्योगों की मजबूत उपस्थिति नहीं थी। गुजरात के अंकलेश्वर में जमीन एफडीडीआई द्वारा 23 दिसंबर 2013 को यानी डीपीआर को अंतिम रूप देने से पहले ही अधिग्रहित कर ली गई थी,।

प्रबंधन/मंत्रालय ने इस पहलू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

4.5.3.2 'एफडीडीआई' अंकलेश्वर में कार्यकारी निदेशक की गैर नियुक्ति

एफडीडीआई अधिनियम, 2017 की धारा 18 में प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान परिसर के एक कार्यकारी निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या क़ानून या प्रबंध निदेशक द्वारा सौंपे जाएंगे। एफडीडीआई, 2018 के पहले क़ानून[27] की धारा 19 में निर्धारित कार्य के दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परिसर के लिए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है।

---

[26] *सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात राज्य का एक हिस्सा है और पूर्वी गुजरात और कच्छ के बीच स्थित है। इसमें राजकोट सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के 11 जिले शामिल हैं।*

[27] *क़ानून एफडीडीआई अधिनियम, 2017 को लागू करने के लिए बनाए गए नियम हैं।*

एफडीडीआई गुजरात परिसर जून 2016 से मार्च 2020 तक एफडीडीआई जोधपुर परिसर के कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के अधीन काम कर रहा था, और उसके बाद से यह पद आज तक (मार्च 2023) खाली है। परिसर केंद्र प्रभारी के रूप में नियुक्त एक वरिष्ठ संकाय के अधीन काम कर रहा है। पिछले 48 महीनों से अंकलेश्वर परिसर में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण और कार्यकारी निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति के लिए कार्यप्रणाली/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गयी थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2023/मार्च 2023) में कहा कि एफडीडीआई अधिनियम, 2017 के लागू होने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई। हालाँकि, वर्तमान में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) एफडीडीआई के सभी परिसरों में कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

तथ्य यह है कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर को कई प्रकार की चुनौतियों जैसे कि छात्र नामांकन, स्टाफ की उपलब्धता, संस्थान का प्रचार, फंड की कमी इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद, एफडीडीआई, अंकलेश्वर में कार्यकारी निदेशक का पद मार्च 2020 से खाली पड़ा है।

4.5.3.3 एफडीडीआई, अंकलेश्वर में छात्र नामांकन

1) पाठ्यक्रमों के लिए कम प्रवेश/नामांकन

2017-18 और 2023-24 के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक पाठ्यक्रम में आवंटित सीटों की संख्या और नामांकित छात्रों की वास्तविक संख्या नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 4.5: छात्रों की प्रवेश क्षमता, प्रवेश और रिक्त सीटों की स्थिति

क्र. सं.	शैक्षणिक वर्ष	विभाग	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम अवधि वर्षों में	आवंटित सीटों की संख्या	कुल नामांकित छात्रों की संख्या	रिक्त सीट का %
1	**2017-18**	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.एससी-डीपी	3	30	13	57
2	**2018-19**	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.डेस - एफडीपी	4	30	13	57
3		फैशन डिजाइन	बी.डेस - एफ.डी.	4	30	23	24
4		यूजी - खुदरा प्रबंधन	बीबीए-आरएफएम	3	30	0	100

क्र. सं.	शैक्षणिक वर्ष	विभाग	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम अवधि वर्षों में	आवंटित सीटों की संख्या	कुल नामांकित छात्रों की संख्या	रिक्त सीट का %
5	**2019-20**	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.डेस - एफ.डी.पी.	4	60	0	100
6		फैशन डिजाइन	बी.डेस - एफ.डी.	4	60	15	75
7		यूजी - खुदरा प्रबंधन	बीबीए-आरएफएम	3	30	0	100
8		पीजी - रिटेल प्रबंधन	एमबीए-आरएफएम	2	30	0	100
9	**2020-21**	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.डेस - एफ.डी.पी.	4	75	0	100
10		फैशन डिजाइन	बी.डेस - एफ.डी.	4	75	8	89
11	**2021-22**	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.डेस - एफ.डी.पी.	4	75	0	100
12		फैशन डिजाइन	बी.डेस - एफ.डी.	4	60	8	87
13	**2022-23**	फाउंडेशन-फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.डेस - एफ.डी.पी.	4	60	0	100
14		फाउंडेशन - फैशन डिजाइन	बी.डेस - एफ.डी.	4	60	0	100
15	**2023-24**	फाउंडेशन-फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	बी.डेस - एफ.डी.पी.	4	60	7	88
16		फाउंडेशन - फैशन डिजाइन	बी.डेस - एफ.डी.	4	60	7	88
				कुल	**825**	**94**	**89**

(**बी.डेस -** बैचलर ऑफ डिजाइन; **एफडी-** फैशन डिजाइन; **एफडीपी-** फुटवियर डिजाइन एवं प्रोडक्शन; **आरएफएम-** खुदरा एवं फैशन मर्चेंडाइज)

उपरोक्त तालिका में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) पिछले सात शैक्षणिक वर्षों के दौरान, 825 सीटों की उपलब्धता के मुकाबले केवल 94 छात्रों ने प्रवेश लिया, जिसके परिणामस्वरूप 89 *प्रतिशत* सीटें खाली रहीं। इसके अलावा, एफडीडीआई, अंकलेश्वर का बुनियादी ढांचा एक समय में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित होने

वाले 800-1,000 छात्रों की हैंडलिंग क्षमता के साथ स्थापित किया गया था। हालांकि, संस्थान वर्ष 2019-20 तक अधिकतम 64 छात्रों (पूर्ण परिचालन क्षमता का आठ *प्रतिशत*) के साथ ही संचालित हो रहा था, जो कम नामांकन और परिणामस्वरूप परिसर की क्षमता के कम उपयोग को दर्शाता है।

(ii) फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 30 सीटें आवंटित की गई थीं, जिसके विरुद्ध प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 13 छात्रों ने नामांकन कराया था, अर्थात संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल आवंटित सीटों में से 57 *प्रतिशत* सीटें खाली थीं। इसके अलावा, आवंटित सीटों की संख्या 2019-20 में बढ़कर 60 और 2020-21 और 2021-22 में 75 हो गई। हालांकि, शून्य नामांकन के कारण, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में आवंटित सीटों में से 100 *प्रतिशत* सीटें खाली रहीं। इसके अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 60 सीटें आवंटित की गईं, जिसके विरुद्ध 7 छात्रों ने नामांकन कराया, अर्थात कुल आवंटित सीटों में से 88 *प्रतिशत* सीटें खाली रहीं।

(iii) फैशन डिजाइन कोर्स के लिए संस्थान को 2018-19 में काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जब 76 *प्रतिशत* आवंटित सीटें भरी गई थीं। हालांकि, 2019-20 से 2023-24 तक नामांकन में गिरावट देखी गई, जहां रिक्त सीटों का *प्रतिशत* 75 से बढ़कर 100 *प्रतिशत* हो गया और वर्ष 2022-23 में शून्य नामांकन हुआ।

(iv) एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने 2018-19 और 2019-20 में खुदरा फैशन प्रबंधन कार्यक्रम (बीबीए और एमबीए) भी प्रदान किए। फिर भी, दोनों वर्षों के दौरान नामांकन शून्य था।

(v) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, केवल 30 छात्र (सभी कार्यक्रमों के लिए सभी बैचों सहित) एफडीडीआई, अंकलेश्वर में अध्ययनरत हैं, जो परिचालन क्षमता का चार *प्रतिशत* से भी कम है।

उपरोक्त तथ्य एफडीडीआई, अंकलेश्वर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के प्रति खराब प्रतिक्रिया दर्शाते हैं।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में कहा कि एफडीडीआई ने अगले शैक्षणिक वर्ष से नामांकन में सुधार करने के लिए एफडीडीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए मुख्यालय और स्थानीय स्तर पर संबंधित

समर्पित प्रवेश/परामर्श दल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के छात्रों को केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है। एफडीडीआई ने यह भी नोट किया कि महामारी के बाद माता-पिता की वित्तीय क्षमता में कमी को मौजूदा वर्षों में कम नामांकन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, एफडीडीआई स्कूलों/शिक्षा मेलों में जागरूकता अभियानों और सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांडिंग गतिविधियों के माध्यम से नामांकन बढ़ाने की रणनीति बना रहा है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति जताते हुए आगे कहा (मार्च 2023) कि डीपीआईआईटी ने एफडीडीआई को प्रवेशों की संख्या बढ़ाने और परिसरों में प्रकाशित सीटों और भरी हुई सीटों के बीच अंतर को कम करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके के प्रयास करने का निर्देश दिया है।

प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि महामारी से पहले की अवधि (शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2019-20) के दौरान भी रिक्त सीटें 57-92 *प्रतिशत* के बीच थीं। इसके अलावा, कई शैक्षणिक, बुनियादी ढांचे और श्रमशक्ति संबंधी कमजोरियां एफडीडीआई परिसर की छवि को प्रभावित कर सकती हैं, जिन पर नामांकन बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करते समय विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि एफडीडीआई, अंकलेश्वर फैशन डिजाइन और फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हर साल 120 से 150 छात्रों के नामांकन को आकर्षित करने की आकांक्षा रखता है, लेकिन इसमें अनुबंध के आधार पर केवल चार शिक्षण संकाय थे। संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान केवल आठ नामांकन और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान 14 नामांकन ही आकर्षित कर सका और 2022-23 में कोई नामांकन नहीं हुआ। इस प्रकार, नामांकन बढ़ाने की संस्थान की रणनीति का परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है।

2) प्रचार एवं प्रोत्साहन गतिविधियों में कमियाँ

संस्थान में प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को संस्थान, इसके कार्यक्रमों और उद्योग में भविष्य की संभावनाओं के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है। 800 से 1,000 छात्रों की बुनियादी ढांचा क्षमता वाले ऐसे किसी भी संस्थान के पास पूंजीगत व्यय और आवर्ती खर्चों को उचित ठहराने के लिए बुनियादी ढांचे को इष्टतम उपयोग के चरण में लाने के लिए एक समर्पित प्रवेश प्रोत्साहन, विपणन/परामर्श सेल और समर्पित कर्मचारी होना चाहिए

जो स्थापना के बाद से न्यूनतम प्रवेश का सामना कर रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने न तो समर्पित प्रवेश प्रोत्साहन, विपणन/परामर्श सेल की स्थापना की है और न ही इसके लिए समर्पित कर्मचारी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर संस्थान के व्यापक प्रचार के लिए प्रचार गतिविधियों को चलाने के लिए आवंटित बजट का उपयोग नहीं कर सका।

तालिका 4.6: विज्ञापन और प्रचार पर बजट और वास्तविक व्यय

क्र सं	वर्ष	विवरण	बजट (₹ लाख)	वास्तविक (₹ लाख)
1.	2017-18	विज्ञापन एवं प्रचार (पाठ्यक्रम एवं प्रदर्शनी)	अनु.	0.23
2.	2018-19	विज्ञापन एवं प्रचार	9.94	0.78
3.	2019-20	विज्ञापन एवं प्रचार	7.50	0.52
4.	2020-21	विज्ञापन एवं प्रचार	4.50	0.23
5.	2021-22	विज्ञापन एवं प्रचार	3.00	0.89
6.	2022-23	विज्ञापन एवं प्रचार	3.10	0.50
7.	2023-24	विज्ञापन एवं प्रचार	1.50	1.26
कुल			**29.54**	**4.41**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर के लिए शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार के लिए धन का आवंटन ₹1.5 लाख से ₹9.94 लाख के बीच था। हालाँकि, एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने किसी भी वर्ष में इस आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं किया और पिछले सात वर्षों के दौरान कुल व्यय केवल ₹4.41 लाख था जो कुल आवंटित बजट का 15 *प्रतिशत* से भी कम है। प्रचार गतिविधियों, जनसंपर्क और प्रवेश के लिए विज्ञापनों के लिए आवंटित बजट का उपयोग न करने के कारण अभिलेख में नहीं पाए गए।

विज्ञापन एवं प्रचार हेतु बजटीय निधियों का कम उपयोग जनसंपर्क गतिविधियों में कमी दर्शाता है। साथ ही, लेखापरीक्षा ने अंकलेश्वर परिसर में कोई समर्पित स्थानीय प्रवेश टीम नहीं पाई जो संस्थान में छात्रों के नामांकन में सुधार के लिए मुख्य रूप से प्रवेश पहलू पर ध्यान केंद्रित करती हो और यह भी देखा गया कि शिक्षण स्टाफ स्वयं शैक्षणिक के साथ-साथ प्रबंधकीय और जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों में भी शामिल था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने इस पहलू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

4.5.3.4 संकायों की अपर्याप्त नियुक्ति

किसी भी प्रोद्योगिकी संस्थान में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षण संकायों की उपलब्धि अत्यंत आवश्यक है। अंकलेश्वर में उपलब्ध श्रमशक्ति नीचे दी गई है:

तालिका 4.7: 31 मार्च 2024 तक एफडीडीआई, अंकलेश्वर में श्रमशक्ति की स्थिति

क्र सं	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पदासीन व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की प्रकृति
1.	शिक्षण कर्मचारी	17	4	संविदात्मक
2.	प्रयोगशाला सहायक	7	3	संविदात्मक
3.	गैर-शैक्षणिक कर्मचारी	20	6	संविदात्मक

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर में सभी पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत 17 पदों के सापेक्ष केवल चार शिक्षण कर्मचारी थे और स्वीकृत 7 पदों के सापेक्ष केवल तीन प्रयोगशाला सहायक थे। इसके अलावा, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए स्वीकृत पदों के अनुसार शिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों/अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति न करने के कारण अभिलेख में नहीं पाए गए।

प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2023/मार्च 2023) में कहा कि एफडीडीआई अंकलेश्वर परिसर में संकाय अपने ज्ञानक्षेत्र विशेषज्ञता के अनुसार नियमित रूप से कक्षाएं संचालित कर रहे थे। एफडीडीआई से जुड़े अतिथि संकाय समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर कक्षाएं ले रहे थे।

प्रबंधन/मंत्रालय के जवाबों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि नियमित संकायों की अनुपस्थिति और परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले अतिथि संकायों की नियुक्ति के कारण छह महीने के पाठ्यक्रम को अंतिम 15 दिनों में पूरा कराने से शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ। उत्तर में वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए स्वीकृत पदों के अनुसार प्रयोगशाला सहायक/अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने पर भी कुछ नहीं कहा गया है।

4.5.3.5 बुनियादी ढाँचे का कम उपयोग

एफडीडीआई परिसर, गुजरात में एक शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन, सभागार, स्टाफ क्वार्टर और कैंटीन भवन शामिल हैं। छह मंजिला शैक्षणिक भवन में कक्षाएँ, व्याख्यान कक्ष, संकाय कक्ष, फुटवियर एवं फैशन डिजाइनिंग प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कार्यकारी निदेशक कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

➢ **कक्षाएँ और प्रयोगशालाएँ:** उपलब्ध 28 कक्षों में से केवल चार का उपयोग किया जा रहा था और 24 अपर्याप्त छात्रों की संख्या के कारण खाली थीं। हालाँकि संस्थान में सात फ़ुटवियर लैब हैं, लेकिन इनका कम उपयोग किया गया क्योंकि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान संस्थान में फ़ुटवियर पाठ्यक्रमों में कोई प्रवेश नहीं हुआ और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में केवल सात छात्रों का नामांकन हुआ।

➢ **छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर:** परिसर में 291 छात्रों के रहने के लिए 103 कमरों वाले छात्रावास बनाए गए हैं, लेकिन कभी भी उनमें रहने वालों की संख्या 20 *प्रतिशत* से अधिक नहीं रही। वर्तमान में, केवल 12 कमरे (लड़कियों के छात्रावास में नौ और लड़कों के छात्रावास में तीन) ही भरे हुए हैं जिनमें 15 लड़कियां और तीन लड़के रहते हैं। इसके अलावा, परिसर में 30 स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं, जिनमें केवल 15 कर्मचारी रह रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 तक 50 *प्रतिशत* क्वार्टर खाली रह जाएंगे।

➢ **पुस्तकालय:** पुस्तकालय का प्रबंधन तदर्थ व्यवस्था पर किया जा रहा है। यह देखा गया कि पुस्तकालय का अनुरक्षण, स्वच्छता और रखरखाव मानक के अनुरूप नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय सुविधाओं का नगण्य उपयोग हो रहा है।

➢ **सभागार:** गुजरात के एफडीडीआई परिसर में ₹5.98 करोड़ की लागत से 263 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। अनुचित रखरखाव और अभीष्ट उद्देश्य के अनुरूप उपयोग न होने के कारण ऑडिटोरियम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

➢ **प्रयोगशाला, मशीनरी और उपकरण:** अनुमानित 800 प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ₹ 11.62 करोड़ की लागत से खरीदे गए, जबकि संभावित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण इनका उपयोग केवल 12 *प्रतिशत* की सीमा तक ही किया जा रहा था। ₹18 लाख की लागत से खरीदी गई संस्थान की बस परिसर में बेकार पड़ी है। पिछले सात वर्षों में इसने केवल 5,434 किलोमीटर की कुल यात्रा की है, जिसका औसत माइलेज 776 किलोमीटर प्रति वर्ष है।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2023) कि पहला बीएससी (फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन) बैच 2020 में तथा पहला बी. डिजाइन (एफडी) बैच 2022 में पास हुआ। उस समय तक फुटवियर लैब, परिधान निर्माण प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अच्छी तरह से उपयोग किया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि ऑडिटोरियम का उपयोग सांस्कृतिक उत्सवों और प्रस्तुतियों जैसी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ दीक्षांत समारोह 2020 और दीक्षांत समारोह 2021 जैसे कार्यक्रमों लिए किया गया था। इसका उपयोग छात्रों के स्कूल दौरे, प्रिंसिपल और शिक्षकों की बैठक और एफडीडीआई अंकलेश्वर की अन्य प्रचार गतिविधियों जैसे उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। परिसर अपनी बस सुविधा का उपयोग छात्रों के दौरे, छात्रों के औद्योगिक दौरे और गुजरात राज्य के अंदर सूरत, बड़ौदा, दमन, वापी जैसे विभिन्न आस-पास के स्थानों की यात्रा के दौरान करता है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति जताते हुए आगे कहा (मार्च 2023) कि परिसर में छात्रों का कम नामांकन ₹101.48 करोड़ की लागत वाले बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और उपकरणों के कम/गैर- उपयोग का कारण हो सकता है।

प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वर्ष के किसी भी समय 800-1,000 छात्रों की प्रस्तावित क्षमता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुनियादी ढाँचा बनाया गया था। हालाँकि, संस्थान वर्ष 2019-20 में अधिकतम 64 छात्रों (पूर्ण परिचालन क्षमता का आठ *प्रतिशत)* और वर्ष 2023-24 में 30 छात्रों (पूर्ण परिचालन क्षमता का चार *प्रतिशत*) के साथ परिचालन कर रहा था। इन सुविधाओं, उपकरणों और बुनियादी ढाँचे के रखरखाव और रखरखाव पर ₹1.82 करोड़ प्रति वर्ष[28] का औसत आवर्ती व्यय भी किया गया।

4.5.3.6 अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय से प्राप्त सुझाव के अनुसार, एफडीडीआई की शासी परिषद् ने कौशल भारत कार्यक्रम के साथ सहयोग करने और एफडीडीआई के परिसरों का उपयोग करने को मंजूरी दे दी (दिसंबर 2018) क्योंकि वे कम उपयोग में थे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कोई अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

[28] *2020-21 में ₹1.57 करोड़, 2021-22 में ₹1.75 करोड़, 2022-23 में ₹2.02 करोड़ और 2023-24 में ₹1.94 करोड़- औसत ₹1.82 करोड़ प्रति वर्ष।*

एफडीडीआई, अंकलेश्वर द्वारा उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी परिकल्पना की गई थी। हालाँकि, एफडीडीआई, अंकलेश्वर परिसर में अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम/गतिविधियाँ शुरू नहीं की गई हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुजरात सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आधार[29] पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्र राज्य सरकार से पैनलबद्ध अन्य संस्थानों में दाखिला ले रहे थे। हालांकि, एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने राज्य सरकार से पैनलबद्ध होने का प्रयास नहीं किया है। इससे एफडीडीआई, अंकलेश्वर को कुछ हद तक राजस्व अर्जित करने में मदद मिल सकती थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2023/मार्च 2023/ जुलाई 2024) में कहा कि ग्रिमको[30] और केवीआईसी[31] के साथ अल्पकालिक कार्यक्रम सहयोग किया गया है। एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने ग्रिमको के 60 उम्मीदवारों और केवीआईसी के 10 उम्मीदवारों के एक बैच को प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा, एफडीडीआई ने कहा कि वह अंकलेश्वर परिसर में अल्पकालिक कार्यक्रम चलाने के लिए अन्य संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है।

प्रबंधन/मंत्रालय के जवाबों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अब तक, एफडीडीआई ने 2017-18 से 2023-24 तक की सात साल की अवधि के दौरान अल्पकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत केवल 70 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, वंचित छात्रों को निःशुल्क आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के साथ अब तक कोई समझौता न किए जाने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.5.3.7 निर्माण कार्य में कमियां

एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने (3 मार्च 2014) अंकलेश्वर (गुजरात) में एफडीडीआई परिसर के निर्माण और विकास के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और बाहरी विकास सहित कार्य 4 दिसंबर 2015 को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ ₹67.02 करोड़ की लागत पर एक निजी ठेकेदार को सौंपा। हालांकि, निर्माण कार्य 4 जुलाई 2016 को विलंब से पूरा हुआ। इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

---

29 'फ्रीशिप कार्ड' गुजरात सरकार की एक योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र गुजरात सरकार से पैनलबद्ध गुजरात के स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययन कर सकते हैं ।

30 गुजरात ग्रामीण आद्योगिक विपणन निगम।

31 खादी और ग्रामोद्योग आयोग।

1) सिविल निर्माण कार्य

अगस्त 2016 में निर्माण कार्य पूरा होने के एक महीने के भीतर, एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने देखा कि पत्थर की पटियां (इमारतों की दीवारों के बाहरी हिस्से पर लगी पत्थर की पटियां) गिरना शुरू हो गयी थी। पत्थर की पटियों के गिरने की घटनाएं अभी भी जारी हैं जो छात्रों और परिसर में काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। अक्टूबर-नवंबर 2022 में क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा दीवारों पर ढीली पत्थर की पटियां भी देखी गई।

चित्र 4.1
दीवारों पर से गिरती पत्थर की पट्टियाँ

चित्र 4.2
अधूरा निर्माण

चित्र 4.3
निष्क्रिय कक्षाएँ

अंकलेश्वर परिसर के भवन निर्माण कार्यों में अन्य विभिन्न दोषों में कई स्थानों पर कांच के फ्रेम और दीवार के बीच बने दृश्यमान अंतराल, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऑडिटोरियम, व्याख्यान कक्ष, विजुअल मर्केंडाइजिंग प्रयोगशाला, आईटीएससी[32] सर्वर कक्ष, पुस्तकालय और निदेशक कार्यालय की बाहरी छत का गिरना शामिल है, जिससे बाहरी/आंतरिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2016 से जून 2020 की अवधि के दौरान कई मौकों पर एफडीडीआई मुख्यालय, नोएडा को निर्माण कार्य में दोषों के बारे में सूचित किया गया था। एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा होने के कारण, एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने एफडीडीआई मुख्यालय, नोएडा से किसी भी घातक दुर्घटना से बचने के लिए दोषों को दूर करने का अनुरोध किया। एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने दोषपूर्ण निर्माण कार्य की मरम्मत के लिए जनवरी 2019 में एफडीडीआई मुख्यालय, नोएडा को ₹2.35 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत

[32] *सूचना प्रौद्योगिकी सेवा केंद्र.*

किया। पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, बुनियादी ढाँचे की मरम्मत की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अनुबंध समझौते में निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि से 12 महीने की दोष दायित्व अवधि का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, अनुबंध समझौते में कहा गया है कि अनुबंध निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के 90 दिनों तक वैध रहेगी। तदनुसार, ₹4.39 करोड़ मूल्य की पीबीजी 30 सितंबर 2017 तक वैध होनी चाहिए थी। हालांकि, एफडीडीआई के पास उपलब्ध पीबीजी केवल 3 मार्च 2017 तक वैध थी और इसे एफडीडीआई द्वारा 31 अगस्त 2017 को जारी किया गया था, जबकि निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से बड़ी संख्या में चूक (अगस्त 2016 से देखी जा रही थी) समझौते में पीबीजी खंड का उल्लंघन करते हुए की गई थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2023/मार्च 2023) में कहा कि अनुबंध की दोष देयता अवधि, निर्माण पूरा होने की तिथि से 12 महीने अर्थात 3 जुलाई 2017 तक थी और इमारत के अग्रभाग से पत्थर गिरने की घटना इस अवधि के बाद उनके संज्ञान में लाई गई थी। पीबीजी को दोष देयता अवधि के काफी बाद 31 अगस्त 2017 को जारी किया गया, जो 3 जुलाई 2017 को समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, एफडीडीआई ने कहा कि उसने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया है और एक महीने के भीतर सुधार कार्य योजना निर्धारित की है ताकि पत्थर गिरने की किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में किसी व्यक्ति को चोट न लगे।

प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जुलाई 2016 में काम पूरा हो गया था और एक महीने के भीतर एफडीडीआई, अंकलेश्वर ने देखा (अगस्त 2016) कि पत्थर की पटियां गिरने लगी थीं, जिसकी सूचना तुरंत एफडीडीआई मुख्यालय को दी गई। इसके अलावा, ठेकेदार ने इस मुद्दे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया क्योंकि अगस्त 2016 के बाद भी पत्थरों का गिरना जारी रहा, जो निर्माण की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि अगस्त 2016 से ही कई घटनाएं सूचित की गईं। इसलिए, अनुबंध प्रबंधन में कमी रही है। उत्तर में फंड के आकलन के बाद बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए की गई कार्रवाई के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

2) स्वीकृत अनुदान पर अर्जित ब्याज का उपयोग

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अंकलेश्वर, गुजरात में एफडीडीआई परिसर के निर्माण और विकास के लिए ₹100 करोड़ की स्वीकृति दी। एफडीडीआई मुख्यालय, नोएडा द्वारा एक अलग बचत खाता बना कर

रखा गया था तथा अंकलेश्वर परिसर के लिए मशीनों की खरीद हेतु ऋण पत्र खोलने हेतु बैंक के साथ चार महीने के लिए सावधि जमा किया गया था। एफडीडीआई ने बचत और सावधि जमा खातों से ₹1.65 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। अनुदान स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार, स्वीकृत अनुदान पर अर्जित ब्याज को अगले अनुदान में समायोजित किया जाना था या मंजूरी प्राधिकारी को वापस किया जाना था। एफडीडीआई, नोएडा ने अनुदान स्वीकृति पत्र के पैरा (19) का उल्लंघन करते हुए अनुदान मंजूरी प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ₹1.48 करोड़ का उपयोग एफडीडीआई, अंकलेश्वर परियोजना में करके ₹1.65 करोड़ का खर्च किया। ₹17 लाख की बकाया राशि का उपयोग अभिलेखों में प्राप्त नहीं हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने इस पहलू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

4.5.3.8 एफडीडीआई, अंकलेश्वर में प्रदान की गई सेवाओं पर छात्रों की प्रतिक्रिया

एफडीडीआई, अंकलेश्वर में प्रशिक्षण की सुविधाओं और गुणवत्ता के बारे में एफडीडीआई, अंकलेश्वर के छात्रों की राय जानने के उद्देश्य से एक प्रतिक्रया सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में मौजूद 31 छात्रों में से 27 ने भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया दी। 27 छात्रों के सर्वेक्षण का परिणाम सारांश निम्नवत सारणीबद्ध है:

तालिका 4.8: एफडीडीआई, अंकलेश्वर में मौजूद छात्रों की प्रतिक्रिया

सर्वेक्षण के बिंदु	छात्रों की ग्रेडिंग की संख्या						कुल छात्र
	गरीब	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	कोई टिप्पणी नहीं	
शैक्षणिक गतिविधि (शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों का कवरेज)	8	11	6	1	1	0	**27**
स्थल, आस-पास का वातावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या	7	12	6	1	1	0	**27**
सुरक्षा (भवन संबंधी मुद्दा)	13	5	7	2	0	0	**27**
स्वच्छता (पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास)	3	19	5	0	0	0	**27**
भोजन की गुणवत्ता	5	7	8	0	0	7	**27**
पुस्तकालय की गुणवत्ता	8	9	9	1	0	0	**27**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है:

- 70 *प्रतिशत* से अधिक (19 छात्र) उत्तरदाताओं ने संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों की कवरेज जैसी शैक्षणिक गतिविधियों को खराब/औसत बताया। छात्रों ने बताया कि संकायों और प्रशिक्षकों की कमी है, और अतिथि संकायों द्वारा छह महीने के पाठ्यक्रम को परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले 10/15 दिनों में पूरे किया जा रहा है। इसके अलावा, संकायों के पास विशिष्ट विषय में पर्याप्त विशेषज्ञता/अनुभव नहीं है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। छात्रों का उद्योग दौरा न्यूनतम है, अर्थात साल में एक बार।

- स्थल के पर्यावरण और छात्रों के स्वास्थ्य के संबंध में, 70 *प्रतिशत* (19 छात्र) ने खराब/औसत ग्रेड दिया, जिसका कारण परिसर का रासायनिक और फार्मा उद्योग के केंद्र में स्थित होना बताया गया, जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सांस लेने में समस्या, त्वचा रोग, वायु प्रदूषण, दुर्गंध, बाल झड़ना, आंखों की समस्या आदि होने की संभावना है, साथ ही परिसर में चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी है।

- 67 *प्रतिशत* (18 छात्र) उत्तरदाताओं का मानना है कि भवन का बुनियादी ढांचा छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है।

- पुस्तकालय सुविधा के संबंध में, 67 *प्रतिशत* (17 छात्र) उत्तरदाताओं ने सुविधा को खराब/औसत बताया तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति तथा पाठ्यक्रम, पत्रिका/समाचार पत्रों आदि के अनुसार पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण पुस्तकालय के नियमित रूप से न खुलने की बात कही।

- 81 *प्रतिशत* (22 छात्र) और 60 *प्रतिशत* (12 छात्र) उत्तरदाताओं ने क्रमशः स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता के संबंध में खराब/औसत ग्रेड दिया एवं बताया कि संस्थान छात्रावास, कैंटीन और पुस्तकालय में स्वच्छता बनाए नहीं रखता है। कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता को 44 प्रतिशत छात्रों द्वारा खराब या औसत बताया गया।

प्रबंधन ने उत्तर में (जनवरी 2023) कहा कि नए परिसर की स्थापना में समय लगता है, और प्रत्येक वर्ष परिसर में उत्तरोत्तर सुधार होगा। प्रबंधन ने सर्वेक्षण से कुछ सकारात्मक निष्कर्ष भी निकाले हैं (छात्रों द्वारा औसत और उससे ऊपर की ग्रेडिंग) जो नीचे दिए गए हैं:

सर्वेक्षण बिंदु	औसत और उससे ऊपर ग्रेडिंग
शैक्षणिक गतिविधि	74 %
पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मुद्दा	70 %
सुरक्षा	52 %
स्वच्छता	89 %
भोजन की गुणवत्ता	81 %
पुस्तकालय की गुणवत्ता	70 %

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति जताते हुए आगे कहा (मार्च 2023) कि एफडीडीआई को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करें।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि चूंकि एफडीडीआई एक 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' है, इसलिए छात्रों द्वारा औसत ग्रेडिंग की स्वीकृति एफडीडीआई, अंकलेश्वर परिसर के लिए एक बेंचमार्क नहीं हो सकती है। तथ्य यह है कि कुल मिलाकर, 66 *प्रतिशत* उत्तरदाता एफडीडीआई, अंकलेश्वर में उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं से संतुष्ट (खराब/औसत) नहीं थे जो संस्थान के खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। इसके अलावा, स्थापना के पांच साल बाद भी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में शून्य नामांकन के साथ नामांकन के मामले में संस्थान के प्रदर्शन में गिरावट का रुझान यह दर्शाता है कि एफडीडीआई, अंकलेश्वर में उत्तरोत्तर सुधार नहीं हो रहा है।

4.6 निष्कर्ष

प्रबंधन ने 2013-14 में स्वीकृत अंकलेश्वर में एफडीडीआई के नए परिसर की स्थापना से पहले विस्तृत व्यवहार्यता विश्लेषण नहीं किया जबकि वर्ष 2013-14 में मौजूदा आठ परिसरों में नामांकन में कमी थी। इसके अलावा, एफडीडीआई, नोएडा के मुख्यालय द्वारा तैयार (जनवरी 2014) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में चमड़ा उद्योग और कारीगरों के अस्तित्व को देखते हुए नए परिसर की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया था और तदनुसार राजकोट और गांधीनगर को केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया था। फिर भी, एफडीडीआई परिसर अंकलेश्वर में स्थापित किया गया था, जहां पारंपरिक या आधुनिक फुटवियर उद्योगों की मजबूत उपस्थिति नहीं थी।

इसके अलावा, पिछले सात शैक्षणिक वर्षों के दौरान, प्रचारात्मक और प्रचार गतिविधियों में कमी, संकायों/कर्मचारियों की अपर्याप्त नियुक्ति, कार्यकारी निदेशक की गैर नियुक्ति इत्यादि के कारण 825 सीटों की उपलब्धता के सापेक्ष केवल 94 छात्रों ने अंकलेश्वर परिसर में प्रवेश लिया और कौशल भारत कार्यक्रम के साथ सहयोग के लिए एफडीडीआई की शासी परिषद की मंजूरी के बाद भी, बहुत कम उम्मीदवारों को अल्पकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। परिणामस्वरूप, अंकलेश्वर परिसर में 800-1,000 छात्रों को समायोजित करने के लिए ₹101.48 करोड़ मूल्य के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया।

अनुशंसाएँ:

1. एफडीडीआई भविष्य में नया परिसर स्थापित करने से पहले स्थानीय उद्योग और परंपराओं की उपस्थिति, बाजार की मांग, स्थान की उपयुक्तता, मौजूदा परिसरों में नामांकन आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए विस्तृत व्यवहार्यता विश्लेषण कर सकता है।

2. अंकलेश्वर में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा, एफडीडीआई के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित किया जा सकता है और सुपरिभाषित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ अलग-अलग शैक्षणिक और प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए अंकलेश्वर परिसर के लिए एक समर्पित प्रवेश प्रचार टीम और रणनीतिक योजना बनाई जा सकती है।

3. *अंकलेश्वर परिसर के बुनियादी ढांचे की स्थिरता और इष्टतम उपयोग के लिए नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा अल्पकालिक कार्यक्रमों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, उद्योग विशिष्ट कार्यक्रमों आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एफडीडीआई अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए परिसर के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की संभावना का भी मूल्यांकन कर सकता है।*

अध्याय V: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

5.1 विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण का कामकाज

5.1.1 परिचय

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईइपीएफए/ प्राधिकरण) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(5) के प्रावधानों के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के प्रशासन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। इस निधि की स्थापना अधिनियम की धारा 125(1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने तथा अधिनियम की धारा 125(2) एवं 124(6) के प्रावधानों के अनुसार निधि में हस्तांतरित किए गए दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर एवं शेयरों के संबंध में निवेशकों को धन वापसी करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ की गई थी। 31 मार्च 2023 तक, निधि में कुल ₹5,714.51 करोड़ की राशि थी।

अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसार, ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा। कंपनियों द्वारा प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने हेतु, प्राधिकरण द्वारा डिपॉजिटरी *अर्थात* नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ दो डीमैटेरियलाइज्ड (डीमैट) खाते खोले गए थे। 31 मार्च 2023 तक, 1,185 कंपनियों से संबंधित कुल ₹12,092.35 लाख शेयर प्राधिकरण के पास थे।

आईइपीएफए (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन तथा कार्यालयों एवं अधिकारियों के लिए प्रावधान) नियम, 2016 के अनुसार, प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, छह सदस्य एवं एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित होंगे। सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्राधिकरण के *पदेन* अध्यक्ष हैं। प्राधिकरण में दिनांक 31 मार्च 2023 तक, स्वीकृत संख्या 29 के प्रति पदस्थ व्यक्तियों की संख्या 11 थी।

5.1.2 दावा निपटान प्रक्रिया

आईइपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 के नियम 7 में दावा न की गई राशि की वापसी एवं दावा न किए गए शेयरों की निवेशकों को वापसी की प्रकिया बताई गई है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि से दावेदारों को धन वापसी की ऑनलाइन प्रक्रिया में मूलतः निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं:

(i) कोई व्यक्ति फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके शेयरों का दावा कर सकता है या धन वापसी हेतु आवेदन कर सकता है। फिर इसे कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा।

(ii) कंपनी 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण को सत्यापन रिपोर्ट भेजेगी।

(iii) सत्यापन के पश्चात, प्राधिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार दावा की गई राशि के लिए ई-भुगतान हेतु वेतन एवं लेखा कार्यालय को एक बिल प्रस्तुत करेगा। दावा किए गए शेयरों के संबंध में, प्राधिकरण एक धन वापसी संस्वीकृति आदेश जारी करेगा एवं शेयरों को दावेदार के डीमैट खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण 60 दिनों के भीतर दावे का निपटान करेगा।

31 मार्च 2023 तक आईइपीएफए ने 37,060 दावों को मंज़ूरी दी है। इनमें से मात्र 1,433 दावे (3.87 *प्रतिशत*) ही 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निपटाए गए। 7,420 दावों (20.02 *प्रतिशत*) का निपटारा 180 दिनों के विलंब से एवं शेष 28,207 दावों (76.11 *प्रतिशत*) का निपटारा 180 दिनों से अधिक के विलंब से किया गया है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2023 तक अस्वीकृत किए गए 56,689 दावों में से लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 37,199 मामलों (65.62 *प्रतिशत*) के आंकड़ों में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था, एवं शेष 19,490 मामलों (34.38 *प्रतिशत*) को संबंधित कंपनी द्वारा भेजी गई अस्वीकृति सत्यापन रिपोर्ट, दावा आवेदन में देखी गई विसंगतियों एवं अनुलिपि (डुप्लिकेट) दावों को दाखिल करने इत्यादि के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।

5.1.3 दावा न की गई राशि एवं शेयरों की वापसी

31 मार्च 2023 तक प्राधिकरण द्वारा वापस की गई दावा न की गई राशि**,** निवेशकों को लौटाए गए शेयर एवं निपटाए गए दावा आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है**:**

तालिका 5.1: आईइपीएफए द्वारा दावा न की गई राशि एवं शेयरों की वापसी

दावा न की गई राशियों की वापसी	
31 मार्च 2023 तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कुल राशि	₹ 5,714.51 करोड़
प्राधिकरण द्वारा 2016-17 से 2022-23 तक वापस की गई राशि	₹ 39.20 करोड़ (0.68 *प्रतिशत*)
निवेशकों को शेयरों की वापसी	
31 मार्च 2023 तक प्राधिकरण के पास दावा न किए गए शेयरों की कुल संख्या	12,092.35 लाख
2016-17 से 2022-23 के दौरान निवेशकों को लौटाए गए शेयरों की संख्या	238.83 लाख (1.93 *प्रतिशत*)
दावा आवेदनों का निपटान	
1 अप्रैल 2022 तक लंबित आवेदनों की कुल संख्या	16,418
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या[33]	37,920
आवेदनों की संख्या जिनमें धन वापसी की स्वीकृति दी गई	10,967
अस्वीकृत/ बंद आवेदनों की संख्या	34,617
31 मार्च 2023 तक निपटान हेतु लंबित आवेदनों की संख्या	17,236

(स्रोत: आईइपीएफए की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23)

31 मार्च 2023 तक 17,236 दावा आवेदन कंपनियों/ दावेदारों से स्पष्टीकरण/ संशोधित दस्तावेजों एवं प्रतिवेदनों के अभाव में प्राधिकरण द्वारा निपटारे हेतु लंबित थे।

5.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा का केन्द्र बिन्दु प्राधिकरण द्वारा दावों की वापसी के तंत्र की प्रभावकारिता एवं निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों की प्रभावशीलता पर था।

5.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.5.1 बंद हो चुकी कंपनियों हेतु दावा निपटान तंत्र का अभाव

आईइपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर, दावा न किए गए लाभांश आदि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित कर दिए गए हैं, वह प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन

[33] *यह उन दावों की संख्या को दर्शाता है जहां वर्ष के दौरान संबंधित कंपनी से आईइपीएफए द्वारा ई-सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की गई है। एक दावे के लिए, एक से अधिक ई-सत्यापन रिपोर्ट समय के विभिन्न अंतराल पर एवं विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्राप्त की जा सकती है।*

आवेदन प्रस्तुत कर शेयरों का दावा कर सकता है या दावा न की गई राशि की वापसी हेतु आवेदन कर सकता है, जैसा मामला हो। दावे के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बंद हो चुकी कंपनियों के संबंध में धन वापसी के लिए कोई तंत्र नहीं था क्योंकि ऐसी कंपनियों से सत्यापन संभव नहीं था। इस प्रकार के तंत्र की अनुपस्थिति में, कंपनियों द्वारा बंद होने से पूर्व हस्तांतरित किए गए शेयर अथवा दावा न किए गए लाभांश का निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया जा सका।

प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का संज्ञान लेते हुए यह कहा (जुलाई 2023) कि आईइपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 में बंद कंपनियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये मामलों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

प्राधिकरण ने आगे बताया (जुलाई 2024) कि बंद हो चुकी कंपनियों के शेयरों का मूल्य शून्य हो गया एवं लाभांश राशि का निपटान नहीं हुआ। इसलिए, बंद हो चुकी कंपनियों के दावों के निपटान के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी। 31 मार्च 2023 तक आईइपीएफए के पास बंद हो चुकी कंपनियों की लाभांश राशि ₹4.30 करोड़ थी।

अनुशंसा क्रं. 1

प्राधिकरण बंद हो चुकी कम्पनियों के संबंध में दावों के सत्यापन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करे, जिससे ऐसी कम्पनियों के निवेशक भी अपनी दावा न की गई राशियों/ शेयरों का दावा करने में सक्षम हो सकें।

5.1.5.2 जनसंचार/जागरूकता अभियान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(3) के अनुसार, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक पिछले छह वर्षों के दौरान निवेशकों की जागरूकता पर प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 5.2: निवेशक जागरूकता पर आईइपीएफए द्वारा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2017-18	14.85
2018-19	16.99
2019-20	11.09
2020-21	6.37
2021-22	10.47
2022-23	8.46

(स्रोत: आईइपीएफए की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23)

प्राधिकरण मुख्य रूप से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम[34] आयोजित कर रहा था।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान, प्राधिकरण ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (₹1.72 करोड़), सामान्य सेवा केंद्रों (₹2.82 करोड़) एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹2.00 करोड़) को कुल ₹6.54 करोड़ का भुगतान किया। इस अवधि के दौरान, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एवं सामान्य सेवा केंद्रों ने क्रमशः 7,327 एवं 15,000 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 150 ब्लॉक स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। इन निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों में लगभग 10.96 लाख नागरिक शामिल हुए।

निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकार करते हुए, लेखापरीक्षा का यह विचार है कि प्राधिकरण द्वारा आयोजित निवेशक जागरूकता

---

[34] *आईइपीएफए ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, सामान्य सेवा केंद्र एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ विभिन्न समझौते किए हैं। कार्यक्रमों के संचालन के लिए कार्यान्वयन रणनीति संबंधित समझौतों में बताई गई है। आईइपीएफए एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मध्य समझौता 16 जनवरी 2020 से प्रभावी था एवं यह पांच साल के लिए वैध था। सामान्य सेवा केंद्र के साथ 12 सितंबर 2018 को तीन साल की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ 16 अक्टूबर 2019 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे एवं किसी भी पार्टी द्वारा समाप्त होने तक जारी रहेंगे।*

कार्यक्रम भारत में निवेशकों की विशाल जनसंख्या को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर जन जागरूकता हेतु, डिजिटल मीडिया/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/ सोशल मीडिया, भारी मात्रा में एसएमएस, सिनेमा एवं बाहरी विज्ञापन भी आवश्यक थे, लेकिन प्राधिकरण द्वारा निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया।

प्राधिकरण ने यह कहा (जुलाई 2023) कि नीति के अनुसार कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रत्येक निवेशक जागरूकता कार्यक्रम में केवल 100 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति थी। प्राधिकरण का दिल्ली में मात्र एक ही कार्यालय था। यद्यपि, इसने शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से देश भर में निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग किया। प्राधिकरण ने आगे कहा कि इसने वर्ष 2019-20 के दौरान तीन भारी संख्या में एसएमएस अभियान सफलतापूर्वक चलाए, जो देश भर में चार करोड़ से अधिक हितधारकों तक पहुँचे। हालाँकि, बाह्य अभियान, विज्ञापन अभियान, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन विज्ञापनों हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है एवं प्राधिकरण (आईइपीएफए) द्वारा पिछले अनुरोधों पर अनुमोदन नहीं दिया गया था। इस बाधा के बावजूद, प्राधिकरण निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वर्ष 2016-17 में अपने गठन से मार्च 2023 तक, प्राधिकरण ने ₹39.20 करोड़ की दावा न की गई राशि वापस की है, जो 31 मार्च 2023 तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पड़े कुल शेष ₹5,714.51 करोड़ का केवल 0.68 *प्रतिशत* है। इसी प्रकार, प्राधिकरण ने इस अवधि के दौरान दावेदारों को 238.83 लाख शेयर लौटाए, जो 31 मार्च 2023 तक प्राधिकरण के पास पड़े कुल 12,092.35 लाख दावा न किए गए शेयरों का केवल 1.93 *प्रतिशत* है। यह दर्शाता है कि प्राधिकरण द्वारा आयोजित निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों ने पर्याप्त पहुंच एवं जनसंख्या कवरेज को सुनिश्चित नहीं किया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने यह कहा (अक्टूबर 2023) कि डिजिटल मीडिया/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/ सोशल मीडिया, भारी संख्या में एसएमएस, सिनेमा एवं बाह्य विज्ञापनों के माध्यम से निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में लेखापरीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है।

अनुशंसा क्रं. 2

प्राधिकरण पर्याप्त कवरेज के साथ प्रभावी आउटरीच गतिविधियाँ सुनिश्चित करे। निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मीडिया/ सोशल मीडिया, भारी संख्या में (बल्क) एसएमएस, सिनेमा, आउटडोर विज्ञापनों पर विचार करे।

5.1.5.3 मोबाइल एप्लीकेशन के विकास पर निष्फल व्यय

29 अगस्त 2019 को आयोजित प्राधिकरण की छठी बैठक में, ₹50 लाख के अनुमानित बजट के साथ मोबाइल लर्निंग एप्लिकेशन (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एवं मोबाइल एप्लिकेशन सहित) के विकास को नागरिकों को मोबाइल टेलीफोन का उपयोग करके प्राधिकरण की सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। प्राधिकरण ने मोबाइल एप्लिकेशन बिल्ड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) का चयन किया (मार्च 2020) एवं ₹72.52 लाख (करों एवं अन्य स्वीकार्य खर्चों को छोड़कर) की अनुमानित लागत के साथ एनआईएसजी को एक कार्य आदेश जारी किया (अगस्त 2020), जो पांच किस्तों में देय था।

मोबाइल एप्लीकेशन निर्माण परियोजना के लिए प्राधिकरण एवं एनआईएसजी के मध्य हुए समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उनकी भागीदारी प्रभावी तिथि[35] से शुरू होकर 20 महीने की अवधि के लिए होगी। इन 20 महीनों में परियोजना कार्यान्वयन के 32 सप्ताह एवं एनआईएसजी द्वारा कार्यान्वयन के बाद के 52 सप्ताह सम्मिलित थे। परियोजना में तीन प्रमुख मील के पत्थर शामिल थे जिन्हें प्रभावी तिथि के 32 सप्ताह के भीतर प्राप्त किया जाना था, *अर्थात* मोबाइल एप्लीकेशन का बीटा रिलीज़, गो लाइव (चरण-I) एवं गो-लाइव (चरण-II)। मोबाइल एप्लीकेशन को एनआईएसजी द्वारा गूगल प्ले स्टोर एवं आईओएस ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाना था।

प्राधिकरण ने 6 मई 2022 तक पहली तीन किस्तों के लिए कुल ₹40.32 लाख की राशि जारी की।

---

[35] *प्राधिकरण एवं एनआईएसजी के मध्य हस्ताक्षरित समझौते में प्रभावी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था।*

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि:

(i) मार्च 2021 में 'गो लाइव फेज-I' की उपलब्धि प्राप्ति के पश्चात, मोबाइल एप्लिकेशन 25 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया। यद्यपि, लेखापरीक्षा[36] द्वारा इसे गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं पाया गया।

(ii) प्राधिकरण एवं एनआईएसजी के बीच समझौते में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार, मोबाइल एप्लीकेशन निर्माण परियोजना (गो-लाइव चरण-II) को प्रभावी तिथि से 32 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना था। कार्य आदेश की तिथि (अर्थात 5 अगस्त 2020) को प्रभावी तिथि मानते हुए (क्योंकि समझौते में कोई प्रभावी तिथि नहीं बताई गई थी), परियोजना को 17 मार्च 2021 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, यह जुलाई 2024 तक भी पूरा नहीं हुआ, जो तीन वर्ष से अधिक के विलंब को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण विलंब के लिए एनआईएसजी पर कोई जुर्माना नहीं लगा सका क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के विकास में विलंब के लिए समझौते में कोई जुर्माना उपनियम सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्राधिकरण ने कहा (जुलाई 2023) कि मोबाइल एप्लिकेशन का एंड्रॉइड संस्करण आधिकारिक तौर पर 25 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था एवं यह उसी दिन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया, जबकि एप्पल ऐप स्टोर का आईओएस संस्करण 16 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण एनआईएसजी के साथ बैठकों एवं चर्चाओं के बाधित होने के कारण मोबाइल एप्लिकेशन में विलंब का अनुभव हुआ, जिसने सामान्य कार्यप्रवाह एवं सहयोग को बाधित कर दिया। इसके अलावा, एनआईएसजी को बार-बार अनुस्मारक प्रदान करनें के बावजूद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार न होने एवं मूल रूप से परिकल्पित अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना गो-लाइव चरण-II में आगे बढ़ने में मोबाइल एप्लिकेशन की अक्षमता के कारण, आईइपीएफए मील के पत्थर के लिए एनआईएसजी को भुगतान जारी करने में असमर्थ था। निधियों की अनुपलब्धता ने एनआईएसजी को मोबाइल एप्लिकेशन से अपना तकनीकी समर्थन वापस लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2023 में इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई। इस स्थिति को सुधारने के महत्व को स्वीकार करते हुए, मोबाइल एप्लिकेशन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए संभावित समाधानों का पता लगाने के

[36] ***लेखापरीक्षा के समय आईओएस ऐप स्टोर में मोबाइल एप्लिकेशन की उपलब्धता की जांच नहीं की गई थी।***

लिए एनआईएसजी के साथ चर्चा की गई। प्राधिकरण ने आगे कहा कि समझौते में जुर्माना उपनियम के संबंध में लेखापरीक्षा के सुझाव को भविष्य के अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्राधिकरण द्वारा बताए गए तथ्यों को दोहराते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि प्राधिकरण इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत कर रहा है एवं प्रगति की जानकारी लेखापरीक्षा को दे दी जाएगी। मंत्रालय ने आगे यह कहा कि समझौते में जुर्माना उपनियम को सम्मिलित करने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी चिंताओं को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

प्राधिकरण ने आगे यह बताया (जुलाई 2024) कि एनआईएसजी ने इसे पुनः आरंभ करने हेतु ₹23.41 लाख की अतिरिक्त राशि का अनुरोध किया, जोकि समझौते के दायरे से बाहर था। अनुरोध सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन था।

इस प्रकार, मोबाइल एप्लिकेशन के विकास पर प्राधिकरण द्वारा ₹40.32 लाख व्यय करने के पश्चात भी, अपेक्षित परिणाम प्राप्त होना शेष है एवं मोबाइल एप्लिकेशन आज तक (जुलाई 2024) गूगल प्ले स्टोर के साथ-साथ आईओएस ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है।

अनुशंसा क्रं. 3

प्राधिकरण मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ दृढ़तापूर्वक आगे बढ़े। पूरा होने में विलंब के लिए जुर्माना लगाने पर भी प्राधिकरण विचार करे।

5.1.5.4 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निगरानी

आईईपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 5(1) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के खंड (ए) से (एन) के प्रावधान के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कंपनियों द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि कोष में जमा होने के लिए ऐसी राशियों के देय होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रेषित की जानी थी। इसके अलावा, नियम 8(3) के अनुसार, प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष के अंत के साठ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसमें उन कंपनियों का ब्योरा देना था, जो देय राशि को कोष में स्थानांतरित करने में विफल रही हैं। इसके अलावा, उक्त नियमों के नियम 8(4) के अनुसार, प्राधिकरण को अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत

करनी थी, जिसमें उन कंपनियों का ब्योरा देना था, जो दावा न की गई राशि की पहचान के संबंध में नियम[37] 5(8) में संदर्भित सूचना दाखिल करने में विफल रही हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईईपीएफए ने इन रिपोर्टों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया है। इन रिपोर्टों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कंपनियों ने प्राधिकरण को सभी देय राशि हस्तांतरित कर दी है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी और पर्यवेक्षण पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2023) कि आईईपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के अंतर्गत मंत्रालय को रिपोर्ट तब भेजी जाती है जब कुछ अननुपालन प्राधिकरण के ध्यान में आता है।

प्राधिकरण के उत्तर को दोहराते हुए मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई टिप्पणी को विधिवत नोट कर लिया गया है।

प्राधिकरण ने आगे बताया (जुलाई 2024) कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए आईईपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 8(3) और 8(4) के अंतर्गत रिपोर्ट 20 जून 2024 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को भेजी गई थीं।

अनुशंसा क्रं. 4

प्राधिकरण मंत्रालय को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियमावली, 2016 का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करे।

---

[37] नियम 5(8) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी वार्षिक आम बैठक के आयोजन के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर या जिस तारीख को अधिनियम की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी, जो भी पहले हो और उसके बाद हर साल सात साल की अवधि पूरी होने तक, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख को अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट दावा न की गई रकम की पहचान करेगी, जिसका लेखा अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (1) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में अपनाया जाना है, अलग से अपनी वेबसाइट पर और प्राधिकरण की वेबसाइट या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वेबसाइट पर पिछले सात वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए दावा न की गई और न चुकाई गई रकम का विवरण या सूचना फॉर्म संख्या आईईपीएफ 2 के माध्यम से अलग से प्रस्तुत और अपलोड करेगी, जिसमें निम्न जानकारी होगी, अर्थात:- (क) राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के नाम और अंतिम ज्ञात पते; (ख) राशि की प्रकृति; (ग) वह राशि जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति हकदार है; (घ) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने की नियत तिथि; और (ई) ऐसी अन्य जानकारी जो आवश्यक समझी जाए।

5.1.6 निष्कर्ष

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(5) के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना और अधिनियम की धारा 125(2) और 124(6) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए गए दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर और शेयरों के संबंध में निवेशकों को धन वापसी कराना है। वर्ष 2016-17 में अपने गठन के बाद से मार्च 2023 तक, निवेशकों से प्राप्त दावों को प्रसंस्कृत करने के पश्चात, प्राधिकरण ने ₹39.20 करोड़ की दावा न की गई राशि वापस की है, जो 31 मार्च 2023 तक फंड में पड़े ₹5,714.51 करोड़ के कुल शेष का 0.68 *प्रतिशत* है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने इस अवधि के दौरान दावेदारों को 238.83 लाख शेयर वापस किए, जो 31 मार्च 2023 तक प्राधिकरण के पास पड़े कुल 12,092.35 लाख दावा न किए गए शेयरों का 1.93 *प्रतिशत* है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण से दावा न किए गए शेयरों, लाभांश आदि की वापसी प्राप्त करने के लिए निवेशकों को ऑनलाइन दावा दायर करना आवश्यक था, जिसका सत्यापन संबंधित कंपनी द्वारा किया जाना था। हालांकि, बंद हो चुकी कंपनियों के मामले में वापसी के लिए कोई तंत्र नहीं था क्योंकि ऐसी कंपनियों से सत्यापन संभव नहीं था। ऐसी व्यवस्था के अभाव में, कंपनियों द्वारा बंद होने से पहले हस्तांतरित किए गए शेयरों या दावा न किए गए लाभांश का निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया जा सका।

निवेशक जागरूकता कार्यक्रम भारत में निवेशकों की विशाल आबादी को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा, जन जागरूकता के लिए डिजिटल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस, सिनेमा और आउटडोर विज्ञापन भी आवश्यक थे, लेकिन निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण द्वारा इनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा था।

नागरिकों को मोबाइल टेलीफोनी का उपयोग करके प्राधिकरण की सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने का उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि निर्धारित समय से तीन वर्ष से अधिक के विलंब के बाद भी परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है (जुलाई 2024)।

प्राधिकरण ने आईईपीएफए (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियमावली, 2016 के नियम 8 के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को अपेक्षित रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी और पर्यवेक्षण पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

अध्याय VI: भारी उद्योग मंत्रालय

एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी

6.1 कर्मचारियों को प्रोत्साहनों का अनियमित भुगतान

एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी[38] की इकाई इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने प्रदर्शन से जुड़ी परिवर्तनीय वेतन योजना के अंतर्गत 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹59.47 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान किया, जिसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लागू किया गया था।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (अब भारी उद्योग मंत्रालय) से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भारत में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, होमोलोगेशन और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) नामक परियोजना को मंजूरी दी (जुलाई 2005)। उक्त अनुमोदन के अनुसार, एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी की स्थापना (जुलाई 2005) एनएटीआरआईपी के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी, और इसे भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करना था।

एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल का नेतृत्व भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव करते थे और उन्हें एनएटीआरआईपी के कार्यान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार था। सोसाइटी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परियोजना निदेशक (सीईओ-पीडी) की अध्यक्षता में एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई संचालित करनी थी, जिन्हें गवर्निंग काउंसिल के अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना था।

वर्ष 2007 में, एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी ने मानेसर में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक[39] केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र उत्तर का अधिग्रहण किया और इसका

[38] 1 अप्रैल 2021 से एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी को राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के साथ मिला दिया गया है।

[39] वर्ष 1966 में स्थापित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

नाम बदलकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) कर दिया। एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम 79 के अनुसार, सीईओ-पीडी ने आईसीएटी से संबंधित सामान्य प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ, जिसमें वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नियुक्ति और वेतन निर्धारण और पदोन्नति और वेतन वृद्धि सम्मिलित है, आईसीएटी के निदेशक को सौंप दी (जनवरी 2013)।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, आईसीएटी के निदेशक ने आईसीएटी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए जून 2016 में एक वेतनमान समीक्षा समिति का गठन किया। समिति की अनुशंसा पर, आईसीएटी के निदेशक की मंजूरी से सितंबर 2016 से प्रभावी एक प्रदर्शन से जुड़ी परिवर्तनीय वेतन योजना तैयार की गई थी। इस योजना में तीन घटक सम्मिलित थे, *अर्थात,* संगठनात्मक पुरस्कार प्रदर्शन[40] (प्रदर्शन लिंक्ड इंडेक्स), व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए पुरस्कार[41] (प्रदर्शन पुरस्कार सूचकांक) और निदेशक किटी पुरस्कार[42]। योजना में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि निदेशक, आईसीएटी का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होगा[43]।

वित्त मंत्रालय ने 13 जनवरी 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रस्तावित लाभों का अंतिम पैकेज, जिनके वेतनमान और भत्ते तथा सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान नहीं हैं, संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से अधिक लाभकारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, अंतिम पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा परफॉरमेंस लिंक्ड वैरिएबल पे स्कीम को मंजूरी नहीं दी गई थी, जबकि सोसाइटी की ऑफिस

---

[40] संगठनात्मक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार का भुगतान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की तुलना में संगठनात्मक राजस्व प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जाना था ।

[41] व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए पुरस्कार का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत प्रमुख परिणाम क्षेत्रों के विरुद्ध उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद दी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाना था।

[42] निदेशक किटी पुरस्कार, संगठन के प्रति असाधारण प्रदर्शन और योगदान के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है।

[43] योजना में सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित नहीं किया गया था।

प्रोसीजर हैंडबुक के अनुसार[44], इसमें उल्लिखित लाभों और भत्तों के अलावा सोसाइटी द्वारा अन्य लाभों और भत्तों की अनुमति दी जानी थी। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत लाभ वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना कर्मचारियों को दिए गए। इसके परिणामस्वरूप 2016-17 से 2021-22 तक के वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों (₹52.42 करोड़), संविदा कर्मचारियों (₹1.04 करोड़) और निदेशक, आईसीएटी (₹6.01 करोड़[45]) को ₹59.47 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

(ii) परफॉरमेंस लिंक्ड वैरिएबल पे स्कीम केवल आईसीएटी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी के मुख्यालय और सोसायटी के अन्य केंद्रों पर ऐसी कोई योजना लागू नहीं थी। इस प्रकार, सभी[46] केंद्रों के लिए कोई समान नीति नहीं थी।

(iii) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों में से एक, निदेशक किटी पुरस्कार, नियमित कर्मचारियों के अलावा संविदा कर्मचारियों और सलाहकारों को भी स्वीकार्य था। हालाँकि, संविदा कर्मचारी और सलाहकार कार्यकाल-आधारित कर्मचारी थे और उनके नियुक्ति पत्रों में एक निश्चित अवधि और पारिश्रमिक/सकल परिलब्धियाँ निर्धारित थीं। इसलिए, वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान उन्हें किया गया ₹1.04 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

इस प्रकार, वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान प्रदर्शन से जुड़ी परिवर्तनीय वेतन योजना के अंतर्गत आईसीएटी द्वारा किया गया ₹59.47 करोड़ का संपूर्ण भुगतान अनियमित था क्योंकि यह योजना एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी की शासी परिषद की मंजूरी के बिना और वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना लागू की गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में, निदेशक, आईसीएटी ने कहा (फरवरी 2023) कि एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी के पास अपने कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी और

---

44 कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लिखित लाभ और भत्ते थे - परियोजना भत्ता, मकान किराया भत्ता, बीमा कवरेज, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा भत्ता, भविष्य निधि, टेलीफोन सुविधा, पुस्तक भत्ता, रियायती भोजन/चाय/कॉफी का प्रावधान, कर्मचारी वर्दी, वर्दी रखरखाव भत्ता और चालक चालित कारें।

45 इसमें ₹2.77 करोड़ अति-प्रदर्शन प्रोत्साहन के रूप में तथा ₹3.24 करोड़ मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 150 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन के रूप में शामिल हैं।

46 ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, इंदौर और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, सिलचर ।

भत्ते की मात्रा और अनुदान तय करने की पूरी शक्तियां हैं और ऐसे मामलों को सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सीईओ-पीडी, एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी को सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी को अपनी शक्तियां सौंपने का पूरा अधिकार है। हालांकि, आगे कहा गया कि लेखापरीक्षा के कहने पर और राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड से प्राप्त 23 मार्च 2022 के आदेश के अनुसार, मार्च 2022 से आईसीएटी में प्रदर्शन लिंक्ड वेरिएबल पे स्कीम को निलंबित कर दिया गया है और एनएटीआरआईपी के सभी केंद्रों के लिए एक नई समान प्रोत्साहन नीति तैयार करने के लिए 28 जनवरी 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। आईसीएटी की प्रोत्साहन नीति में बहाली एवं संशोधन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लिखित लाभों और भत्तों के अलावा कर्मचारियों को अन्य लाभ और भत्ते केवल एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी की शासी परिषद द्वारा ही दिए जा सकते हैं। हालाँकि, प्रदर्शन से जुड़ी परिवर्तनीय वेतन योजना को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। आईसीएटी के निदेशक, जिन्हें सीईओ-पीडी की शक्तियाँ सौंपी गई थीं, को शासी परिषद के अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत उन शक्तियों का प्रयोग करना था। इसलिए, प्रदर्शन से जुड़ी परिवर्तनीय वेतन योजना को शासी परिषद की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, चूंकि आईसीएटी एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी की एक इकाई है जो कि भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 13 जनवरी 2017 का कार्यालय ज्ञापन आईसीएटी पर भी लागू था और इसलिए योजना के तहत लाभ वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ही दिया जाना चाहिए था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2023) कि उसने लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं और कमियों को गंभीरता से लिया है और अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की गई है और अनियमितताओं में सम्मिलित आईसीएटी के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आईसीएटी की परफॉरमेंस लिंक्ड वैरिएबल पे स्कीम को 23 मार्च 2022 से निलंबित कर दिया गया है।

अध्याय VII: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत ग्यारह स्वायत्त निकाय

7.1 मासिक चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ग्यारह स्वायत्त निकायों ने जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक अपने कर्मचारियों को ₹10.79 करोड़ की राशि के मासिक चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान किया, भले ही उक्त भत्ता 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्तों में सम्मिलित नहीं था।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 11 जुलाई 2017 और 26 जुलाई 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा कि:

- क्वासी गवर्नमेंट संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों जो केंद्र सरकार द्वारा गठित एवं वित्तपोषित/नियंत्रित है, के कर्मचारियों के मामले में वर्तमान में स्वीकार्य ऐसे मौजूदा भत्ते, जो बिल्कुल केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार हैं, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्तों की संशोधित दरों के संबंध में 6 जुलाई 2017 के संकल्प में निहित निर्णय के अनुसार संशोधित किए जा सकते हैं।
- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में जिन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें जुलाई 2017 माह के वेतन से बंद कर दिया जाएगा।
- यदि किसी मौजूदा भत्ते को जारी रखने की कोई मांग या आवश्यकता है, जिस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उसे वित्त मंत्रालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय द्वारा पुनः अधिसूचित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कार्यालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों को उपरोक्त निर्देशों के अनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित भत्ते की संशोधित दरों को लागू करने का निर्देश दिया (14 मई 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 18 स्वायत्त निकायों में से 11 ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन

के बाद भी अपने कर्मचारियों को मासिक चिकित्सा भत्ता देना जारी रखा, जबकि उक्त भत्ता आयोग की रिपोर्ट में जारी रखने के लिए अनुशंसित भत्तों में सम्मिलित नहीं था। इन स्वायत्त निकायों द्वारा मासिक चिकित्सा भत्ता उनके कार्मिक नीति मैनुअल (01 जनवरी 1994 से लागू) के प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा था, जिसमें कर्मचारियों (जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे से बाहर हैं) को बाह्य रोगी उपचार के लिए वर्ष की 1 जनवरी को एक माह के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 50 *प्रतिशत* की दर से प्रति वर्ष[47] चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान था।

जुलाई 2017 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, 11 स्वायत्त निकायों[48] ने अपने कर्मचारियों को ₹10.79 करोड़ की राशि का मासिक चिकित्सा भत्ता दिया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7.1: 11 स्वायत्त निकायों द्वारा दिया गया मासिक चिकित्सा भत्ता जुलाई 2017 से मार्च 2024 के दौरान

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़)
1.	केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर	2.04
2.	इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर	1.59
3.	इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद	1.93
4.	इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद	0.47
5.	केंद्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान, हैदराबाद	0.36
6.	विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान, महाराष्ट्र	1.76
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र, रामनगर	0.61
8.	प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र, आगरा	1.12
9.	केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा	0.30
10.	केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	0.18
11.	कांच उद्योग विकास केंद्र, फिरोजाबाद	0.43
कुल		**10.79**

[47] *इस प्रकार गणना की गई प्रति वर्ष राशि को 12 से विभाजित करके मासिक राशि प्राप्त की जाती है, जिसका भुगतान कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ किया जाता है।*

[48] *विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में शेष सात स्वायत्त निकायों ने जुलाई 2017 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान मासिक चिकित्सा भत्ते का कोई भुगतान नहीं किया।*

7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा मासिक चिकित्सा भत्ते की संस्तुति नहीं की गई थी, इसलिए इसे 1 जुलाई 2017 से इसे बंद किया जाना आवश्यक था। यदि मांग या आवश्यकता के कारण इसे जारी रखना था, तो वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा इसे पुनः अधिसूचित किया जाना चाहिए था। हालाँकि, रिकॉर्ड में ऐसी कोई स्वीकृति या पुनः अधिसूचना नहीं पाई गई। यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 11 जुलाई 2017 और 26 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापनों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप ₹10.79 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने कहा (मार्च 2024) कि उसके नियंत्रण में स्वायत्त निकाय ओपीडी उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति दावे के आधार पर करते थे। इस पद्धति से प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्य पड़ता था और स्वायत्त निकायों के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य उत्पन्न होता था। इसलिए, स्वायत्त निकायों ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के बदले में एक वस्तुनिष्ठ फार्मूले के आधार पर अपने कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता देना शुरू कर दिया। ये स्वायत्त निकाय केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं आते थे और अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में केवल यह सीमित चिकित्सा सुविधा प्रदान करते थे। आगे कहा गया कि यह भत्ता कभी भी उन भत्तों की सूची में नहीं था जिनकी किसी भी केंद्रीय वेतन आयोग ने अनुशंसा की थी। इसलिए, इस मासिक चिकित्सा भत्ते को जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय की मंज़ूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हुई।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 11 जुलाई 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा था कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में जिन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें जुलाई 2017 माह के वेतन से काट दिया जाएगा और 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत सम्मिलित न किए गए किसी मौजूदा भत्ते को जारी रखने की किसी मांग या आवश्यकता के मामले में, वित्त मंत्रालय की मंज़ूरी प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय द्वारा भत्ते को पुनः अधिसूचित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार, जुलाई 2017 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 11 स्वायत्त निकायों द्वारा किया गया ₹10.79 करोड़ का मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान अनियमित था, क्योंकि भत्ते को जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय की मंज़ूरी नहीं ली गई थी।

अध्याय VIII: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

तेल उद्योग विकास बोर्ड

8.1 आयकर और अग्रिम कर पर अधिभार के कम भुगतान पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा ने आयकर पर अधिभार की दर का कम आकलन किया और अग्रिम कर का कम भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹5.64 करोड़ की ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान हुआ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की स्थापना तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अधिनियमन के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1975 में की गई थी। ओआईडीबी विभिन्न तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज आय तथा अधिशेष निधियों के सावधि जमा रसीदों में अल्पावधि निवेश के माध्यम से अपने आंतरिक संसाधन उत्पन्न करता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, जब वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता दस हजार रुपये या उससे अधिक है, तो कर का भुगतान अग्रिम रूप से, "अग्रिम कर" के रूप में किया जाएगा। अग्रिम कर का भुगतान किस्तों में किया जाना है। अग्रिम कर की विभिन्न किस्तों के भुगतान की नियत तिथियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष की 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च[49] हैं।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित मामलों में साधारण ब्याज पर एक *प्रतिशत* प्रति माह या महीने के हिस्से की दर से ब्याज लगाया जाता है:

---

[49] *नोट: (1) 31 मार्च तक भुगतान किया गया कोई भी कर अग्रिम कर माना जाएगा।*
(2) यदि अग्रिम कर की किसी किश्त के भुगतान का अंतिम दिन वह दिन है जिस दिन बैंक बंद हों, तो करदाता को अग्रिम कर का भुगतान तत्काल अगले कार्य दिवस पर करना चाहिए।

- धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज तब लगाया जाता है जब करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है या जहां करदाता द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर[50] के 90 *प्रतिशत* से कम है।

- धारा 234सी के अंतर्गत अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए ब्याज देय है। यदि किसी किस्त में भुगतान किया गया अग्रिम कर आवश्यक राशि से कम है, तो ब्याज लगाया जाता है।

आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(क) आयकर विभाग से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत सूचना के अनुसार, ओआईडीबी ने आयकर पर ₹15.31 करोड़ का अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के मद में ₹0.61 करोड़ का कम भुगतान किया है।

(ख) अग्रिम कर का आकलन करते समय ओआईडीबी ने अग्रिम कर कम जमा किया जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी लागू हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹5.64 करोड़ (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी के अंतर्गत ₹3.59 करोड़ और धारा 234सी के अंतर्गत ₹2.05 करोड़) के ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

ओआईडीबी ने अपने उत्तर (मई 2022 और सितंबर 2022) में कहा कि:

- प्रत्येक तिमाही में अग्रिम कर की गणना के समय, ओआईडीबी द्वारा ओआईडीबी की अनुमानित आय और व्यय तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय के बारे में अनुदान प्राप्त संगठनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर गणनाएँ तैयार की जाती थीं। इस प्रकार तैयार की गई गणनाओं की जाँच ओआईडीबी की एक पेशेवर फर्म, कर सलाहकार द्वारा की गई। उनकी सहमति के आधार पर, जब भी देय हो, करों का भुगतान किया गया। कर सलाहकार ने अधिभार दर सहित गणनाओं की सत्यता की जाँच की और उसे प्रमाणित किया तथा ओआईडीबी को कर जमा करने की सलाह दी।

---

[50] ***मूल्यांकित कर का अर्थ धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारित कर की राशि है और जहां नियमित मूल्यांकन किया जाता है, ऐसे नियमित मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारित कुल आय पर कर, जिसमें स्रोत पर कटौती/संग्रहित कर, धारा 89/90/90ए/91 जैसी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दावा किए गए कर की राहत/कटौती और धारा 115जेएए/115जेडी के अंतर्गत दावा किए गए कर क्रेडिट को घटा दिया जाता है।***

- ओआईडीबी ने आगे कहा कि ₹5.64 करोड़ का ब्याज न केवल कम दर पर अधिभार लगाने के कारण उत्पन्न हुआ, बल्कि अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों[51] द्वारा अनुदान की कम निकासी के कारण भी उत्पन्न हुआ, जो ओआईडीबी के नियंत्रण से बाहर है। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन ने पहली तीन तिमाहियों तक उन्होंने पुष्टि की कि वे आवंटित बजट का पूरा उपयोग करेंगे। सूचना के आधार पर, ओआईडीबी की कर देयता शून्य मानी गई थी। हालांकि, चौथी तिमाही में उन्होंने अनुदान की अपनी मांगों को काफी हद तक कम कर दिया, जिसके कारण अग्रिम कर के भुगतान में कमी आई और परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान भी कम हुआ।
- ओआईडीबी अपनी पूरी गतिविधियों जैसे ऋण और अनुदान, वित्त और लेखा आदि का प्रबंधन सीमित मानव संसाधनों के साथ कर रहा है, जिसमें कराधान विशेषज्ञ सम्मिलित नहीं हैं। ओआईडीबी ने कहा कि धन के इस प्रकार लाभप्रद रूप से परिनियोजन के कारण, उल्लिखित प्रभाव कम है।

ओआईडीबी के पहले के उत्तर को दोहराने के अलावा, मंत्रालय ने अपने उत्तर (30 अक्टूबर 2023) में भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानकारी दी है :

- अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को सलाह दी गई है कि वे अनुदान के उपयोग का सटीक अनुमान उपलब्ध कराएं तथा अपने द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुदान में अंतिम समय में कटौती से बचें, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में अग्रिम कर देयता और उस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।
- अग्रिम कर की गणना/भुगतान के समय, लागू कर स्लैब, अधिभार दर और शिक्षा उपकर दर को अब गणना के समय लागू आयकर परिपत्र से सत्यापित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रिम कर की गणना करते समय सही दर लागू की गई है।
- ओआईडीबी द्वारा की गई अग्रिम कर गणना को ओआईडीबी के आंतरिक लेखापरीक्षक और ओआईडीबी के कर सलाहकार को देय कर भुगतान, यदि कोई हो, करने से पहले जांच के लिए भेजा जाता है।

---

[51] *हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ तथा पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संघ।*

लेखापरीक्षा ने ऐसी घटना से बचने के लिए ओआईडीबी द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया है, तथापि मंत्रालय/ओआईडीबी के उत्तर को निम्नलिखित के आलोक में देखा जा सकता है:

- ओआईडीबी के कर सलाहकार को कर देयता के आकलन और शुद्धता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सलाहकार ने उसे प्रस्तुत किए गए डेटा/सूचना के आधार पर सलाह दी और अपने परामर्श/विचार प्रदान किए। हालांकि, कर के भुगतान की अंतिम जिम्मेदारी ओआईडीबी पर है। हालांकि कार्य को आउटसोर्स किया जा सकता है, जवाबदेही नहीं।
- अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों द्वारा अनुदान के कम आहरण के संबंध में, लेखापरीक्षा का मानना है कि ओआईडीबी प्रत्येक तिमाही के दौरान अनुदान जारी करते समय अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के पास पड़े अप्रयुक्त धन के बारे में जानता था। जबकि ओआईडीबी ने अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर केवल तीन तिमाहियों तक कर देयता को शून्य मान लिया था, उसे पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय और व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए तिमाही आधार पर अग्रिम कर का आकलन करना चाहिए था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान को वित्तीय वर्ष के अंत में (19 मार्च 2020) विलंब से प्रस्तुत करने से भी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को मार्च के अंत तक धन रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- हालांकि प्रबंधन ने दावा किया है कि उसने निधियों को लाभप्रद रूप से निवेश किया था, तथापि तथ्य यह है कि ₹5.64 करोड़ का ब्याज भुगतान परिहार्य था।

इस प्रकार, आयकर पर अधिभार के गलत आकलन और अग्रिम कर के कम भुगतान के कारण, ओआईडीबी को ₹5.64 करोड़ का ब्याज देना पड़ा, जिससे बचा जा सकता था यदि ओआईडीबी ने आयकर पर अधिभार की दर का सही आकलन किया होता और अपेक्षित अग्रिम कर का समय पर भुगतान किया होता।

अध्याय IX: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण

9.1 न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए घाटशुल्क की प्राप्ति न होना

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम गारंटीकृत यातायात समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रमुख बंदरगाहों के लिए भूमि नीति, 2004, खंड संख्या 5.2.1.3 (जे) के अनुसार, यह प्रावधान है कि "यदि उचित समझा जाए तो बंदरगाह को नए पट्टों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत यातायात की शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी"। न्यूनतम गारंटीकृत थ्रूपुट[52] न्यूनतम गारंटीकृत कार्गो प्रतिबद्धता है जिसे पट्टेदार वार्षिक आधार पर बंदरगाह सुविधा से निर्यात या आयात के माध्यम से उत्पन्न करेगा।

वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण [53](बंदरगाह) ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर उर्वरकों के आयात को संभालने के लिए एक गोदाम का निर्माण करने हेतु ₹3,505 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹4.20 करोड़ के अग्रिम प्रीमियम और ₹1 प्रति वर्ष के पट्टा किराए पर 30 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक पट्टे पर 12,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की (नवंबर 2007)। आवंटन पत्र (नवंबर 2007) में यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गोदाम सुविधाओं के संचालन के पहले वर्ष में प्रति वर्ष 1,08,000 टन न्यूनतम गारंटीकृत यातायात को संभालेगा, जिसमें अगले वर्ष से प्रति वर्ष पांच *प्रतिशत* की चक्रवर्ती वृद्धि होगी। इसमें यह भी कहा गया था कि पट्टेदार प्रत्येक पट्टा वर्ष के प्रारंभ से पहले न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए घाटशुल्क के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

बंदरगाह पर उर्वरकों के आयात को संभालने के लिए एक गोदाम के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन के लिए बंदरगाह और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बीच एक पट्टा विलेख (6 जून 2008) किया गया था। हालांकि, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने पत्र (नवंबर 2008) के जरिए बंदरगाह से अनुरोध किया कि वह पंजीकरण शुल्क से बचने के लिए न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के बिना पट्टा विलेख को पंजीकृत

---

[52] न्यूनतम गारंटीकृत थ्रूपुट और न्यूनतम गारंटीकृत यातायात परस्पर परिवर्तनीय शब्द हैं।

[53] पूर्व में इसे वीओ चिदंबरनार बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था।

करे। फलस्वरूप, न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के बिना 6 जून 2008 से प्रभावी पट्टा विलेख 25 मई 2009 को पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के लिए बंदरगाह के साथ एक अलग समझौता करने का आश्वासन दिया था लेकिन इसे कभी निष्पादित नहीं किया गया। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के लिए अपनी ओर से एक विधिवत हस्ताक्षरित अलग समझौता बंदरगाह को प्रस्तुत किया (जनवरी 2009)। तथापि, बंदरगाह ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पर न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड लागू करने के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को हस्ताक्षरित समझौता भेजकर समझौते की स्वीकृति का संचार नहीं किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने बंदरगाह से कभी भी न्यूनतम गारंटीकृत यातायात कार्गो का संचालन नहीं किया। बंदरगाह ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पर 6 जून 2010 से 5 जून 2022 की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटीकृत यातायात और वास्तविक यातायात के बीच कमी की मात्रा के लिए मांग उठाई (अक्टूबर 2013 से नवंबर 2022)। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने बंदरगाह को अपने जवाबों में, (अक्टूबर 2013 से जून 2022) यह हवाला देते हुए कि बंदरगाह ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे इस प्रकार, बंदरगाह का दावा मान्य नहीं था, बंदरगाह की मांग का भुगतान करने से इनकार कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2022) कि बंदरगाह ने न तो न्यूनतम गारंटीकृत यातायात समझौते पर हस्ताक्षर किए और न ही न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए घाट शुल्क के लिए बैंक गारंटी एकत्र की। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से न्यूनतम गारंटीकृत यातायात बकाया सुनिश्चित करके राजस्व की हानि से बचने और अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में यह सक्षम नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 6 जून 2010 से 5 जून 2022 की अवधि के दौरान[54] ₹9.30 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

बंदरगाह प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि उसने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए लंबित बकाया राशि का भुगतान करने और न्यूनतम गारंटीकृत यातायात समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था (मार्च 2022), ऐसा न करने पर, बंदरगाह पट्टा विलेख में उपयुक्त

[54] *पट्टा विलेख 6 जून 2008 से प्रभावी थी। पट्टा अनुबंध के खंड 2(iii) के अनुसार, पट्टाधारक को पट्टे की तारीख से दो साल के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। इसलिए न्यूनतम गारंटीकृत यातायात संग्रहण की प्रभावी तारीख 6 जून 2010 से शुरू हुई।*

प्रासंगिक खंड के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा। प्रबंधन ने आगे कहा कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के गोदाम की बिजली और पानी की आपूर्ति को काटने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है (जून 2022)।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए (अप्रैल 2023 और अक्टूबर 2023) कहा कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग) ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए समझौते पर 6 जून 2008 की पट्टा विलेख के साथ हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात प्रतिबद्धता के लिए भी सहमति व्यक्त की थी। इसलिए, न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर वीओ चिदंबरनार बंदरगाह का विशिष्ट हस्ताक्षर आवश्यक नहीं था। इसके अलावा, बंदरगाह ने इस मुद्दे पर कानूनी राय भी प्राप्त की। मंत्रालय के उत्तर में उद्धृत एक वरिष्ठ वकील की कानूनी राय के अनुसार, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए समझौते से बंधा हुआ है और उक्त समझौता वैध है।

यघपि बंदरगाह का उत्तर आज तक (अप्रैल 2023) न्यूनतम गारंटीकृत यातायात समझौते पर हस्ताक्षर न करने की अपनी चूक पर चुप था, इसने 15 जून 2022 से राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बिजली आपूर्ति काट दी थी और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से बंदरगाह को लंबित बिजली बकाया (जून 2022 तक) का भुगतान करने का अनुरोध किया था (जुलाई 2022)। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 के साथ धारा 2 में कहा गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो ऐसे कार्य के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से, उसे प्रस्ताव देना कहा जाता है। ऐसा प्रस्ताव तब लागू होगा जब इसे दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और इसकी सूचना दी जाएगी चूंकि, दिनांक 6 जून 2008 को पट्टा समझौता न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के बिना हस्ताक्षरित किया गया था और न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए बाद में अलग समझौते (जनवरी 2009) पर हस्ताक्षर करके बंदरगाह द्वारा न तो स्वीकार किया गया था और न ही अस्वीकार किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को भारतीय संविदा अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 4 के साथ धारा 2 के अनुसार न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर कि समझौते पर बंदरगाह के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं थे, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के प्रति राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सूचना बंदरगाह द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को हस्ताक्षरित समझौता भेजकर दी जानी चाहिए थी। हस्ताक्षरित समझौते और उसके संचार की अनुपस्थिति ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड की वैधता को और न्यूनतम गारंटीकृत यातायात की कमी की मात्रा के लिए बंदरगाह के दावे को अस्वीकार करने का अवसर प्रदान किया। इसके अलावा, बंदरगाह द्वारा मांगी गई कानूनी राय के अनुसार, कानून में बकाया राशि केवल पिछले तीन वर्षों के लिए मांगी जा सकती है। तदनुसार, 6 जून 2010 से 5 जून 2020 की अवधि के लिए ₹ 4.74 करोड़ की राशि का घाटशुल्क न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के विरुद्ध वसूली योग्य (जनवरी 2024) नहीं है।

इसलिए, बंदरगाह न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर न करके और इसके लिए बैंक गारंटी एकत्र करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 6 जून 2010 से 5 जून 2022 की अवधि के लिए ₹9.30 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

अनुशंसा:

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर न करने की जिम्मेदारी तय की जाए।

अध्याय X: वस्त्र मंत्रालय

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

10.1 तदर्थ बोनस के लिए अनियमित भुगतान

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से किसी विशेष आदेश के बिना अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.41 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग हर साल समूह 'ग' और 'घ' में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह 'ख' में सभी अ-राजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता से असम्बद्ध से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) देने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी करता रहा है। वर्ष 2014-15 तक, व्यय विभाग ने अलग से कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के उपरोक्त आदेश दिए गए। हालाँकि, वर्ष 2015-16 के बाद से विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

उक्त आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), जो वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है और सरकारी अनुदान प्राप्त करता है, ने वर्ष 2014-15 तक अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया। हालाँकि, निफ्ट ने 2014-15 के बाद भी वर्ष 2021-22 तक अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान जारी रखा, जबकि व्यय विभाग द्वारा स्वायत्त निकायों द्वारा तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।

निफ्ट ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के लिए तदर्थ बोनस के रूप में ₹2.41 करोड़ की राशि वितरित की। चूंकि इस संदर्भ में व्यय विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिए ₹2.41 करोड़ का उपरोक्त भुगतान अनियमित था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि निफ्ट एक स्वायत्त निकाय है जो सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं है और अपने वित्तीय मामलों के संबंध में आत्मनिर्भर है। व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन स्वायत्त निकाय पर ही तदर्थ बोनस के भुगतान का विकल्प और निर्णय छोड़ता है जो उसकी वित्तीय स्थिति और अन्य विचारों पर निर्भर करता है।

इस प्रकार, निफ्ट यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में सरकारी कार्यालय ज्ञापन का पालन करना है या नहीं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि सरकारी कार्यालय ज्ञापन को अपनाने का विकल्प केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं किए जाने वाले स्वायत्त निकायों को दिया गया था, जबकि निफ्ट को हर साल सरकारी अनुदान[55] प्राप्त होता था और इसलिए उक्त विकल्प उसके लिए उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, कार्यालय ज्ञापन केवल वर्ष 2014-15 तक जारी किया गया था, न कि बाद के वर्षों के लिए। इसके अलावा, व्यय विभाग ने स्पष्ट किया (मई 2019) कि तदर्थ बोनस के भुगतान पर जारी किए गए बाद के आदेश (2014-15 के बाद) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू थे, न कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित/नियंत्रित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर।

इस प्रकार, व्यय विभाग के किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में, निफ्ट द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए ₹2.41 करोड़ की राशि का तदर्थ बोनस का भुगतान अनियमित था।

मार्च 2023 में यह मामला वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया और 19 जून 2023, 20 सितंबर 2023 और 13 फरवरी 2024 को मंत्रालय को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा पर उत्तर मांगने के लिए अनुस्मारक जारी किए गए। हालाँकि, मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2024)।

---

[55] ₹99.31 करोड़ (2021-22), ₹86.14 करोड़ (2020-21), ₹57.06 करोड़ (2019-20), ₹30.48 करोड़ (2018-19), ₹33.81 करोड़ (2017-18), ₹60.31 करोड़ (2016-17), ₹82.71 करोड़ (2015-16)।

अध्याय XI: पर्यटन मंत्रालय

11.1 खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना न होने के कारण धनराशि अवरुद्ध होना

गढ़मुक्तेश्वर /मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता जारी करने से पहले योजना के दिशा-निर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन करने में मंत्रालय विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 15 वर्षों से अधिक समय तक ₹2.00 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध रही और परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़ की ब्याज राशि का नुकसान हुआ।

होटल प्रबंधन संस्थानों/खाद्य शिल्प संस्थानों/यात्रा और पर्यटन संस्थानों की स्थापना/उन्नयन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य शिल्प संस्थान का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बनाई गई सोसायटी इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव के संबंध में, सहायता पर तभी विचार किया जाएगा जब संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सभी दायित्वों से मुक्त, कम से कम तीन एकड़ का विकसित भूखंड हस्तांतरित कर दिया हो और बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज का प्रावधान आदि जैसी बुनियादी सेवाएं/उपयोगिताएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हो। इसके अलावा, सहायता प्रति परियोजना ₹4.75 करोड़ की सीमा के अधीन होगी।

गढ़मुक्तेश्वर में एक खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए पर्यटन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2007)। पर्यटन मंत्रालय ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी (दिसंबर 2007) और पहली किस्त के रूप में ₹2.00 करोड़ जारी किए (दिसंबर 2007)। परियोजना को दो साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। फरवरी 2010 में, अर्थात् सैद्धांतिक मंजूरी के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, राज्य सरकार ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के सहयोग से मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए एक संशोधित प्रस्ताव भेजा। मंत्रालय ने प्रस्तावित खाद्य शिल्प संस्थान के स्थान को गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी (जून 2011) और पहले जारी की गई ₹2.00 करोड़ की प्रारंभिक क़िस्त को चयनित परियोजना के लिए केंद्रीय वितीय सहायता की पहली क़िस्त माना गया।

चूंकि मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए मंत्रालय ने राज्य सरकार से मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए जारी की गई ₹2.00 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता को ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा (दिसंबर 2013 और मई 2014)। हालांकि, राज्य सरकार ने मंत्रालय से परियोजना को गढ़मुक्तेश्वर में वापस स्थानांतरित करने का अनुरोध किया (जुलाई 2014) क्योंकि मेरठ में पहचान की गई भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। मंत्रालय ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर से राज्य सरकार से पहले जारी की गई ₹2.00 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता को ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा (सितंबर 2014)। हालांकि, मंत्रालय को कोई रिफंड नहीं मिला। सितंबर 2014 के बाद, मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक जारी राशि की वापसी के लिए राज्य सरकार के साथ प्रभावी रूप से अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

इसके बाद, राज्य सरकार ने गोरखपुर में संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा (जुलाई 2021)। गढ़मुक्तेश्वर/मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल की कमी के बावजूद, मंत्रालय ने प्रस्तावित खाद्य शिल्प संस्थान को मेरठ से गोरखपुर स्थानांतरित करने के लिए ₹4.75 करोड़[56] की केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ फिर से सैद्धांतिक मंजूरी दी (जुलाई 2021) और कहा कि मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए जारी की गई ₹2.00 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को ब्याज सहित वापस की जानी चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने समुचित जांच किए बिना ही राज्य सरकार के प्रस्तावों से बार-बार सहमति व्यक्त की, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

- गढ़मुक्तेश्वर परियोजना के लिए धनराशि जारी की, बिना यह सुनिश्चित किए कि खाद्य शिल्प संस्थान सोसाइटी का गठन हो गया है और राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी को भूमि हस्तांतरित की गई है, जो योजना के दिशा-निर्देशों[57] का उल्लंघन था। मंत्रालय ने उपरोक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किए बिना फरवरी 2010 में मेरठ और फिर जुलाई 2021 में गोरखपुर में खाद्य शिल्प संस्थान परियोजना को भी मंजूरी दे दी।

---

[56] खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए कुल ₹4.75 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जानी थी। गढ़मुक्तेश्वर में परियोजना की मंजूरी के समय मंत्रालय ने पहली किस्त के रूप में ₹2.00 करोड़ जारी किए थे और गोरखपुर में स्थानांतरण की मंजूरी देते समय राज्य सरकार से इसे वापस करने को कहा था।

[57] खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सहायता पर तभी विचार किया जाएगा जब संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सभी बाधाओं से मुक्त विकसित भूमि का टुकड़ा हस्तांतरित कर देगा।

- मंत्रालय ने गढ़मुक्तेश्वर में इंस्टीट्यूट का निर्माण न होने के कारण का पता लगाए बगैर प्रस्तावित खाद्य शिल्प संस्थान का स्थान गढ़मुक्तेश्वर से बदलकर मेरठ करने को मंजूरी दे दी।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 के नियम 209 (6) और जीएफआर 2017 के नियम 230 (16) के अनुसार, अनुदान सहायता की राशि को ब्याज सहित वापस करने के संबंध में शर्त को अनुदान स्वीकृत करने वाले पत्र में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इसके अलावा, उपरोक्त नियम के अनुसार, अनुदान सहायता की शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान की पूरी या आंशिक राशि 10 *प्रतिशत* प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, मंत्रालय ने गढ़मुक्तेश्वर /मेरठ में खाद्य शिल्प संस्थान के निर्माण के लिए धनराशि जारी करने के लिए मंजूरी पत्र में ऐसी कोई शर्त सम्मिलित नहीं की। यहां तक कि गोरखपुर में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना (जुलाई 2021) की मंजूरी में भी राज्य सरकार के साथ पिछले अनुभव के बावजूद ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2023) कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2007 में कहा था कि पर्यटन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जमीन गढ़मुक्तेश्वर के खाद्य शिल्प संस्थान के लिए गठित सोसायटी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तदनुसार, मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ब्याज सहित पूरी राशि वापस करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजे जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में कहा था कि उन्होंने जारी की गई राशि वापस कर दी है, लेकिन मंत्रालय के खाते में धनराशि जमा नहीं हुई है। इसलिए मंत्रालय ने राज्य सरकार से किए गए भुगतान के दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था।

मंत्रालय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई तथा योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सोसायटी के गठन और भूमि हस्तांतरण को सुनिश्चित किए बिना ही मंत्रालय द्वारा धनराशि जारी कर दी गई।

इस प्रकार, योजना के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप 15 वर्षों से अधिक समय तक ₹2.00 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई और परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़ (जुलाई 2023 तक) की ब्याज राशि का नुकसान हुआ। इसके अलावा, दो साल की अवधि के भीतर खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना का उद्देश्य भी हासिल नहीं किया जा सका।

11.2 राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, कोट्टायम की स्थापना के लिए जारी धनराशि को अवरुद्ध करना

परियोजना के अनुमोदन में समुचित सावधानी न बरतने तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण कोट्टायम, केरल में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए जारी ₹4.00 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई तथा इच्छित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सके।

पर्यटन मंत्रालय को (फरवरी 2012) कोट्टायम के सांसद से कोट्टायम, केरल में होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान/खाद्य शिल्प संस्थान का एक नया परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने इस मामले को केरल राज्य सरकार को (मार्च 2012) भेजा तथा प्रस्ताव पर अपने विचार बताने को कहा। राज्य सरकार ने राज्य में आतिथ्य उद्योग के तीव्र विकास तथा उद्योग में प्रशिक्षित एवं योग्य जनशक्ति की तीव्र कमी के मद्देनजर प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की (अप्रैल 2012)। मंत्रालय ने कोट्टायम में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एसआईएचएम) की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सैद्धांतिक मंजूरी दी (जुलाई 2013) बशर्ते कि राज्य सरकार प्रस्तावित संस्थान के प्रबंधन के लिए एक सोसायटी का गठन करे तथा संस्थान की स्थापना के लिए सोसायटी को भूमि हस्तांतरित करे। इसके बाद, मंत्रालय ने परियोजना के लिए ₹12 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (सितंबर 2013) दी, जो इस योजना[58] के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए अधिकतम स्वीकार्य राशि है और संस्थान की स्थापना के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन (कोट्टायम) सोसाइटी, कोट्टायम को पहली किस्त के रूप में ₹4.00 करोड़ जारी किए। परियोजना को जुलाई 2016 तक पूरा किया जाना था। स्वीकृति आदेश की शर्तें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* ये थीं:

- राज्य सरकार अनुदान से किए गए व्यय का लेखापरीक्षित विवरण, पृथक उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) के साथ, अगले वित्तीय वर्ष, जिसमें अनुदान स्वीकृत किया गया था, की 31 अगस्त तक मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

[58] *होटल प्रबंधन संस्थानों/खाद्य शिल्प संस्थानों/भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थानों/पॉलिटेक्निक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सरकारी कॉलेजों/सरकारी व्यावसायिक स्कूलों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता की योजना।*

- ➢ राज्य सरकार वर्ष के अंत में या सरकार द्वारा अपेक्षित किसी पूर्व तिथि पर, प्राप्त/प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के आंकड़ों, सारांश सहित 'उपलब्धि-सह-निष्पादन रिपोर्ट' मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नए होटल प्रबंधन संस्थान/खाद्य शिल्प संस्थान के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। हालाँकि, न तो मंत्रालय ने राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी और न ही राज्य सरकार ने मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या कोई लागत अनुमान प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने परियोजना के सटीक दायरे, उद्देश्यों और कार्यान्वयन रणनीति का पता लगाए बिना ही उसे मंजूरी दे दी।
- परियोजना की स्वीकृति के बाद से राज्य सरकार द्वारा कोई उपलब्धि-सह-प्रदर्शन रिपोर्ट, सांख्यिकी, प्राप्त किए गए /प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का सारांश प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, मंत्रालय को परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इसने परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक निरीक्षण भी नहीं किया।
- मंत्रालय ने पहली बार अगस्त 2017 में राज्य सरकार से परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र मांगा था, यानी वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी होने के करीब चार साल बाद और परियोजना के निर्धारित समापन तिथि से एक साल से अधिक समय बाद। मंत्रालय ने पांच साल के अंतराल के बाद मई 2022 में फिर से ये दस्तावेज मांगे, इसके बाद अगस्त 2022 में एक और पत्र भेजकर राज्य सरकार से 31 दिसंबर 2022 तक परियोजना पूरी करने और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करने को कहा। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बावजूद मंत्रालय ने परियोजना से हटने और सहायता वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

मई 2023 में जारी लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2023) कि:

- संस्थान की स्थापना के लिए प्राप्त वीआईपी संदर्भ में, यह आश्वासन दिया गया था कि मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी जाएगी। मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति 1 जुलाई 2013 को दी गई, जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने सूचित किया (3 जुलाई 2013) कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने का अनुरोध किया। तदनुसार, सितंबर 2013 में वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी जारी की गई।

- जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, मंत्रालय ने अगस्त 2017, मई 2022 और अगस्त 2022 में राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की है। और मंत्रालय की ओर से सभी कार्रवाई की गई। लिखित और टेलीफोन दोनों पर कई अनुस्मारक भेजे गए। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इसलिए, राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया (जुलाई 2023) कि मंत्रालय ने प्रस्ताव से हटने का फैसला किया है और अनुरोध किया है कि जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता की राशि (₹4.00 करोड़) 10 *प्रतिशत* ब्याज के साथ मंत्रालय को वापस कर दी जाए।

- केरल सरकार ने 6 अगस्त 2012 के अपने पत्र के माध्यम से वर्तमान परियोजना के दायरे और उद्देश्य का संकेत दिया था, जिसकी मंत्रालय द्वारा विस्तार से जांच भी की गई थी।

- सचिव (पर्यटन) की ओर से एक अर्ध-सरकारी पत्र भी मुख्य सचिव, केरल सरकार को इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए संबोधित किया गया था (जून 2024), जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी ₹4.00 करोड़ को 10 *प्रतिशत* ब्याज के साथ मंत्रालय को वापस करना सुनिश्चित किया गया था (जो कि राशि ₹3.80 करोड़ है)।

मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है:

- यद्यपि यह आश्वासन दिया गया था कि मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी जाएगी, लेकिन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं किया गया। मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा सोसायटी के गठन और भूमि हस्तांतरण के अधीन परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, लेकिन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं मांगी। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच के बिना परियोजना को मंजूरी दे दी गई।

- मंत्रालय के पास परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में जानकारी मांगने के मंत्रालय के अनुरोधों पर राज्य सरकार द्वारा लगातार कोई प्रतिक्रिया न दिए जाने के बावजूद, मंत्रालय ने परियोजना को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक का समय विस्तार दिया, जबकि मूल निर्धारित समापन तिथि जुलाई 2016 थी।
- राज्य सरकार द्वारा 6 अगस्त 2012 को जारी पत्र में परियोजना के व्यापक दायरे और उद्देश्य के बारे में बताया गया था, लेकिन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सका, जो परियोजना पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थी और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार होटल प्रबंधन के नए संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भी एक पूर्व-आवश्यकता थी। वास्तव में, राज्य सरकार ने उक्त पत्र में भी उल्लेख किया था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि, मंत्रालय ने रिपोर्ट प्राप्त किए बिना और उसकी जांच किए बिना ही परियोजना को मंज़ूरी दे दी।
- मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद ही (मई 2023) जारी की गई सहायता की वापसी हेतु कार्रवाई की (जुलाई 2023)।

इस प्रकार, योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने, परियोजना के अनुमोदन में समुचित तत्परता न बरतने तथा मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण ₹4.00 करोड़ (तथा उस पर लगने वाले ब्याज) की धनराशि अवरुद्ध हो गई और परिणामस्वरूप राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना के इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके।

भारतीय पाककला संस्थान

11.3 भारतीय पाककला संस्थान का कामकाज

11.3.1 परिचय

भारतीय व्यंजन समृद्ध, विविध और बहुलवादी भारतीय पर्यटक अनुभव का अभिन्न अंग हैं। व्यंजनों में अंतहीन विविधताएं धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, कृषि-जलवायु और आर्थिक अंतर को दर्शाती हैं। हालाँकि, कई भारतीय व्यंजन बढ़ते शहरीकरण और अ -भारतीय व्यंजनों के प्रभाव के कारण लुप्त हो रहे थे। समृद्ध भारतीय पहचान को बनाए रखने के लिए एक बड़े प्रयास के हिस्से के रूप में भारतीय व्यंजनों को संरक्षित और बढ़ावा देने की

आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय व्यंजनों और पाक कलाओं को समग्र रूप से समर्थन देने के लिए एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता थी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (मार्च 2014) तिरुपति में भारतीय पाककला संस्थान की स्थापना के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो एक अ-लाभकारी केंद्रीय स्वायत्त सोसायटी के रूप में होगा, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा और तत्पश्चात मंत्रालय की 'होटल प्रबंधन संस्थानों/खाद्य शिल्प संस्थानों/भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थानों/भारतीय पाककला संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पॉलिटेक्निक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सरकारी कॉलेजों/सरकारी व्यावसायिक कॉलेजों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को वित्तीय सहायता' योजना के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारतीय पाककला संस्थान, तिरुपति के लिए नोडल और प्रशासनिक मंत्रालय है।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, भारतीय पाककला संस्थान सोसायटी को पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से संचालित किया जाना था। इसके अलावा, पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में एक वित्त और कार्यकारी समिति को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और वित्त और कार्यकारी समिति की संरचना **अनुलग्नक-XIV** में दी गई है।

11.3.2 भारतीय पाककला संस्थान के उद्देश्य

संस्थान की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी:

- पाक कला से संबंधित विशिष्ट अध्ययन के संरचित नियमित कार्यक्रम और संबद्ध विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करना, तथा पाक कला और व्यंजन से संबंधित मांग आधारित प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना।
- डिग्री प्रदान करने के लिए किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना।
- पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों पर अनुसंधान और शिक्षा शास्त्र विकास को बढ़ावा देना।
- भारतीय व्यंजनों के लिए विशिष्ट डेटाबेस तैयार करना, भारतीय व्यंजनों पर अध्ययन और सर्वेक्षण कराना तथा उनके विकास पर एक विस्तृत संग्रह प्रकाशित करना।

- अपने विषय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना तथा अन्य देशों के साथ भारतीय व्यंजन शोधकर्ताओं/विशेषज्ञों की बैठक के लिए संस्थागत सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- इसमें अन्य बातों के अलावा, क्षेत्रीय व्यंजनों के स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के अध्ययन के लिए स्कूल, एक पाककला संग्रहालय और एक पेटेंट एवं कानूनी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
- अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करने की दिशा में काम करना तथा होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों को उनके व्यंजन विशेषज्ञता को उन्नत करने में सहायता करना।

11.3.3 संस्थान की स्थापना और शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रारंभ

संस्थान के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ने 22 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी पहली बैठक में तिरुपति में संस्थान के परिसर की योजना और निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसी बैठक में बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्तर भारतीय क्षेत्रीय पाककला संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी और निर्णय लिया कि एनबीसीसी नोएडा भवन का निर्माण भी उसी समय शुरू करेगी।

पर्यटन मंत्रालय ने तिरुपति में संस्थान की स्थापना के लिए संस्थान को पूंजी अनुदान के रूप में ₹44.88 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय मंज़ूरी दी (फरवरी 2015)। इसके बाद, अतिरिक्त घटकों को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप क्षेत्र में वृद्धि के कारण मंत्रालय द्वारा तिरुपति में संस्थान के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंज़ूरी को ₹97.92 करोड़ की राशि के लिए संशोधित किया गया (मार्च 2016)। इसके अलावा, मंत्रालय ने नोएडा में अपने परिसर की स्थापना के लिए संस्थान को पूंजी अनुदान के रूप में ₹98.50 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय मंज़ूरी दी (जून 2015)।

नोएडा परिसर का उद्घाटन अप्रैल 2018 में और तिरुपति परिसर का उद्घाटन सितंबर 2018 में किया गया था।

वर्ष 2016-17 के दौरान अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तिरुपति से पाक कला में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) का अपना पहला बैच शुरू किया। इसके बाद, संस्थान ने पाक कला के क्षेत्र में सहयोगी शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के

साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (अप्रैल 2018) और वर्ष 2018-19 के दौरान तिरुपति और नोएडा में संस्थान के अपने परिसरों में पाक कला में बीबीए का पहला बैच शुरू किया गया।

11.3.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2022-23 की अवधि सम्मिलित है। नोएडा परिसर के प्रबंधन (23 अगस्त 2022), पर्यटन मंत्रालय (27 सितंबर 2022) और तिरुपति परिसर के प्रबंधन (19 दिसंबर 2022) के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य समझाया गया। इसके बाद संस्थान के दोनों परिसरों और पर्यटन मंत्रालय के अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा ने दोनों परिसरों के प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया। दोनों परिसरों को लेखापरीक्षा टिप्पणियां अलग-अलग जारी की गईं और उनके जवाबों को मसौदा रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया, जिसे 29 सितंबर 2023 को मंत्रालय को जारी किया गया। मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 10 अक्टूबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित किया गया। मसौदा रिपोर्ट पर पर्यटन मंत्रालय की प्रतिक्रिया दिसम्बर 2023 में प्राप्त हुई जिसे इस रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

11.3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.3.5.1 संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियाँ

भारतीय पाककला संस्थान की स्थापना के लिए दी गई मंत्रिमण्डल की स्वीकृति (मार्च 2014) के अनुसार, संस्थान, अन्य बातों के साथ-साथ, डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा, पाककला से संबंधित संरचित नियमित अध्ययन कार्यक्रम का प्रस्ताव करेगा जिससे स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि मिल सके, पाककला एवं व्यंजनों से संबंधित मांग आधारित प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करेगा व पाककर्मी/रसोइया के शिक्षण/प्रशिक्षण के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम संचालित करेगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, संस्थान में प्रवेश राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने में विफलता

मंत्रिमण्डल की स्वीकृति (मार्च 2014) के अनुसार, संस्थान की कार्यकारी और वित्त समिति ने 27 मार्च 2014 को आयोजित अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया कि स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर कार्यक्रमों की मान्यता के लिए एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के प्रयास किए जाएँ। हालांकि, संस्थान ने बाद में (अप्रैल 2018) शैक्षणिक सहयोग के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत यह सहमति हुई कि विश्वविद्यालय और संस्थान संस्थान के केंद्रों में पाक कला में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश के माध्यम से देश में पाक शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे और ऐसे सभी कार्यक्रमों की डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के बजाय अकादमिक सहयोग में प्रवेश करने का कारण[59] अभिलेख में नहीं मिला।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित संबद्धता के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण संस्थान किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हो सका:

तालिका 11.1: विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए मानदंडों की पूर्ति की स्थिति

क्रम सं.	यूजीसी विनियमों के अनुसार आवश्यकताएँ	वास्तविक स्थिति
(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग प्रमाणपत्र	उपलब्ध प्रमाण-पत्र के अनुसार तिरुपति परिसर का भूमि उपयोग 'कृषि' था।
(ii)	यदि भूमि महानगरीय शहरों में स्थित है तो कम से कम 2 एकड़ भूमि का निर्विवाद स्वामित्व और कब्जा, तथा यदि भूमि अन्य क्षेत्रों में स्थित है तो	नोएडा परिसर में भूमि का दाखिल खारिज न होने के कारण भूमि का स्वामित्व अभी भी भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के नाम पर है।

[59] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 के अनुसार, 'संबद्धता' शब्द में इसके व्याकरणिक रूपांतरों के साथ, किसी महाविद्यालय के संबंध में, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय को मान्यता देना, विश्वविद्यालय के साथ ऐसे महाविद्यालय को संबद्ध करना तथा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में ऐसे महाविद्यालय को प्रवेश देना शामिल है।

क्रम सं.	यूजीसी विनियमों के अनुसार आवश्यकताएँ	वास्तविक स्थिति
	कम से कम 5 एकड़ भूमि का निर्विवाद स्वामित्व और कब्जा	
(iii)	विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या	संस्थान के दोनों परिसर 100 *प्रतिशत* संविदात्मक शिक्षण और शिक्षण से इतर कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं।
(iv)	कम से कम 1,000 पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय, या प्रत्येक विषय पर विभिन्न शीर्षकों की 100 पुस्तकें, जो भी अधिक हो, प्रस्तावित कार्यक्रमों में पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें दोनों सम्मिलित होंगी	नोएडा परिसर की लाइब्रेरी में कोई पुस्तक नहीं मिली तथा तिरुपति परिसर की लाइब्रेरी में केवल 86 पुस्तकें उपलब्ध पाई गईं।

संस्थान ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि:

(i) दोनों परिसरों के लिए एक विश्वविद्यालय से संबद्धता संभव नहीं थी क्योंकि किसी भी संबद्ध विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ थीं। इस प्रकार, सभी संभावनाओं को तलाशने के बाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके सर्वोत्तम संभव व्यवस्था की गई, जो कि अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र वाला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से, संस्थान पाक विशेषज्ञता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर संरचित नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा था, जिसके लिए संस्थान की स्थापना की गई थी।

(ii) यह शैक्षणिक कार्यक्रम व्यय विभाग द्वारा नियमित पदों की स्वीकृति मिलने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसलिए, शैक्षणिक कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, होटल प्रबंधन संस्थानों में अपनाई जाने वाली पात्रता मानदंडों का पालन करते हुए संविदात्मक संकायों की नियुक्ति की गई।

(iii) नोएडा परिसर के छात्रों को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद की लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान की गई है। तिरुपति परिसर के संबंध में, चेन्नई के होटल प्रबंधन संस्थान की सहायता से लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या 356 पुस्तकों तक बढ़ गई है, जो परिसर में छात्रों की कम संख्या के कारण काफी प्रबंधनीय थी।

उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि:

- संस्थान को दोनों परिसरों के लिए संबद्धता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तिरुपति परिसर संस्थान का मुख्य परिसर था और संस्थान (सोसायटी) भारतीय पाककला संस्थान, तिरुपति के रूप में पंजीकृत था जबकि नोएडा परिसर संस्थान का केवल एक क्षेत्रीय केंद्र था।
- कैबिनेट की स्वीकृति के अनुसार, संस्थान को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों की मान्यता के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए था, जिसके लिए भूमि के स्वामित्व, शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और आवश्यक न्यूनतम पुस्तकों की संख्या के साथ पुस्तकालय की उपलब्धता आदि के संबंध में कुछ आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक था। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से संस्थान उत्तम हो सकता था। हालाँकि, संस्थान ने इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया और विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के बजाय विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग किया।

(ख) संरचित पाठ्यक्रम और अल्पकालिक पाठ्यक्रम की पेशकश में विचलन

कैबिनेट की मंजूरी (मार्च 2014) के अनुसार, संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित होंगे:

- बी.एस.सी. (पाक कला एवं विज्ञान पाठ्यक्रम) जिसमें 60 छात्र प्रवेश ले सकते हैं,
- 25 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाला एम.एस.सी. (पाक कला),
- प्रति सेमेस्टर 20 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाला खाद्य एवं पेय सेवा प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा,
- अल्पकालिक कौशल/ज्ञान उन्नयन कार्यक्रम (दो सप्ताह से चार सप्ताह) जिसमें एक वर्ष में अधिकतम 10 कार्यक्रम (10 छात्रों के प्रवेश के साथ) होंगे, तथा
- कार्यरत रसोइयों के लिए कौशल एवं योग्यता प्रमाणन, जिसमें 10 सेवारत अधिकारियों की नियुक्ति होगी।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (अप्रैल 2018) के अनुसार, संस्थान द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के शीर्षक पाक कला में बीबीए, पाक कला में बीएससी,

पाक कला में एमबीए, पाक कला में एमएससी और पाक कला में पीएचडी थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

(i) संस्थान के दोनों परिसर दो पाठ्यक्रम *अर्थात* बीबीए (पाक कला) और एमबीए (पाक कला) संचालित कर रहे थे, जो कैबिनेट की मंजूरी के अनुरूप नहीं थे।

(ii) अन्य पाठ्यक्रम अर्थात् पाककला में बीएससी, पाककला में एमएससी और पाककला में पीएचडी अभी तक शुरू नहीं किए गए थे।

(iii) दोनों परिसरों ने कोई भी अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया था, जिसकी परिकल्पना कैबिनेट की मंजूरी में की गई थी।

इस प्रकार, संस्थान ने न तो कैबिनेट अनुमोदन में उल्लिखित कार्यक्रमों की पेशकश की और न ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिकल्पित सभी कार्यक्रम शुरू किए।

यह संभव है कि संस्थान द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को शुरू न करना एक ऐसा कारक हो सकता है जिसका छात्रों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। संस्थान द्वारा पेश किए जाने वाले दो पाठ्यक्रमों यानी बीबीए (पाक कला) और एमबीए (पाक कला) के अंतर्गत छात्रों का औसत प्रवेश बहुत कम था, जैसा कि नीचे दी गई तालिकाओं में दिखाया गया है:

तालिका 11.2: बीबीए (पाक कला) के अंतर्गत छात्रों का प्रवेश

शैक्षणिक सत्र	तिरुपति परिसर		नोएडा परिसर		संपूर्ण संस्थान	
	उपलब्ध सीटें	भरी हुई सीटें	उपलब्ध सीटें	भरी हुई सीटें	उपलब्ध सीटें	भरी हुई सीटें
2018-21	120	11	120	26	240	37
2019-22	120	29	120	29	240	58
2020-23	120	38	120	31	240	69
2021-24	120	30	120	23	240	53
2022-25	120	27	120	22	240	49
कुल	**600**	**135**	**600**	**131**	**1200**	**266**

तालिका 11.3: एमबीए (पाक कला) के अंतर्गत छात्रों का प्रवेश

शैक्षणिक सत्र	तिरुपति परिसर		नोएडा परिसर		संपूर्ण संस्थान	
	उपलब्ध सीटें	व्यस्त सीटें	उपलब्ध सीटें	व्यस्त सीटें	उपलब्ध सीटें	व्यस्त सीटें
2018-20	30	0	30	0	60	0
2019-21	30	0	30	11	60	11
2020-22	30	11	30	20	60	31
2021-23	30	11	30	11	60	22
2022-24	30	11	30	0	60	11
कुल	**150**	**33**	**150**	**42**	**300**	**75**

जैसा कि ऊपर दी गई तालिकाओं से स्पष्ट है, पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों के दौरान, बीबीए (पाक कला) में छात्रों का कुल प्रवेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध सीटों (1200 सीटों) के मुकाबले केवल 266 छात्र थे, इस प्रकार प्रति वर्ष 53 छात्रों का औसत प्रवेश दर्शाता है। इसी तरह, एमबीए (पाक कला) के संबंध में, पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों के दौरान छात्रों का कुल प्रवेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध सीटों (300 सीटों) के मुकाबले 75 छात्र थे, इस प्रकार प्रति वर्ष 15 छात्रों का औसत प्रवेश दर्शाता है। कुल उपलब्ध सीटों के *प्रतिशत* के संदर्भ में, पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों के दौरान बीबीए (पाक कला) और एमबीए (पाक कला) पाठ्यक्रमों के अंतर्गत छात्रों का औसत प्रवेश क्रमशः केवल 22 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत* था।

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने बताया (मार्च 2023) कि पाक कला और भविष्य के कैरियर की संभावनाओं के बारे में भारतीय छात्रों में जागरूकता बहुत कम है और इस तरह संस्थान को बहुत कम संख्या में प्रवेश मिले। स्वीकृत पाठ्यक्रमों को शुरू न करने के संबंध में, नोएडा परिसर ने बताया कि (जून 2023) इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए कोई भी विश्वविद्यालय संस्थान के साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं हुआ। तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने (जून 2023) कहा कि पाक कला में बीबीए और एमबीए कम प्रवेश के साथ चल रहे थे। इन दो कार्यक्रमों के लिए लक्षित सीटें भर जाने पर, पाक कला में बीएससी, एमएससी और पीएचडी जैसे शेष कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

ये उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मंत्रालय/संस्थान ने छात्रों के बीच पाठ्यक्रमों के बारे में विज्ञापन, अधिसूचना, ई-मेल, सेमिनार, प्रदर्शनी, पैम्फलेट आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, संस्थान ने कुछ स्वीकृत पाठ्यक्रमों

की पेशकश नहीं की, भले ही इसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया था। संस्थान द्वारा पेश किए जा रहे बीबीए (पाक कला) और एमबीए (पाक कला) कैबिनेट की मंजूरी में उल्लिखित कार्यक्रमों में से नहीं थे, जबकि बीएससी (पाक कला) और एमएससी (पाक कला) जैसे पाठ्यक्रम जिन्हें कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, संस्थान द्वारा पेश नहीं किए गए थे।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि:

(i) पहले यह सोचा गया था कि पाक कला के क्षेत्र में बीएससी और एमएससी कार्यक्रम शुरू किए जाएं क्योंकि होटल प्रबंधन संस्थानों में आतिथ्य प्रबंधन में इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। हालांकि, जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग किया गया, तो उन्होंने बीबीए और एमबीए के बदले हुए नामकरण के बारे में सुझाव दिया क्योंकि उनका विज्ञान विभाग बीएससी एवं एमएससी जैसे विशेष तकनीकी कार्यक्रम चलाने में असमर्थ था। तदनुसार, संस्थान ने बीबीए और एमबीए कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया और संस्थान की कार्यकारी और वित्त समिति द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। मामले को आगे अनुमोदन के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष रखा जाएगा।

(ii) पाक कला कार्यक्रम भारत में बहुत नया था और इस तरह कार्यक्रम के बारे में लोगों में बहुत अधिक जागरूकता उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से, प्रत्येक परिसर में प्रारंभिक नामांकन 25 से 35 के बीच था। इसके बाद, कोविड महामारी के अचानक प्रभाव के कारण, आतिथ्य उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालाँकि, धीरे-धीरे, उद्योग ठीक हो रहा था और उम्मीद है कि निकट भविष्य में संस्थान को छात्रों की पूरी संख्या मिल जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि संस्थान द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी में परिकल्पित बीएससी और एमएससी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पाक कला में बीबीए और एमबीए की पेशकश की जानी थी। हालांकि, संस्थान द्वारा पाक कला में बीएससी और एमएससी शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा, 2023-24 से शुरू हुए नवीनतम शैक्षणिक सत्र में दोनों परिसरों में दाखिले की संख्या घटकर बीबीए में 23 और एमबीए में छह छात्र रह गई, जबकि उपलब्ध सीटें क्रमशः 240 और 60 हैं।

(ग) विशिष्ट रूप से निर्मित कार्यक्रम या मांग आधारित पाठ्यक्रम का संचालन न करना

संस्थान ने शेफ के शिक्षण/प्रशिक्षण के लिए कोई भी विशिष्ट रूप से निर्मित कार्यक्रम आयोजित नहीं किया या पाक कला एवं व्यंजन से संबंधित कोई मांग-आधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, जैसा कि मंत्रिमण्डल की मंजूरी में परिकल्पित है।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2023) कि स्थायी संगठनात्मक संरचना के अभाव में, ऐसा कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया गया था। हालाँकि, नोएडा परिसर के प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2022) कि वे शेफ के प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि संस्थान अभी भी अपने प्रगतिशील चरण में है और कोविड महामारी का प्रभाव अभी भी सभी आतिथ्य संस्थानों में दिखाई दे रहा है। धीरे-धीरे, संस्थान को अनुकूलित और मांग आधारित कार्यक्रमों के संचालन सहित अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मंत्रिमण्डल की मंजूरी में परिकल्पित अनुकूलित और मांग आधारित कार्यक्रमों के संचालन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई रोडमैप या कार्य योजना नहीं थी।

(घ) राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन न करना

जैसा कि मंत्रिमण्डल की मंजूरी में कहा गया है, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को नामांकित करने के स्थान पर, छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय और संस्थान द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकित किया गया।

संस्थान ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया।

पर्यटन मंत्रालय ने (दिसंबर 2023) कहा कि पहले बीएससी और एमएससी कार्यक्रम चलाने के बारे में सोचा गया था और इसलिए यह भी सोचा गया था कि राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकता है। हालांकि, जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के सहयोग से बीबीए और एमबीए कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया, तो संस्थान को विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का पालन करने के लिए विवश होना पड़ा। अपने अधिनियम

के अनुसार, विश्वविद्यालय ने संस्थान में प्रवेश पाने के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि संस्थान द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा कैबिनेट की मंजूरी में परिकल्पित परीक्षा के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, वर्ष 2022 के दौरान, संस्थान के लिए आगे का रास्ता सुझाने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने भी बताया था कि संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा से अलग थी और यह संस्थान द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रवेश न मिलने का एक प्रमुख कारण था।

11.3.5.2 अनुसंधान गतिविधियाँ

मंत्रिमण्डल की मंजूरी के अनुसार, संस्थान (i) अपने विषय क्षेत्र में विश्व स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में विकसित होगा और काम करेगा, तथा दुनिया भर में भारतीय व्यंजनों के लिए एक स्वर्ण मानक तैयार करेगा, (ii) पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों और पारंपरिक दवाओं के साथ इसके संबंध पर अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देगा, (iii) भारतीय व्यंजनों के विकास पर एक विस्तृत संग्रह तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा, (iv) पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के संबंध में अनुसंधान और शिक्षा शास्त्र विकास को बढ़ावा देगा, (v) इसमें एक पाककला संग्रहालय और एक पेटेंट एवं कानूनी प्रकोष्ठ होगा।

संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) संस्थान में पुस्तकालय का अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

विश्व स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में सेवा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के संबंध में अनुसंधान और शिक्षण विकास को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तकालय के बुनियादी ढांचे से संबंधित पुस्तकों, संदर्भ सामग्री, शोध पत्र और पत्रिकाओं का होना आवश्यक था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए एक निश्चित न्यूनतम संख्या में पुस्तकों के साथ पुस्तकालय की उपलब्धता एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

हालांकि, 9 सितंबर 2022 को नोएडा परिसर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पुस्तकालय में न तो कोई पुस्तकलायाध्यक्ष था और न ही कोई पुस्तक, पत्रिका, जर्नल, नियतकालिक पत्रिका आदि थे।

चित्र 11.1
कोई पुस्तक एवं पुस्तकलायाध्यक्ष नहीं (नोएडा कैम्पस)

चित्र 11.2
लाइब्रेरी में खाली किताबों की अलमारियाँ (नोएडा परिसर)

तिरुपति परिसर के संबंध में, 28-29 दिसंबर 2022 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया और लकड़ी की अलमारी में केवल कुछ किताबें (पुस्तकों की संख्या - 86) मिलीं। इसके अलावा, कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं था और पंजीकरण रजिस्टर भी नहीं रखा गया था।

चित्र 11.3
लाइब्रेरी में पुस्तक रैक (तिरुपति परिसर)

नोएडा कैंपस के प्रबंधन ने बताया (मार्च 2023) कि किताबों की लागत एनबीसीसी द्वारा निष्पादित कुल परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं थी। बाद के चरण में, धन की कमी के कारण किताबें नहीं खरीदी गईं। हालांकि, छात्रों को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट

एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी तक पहुंच दी गई थी। यह भी कहा गया कि प्रबंधन भविष्य में अपनी खुद की किताबें खरीदने की योजना बना रहा है। हालांकि, छात्रों द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी के उपयोग के बारे में दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि लेखापरीक्षा के अवलोकन के मद्देनजर, संस्थान ने प्रवेश रजिस्टर बनाए रखना शुरू कर दिया है। आगे कहा गया कि उपलब्ध धन के साथ, परिसर एक विशेष पुस्तकलायाध्यक्ष की सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकता। हालाँकि, उपलब्ध कार्यालय कर्मचारियों और संकाय की मदद से इसका प्रबंधन किया जा रहा था।

पर्यटन मंत्रालय ने (दिसंबर 2023) कहा कि तिरुपति परिसर में छात्रों की संख्या बहुत कम है और इसकी लाइब्रेरी में 356 किताबें उपलब्ध हैं, जिससे यह काम चल जाता है। धीरे-धीरे, परिसर अधिक किताबें खरीदेगा और छात्रों के उपयोग के लिए ई-पुस्तकों की सदस्यता लेगा। इसके अलावा, नोएडा परिसर के छात्रों को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद की लाइब्रेरी तक पहुंच दी गई है, जिसमें 8,000 से अधिक किताबें हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि अब तक तिरुपति परिसर के छात्रों द्वारा 25 से अधिक शोध पत्र लिखे गए हैं और नोएडा परिसर के छात्रों द्वारा विभिन्न शोध प्रकाशनों में 15 से अधिक शोध पत्र लिखे गए हैं और छात्र अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में शोध परियोजनाएं भी कर रहे हैं।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकों के बिना एक बड़े पुस्तकालय के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना निरर्थक होगा। एक अच्छी तरह से काम करने वाली लाइब्रेरी की अनुपस्थिति में, संस्थान भारतीय व्यंजनों में अनुसंधान और शिक्षण विकास को बढ़ावा देने और अपने विषय क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में काम करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा। इसके अलावा, एक अच्छी तरह से विकसित लाइब्रेरी के बिना, संस्थान छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगा और विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के मानदंडों को भी पूरा नहीं करेगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने अपने उत्तर के समर्थन में छात्रों द्वारा लिखे गए शोध पत्रों का विवरण/प्रतियां प्रदान नहीं कीं।

(ख) तिरुपति परिसर में काम न कर रही कंप्यूटर प्रयोगशाला और अनुसंधान कार्य केंद्र

कंप्यूटर प्रयोगशालाएं छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने, अनुसंधान करने और तकनीकी कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती हैं। पाककला कला में बीबीए के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर

एप्लीकेशन में एक व्यावहारिक विषय सम्मिलित था और पाककला कला में एमबीए के पाठ्यक्रम में खाद्य पत्रकारिता, खाद्य स्टाइलिंग और फोटोग्राफी जैसे विषय सम्मिलित थे। इन पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान में एक पूरी तरह कार्यात्मक कंप्यूटर लैब की आवश्यकता थी।

तिरुपति परिसर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (2-3 जनवरी 2023) से पता चला कि कंप्यूटर लैब में एक भी कंप्यूटर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, कंप्यूटर लैब में रखी गई कुर्सियाँ (92 नंबर), टेबल (88 नंबर) और दराज (17 नंबर) बेकार पड़ी थीं और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं थीं।

संस्थान की स्थापना के उद्देश्यों में पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों और पारंपरिक दवाओं के साथ उनके संबंध पर अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देना, अध्ययन और सर्वेक्षण शुरू करना आदि सम्मिलित थे। हालाँकि, उपरोक्त संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुसंधान कार्य केंद्र में रखे गए क्यूबिकल (14 नंबर), कुर्सियाँ (13 नंबर) और टेबल (3 नंबर) एमबीए छात्रों द्वारा सीमित उद्देश्य को छोड़कर उपयोग में नहीं थे।

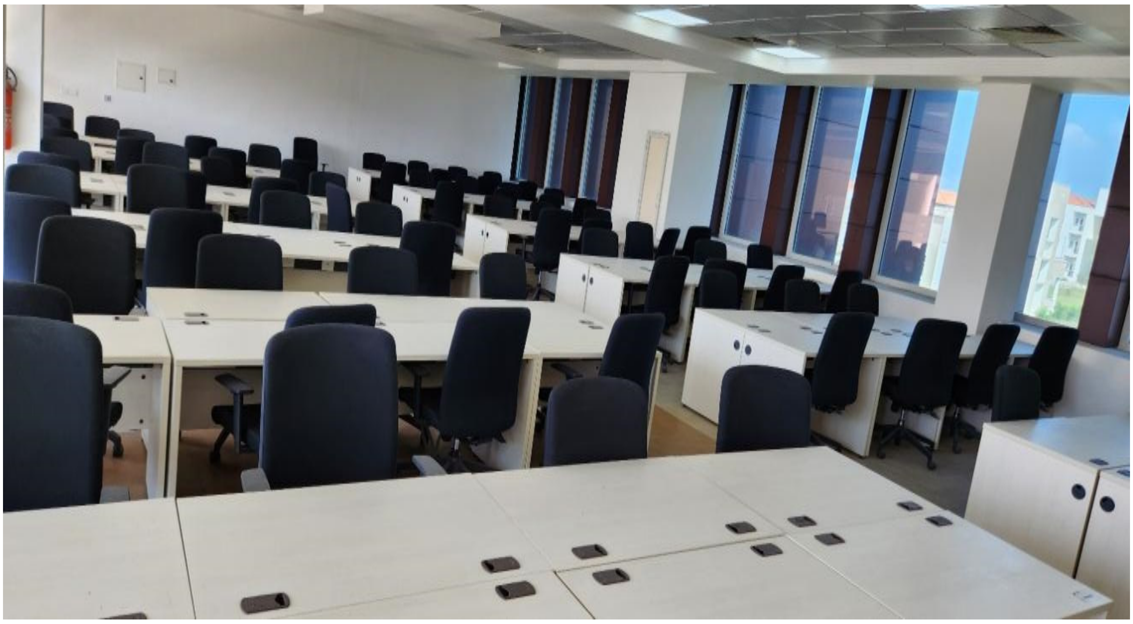

चित्र 11.4

कम्प्यूटर लैब (तिरुपति परिसर) में कम्प्यूटर सिस्टम का अभाव

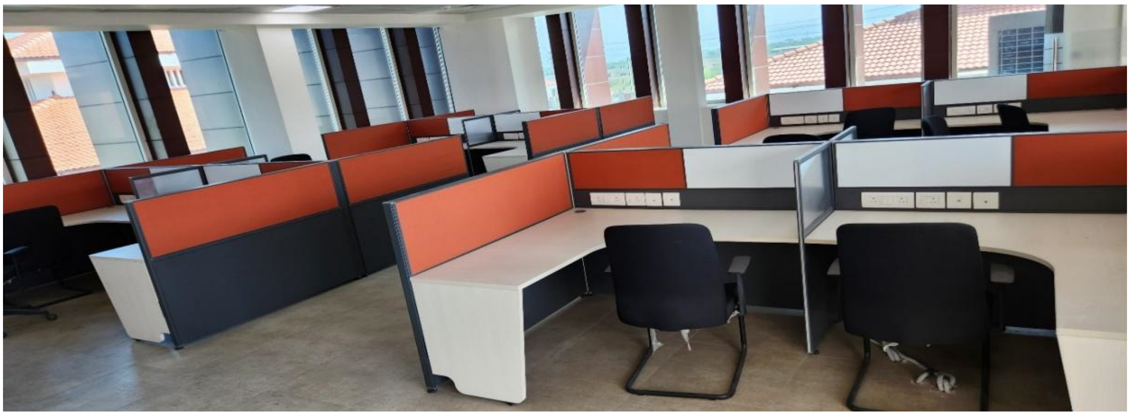

चित्र 11.5
अनुसंधान प्रयोगशाला और बुनियादी ढांचे का उपयोग न होना (तिरुपति परिसर)

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर न होने के कारण तिरुपति कैंपस को छात्रों के लिए प्रैक्टिकल सेशन आयोजित करने के लिए दूसरे संगठनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान तिरुपति कैंपस ने पड़ोसी संस्थान को उनके कंप्यूटर लैब के किराये के लिए ₹1.06 लाख का भुगतान किया।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि पूंजी अनुदान सहायता के अभाव में, इसकी प्रयोगशाला के लिए कंप्यूटर सिस्टम नहीं खरीदे जा सके और संस्थान एक पड़ोसी संस्थान के कंप्यूटर लैब को किराये के आधार पर उपयोग कर रहा है, जिससे इसकी आवश्यकता न्यूनतम है। आगे कहा गया कि होटल प्रबंधन संस्थान, चेन्नई ने अपने बीएससी आतिथ्य और होटल प्रशासन कार्यक्रम को आगामी शैक्षणिक वर्ष से अपने विस्तारित परिसर के रूप में उस परिसर से चलाने के लिए भारतीय पाककला संस्थान के तिरुपति परिसर की लैब में कंप्यूटर और प्रिंटर स्थापित किए हैं। ये सिस्टम भारतीय पाककला संस्थान के तिरुपति परिसर के छात्रों को उनके कंप्यूटर अनुप्रयोग विषय के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके बाद भारतीय पाककला संस्थान को पड़ोसी संस्थान की कंप्यूटर लैब पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि दोनों परिसरों में कंप्यूटर लैब को सुसज्जित करना एनबीसीसी द्वारा निष्पादित कुल परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं था। इसके अलावा, कंप्यूटर लैब को सुसज्जित न करने का एक और कारण फंड की कमी थी। तिरुपति कैंपस ने मामूली राशि का भुगतान करके अपने परिसर में शिक्षण और लैब के उपयोग के लिए पड़ोसी मेंटर इंस्टीट्यूट की मदद ली। इसके अलावा, भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, चेन्नई (मेंटर इंस्टीट्यूट) को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसके

माध्यम से तिरुपति कैंपस के लिए 30 कंप्यूटरों वाली एक कंप्यूटर लैब को सुसज्जित किया गया था।

तिरुपति परिसर के छात्रों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान नहीं कर सका जो उनके पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक थीं। इसके अलावा, बनाया गया बुनियादी ढांचा भी अप्रयुक्त रह गया। इसके अलावा, अनुसंधान कार्य केंद्र पर लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में प्रबंधन/मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) पाककला संग्रहालयों का उपयोग में नहीं होना

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, संस्थान में एक पाककला संग्रहालय होगा। पाककला संग्रहालय छात्रों और आम जनता के लिए एक व्यापार और विरासत के बारे में बेहतर जागरूकता के लिए था।

नोएडा परिसर (9 सितम्बर 2022) एवं तिरुपति परिसर (28-29 दिसंबर 2022) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि पाककला संग्रहालय में प्राचीन खाद्य संबंधी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाना था ताकि आगंतुक भारत के पाककला इतिहास को समझ सकें। हालाँकि, यह पाया गया कि नोएडा परिसर में पाककला संग्रहालय का उपयोग कक्षा के रूप में किया जा रहा था और तिरुपति में पाककला संग्रहालय खाली पड़ा था।

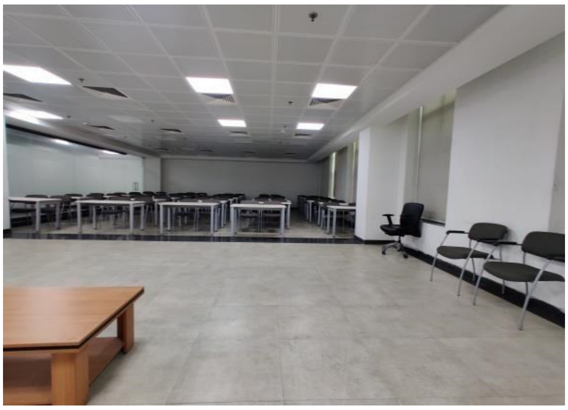

चित्र 11.6
पाककला संग्रहालय का कक्षा के रूप में उपयोग (नोएडा परिसर)

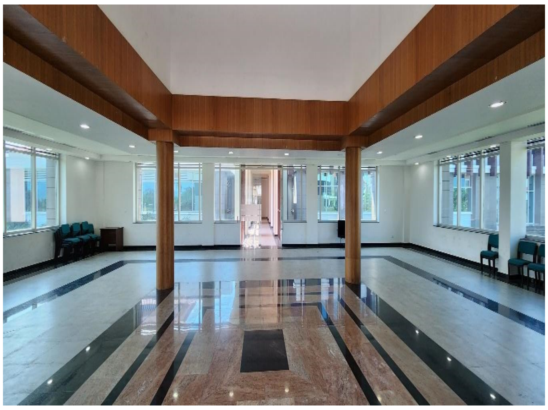

चित्र 11.7
पाकशाला संग्रहालय इच्छित उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं (तिरुपति परिसर)

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने बताया (मार्च 2023) कि पाककला संग्रहालय का स्थान विभिन्न पाककला और अन्य खाद्य संबंधी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के इतिहास और विकास को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। समर्पित कर्मचारियों एवं

निधि के अभाव के कारण, इसे अभी तक विकसित नहीं किया गया था और इसका उपयोग परीक्षण और अन्य परामर्श कार्यों के उद्देश्य से किया गया था।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि संस्थान में उपलब्ध सीमित कर्मचारी और छात्र पाककला संग्रहालय के रखरखाव का अतिरिक्त भार नहीं उठा पाएंगे और एक बार छात्रों और कर्मचारियों की संख्या में सुधार होने और मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होने पर, पाककला संग्रहालय को चालू करने के लिए सामान खरीदे जाएंगे।

पर्यटन मंत्रालय ने (दिसंबर 2023) कहा कि समर्पित कर्मचारियों और निधियों की कमी के कारण, पाककला संग्रहालय अब तक स्थापित नहीं किए जा सके हैं और इस स्थान का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिताओं और यहां तक कि परीक्षा कार्यों के लिए किया जा रहा है। ऐतिहासिक पाककला उपकरण/कला प्रभावों की अनुपस्थिति में, संग्रहालय क्षेत्र का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका। सुविधा का रखरखाव करने के उद्देश्य से इस सुविधा का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों, अतिथि व्याख्यान आदि जैसे छात्र कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा था।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि दोनों परिसरों में 12 कक्षाएँ थीं, जिनमें से प्रत्येक में 20 से 60 लोगों के बैठने की क्षमता थी। परीक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए कक्षाओं या स्थान की कोई कमी नहीं थी। इसलिए, पाक संग्रहालयों के लिए निर्धारित स्थान का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए करना उचित नहीं था। समर्पित कर्मचारियों और निधियों की कमी के संबंध में, उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह प्रशासनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वह संस्थान के पास पर्याप्त कर्मचारियों और निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करे ताकि नियोजित सुविधाएँ/बुनियादी ढाँचा कार्यात्मक बनाया जा सके।

(घ) पेटेंट और कानूनी सेल का अभाव

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, संस्थान में एक पेटेंट और विधिक प्रकोष्ठ होगा। पेटेंट और कानूनी प्रकोष्ठ का काम शोधित पाक-कला संबंधी वस्तुओं को पेटेंट के माध्यम से संरक्षित करना है, ताकि वे अन्य देशों की संपत्ति न बन जाएं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान के दोनों परिसरों में से किसी में भी पेटेंट एवं विधिक प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2023 और जून 2023) कि स्थायी संगठनात्मक संरचना की अनुपस्थिति के कारण, संस्थान के संचालन का आगे विस्तार संभव नहीं था और पेटेंट और कानूनी सेल के उद्देश्यों को संस्थान द्वारा धीरे-धीरे प्राप्त किया जाएगा। नोएडा परिसर ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया।

पर्यटन मंत्रालय ने (दिसंबर 2023) कहा कि संस्थान अपने विकास के चरण में है और वर्तमान में न्यूनतम संविदा शिक्षकों के साथ, संस्थान पेटेंट और कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित नहीं कर सकता। हालाँकि, तिरुपति परिसर ने पहले ही आईआईटी, तिरुपति और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर के साथ मिलकर खाद्य प्रौद्योगिकी पर शोध करने की पहल शुरू कर दी है। धीरे-धीरे, संस्थान अपना पेटेंट और कानूनी प्रकोष्ठ भी स्थापित करेगा।

11.3.5.3 भारतीय व्यंजनों के लिए संसाधन केंद्र

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, संस्थान को एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना था और अपने विषय क्षेत्र में अध्ययन और सर्वेक्षण करना था। इसके अलावा, संस्थान अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करने की दिशा में काम करेगा और होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों को उनके व्यंजन विशेषज्ञता को उन्नत करने में मदद करेगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) अध्ययन और सर्वेक्षण न कराना

संस्थान की कार्यकारी और वित्त समिति की 27 मार्च 2014 को हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संस्थान होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थानों, राज्य सरकारों, पाककला संघों का भारतीय संघ (आईएफसीए) और संस्कृति मंत्रालय के मौजूदा नेटवर्क को सम्मिलित करते हुए भारत का 'पाककला सर्वेक्षण' कराए। इस उद्देश्य के लिए, देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत और प्रत्येक पांच क्षेत्रों में, एक भारतीय पाककला सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का डेटाबेस बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय शेफ और मानवविज्ञानी एक साथ आएँ। सम्मेलन में जातीय व्यंजनों, ऐतिहासिक संदर्भों, पोषण संबंधी आंकड़ों, छवियों, वीडियो और क्रेडिट जैसी विशेषताओं पर चर्चा की जाए। अंत में, इस तरह से बनाए गए पाककला संबंधी दस्तावेज़ों का एक विश्वकोश तैयार किया जाएगा और विश्वकोश का पहला खंड सितंबर 2014 तक प्रकाशित हो।

इसी प्रकार, 28 जुलाई 2014 को आयोजित कार्यकारी और वित्त समिति की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पाककला सर्वेक्षण, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद से संबद्ध सात खाद्य शिल्प संस्थानों सहित 21 केन्द्रीय और 16 राज्य होटल प्रबंधन संस्थानों के मौजूदा नेटवर्क की सहायता से किया जाएगा।

27 अप्रैल 2016 को आयोजित कार्यकारी और वित्त समिति की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों को उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पाककला सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना चाहिए जिनमें वे स्थित हैं, और ऐसे अनुसंधान के दौरान खोजे गए व्यंजनों के लिए मानकीकृत प्रारूप और दस्तावेजीकरण के साथ एक संग्रह बनाना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा दस्तावेजीकरण प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। व्यंजनों को डिजीटल प्रारूप में भी संग्रहीत किया जाना चाहिए और एक डिजिटल प्रति राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद को भेजी जानी थी। होटल प्रबंधन संस्थानों से प्राप्त व्यंजनों को सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के सलाहकार (शैक्षणिक) इस अभ्यास के लिए जिम्मेदार होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यकारी और वित्त समिति की बैठकों में लिए गए उपरोक्त निर्णयों को लागू करने के लिए संस्थान द्वारा कोई पहल नहीं की गई। इसलिए, क्षेत्रीय व्यंजनों का डेटाबेस बनाने, पाककला संबंधी दस्तावेज बनाने और उसका विश्वकोश तैयार करने, व्यंजनों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत करने और भारतीय व्यंजनों के संबंध में जनता के लिए व्यंजनों की ऑनलाइन उपलब्धता के उद्देश्य हासिल नहीं किए जा सके।

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने स्वीकार किया (दिसंबर 2022) कि उपर्युक्त उद्देश्य हासिल नहीं किए जा सके। तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2023) कि मौजूदा जनशक्ति इन उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

पर्यटन मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2023) कि धन के अभाव में पाककला सर्वेक्षण, डेटाबेस निर्माण आदि कार्य नहीं किया जा सका। साथ ही, होटल प्रबंधन के कुछ मौजूदा संस्थानों ने जातीय व्यंजनों और उनके ऐतिहासिक संदर्भों का डेटाबेस बनाया और प्रकाशित किया है। संस्थान होटल प्रबंधन संस्थानों द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय व्यंजनों की पुस्तकों का एक संग्रह बनाएगा। इसके अलावा, शीर्ष रेटेड अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ परामर्श और संयुक्त प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ के बारे में, मामला अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

(ख) अन्य संस्थानों के साथ कोई संबंध नहीं

मंत्रिमण्डल की मंजूरी के अनुसार, संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करेगा:

(i) अपनी क्षमता के क्षेत्र में परामर्श कार्य करना,

(ii) होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों के शिक्षकों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करके होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों को उनके भोजन विशेषज्ञता के उन्नयन में सहायता करना; छुट्टियों के दौरान छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देना; अन्य आतिथ्य क्षेत्रों के लिए अतिथि संकाय के रूप में होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों के शिक्षकों को प्राप्त करना; और होटल प्रबंधन संस्थानों में स्नातक स्तर के डिग्री पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के लिए खाद्य उत्पादन के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम सामग्री पर राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद को सलाह देना,

(iii) भारतीय व्यंजन शोधकर्ताओं/विशेषज्ञों की अन्य देशों के साथ बैठक के लिए संस्थागत सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना,

(iv) अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करने की दिशा में काम करना,

(v) खाद्य अनुसंधान संस्थानों, खाद्य वैज्ञानिकों और खाद्य प्रौद्योगिकीविदों के प्रयासों में सहायता करना और उनके साथ जुड़ना, ताकि उपयुक्त व्यंजनों के विकास और मेनू की योजना के माध्यम से उनके पोषण संबंधी विचारों को प्रस्तुत करने के प्रभावी और स्वीकार्य तरीके ढूंढे जा सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खाद्य विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में क्षमता निर्माण के लिए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, तिरुपति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (जनवरी 2023) करने के अलावा, संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों या निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के लिए कोई अन्य गतिविधि नहीं की गई।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि स्थायी कर्मचारी संरचना मिलने के बाद, संस्थान अन्य संस्थानों के साथ जुड़ने का काम शुरू कर देगा। आगे बताया गया कि आईआईटी, तिरुपति के साथ जुड़ने की भी योजना है।

11.3.5.4 मानव संसाधन

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, संस्थान द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए समयसीमा 2014-15 थी। मानव संसाधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) शिक्षण स्टाफ की भर्ती

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, संस्थान के लिए संकाय और अन्य कर्मचारियों को छात्र संख्या के अनुसार नियुक्त किया जाएगा, जिसमें संकाय और छात्र का अनुपात 1:15 होगा। यह अनुपात बनाए रखा जाना था क्योंकि कार्यक्रम शोध-आधारित और कौशल उन्मुख थे। संस्थान को अपने संचालन के तीसरे वर्ष में छात्रों की पूरी संख्या प्राप्त करनी थी। इसके अलावा, 60 *प्रतिशत* संकाय पद नियमित आधार पर होने थे और शेष 40 *प्रतिशत* अतिथि संकाय होने थे। तीसरे वर्ष के अंत में स्वीकृत कुल शिक्षण स्टाफ इस प्रकार था:

तालिका 11.4: स्वीकृत शिक्षण स्टाफ के पदों की संख्या

पद का नाम	परिचालन के तीसरे वर्ष के अंत में पदों की संख्या
आचार्य	3
सह - आचार्य	7
सहायक आचार्य	20

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) संस्थान द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए समयसीमा वर्ष 2014-15 थी। हालाँकि, भर्ती नियमों का मसौदा वर्ष 2019 में तैयार हो सका था और जुलाई 2023 तक भी इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

(ii) नोएडा परिसर में व्याख्याता-सह-प्रशिक्षक के रूप में केवल छह संविदा संकाय सदस्य थे, जिनमें से तीन संकाय सदस्य जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के मध्य सम्मिलित हुए थे।

(iii) तिरुपति परिसर में व्याख्याता-सह-प्रशिक्षक के रूप में केवल चार संविदा संकाय सदस्य थे, जिनमें से एक संकाय सदस्य जुलाई 2022 में सम्मिलित हुए।

तिरुपति परिसर और नोएडा परिसर के प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023 और जून 2023) में कहा गया कि भर्ती नियमों को अभी तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है और न ही उन्हें मंजूरी दी गई है। इस प्रकार, संस्थान स्वीकृत पदों के अनुसार नियमित संकाय की भर्ती करने में असमर्थ था और संविदा संकाय के माध्यम से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का प्रबंधन कर रहा था। यह भी कहा गया कि होटल प्रबंधन संस्थान, चेन्नई से एक वरिष्ठ संकाय को तिरुपति परिसर में प्रतिनियुक्त किया गया था और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक (अध्ययन) को इसकी शैक्षणिक

गतिविधियों के प्रबंधन के लिए नोएडा परिसर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके अलावा, संस्थान ने समय-समय पर व्याख्यान के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय आतिथ्य पेशेवरों को आमंत्रित किया।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केवल तीन प्रोफेसर, छह एसोसिएट प्रोफेसर और आठ सहायक प्रोफेसर के पदों को मंजूरी दी (कैबिनेट अनुमोदन में उल्लिखित पदों की संख्या के विरुद्ध) और भर्ती नियम मंत्रालय में अंतिम अनुमोदन के चरण में थे। भर्ती नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, दोनों परिसरों ने मंत्रालय के अंतर्गत होटल प्रबंधन संस्थानों के समकक्ष व्याख्याताओं की भर्ती की थी और दोनों परिसरों से शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन का प्रबंधन कर रहे थे। संस्थान ने संविदा संकाय को सम्मिलित करते समय होटल प्रबंधन संस्थानों में व्याख्याताओं के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियमों का पालन किया। दोनों परिसरों में नियुक्त सभी संविदा संकाय होटल प्रबंधन संस्थानों में व्याख्याताओं के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि मंत्रालय ने स्वयं कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2014-15 की समयसीमा प्रस्तावित की थी। हालाँकि, भर्ती नियमों का मसौदा संस्थान द्वारा वर्ष 2019 में ही तैयार किया गया था और इसकी स्वीकृति अभी भी लंबित है (दिसंबर 2023)।

(ख) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती

मंत्रिमण्डल की मंजूरी के अनुसार, संस्थान में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के निम्नलिखित पद होने थे:

तालिका 11.5: स्वीकृत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों की संख्या

पद का नाम	परिचालन के तीसरे वर्ष के अंत में पदों की संख्या
निदेशक	1
प्रशासनिक अधिकारी	1
एएओ/ओएस	1
लेखाकार	1
यूडीसी/स्टोरकीपर/रोकड़िया	2
एलडीसी	4
पुस्तकलायाध्यक्ष	1
सहायक पुस्तकलायाध्यक्ष	1
पीए/स्टेनो	4
वाहन चालक	1

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) संस्थान के दोनों परिसर अपनी प्रशासनिक गतिविधियों का प्रबंधन संविदा आधारित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माध्यम से कर रहे थे।

(ii) राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोनों परिसरों के लिए निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसी प्रकार, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) संस्थान के कार्यवाहक लेखा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

नोएडा परिसर और तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि स्वीकृत जनशक्ति (14 पद) के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है (जुलाई 2018)। पर्यटन मंत्रालय में भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भर्ती नियमों के अंतिम रूप दिए जाने पर, नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि पर्याप्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अनुपस्थिति में, संस्थान के कामकाज के लिए सभी प्रशासनिक गतिविधियों को नाममात्र संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था, जिससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो रही थी।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि छात्रों के वर्तमान कम प्रवेश के साथ, बाहर से ली गई जनशक्ति के साथ यह काफी हद तक प्रबंधनीय था। नियमित स्वीकृत पदों के लिए भर्ती नियम मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन थे और इन भर्ती नियमों को मंजूरी मिलने पर, संस्थान आवश्यक संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि भर्ती नियमों का मसौदा वर्ष 2019 में तैयार किया गया था, लेकिन उसका अनुमोदन अभी भी लंबित है (दिसंबर 2023)।

11.3.5.5 बुनियादी ढांचा

छात्रों की कम संख्या और विभिन्न गतिविधियों के शुरू न होने के कारण, संस्थान के दोनों परिसरों में बुनियादी ढांचे का उपयोग उप-इष्टतम था। नोएडा परिसर में 200 छात्रावास कमरे और तिरुपति परिसर में 152 छात्रावास कमरे उपलब्ध होने के बावजूद, 2018-19 से 2022-23 के दौरान छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छात्रावास कमरों की संख्या नोएडा परिसर में 5 से 64 कमरे और तिरुपति परिसर में 13 से 70 कमरे तक थी।

लेखापरीक्षा ने नोएडा परिसर(25 अगस्त 2022 और 9 सितम्बर 2022) और तिरुपति परिसर (27-29 दिसंबर 2022 और 2-3 जनवरी 2023) में संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) रखरखाव न होने / उपयोग न होने के कारण बुनियादी ढांचे की गिरावट

निर्मित परिसंपत्तियों के उपयोग न होने तथा रखरखाव न होने के कारण बुनियादी ढांचा खराब हो रहा था तथा उसकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई थी, जैसा कि निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है:

(i) परिसंपत्तियों/सुविधाओं का रखरखाव न करना

नोएडा परिसर और तिरुपति परिसर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्मित बुनियादी ढाँचा उपयोग में नहीं था या रखरखाव न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- पूरे नोएडा परिसर की इमारत खस्ताहाल में थी और इमारत की दीवारों में दरारें, रिसाव और सीलन थे। इसी तरह तिरुपति परिसर में अकादमिक ब्लॉक, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय रसोई, छात्रावास मेस, महिला छात्रावास एवं पुरुष छात्रावास के वॉशरूम की दीवारों में दरारें, रिसाव और सीलन पाई गई।

चित्र 11.8
स्टाफ क्वार्टर के आधार के पास दरारें (नोएडा परिसर)

चित्र 11.9
पुरुष छात्रावास की दीवारों में नमी (तिरुपति परिसर)

- नोएडा कैंपस के प्रथम तल पर इंटरनेशनल किचन के पास के शौचालयों का उपयोग नहीं हो रहा था और लड़कों के शौचालय की आभासी छत क्षतिग्रस्त थी। इसी तरह, तिरुपति कैंपस में गेस्ट हाउस के शौचालय की आभासी छत में से एक टाइल गायब पाई गई।

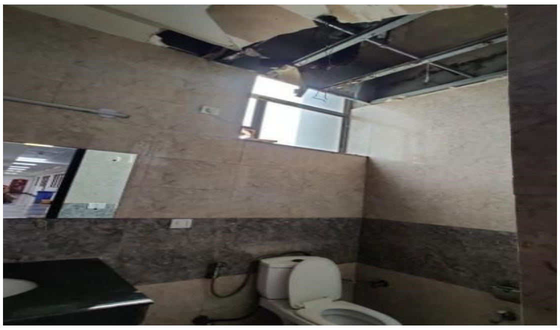

चित्र 11.10
क्षतिग्रस्त फॉल्स सीलिंग वाला शौचालय
(नोएडा परिसर)

चित्र 11.11
शौचालय की फॉल्स सीलिंग में टाइल लुप्त
(तिरुपति परिसर)

- नोएडा परिसर की लिफ्टों के निरीक्षण के दौरान परिसर के प्रतिनिधि ने बताया कि लिफ्टें रखरखाव के अभाव में एक वर्ष से अधिक समय से उपयोग में नहीं हैं। इसी प्रकार, तिरुपति परिसर की लिफ्टें भी रखरखाव के अभाव में उपयोग में नहीं पाई गईं।

चित्र 11.12
रखरखाव न होने के कारण लिफ्टों का उपयोग नहीं हो रहा (नोएडा परिसर)

चित्र 11.13
रखरखाव न होने के कारण लिफ्टों का उपयोग नहीं हो रहा है (तिरुपति परिसर)

(ii) काम में नहीं ली जा रही सीवेज और जल उपचार संयंत्र

- दोनों परिसरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे थे।

चित्र 11.14
अक्रियाशील सीवेज उपचार संयंत्र
(नोएडा परिसर)

चित्र 11.15
अक्रियाशील सीवेज उपचार संयंत्र
(तिरुपति परिसर)

- दोनों परिसरों में जल उपचार संयंत्र भी काम नहीं कर रहे थे।

चित्र 11.16
अक्रियाशील जल उपचार संयंत्र
(नोएडा परिसर)

चित्र 11.17
अक्रियाशील जल उपचार संयंत्र
(तिरुपति परिसर)

- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कम न करने के कारण, अनुपचारित सीवेज का पानी को नोएडा परिसर के खुले क्षेत्रों में बहाया जा रहा था।

(iii) तिरुपति परिसर में सौर पैनल का काम न करना तथा नोएडा परिसर में सौर वॉटर हीटर और सौर लाइट का काम न करना

- रखरखाव न होने के कारण तिरुपति परिसर में सौर पैनल काम नहीं कर रहे थे। नोएडा परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास और गेस्ट हाउस में स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाले वॉटर हीटर काम नहीं कर रहे थे।

चित्र 11.18
अक्रियाशील सौर ऊर्जा चालित वॉटर हीटर
(नोएडा परिसर)

चित्र 11.19
लड़कियों के छात्रावास की छत पर अक्रियाशील सौर पैनल (तिरुपति परिसर)

- तिरुपति परिसर में एक सौर जल हीटर क्षतिग्रस्त पाया गया, जबकि नोएडा परिसर में सौर स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं।

चित्र 11.20
बंद पड़ी सौर स्ट्रीट लाइटें (नोएडा परिसर)

चित्र 11.21
क्षतिग्रस्त सौर जल हीटर (तिरुपति परिसर)

(iv) अग्नि अलार्म प्रणाली का काम न करना

तिरुपति परिसर में स्थापित फायर अलार्म सिस्टम (स्मोक डिटेक्टर) मार्च 2020 में खराब हो गया था और इसलिए इसे बंद कर दिया गया था। खराबी के बाद सिस्टम के रखरखाव न होने के कारण, फायर अलार्म सिस्टम चालू नहीं हो रहा था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि नियंत्रण कक्ष में डिस्प्ले पर कई स्थानों पर धुआं भरा हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि वहां कोई धुआं नहीं था। इसके अलावा, आपातकालीन फायर बटन भी काम नहीं करते पाए गए।

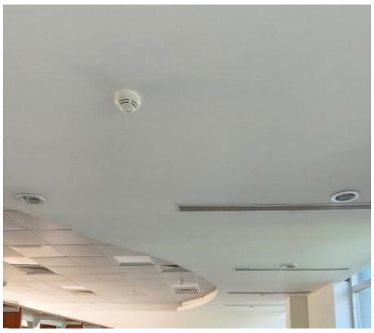

चित्र 11.22
अक्रियाशील अग्नि अलार्म प्रणाली (स्मोक डिटेक्टर)

चित्र 11.23
आपातकालीन अग्नि अलार्म बटन क्षतिग्रस्त

चित्र 11.24
दोषपूर्ण नियंत्रण पैनल

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि संस्थान के दोनों परिसरों ने अग्निशमन अधिकारियों से अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया है। नोएडा परिसर ने 25 जून 2018 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर से तीन वर्ष की अवधि अर्थात 25 जून 2018 से 24 जून 2021 तक के लिए अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया गया था कि संस्थान अग्नि एवं जीवन

सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करेगा और निर्धारित समयावधि के भीतर प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराएगा। हालांकि, जून 2021 में इसकी समाप्ति के बाद अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया। अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के अभाव में मानव जीवन को खतरा और परिसर की संपत्ति को नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह, तिरुपति परिसर ने क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी, विजयवाड़ा से 8 अक्टूबर 2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए अधिभोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, इस शर्त के साथ कि इसकी समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत किया जाएगा। हालाँकि, अक्टूबर 2019 में इसकी समाप्ति के बाद भी अधिभोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया।

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) में बताया गया कि अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाणपत्र के सत्यापन एवं नवीनीकरण के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2023) कि उसने आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया एवं अग्निशमन सेवा विभाग के साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को प्राथमिकता के तौर पर लिया है।

(v) वार्षिक रखरखाव अनुबंध न करना

दोनों परिसरों में से किसी ने भी परिसंपत्तियों और उपकरणों जैसे कि लिफ्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल उपचार संयंत्र, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली, सौर पैनल और संबंधित उपकरण, चिलर, अग्निशमन प्रणाली, डीजी सेट, कंप्यूटर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम आदि के नियमित रखरखाव के लिए कोई वार्षिक रखरखाव अनुबंध नहीं किया था।

(vi) रसोई और प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग न होना

पर्यटन मंत्रालय ने संस्थान द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए पूंजी अनुदान के रूप में ₹17 करोड़ (दोनों परिसरों में से प्रत्येक के लिए ₹8.50 करोड़) मंजूर किए। संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि अकेले नोएडा परिसर में, रसोई और रेस्तरां में ₹2.59 करोड़ की लागत वाले उपकरण बेकार पड़े थे और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में ₹0.17 करोड़ की लागत वाले उपकरण बेकार पड़े थे। तिरुपति परिसर में भी उपकरण बेकार पाए गए, हालाँकि, उनकी लागत का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि खरीदी गई संपत्तियों का विवरण और संबंधित वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

चित्र 11.25
अप्रयुक्त वॉक-इन फ्रीजर (नोएडा परिसर)

चित्र 11.26
अप्रयुक्त वॉक-इन फ्रीजर (तिरुपति परिसर)

चित्र 11.27
इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में अप्रयुक्त रसोई उपकरण (नोएडा परिसर)

चित्र 11.28
इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में में अप्रयुक्त रसोई उपकरण (तिरुपति परिसर)

चित्र 11.29
हलवाई किचन में अप्रयुक्त रसोई उपकरण (नोएडा परिसर)

चित्र 11.30
क्वालिटी कंट्रोल लैब में पैक और अनइंस्टॉल स्थिति में मशीनें (नोएडा परिसर)

अवसंरचना संबंधी कमियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में, नोएडा परिसर के प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि संस्थान को पर्याप्त संख्या में छात्र नहीं मिल रहे थे और वित्तीय संकट के कारण रखरखाव पर होने वाले खर्च को पूरा करने में असमर्थ था। आगे यह भी कहा गया कि वित्तीय संकट को देखते हुए, भारत सरकार ने संस्थान के पुनरुद्धार के लिए समीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए एक समिति का गठन किया (मार्च 2022) और प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, रखरखाव केवल तभी संभव था जब भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हो।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि फंड/अनुदान की कमी के कारण संस्थान एक बार में सभी क्षेत्रों में काम करने में असमर्थ है और रखरखाव से संबंधित कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। आगे कहा गया कि छात्रों की संख्या में वृद्धि के साथ, संस्थान रखरखाव कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त राजस्व के साथ बेहतर स्थिति में होगा।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि रखरखाव न किए जाने के कारण ढांचागत सुविधाएं खराब हो गई हैं/जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं और इससे संस्थान की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि:

(i) छात्रों के कम नामांकन के कारण सभी प्रयोगशालाएँ और उपकरण तथा अन्य बुनियादी ढाँचे का उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा, कोविड महामारी के प्रभाव के कारण संस्थान के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की माँग बहुत कम थी और समय के साथ, संस्थान में प्रवेश में सुधार किया जाएगा और उपकरण/बुनियादी ढाँचे का उपयोग किया जाएगा।

(ii) संस्थान की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह वार्षिक रखरखाव अनुबंध करने के बजाय, आवश्यकता पड़ने पर केवल लिफ्ट, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र आदि की मरम्मत ही करता है।

(iii) वर्ष 2020 में बाढ़ के कारण तिरुपति परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जलमग्न हो गया था और शॉर्ट सर्किट के कारण यह काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा, छात्रावास क्षेत्र से सीवेज का प्रवाह बहुत कम है, जिससे प्लांट को उसकी अधिकतम क्षमता पर ठीक से चलाया जा सके।

(iv) तूफ़ान और भारी बारिश के कारण तिरुपति कैंपस में सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो गया। नोएडा कैंपस में वॉटर हीटर से जुड़ा सोलर पैनल काम कर रहा था। लेकिन स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही थीं।

(v) फंड की कमी के कारण रखरखाव न होने के कारण फायर अलार्म सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। निधि मिलते ही फायर अलार्म चालू कर दिया जाएगा।

(vi) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के संबंध में, नोएडा परिसर का पहले ही नोएडा प्राधिकरण के अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है तथा उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। तिरुपति परिसर के संबंध में, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

तथापि, तथ्य यह है कि रखरखाव न किए जाने के कारण परिसंपत्तियों/बुनियादी ढांचे की स्थिति खराब होती जा रही थी, जिससे अंततः परिसंपत्तियां अनुपयोगी हो गईं।

दोनों परिसरों में बुनियादी ढांचे के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-XV** में दिया गया है।

(ख) अचल संपत्तियों और उपभोग्य सामग्रियों के भौतिक सत्यापन का अभाव

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 211 (ii) में प्रावधान है कि प्लांट, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर आदि जैसी अचल संपत्तियों के लिए फॉर्म जीएफआर-22 में अलग-अलग खाते रखे जाएंगे। इसके अलावा, नियम 213 (1) में प्रावधान है कि अचल संपत्तियों का साल में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

उपभोग्य सामग्रियों के संबंध में, नियम 213 (2) में प्रावधान है कि सभी उपभोग्य वस्तुओं और सामग्रियों का वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि कोई विसंगतियां हों तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान के दोनों परिसरों में कोई अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं रखा गया था और स्टॉक या उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया था। इसके अलावा, नोएडा परिसर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि उनके रसोईघर में वैधता समाप्त हो चुकी कई वस्तुएं रखी गई थीं। उपभोग्य सामग्रियों

के लिए रजिस्टर का उचित रखरखाव और समय-समय पर भौतिक सत्यापन से रसोईघर में समाप्त हो चुकी वस्तुओं के उपयोग की संभावना समाप्त हो जाती।

इस प्रकार, संस्थान के पास आपूर्ति पर नज़र रखने के लिए कोई प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली नहीं थी। भंडार और उपभोग्य सामग्रियों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप, संसाधनों की उचित आपूर्ति और उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया, जिससे अपव्यय या दुरुपयोग की संभावना बनी रही।

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने कहा (फरवरी/जून 2023) कि शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास, गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर आदि और पूरे परिसर में उपलब्ध वस्तुओं के विवरण के साथ संपत्ति रजिस्टर बनाया जाएगा और अचल संपत्तियों और स्टोर/उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जल्द ही शुरू किया जाएगा।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि एनबीसीसी के माध्यम से बनाई गई अचल संपत्तियों के लिए रजिस्टर को मदवार मूल्यों के अभाव में बनाए नहीं रखा जा सकता। एनबीसीसी से ऐसी अचल संपत्तियों से संबंधित जानकारी मांगी गई है और जानकारी मिलने पर रजिस्टर बनाए जाएंगे।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि परिसंपत्तियों की पूरी सूची एनबीसीसी द्वारा बनाई और चालू की गई तथा संस्थान को सौंप दी गई। एनबीसीसी के अंतिम बिल में उपकरणों की अलग लागत न होने के कारण, परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग से नहीं लिया जा सका। हालांकि, संस्थान लेखांकन प्रणाली में आवश्यक रूप से आगे के रखरखाव और बाद में भौतिक सत्यापन के लिए उपकरण-वार लागत प्राप्त करने के लिए एनबीसीसी के साथ प्रयास कर रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अचल संपत्तियों की मदवार लागत का विवरण प्राप्त न होना अचल संपत्ति रजिस्टर न बनाए रखने का वैध आधार नहीं है। अर्जित अचल संपत्तियों की संख्या और प्रकार का विवरण रजिस्टर में दर्शाया जा सकता था और एनबीसीसी से प्राप्त होने के बाद मदवार मूल्य सम्मिलित किए जा सकते थे। इससे संपत्तियों का भौतिक सत्यापन आसान हो जाता।

11.3.5.6 आंतरिक नियंत्रण, निगरानी और परिचालन प्रदर्शन

संस्थान द्वारा आंतरिक नियंत्रण और निगरानी की प्रभावकारिता तथा संस्थान के परिचालन निष्पादन (अनुमानित आय की प्राप्ति के संदर्भ में) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) तिरुपति परिसर के लिए भूमि उपयोग प्रमाण पत्र का अभाव

तिरुपति परिसर का निर्माण चित्तूर जिले के रेनीगुंटा में कुरुकलवा गांव के सर्वेक्षण संख्या 211 और 212 पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई 14.21 एकड़ भूमि पर किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 फरवरी 2017 को उक्त भूमि के कृषि उपयोग से वाणिज्यिक उपयोग में भूमि उपयोग परिवर्तन के संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में प्रावधान किया गया था कि साइट को कुछ शर्तों के अधीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए नामित करने का प्रस्ताव था। शर्तों में से एक यह थी कि आवेदक तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण को विकास/रूपांतरण शुल्क का भुगतान करेगा।

तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने 27 मार्च 2019 को भूमि उपयोग/रूपांतरण शुल्क के लिए ₹15.48 लाख की मांग की और उक्त राशि संस्थान को एक सप्ताह के भीतर चुकानी थी। प्राधिकरण ने 27 अगस्त 2021 को संस्थान को एक सप्ताह के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने के लिए फिर से कहा। हालाँकि, संस्थान द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि संस्थान द्वारा तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण को रूपांतरण शुल्क के भुगतान की शर्त पूरी नहीं की गई थी, इसलिए वाणिज्यिक या संस्थागत उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का उपयोग अनियमित था। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 से तिरुपति परिसर में शैक्षणिक गतिविधियाँ चल रही थीं, भले ही अनुमत भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए था।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 7 अक्टूबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण को ₹15.48 लाख के भूमि रूपांतरण शुल्क के भुगतान को मंजूरी दी है। और यह कार्य पर्यटन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होने पर किया जाएगा।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि शुरू में संस्थान को यह नहीं बताया गया था कि भूमि रूपांतरण शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाना था। इस प्रकार, भूमि

रूपांतरण शुल्क की लागत कुल परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं थी। संस्थान की स्थापना के बाद, तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने संस्थान से भूमि रूपांतरण शुल्क का दावा किया। हालाँकि, निधि की कमी के कारण, भूमि रूपांतरण शुल्क का भुगतान प्राधिकरण को नहीं किया गया। संस्थान ने पहले ही मंत्रालय से इसके लिए निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जो प्रक्रियाधीन था।

(ख) नोएडा परिसर के लिए स्पष्ट भूमि स्वत्वाधिकार का अभाव

संस्थान के संचालक मंडल ने 22 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी पहली बैठक में नोएडा के सेक्टर 62 में उत्तरी भारतीय क्षेत्रीय पाककला संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। नोएडा परिसर का उद्घाटन अप्रैल 2018 में किया गया था और इसकी शैक्षणिक गतिविधियाँ वर्ष 2018-19 से शुरू हुईं।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नोएडा कैंपस की भूमि का दाखिलखारिज अभी तक नहीं हुआ है और भूमि का स्वामित्व भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के नाम पर है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नोएडा कैंपस द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किए जाने के कारण अभी तक व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की गई हैं।

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2023) कि नोएडा परिसर (जुलाई 2018) के साथ-साथ भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (मार्च 2018) की ओर से प्लॉट संख्या ए-35 की भूमि को भारतीय पाककला संस्थान के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजे गए थे।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि पत्र वर्ष 2018 में जारी किए गए थे और उसके बाद संस्थान के नाम पर भूमि का म्यूटेशन कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2023) कि संस्थान अपने नाम पर भूमि के म्यूटेशन के लिए नोएडा प्राधिकरण के संपर्क में था।

तिरुपति परिसर द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन न किए जाने तथा नोएडा परिसर के नाम पर भूमि का दाखिल-खारिज न किए जाने के कारण, दोनों परिसर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सके, जो कि आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक था।

(ग) कम राजस्व सृजन

मंत्रिमण्डल की मंजूरी के अनुसार, संस्थान वर्ष 2015-16 से कक्षाएं शुरू करने के संदर्भ में अपना परिचालन शुरू करेगा और अपने परिचालन के तीसरे वर्ष (अर्थात 2017-18) से, संस्थान विद्यार्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और अन्य राजस्व स्रोतों जैसे खाद्य दुकानों (भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन रेस्तरां, कैफे, बैंक्वेट) से आय, परामर्श शुल्क और केंद्रों की मान्यता और छात्रावास शुल्क से पर्याप्त आय उत्पन्न करके आत्मनिर्भर हो जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा अर्जित अनुमानित और वास्तविक आय के बीच बहुत बड़ा अंतर था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 11.6: संस्थान द्वारा अर्जित आय बनाम अनुमान

गतिविधि	कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार तिरुपति परिसर की अनुमानित आय	दोनों परिसरों (तिरुपति और नोएडा) की वास्तविक आय
संस्थागत शुल्क	परिचालन के पहले चार वर्षों के दौरान ₹17.62 करोड़	₹8.09 करोड़[60] (2018-19 से 2021-22)
खाद्य दुकानों से आय	परिचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान ₹5.26 करोड़	₹ 60,000 (2018-19 व 2019-20 में तिरुपति कैम्पस द्वारा बैंक्वेट्स से)
परामर्श शुल्क	परिचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान ₹2.30 करोड़	शून्य
केन्द्रों के प्रत्यायन / आधिकारिक मान्यता से आय	परिचालन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान ₹0.30 करोड़	शून्य

संस्थान भूमि संबंधी मुद्दों के कारण कोई भी व्यावसायिक संचालन शुरू करने में असमर्थ था, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां, भारतीय रेस्तरां, कैफे और बैंक्वेट जैसे बनाए गए बुनियादी ढांचे बेकार पड़े रहे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

[60] संस्थान ने वर्ष 2018-19 से अपने परिसरों से ही शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू कीं। इस प्रकार, 2018-19 से शुरू होने वाले चार वर्षों से संबंधित आय पर विचार किया गया है। हालाँकि, संस्थान ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, तिरुपति से भी शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित की थीं और इन दो वर्षों के दौरान ₹74.38 लाख की फीस अर्जित की गई थी।

चित्र 11.31
अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां (नोएडा परिसर)

चित्र 11.32
अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां (तिरुपति परिसर)

चित्र 11.33
भारतीय रेस्तरां (नोएडा परिसर)

चित्र 11.34
भारतीय रेस्तरां (तिरुपति परिसर)

चित्र 11.35
कैफे (तिरुपति परिसर)

नोएडा परिसर के प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि कैफे और कन्फेक्शनरी शॉप, भारतीय रेस्तरां, अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां और बैंक्वेट किचन का व्यावसायिक संचालन नोएडा प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा और संस्थान अपने नाम पर भूमि हस्तांतरित होने के बाद ही अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

तिरुपति परिसर के प्रबंधन ने कहा (जून 2023) कि प्रवेशों की कम संख्या के कारण लक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी कहा गया कि संस्थान व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानगत असुविधा के कारण उसे कोई कार्य नहीं मिल पा रहा था। हालाँकि, उसे आईआईटी, तिरुपति से तीन आउटडोर कैटरिंग ऑर्डर और श्री पद्मावती महिला विश्व विद्यालयम, तिरुपति से एक आउटडोर कैटरिंग ऑर्डर मिला था।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनुमानित आय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से है जिसे संस्थान के इष्टतम उपयोग के आधार पर तैयार किया गया था। हालाँकि, दोनों परिसरों का वर्तमान में कम उपयोग किया जा रहा था और इस तरह वास्तविक आय कम थी। कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण, संस्थान को छात्रों की संख्या बढ़ाने और व्यावसायिक स्थान का उपयोग करने में बहुत नुकसान हुआ। हालाँकि, दोनों परिसर कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की कोशिश कर रहे थे और अधिक प्रवेश पाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा कर रहे थे। व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने के लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमोदन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाएगा।

(घ) संस्थान के शासी निकाय की नियमित बैठकों का अभाव

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान के मामलों और आय तथा संपत्ति के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा, संस्थान के नियमों और विनियमों के अनुसार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकें हर छह महीने में एक बार होनी थीं। इसके अलावा, कार्यकारी और वित्त समिति, जिसकी अध्यक्षता सचिव (पर्यटन) करते थे और जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए, को तीन महीने में कम से कम एक बार मिलना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) मार्च 2023 तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की केवल चार बैठकें[61] हुईं, जबकि आवश्यक 18 बैठकें होनी चाहिए थीं। इन चार बैठकों में से 2019-20 से 2022-23 के दौरान केवल एक बैठक हुई। इसके अलावा, दूसरी, तीसरी और चौथी बैठकें क्रमशः 20 महीने, 26 महीने और 47 महीने के अंतराल पर आयोजित की गईं।

(ii) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने संस्थान के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद इसके कायाकल्प के लिए किसी ठोस रणनीतिक कार्य योजना पर चर्चा नहीं की। छात्रों की कम संख्या और इसके परिणामस्वरूप बुनियादी सुविधाओं का उपयोग न होना मुख्य चिंताएँ थीं, जिन पर बोर्ड द्वारा विस्तार से ध्यान नहीं दिया गया।

(iii) मार्च 2023 तक, कार्यकारी और वित्त समिति की केवल चार बैठकें[62] हुईं, जबकि आवश्यक 36 बैठकें होनी चाहिए थीं। इसके अलावा, तीसरी और चौथी बैठकें क्रमशः 21 महीने और 22 महीने के अंतराल पर आयोजित की गईं और 2019-20 से 2022-23 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई। कार्यकारी और वित्त समिति और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकों के एजेंडे में कोई तालमेल नहीं था।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कार्यकारी एवं वित्त समिति की नियमित बैठकों के अभाव के कारण संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी। बैठकें अनियमित रूप से आयोजित की गईं और बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई या निगरानी नहीं की गई।

पर्यटन मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2023) कि जब भी विचार और अनुमोदन के लिए एजेंडा होता है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कार्यकारी और वित्त समिति की बैठकें बुलाई जाती हैं। संस्थान के नियमों और विनियमों के अनुसार बैठकों के संचालन के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

11.3.6 निष्कर्ष

भारतीय पाककला संस्थान की स्थापना (मार्च 2014) एक विशेषज्ञ, शोध उन्मुख संस्थान के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी, जो भारतीय व्यंजनों के विभिन्न रंगों और

[61] ये बैठकें 22 जनवरी 2015, 29 सितम्बर 2016, 29 नवम्बर 2018 और 7 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गईं।

[62] बैठकें 27 मार्च 2014, 28 जुलाई 2014, 27 अप्रैल 2016 और 6 मार्च 2018 को आयोजित की गईं।

स्वादों को संरक्षित, प्रलेखित और बढ़ावा देगा। संस्थान ने वर्ष 2018-19 से तिरुपति और नोएडा में अपने स्वयं के परिसरों से परिचालन शुरू किया।

संचालन के पांच वर्षों के बाद भी, लेखापरीक्षा अवधि (अर्थात, 2018-19 से 2022-23 के बीच) के दौरान बीबीए (पाक कला) और एमबीए (पाक कला) पाठ्यक्रमों में छात्रों का औसत प्रवेश प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध सीटों का केवल 22 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत* था। संस्थान के दोनों परिसरों में योग्य नियमित शिक्षकों का अभाव था क्योंकि संस्थान के भर्ती नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। संस्थान खराब पुस्तकालय अवसंरचना तथा अपर्याप्त कंप्यूटर और अनुसंधान प्रयोगशाला से भी ग्रस्त था। हालाँकि संस्थान को भारतीय व्यंजनों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए भी संकल्पित किया गया था और इससे भारतीय व्यंजनों का एक डेटाबेस बनाने और भारतीय व्यंजनों का एक संग्रह प्रकाशित करने की उम्मीद थी, इस दिशा में संस्थान द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए थे।

मंत्रिमण्डल की मंजूरी के अनुसार, संस्थान को अपने संचालन के तीसरे वर्ष से आत्मनिर्भर होने का अनुमान था। हालांकि, बहुत कम छात्र प्रवेश और कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं होने के कारण संस्थान अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ था और इसलिए अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए राजस्व अनुदान के लिए पर्यटन मंत्रालय पर निर्भर था। राजस्व के अपने स्रोतों की कमी के कारण, संस्थान अपने बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर धन खर्च नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न परिसंपत्तियों और उपकरणों की हालत खराब हो गई। संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो इसके मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार था, ने मार्च 2014 में संस्थान की स्थापना के बाद से केवल चार बार बैठक की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सीमित बैठकों में संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न तो कोई रोडमैप तैयार किया और न ही यह सुनिश्चित किया कि इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यकारी और वित्त समिति द्वारा लागू किया जाए।

इस प्रकार, अपनी स्थापना के नौ वर्ष बाद भी संस्थान अभी तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो पाया है तथा अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है।

पर्यटन मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2023) कि भारत में पाक कला के बारे में जागरूकता की कमी है और इसलिए मंत्रालय अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कार्यक्रम को लोकप्रिय बना रहा है। इसके अलावा, संस्थान की समीक्षा बैठक के दौरान, पर्यटन मंत्री ने संस्थान के पुनरुद्धार पर समीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया (मार्च 2022)। विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संस्थान ने ₹35 करोड़ की एकमुश्त कॉर्पस निधि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो मंत्रालय में प्रक्रियाधीन था।

(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक) एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 03 अप्रैल 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 04 अप्रैल 2025

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I
(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय/विभाग

क्रम सं.	आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
1.	नागर विमानन
2.	कोयला
3.	वाणिज्य एवं उद्योग
4.	कॉर्पोरेट कार्य
5.	भारी उद्योग
6.	आवासन एवं शहरी कार्य
7.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
8.	खान
9.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
10.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
13.	इस्पात
14.	वस्त्र
15.	पर्यटन
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन विभाग
1.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
	वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग
2.	वित्तीय सेवाएँ विभाग
3.	निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
4.	लोक उद्यम विभाग

अनुलग्नक-II
(पैरा 1.2 में संदर्भित)

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकाय
(मार्च 2022 तक)

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	नागर विमानन
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	कोयला
4.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	वाणिज्य एवं उद्योग
5.	कॉफ़ी बोर्ड	
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद	
7.	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	
8.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट	
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	
11.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश	
12.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम	
13.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा	
14.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	
15.	रबड़ बोर्ड	
16.	स्पाइसेस बोर्ड	
17.	टी बोर्ड भारत	
18.	तंबाकू बोर्ड	
19.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कॉर्पोरेट कार्य
20.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड	

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
21.	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	
22.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	
23.	स्ट्रेस्ड असेट्स स्टेबिलाईजेशन फ़ंड	वित्तीय सेवाएँ विभाग
24.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	
25.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	
26.	विशेष तरलता योजना न्यास	
27.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड	भारी उद्योग
28.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसायटी[63]	
29.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आवासन एवं शहरी कार्य
30.	दिल्ली शहरी कला आयोग	
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	
32.	राजघाट समाधि समिति	
33.	कॉयर बोर्ड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
34.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	
35.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
36.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	
37.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	
38.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग
39.	चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण	
40.	कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण	
41.	दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण	
42.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	
43.	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण	

[63] *1 अप्रैल 2021 से राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसाइटी का राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड में विलय कर दिया गया है।*

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
44.	मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण	
45.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण	
46.	मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट	
47.	न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी	
48.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण	
49.	नाविक भविष्य निधि संगठन	
50.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट	
51.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	
52.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण	
53.	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण	
54.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	विद्युत
55.	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	
56.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए)	
57.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	
58.	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	लोक उद्यम विभाग
59.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	वस्त्र
60.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	
61.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	
62.	वस्त्र समिति	

अनुलग्नक-III
(पैरा 1.5 में संदर्भित)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	वह अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक जारी अनुदान)	मार्च 2021 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 31.03.2022 तक देय थे	
		लंबित उ. प्र. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86 से 2015-16	377	1587.63
	2016-17	127	417.29
	2017-18	153	478.74
	2018-19	280	918.60
	2019-20	297	1523.30
	कुल	**1,234**	**4,925.56**
वित्तीय सेवाएँ विभाग	2019-20	5	25.00
	2020-21	3	4,100.84
	कुल	**8**	**4,125.84**
वस्त्र मंत्रालय	2003-04 से 2015-16	956	88.92
	2016-17	332	582.01
	2017-18	366	23.09
	2018-19	359	23.78
	2019-20	559	68.92
	2020-21	2,289	208.43
	कुल	**4,861**	**995.15**
भारी उद्योग मंत्रालय	2003-04 से 2015-16	2	5.71
	2016-17	2	0.15
	2017-18	5	20.36

मंत्रालय/विभाग	वह अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक जारी अनुदान)	मार्च 2021 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 31.03.2022 तक देय थे	
		लंबित उ. प्र. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
	2018-19	11	23.87
	2019-20	21	106.45
	2020-21	45	216.99
	कुल	**86**	**373.53**
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2018-19	3	14.08
	2019-20	5	12.90
	2020-21	42	175.09
	कुल	**50**	**202.07**
नागर विमानन मंत्रालय	2020-21	1	2.36
	कुल	**1**	**2.36**
पर्यटन मंत्रालय	2010-11 से 2014-15	6	10.01
	2015-16	1	1.00
	2016-17	2	2.50
	2017-18	1	2.00
	2018-19	5	10.70
	2019-20	1	1.10
	2020-21	5	9.14
	कुल	**21**	**36.45**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2014-15	142	10.97
	2015-16	35	4.43
	2017-18	43	59.99

मंत्रालय/विभाग	वह अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक जारी अनुदान)	मार्च 2021 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 31.03.2022 तक देय थे	
		लंबित उ. प्र. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
	2018-19	39	137.23
	2019-20	221	544.43
	2020-21	380	806.38
	कुल	**860**	**1,563.43**
वाणिज्य विभाग	2003-04 से 2015-16	4	12.26
	2016-17	2	15.30
	2017-18	2	10.30
	2018-19	1	8.00
	2019-20	4	30.26
	2020-21	12	56.54
	कुल	**25**	**132.66**
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	2017-18	1	40.68
	2020-21	14	57.35
	कुल	**15**	**98.03**
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	2014-15	1	1.42
	2016-17	2	2.91
	2019-20	2	5.61
	2020-21	5	7.33
	कुल	**10**	**17.27**
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2020-21	1	50.00
	कुल	**1**	**50.00**

मंत्रालय/विभाग	वह अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2021 तक जारी अनुदान)	मार्च 2021 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 31.03.2022 तक देय थे	
		लंबित उ. प्र. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
लोक उद्यम विभाग	2014-15	1	0.01
	2015-16	7	0.37
	2017-18	1	0.06
	2019-20	1	0.10
	कुल	**10**	**0.54**
खान मंत्रालय	2017-18	5	0.79
	2018-19	13	2.20
	2019-20	11	1.73
	2020-21	49	43.67
	कुल	**78**	**48.39**
	कुल योग	**7,260**	**12,571.28**

अनुलग्नक-IV
(पैरा 1.6 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिनके वर्ष 2021-22 के खाते विलंब से प्रस्तुत किए गए

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**		
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	29.07.2022	29
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	04.11.2022	127
II.	**कोयला मंत्रालय**		
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	19.10.2022	111
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**		
4.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	02.08.2022	33
5.	कॉफ़ी बोर्ड	19.07.2022	19
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद	16.08.2022	47
7.	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	24.02.2023	239
8.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	12.09.2022	74
9.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश	30.09.2022	92
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम	16.09.2022	78
11.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा	29.08.2022	60
12.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	12.09.2022	74

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
13.	तंबाकू बोर्ड	01.09.2022	63
IV.	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**		
14.	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	24.08.2022	55
V.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**		
15.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	25.11.2022	148
16.	स्ट्रेस्ड असेट्स स्टेबिलाईजेशन फ़ंड	30.10.2022	122
VI.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**		
17.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	12.07.2022	12
18.	दिल्ली शहरी कला आयोग	28.07.2022	28
VII.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**		
19.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	29.07.2022	29
VIII.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		
20.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	25.10.2022	117
IX.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**		
21.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	29.07.2022	29
22.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	08.07.2022	8
23.	नाविक भविष्य निधि संगठन	01.12.2022	154
24.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	26.07.2022	26
X.	**विद्युत मंत्रालय**		
25.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	25.07.2022	25

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
26.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	22.07.2022	22
XI.	**वस्त्र मंत्रालय**		
27.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	10.08.2022	41
28.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	14.07.2022	14
29.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	18.11.2022	141

नोट: (1) केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा प्रस्तुत करने में 1-2 दिन की मामूली विलंब को उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

(2) दो केंद्रीय स्वायत्त निकाय अर्थात वस्त्र समिति एवं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खाते लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए (मार्च 2023 तक)।

अनुलग्नक-V
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित खातों को संसद में प्रस्तुत करने में विलंब

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	विलंब (दिनों में)
I.	**कोयला मंत्रालय**	
1.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	88
II.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**	
2.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	41
3.	निर्यात निरीक्षण परिषद	41
4.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	88
5.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश	88
6.	तंबाकू बोर्ड	76
III.	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**	
7.	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड	38
8.	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	87
IV.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**	
9.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	72
V.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**	
10.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	86
11.	राजघाट समाधि समिति	33
VI.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	
12.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	86
13.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	44

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	विलंब (दिनों में)
VII.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**	
14.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	83
15.	चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण	80
16.	कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण	34
17.	दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण	34
18.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	80
19.	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण	80
20.	न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी	34
21.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण	87
22.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट	80
23.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	34
24.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण	38
25.	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण	34
VIII.	**वस्त्र मंत्रालय**	
26.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	41

टिप्पणियाँ:

(1) ऐसे मामले जिनमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय द्वारा संसद में लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, उन्हें उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है तथा उन्हें रिपोर्ट के पैरा 1.7 में अलग से उल्लिखित किया गया है।

(2) अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2021-22 तक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने वार्षिक खातों को तैयार किए बिना एवं उनकी सीएजी से लेखापरीक्षा कराए बिना ही संसद में अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता रहा था।

अनुलग्नक-VI
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां
वर्ष 2021-22 के लिए

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**	
1.	**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए)**	**तुलन पत्र** **कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देयताएं** **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7): ₹5.83 करोड़** (i) एईआरए ने संयुक्त परिचालन कार्यालय के निर्माण के लिए एएआई, एईआरए एवं अन्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन (24 नवंबर 2016) के अनुसार धन की मांग (दिसंबर 2021) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को देय ₹8.54 करोड़ की देनदारी को मान्यता नहीं दी है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 तक चालू देनदारियों एवं प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹8.54 करोड़ कम दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। (ii) उपरोक्त में 25 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिए एईआरए में तैनात एएआई के कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹9.56 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मैनपावर हायरिंग पर प्रावधान एवं व्यय की राशि ₹9.56 करोड़ कम बताई गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी, हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
II.	**कोयला मंत्रालय**	
2.		**देयताएं** **पेंशन निधि खाता**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-03)** कोयला खान पेंशन योजना 1998 के पैरा-22 के अनुसार, आयुक्त बोर्ड द्वारा नियुक्त एक एक्चुअरी द्वारा हर तीसरे वर्ष पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगा। एक्चुअरी की सिफारिशें आयुक्त द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी। नवीनतम एक्चुअरी रिपोर्ट (अक्टूबर 2022) के अनुसार, पेंशन फंड की शुद्ध देयता ₹42,391.63 करोड़ आंकी गई थी। हालाँकि, सीएमपीएफओ ने इसके लिए देयता प्रदान नहीं की। पिछली एक्चुअरी रिपोर्ट (जुलाई 2021) में ₹62,400.00 करोड़ की देयता का आकलन किया गया था, जिसे नवीनतम रिपोर्ट (अक्टूबर 2022) द्वारा हटा दिया गया था। इस संबंध में देयता प्रदान न करने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं एवं प्रावधानों के साथ-साथ व्यय को ₹42,391.63 करोड़ कम दर्शाया गया है, तथा परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय की अधिकता को उसी राशि से अधिक दर्शाया गया है। वर्ष 2015-16 से इस मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी की गई है, लेकिन आज तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। वर्ष के दौरान, कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने खातों के नोट्स में खुलासा किया कि कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के संबंध में शुद्ध देयता ₹62,400.00 करोड़ है। ₹62,400.00 करोड़ की प्रकट देयता का मूल्यांकन जुलाई 2021 में एक्चुअरी द्वारा किया गया था, जिसे नवीनतम रिपोर्ट (अक्टूबर 2022) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालाँकि, खातों के नोटों में किए गए खुलासे में उपरोक्त शुद्ध देयता के लिए प्रावधान न बनाए जाने एवं वार्षिक खातों पर इसके प्रभाव के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस प्रकार, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की शुद्ध देयता के लिए वार्षिक खातों में किया गया खुलासा भी उसी सीमा तक अपर्याप्त था।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		पेंशन फंड खाता **निवेश (अनुसूची-04)** कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वित्तीय साधनों में ₹1,390.25 करोड़ का निवेश किया। शासन संबंधी चिंताओं एवं विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण, डीएचएफएल दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष चला गया (नवंबर 2019)। एनसीएलटी ने डीएचएफएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की एवं जून 2021 में समाधान योजना को मंज़ूरी दी। समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद, सीएमपीएफओ को किए गए निवेश के विरुद्ध ₹662.58 करोड़ प्राप्त हुए (सितंबर 2021), जिसके परिणामस्वरूप ₹727.67 करोड़ के निवेश की हानि हुई। इसलिए इस घाटे को खातों की किताबों से हटा दिया जाना चाहिए था। हालांकि, उपरोक्त निवेशों के घाटे को हिसाब में नहीं लिया गया था एवं सीएमपीएफओ ने अभी भी डीएचएफएल में ₹727.67 करोड़ का निवेश दिखाया था। इसके परिणामस्वरूप पेंशन निधि के निवेश एवं कोष को ₹727.67 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। वर्ष 2019-20 से इस मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी की गई है, हालांकि, आज तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**	
3.	**कॉफ़ी बोर्ड**	**सामान्य निधि** **तुलन पत्र** **संपत्ति (अनुसूची 8): ₹93,24,78,810** उपरोक्त में ₹35.66 करोड़ मूल्य के आर्थिक रूप से मूल्यवान पेड़ शामिल हैं। अनुसूची 25 के नोट संख्या 10 में कहा गया है कि आर्थिक रूप से मूल्यवान पेड़ों की क्षति को वास्तविक आधार पर दर्ज किया गया है। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान यह कहा गया कि

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		यह कार्य एक समिति को सौंपा गया है एवं यह प्रगति पर है। संशोधित मूल्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा 2020-21 के दौरान, प्रबंधन ने 2021-22 के वार्षिक खातों में इन पेड़ों के मूल्य को अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, चालू वर्ष के दौरान, यह कहा गया कि यह कार्य एक समिति को सौंपा गया है और यह प्रगति पर है। संशोधित मूल्य का लेखांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में इन वृक्षों के मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2022 तक बैलेंस शीट में दिखाए गए आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों के मूल्य की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। (ब) 2020-21 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों की रिपोर्टिंग में स्थिरता बनाए रखने के लिए मूल्य निर्धारण एवं क्षति हानि के आकलन के बारे में एक लेखा नीति अपनाने का सुझाव दिया। हालाँकि, बोर्ड द्वारा ऐसे वृक्षों के मूल्य निर्धारण एवं क्षति हानि के आकलन के बारे में एक उपयुक्त लेखा नीति नहीं अपनाई गई है।
		आय एवं व्यय खाता **आय: ₹1,76,39,27,876** बोर्ड की यह प्रथा है कि वह सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति खाते को डेबिट करके एवं कॉर्पस फंड को क्रेडिट करके लेखांकन मानक (एएस)-12 'अनुदानों के लिए लेखांकन' के पैरा 14 एवं खातों के एक समान प्रारूप के प्रावधानों के तहत 'आस्थगित आय' के रूप में लेखांकन करने के बजाय लेखांकन करता है। इसके परिणामस्वरूप आय को कम दर्शाया गया है तथा व्यय की तुलना में आय को ₹3.67 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित आय को कम करके दिखाया गया है एवं कॉर्पस/पूंजी निधि को ₹93.19 करोड़ से अधिक दिखाया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पद्धति

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसा कि खातों के एकसमान प्रारूप की अनुसूची 8 के नोटों एवं लेखा मानक (एएस) - 12 'अनुदानों के लिए लेखांकन' के पैरा 14 में निर्दिष्ट है। यह टिप्पणी कॉफी बोर्ड के वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के खातों पर भी उठाई गई थी। हालाँकि, बोर्ड ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
4.	**निर्यात निरीक्षण परिषद एवं निर्यात निरीक्षण एजेंसियां**	**देनदारियाँ** **वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधान (अनुसूची-8): ₹1,581.69 करोड़** **अन्य चालू देयताएँ: ₹1,176.88 करोड़** **केंद्रीय कोष ईआईए: ₹859.20 करोड़** **ईआईसी** ईआईसी केन्द्रीय कोष से धन निकालता रहा है तथा 2015-16 तक इसे ऋण मानता रहा है, लेकिन उसके बाद उसने गैर-योजना व्यय के लिए केन्द्रीय कोष से कोई निकासी नहीं दर्शाई है, हालांकि उसने इसके लिए धन निकालना जारी रखा है। ईआईसी ने गैर-योजना व्यय को अपने आय एवं व्यय खाते में दर्ज किया, तथापि, केन्द्रीय कोष से निकाली गई धनराशि को आय पक्ष में जमा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय, आय से अधिक हो गया। अपनाए गए लेखांकन उपचार के कारण, पूंजी/कॉर्पस फंड एक ऋणात्मक शेष दिखा रहा है जो 2021-22 तक के वर्षों में पूंजीकृत आय पर व्यय की अधिकता को दर्शाता है। सीएंडएजी ने पिछले वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अपनी अलग लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बताया कि 2015-16 तक ईआईसी द्वारा केंद्रीय कोष से निकाली गई राशि को 'ईआईए से ऋण' नहीं माना जा सकता है एवं ईआईसी को प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से ईआईए द्वारा हस्तांतरित 'अतिरिक्त निधि' की प्रकृति एवं उनके सही लेखांकन उपचार को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ईआईसी ने (2021-22) 'असुरक्षित ऋण' से 'केंद्रीय निधि खाते' में ₹62.74 करोड़ हस्तांतरित करने की

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		सुधार प्रविष्टि की, जो वर्ष 2015-16 तक ईआईसी का गैर-योजना व्यय था। हालाँकि, निम्नलिखित कारणों से सुधार उचित नहीं था: क) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 10(2) के अनुसार, इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के निर्वहन के उद्देश्य से, ईआईसी इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निकायों एवं संस्थानों से अनुदान एवं दान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्देश दिया (मई 2004) कि ईआईसी को उसकी गैर-योजना आवश्यकताओं के लिए कोई गैर-योजना निधि जारी नहीं की जाएगी। ईआईए के पास अधिशेष निधि ईआईसी को उसके व्यय को पूरा करने के लिए हस्तांतरित की जाएगी। इसलिए, ईआईसी द्वारा अपने गैर-योजना व्यय के लिए केंद्रीय कोष से निकाली गई राशि को अधिनियम एवं मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार माना जाना चाहिए था। ईआईसी को 2015-16 तक केंद्रीय कोष से गैर-योजना व्यय के लिए ₹62.74 करोड़ की राशि एवं 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय कोष से बाद में की गई निकासी के लिए सही लेखा-जोखा देने की आवश्यकता है। ख) इसके अलावा, ईआईसी ने केंद्रीय निधि से ₹71.88 करोड़ निकाले एवं इसका उपयोग योजनागत पूंजीगत व्यय के लिए किया, जैसे कि पूर्वी किदवई नगर में पट्टे पर किराये पर स्थान की खरीद (₹67.37 करोड़) एवं आंतरिक कार्य (₹4.51 करोड़)। ईआईसी को 31 मार्च 2022 तक किए गए पूंजीगत व्यय के लिए केंद्रीय निधि से विनियोजित राशि का सही लेखा-जोखा देने की आवश्यकता है इस प्रकार, जैसा कि पहले सलाह दी गई है, प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से उपरोक्त कार्य किया जा सकता है। इससे कॉर्पस/पूंजी निधि के ऋणात्मक शेष को सही किया जा सकेगा एवं केंद्रीय निधि राशि का चित्रण सही किया जा सकेगा।
		वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7): ₹7.87 करोड़ **ईआईए दिल्ली** ईआईए-दिल्ली की एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2022 तक ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के लिए बैलेंस

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		शीट में मान्यता प्राप्त देयता क्रमशः ₹2.26 करोड़ एवं ₹2.54 करोड़ हालाँकि, 31.03.2022 तक बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता ग्रेच्युटी के लिए ₹2.68 करोड़ एवं अवकाश नकदीकरण के लिए ₹2.63 करोड़ इस प्रकार, एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों एवं बैलेंस शीट में बताए गए आंकड़ों में अंतर है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए चालू देयताओं एवं प्रावधानों को ₹0.52 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा वर्ष के लिए अधिशेष को भी इतनी ही राशि कम दर्शाया गया है।
		अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-23): ₹18.96 करोड़ **पूर्व अवधि व्यय: ₹9.96 करोड़** **एमओडी पर ब्याज पर काटा गया टीडीएस: ₹4.38 करोड़** **ईआईसी** ईआईसी एक 'केंद्रीय कोष' का प्रबंधन करता है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के साथ सावधि जमा/बहु विकल्प जमा के रूप में ईआईए से प्राप्त धन शामिल है। इस कोष पर अर्जित बैंक ब्याज को पहले ईआईसी की आय के रूप में माना जाता था। पिछले लेखापरीक्षा में आपत्ति जताए जाने पर, ईआईसी ने वर्ष 2021-22 के दौरान 'केंद्रीय कोष' की जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के लेखांकन उपचार को 'निवेश से आय' शीर्ष से बदलकर 'चालू देनदारियों एवं प्रावधानों' शीर्ष के तहत 'केंद्रीय कोष खाता' कर दिया। तदनुसार, पिछले वर्षों में अर्जित ब्याज के लिए ₹117.76 करोड़ एवं चालू वर्ष के लिए ₹25.50 करोड़ की राशि केंद्रीय कोष खाते में जमा की गई। हालाँकि, उपरोक्त जमाराशियों पर अर्जित ब्याज पर ₹14.46 करोड़[64] की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को ईआईसी का व्यय मानते हुए आय एवं व्यय खाते में डाल दिया गया। 'केंद्रीय निधि' की जमाराशियों पर ब्याज आय के संबंध में उपर्युक्त सुधारात्मक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, टीडीएस से संबंधित लेखांकन उपचार गलत था क्योंकि व्यय अब केंद्रीय निधि खाते से

64 पिछले वर्ष की ब्याज आय से संबन्धित ₹10.08 करोड़ जिन्हें पहले ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत लेनदारियों के रूप में दर्शाया गया था और चालू वर्ष की ब्याज आय से संबन्धित ₹4.38 करोड़

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		संबंधित है। इस व्यय को केंद्रीय निधि खाते में चार्ज किया जाना चाहिए था न कि आय एवं व्यय खाते में। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय एवं घाटे को ₹14.46 करोड़ तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। परिणामस्वरूप, 'केंद्रीय कोष' को भी उसी राशि से अधिक दर्शाया गया।
		सामान्य **निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-3): ₹211.47 करोड़** **केंद्रीय निधि: ₹192.23 करोड़** **ईआईए कोलकाता** उपरोक्त में विविध भुगतान (केंद्रीय निधि) के रूप में ₹137.47 करोड़ शामिल हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआईसी ने 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान प्लॉट की खरीद, निर्माण कार्य, लैब खरीद एवं पेंशन फंड निवेश आदि के लिए केंद्रीय निधि के माध्यम से भुगतान किया था, जिसे ईआईए, कोलकाता ने विविध भुगतान (केंद्रीय निधि) के तहत दर्ज किया था। ईआईए, कोलकाता द्वारा 2016-17 में केंद्रीय निधि खाते को ईआईसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। कुल ₹137.47 करोड़ के विविध भुगतान में से, संबंधित अभिलेखों के अभाव में ₹33.78 करोड़ का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा ईआईए कोलकाता की पुस्तकों में ₹103.69 करोड़ के भुगतान के लिए समाधान/पूंजीकरण/प्रत्यावर्तन, जैसा भी मामला हो, आज तक नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 एवं 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बताए जाने के बावजूद, ईआईसी/ईआईए कोलकाता ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
5 .	**समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण**	**सामान्य** **31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता** **स्थापना व्यय: ₹41.46 करोड़** **प्रशासनिक व्यय: ₹17.43 करोड़**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		प्राप्ति एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष को ₹1.98 करोड़ अधिक दर्शाया गया था, क्योंकि प्रशासनिक व्यय में ₹1.52 करोड़ की राशि शामिल है, जो ग्रेच्युटी के एक्चुरियल मूल्यांकन (₹0.56 करोड़) एवं अवकाश नकदीकरण (₹0.96 करोड़) के कारण निवेश के लिए देय थी, जिसे अभी तक प्रेषित नहीं किया गया था। इसके अलावा, श्री आर. प्रभाकरन, लाइब्रेरियन को सेवानिवृत्ति लाभ के लिए स्थापना व्यय (₹0.46 करोड़) 31 मार्च 2022 तक देय थे एवं एक प्रावधान किया गया था।
6.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद**	1) वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए ₹10.63 लाख के वार्षिक पट्टा किराया भुगतान को मान्यता न देने के परिणामस्वरूप दो वर्ष की अवधि 2020-21 एवं 2021-22 के लिए व्यय को कम दिखाया गया है एवं अधिशेष आय को ₹21.26 लाख अधिक दिखाया गया है। 2) बेंगलुरु नगर निगम की मांग के विरुद्ध अवैतनिक संपत्ति कर को मान्यता न देने के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए व्यय को कम दिखाया गया है एवं अधिशेष आय को ₹34.02 लाख अधिक दर्शाया गया है।
7.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश**	**आय एवं व्यय खाता** **स्थापना व्यय (अनुसूची 14)** **ग्रेच्युटी अंशदान- शून्य** लेखापरीक्षा ने पाया कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश के पास ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए देयता पर कोई निर्धारित लेखा नीति नहीं है। संस्थान द्वारा लेखा पुस्तकों में ग्रेच्युटी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, लेखा मानक (एएस) 15 एवं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		वर्ष 2019-20 के लेखाओं में टिप्पणी संख्या सी.1 के माध्यम से इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
		आय एवं व्यय खाता **स्थापना व्यय (अनुसूची 14)** **भविष्य निधि अंशदान एनपीएस: ₹36.72 लाख** राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश ने अनुसूची 17 के नोट 1(i) में कहा है कि संस्थान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के साथ पंजीकृत है। एनपीएस के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, (ए) सभी मामलों में, जहां एनपीएस योगदान सरकारी कर्मचारी के वेतन से काट लिया गया था, लेकिन राशि केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) प्रणाली में नहीं भेजी गई थी या विलंब से भेजी गई थी, योगदान की राशि कर्मचारी के एनपीएस खाते में कटौती की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज सहित जमा की जा सकती है, जब तक कि राशि कर्मचारी के एनपीएस खाते में वास्तव में जमा नहीं हो जाती/थी, समय-समय पर सामान्य भविष्य निधि पर लागू दरों के अनुसार, वार्षिक रूप से संयोजित। विलंब की अवधि एनपीएस अंशदान की कटौती के महीने के अंतिम कार्य दिवस से लेकर सीआरए प्रणाली में भेजे जाने तक की गणना की जाएगी। इसी तरह, मार्च के महीने के मामले में, विलंब की अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले कार्य दिवस से मानी जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईडी-एपी संस्थान ने 31 मार्च 2022 तक लागू अंशदान पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। इस संबंध में खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में कोई खुलासा नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 के लेखाओं में टिप्पणी संख्या सी.2 के माध्यम से इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
8.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम**	संस्थान की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची-17) के अनुसार, "आवर्ती व्यय (सामान्य) के लिए केंद्र सरकार अनुदान" को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आय के रूप में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, 2021-22 के दौरान, संस्थान ने "अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 15)" (खानपान शुल्क-छात्रावास को छोड़कर, जो छात्रों से वसूलने योग्य हैं) शीर्षक के अंतर्गत ₹410.10 लाख की राशि खर्च की, लेकिन ₹442.50 लाख को आय (अनुदान से विनियोजन) (अनुसूची-12) के रूप में जमा किया। इस प्रकार, संस्थान द्वारा वास्तव में किए गए व्यय की तुलना में अनुदानों की अधिक मान्यता के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष को ₹32.40 लाख (₹442.50 लाख - ₹410.10 लाख) अधिक दर्शाया गया है एवं अनुदान एवं अंशदान (अनुसूची-3) को उसी राशि से कम दर्शाया गया है।
		लेखा नोट्स के पैरा-एच के अनुसार, ग्रेच्युटी को आय एवं व्यय खाते में, एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर चार्ज किया जाना चाहिए एवं इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड में योगदान दिया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि संस्थान ने न तो कोई ग्रेच्युटी फंड स्थापित किया है एवं न ही पॉलिसी में बताए अनुसार कोई एक्चुरियल मूल्यांकन किया है ताकि देयता के लिए प्रावधान किया जा सके।
9.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश**	**अचल संपत्ति (अनुसूची-6): ₹1,21,28,95,049** **प्रगति पर पूंजीगत कार्य-₹1,08,93,50,533** (क) उपरोक्त में संस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास के पहले चरण के दौरान किए गए ₹98.94 करोड़ के व्यय शामिल हैं, जिसमें शैक्षणिक ब्लॉक, पुस्तकालय, प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास, आवासीय भवन आदि का निर्माण शामिल है। पहले चरण का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। परिसर का उद्घाटन फरवरी 2019 में वर्चुअली किया गया था एवं आंशिक रूप से पूर्ण की गई सुविधाओं को जुलाई 2019 से उपयोग में लाया जा चुका है। संस्थान ने अभी

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		तक इसका पूंजीकरण नहीं किया है एवं ₹98.94 करोड़ के व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत रखा है। उपरोक्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को अधिक दर्शाया गया है तथा अचल परिसंपत्तियों (भवनों) को ₹98.94 करोड़ कम दर्शाया गया है। (ख) उपरोक्त में 01 अप्रैल 2020 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत ₹97,38,50,533 की राशि शामिल है। हालांकि, प्राप्त अनुदान के विरुद्ध एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों में ₹1,04,97,45,384 की राशि दर्शाई गई है एवं एनबीसीसी लिमिटेड की निधि स्थिति से पता चलता है कि 2019-20 तक क्लाइंट (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश) से प्राप्त राशि ₹98,94,46,000 थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद ने भोपाल में संस्थान के नए परिसर की स्थापना के लिए 31 मार्च 2020 तक उपयोग किए गए[65] अनुदान के रूप में ₹1,06,52,89,633 दिखाए थे। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश के खातों में स्पष्टता लाने के लिए इन आंकड़ों का मिलान किया जाना आवश्यक है।
		निर्धारित निधि (अनुसूची-2): ₹8,62,23,931 **चालू देयताएं (अनुसूची-5): ₹1,43,44,813** उपरोक्त में वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज के कारण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को देय ₹0.22 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। वर्ष 2021-22 के दौरान, मंत्रालय द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान पर ₹0.22 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया, जिसे मंत्रालय को वापसी योग्य वर्तमान देयता के रूप में दिखाने के बजाय अनुसूची-13 (अर्जित ब्याज) में दर्शाई गई आय के रूप में दर्ज किया गया।

[65] *भोपाल सहित नए परिसरों के निर्माण के लिए अनुदान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से दिया गया।*

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		इसके परिणामस्वरूप आय के साथ-साथ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश कॉर्पस फंड को ₹0.22 करोड़ अधिक दर्शाया गया है, तथा चालू देयताओं को भी इतनी ही राशि कम दर्शाया गया है।
10.	**रबड़ बोर्ड**	**देयताएं** **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7): ₹1,354.25 लाख** 'अग्रिम उपकर' शीर्ष के अंतर्गत ₹245.99 लाख की जगह ₹214.25 लाख की देनदारी शामिल है। अग्रिम उपकर में से ₹31.74 लाख की राशि बिना किसी मांग के भारत की संचित निधि में भेज दी गई। इसके परिणामस्वरूप 'अग्रिम उपकर ' शीर्षक के अंतर्गत चालू देयता में ₹31.74 लाख की कमी आई, क्योंकि बोर्ड की निर्माताओं के प्रति देयता पहले से ही मौजूद थी। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निधि में भी उतनी ही राशि की वृद्धि हुई।
11.	**स्पाइसेस बोर्ड**	**देयताएं** **निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): ₹285.26 करोड़** इन निधियों से निर्मित परिसंपत्तियों पर लगाए गए वार्षिक मूल्यह्रास के समतुल्य राशि द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में कटौती न करने तथा प्रत्येक वर्ष उसे आय के रूप में मान्यता न देने के परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों को अधिक दर्शाया गया तथा पूर्व अवधि की आय को ₹33.49 करोड़ से कम दर्शाया गया।
		अचल संपत्ति घटा मूल्यह्रास (अनुसूची 8): ₹179.50 करोड़ बोर्ड ने लैब उपकरणों के लिए ₹1.74 करोड़ की राशि अचल संपत्तियों में पूंजीकृत की , जबकि लैब उपकरणों के आयात के लिए ऋण पत्र खोलने के लिए बैंक में सावधि जमा किया। हालाँकि, 31 मार्च 2022 तक न तो लैब उपकरण प्राप्त हुए एवं न ही उनके लिए भुगतान किया गया।
		व्यय **स्थापना व्यय (अनुसूची 21): ₹55.01 करोड़** बोर्ड ने 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्ति लाभों पर ₹348.72 करोड़ की बीमांकिक देयता के मुकाबले ₹251.00 करोड़ का प्रावधान किया।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		इसके परिणामस्वरूप व्यय एवं चालू देयताओं में ₹97.72 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, बोर्ड ने 31 मार्च 2022 तक बीमांकिक देयता का पता नहीं लगाया है। वर्ष 2020-21 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कम प्रावधान पर एक टिप्पणी भी जारी की गई थी।
		सामान्य कर्मचारी पेंशन फंड के लिए निर्धारित निधि के अनुसार, बोर्ड ने विश्लेषणात्मक शुल्क से प्राप्त आय से निर्धारित निधि - पेंशन देयताओं में ₹10.00 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। पिछले वर्षों के दौरान भी इसी तरह की राशि हस्तांतरित की गई है। पेंशन फंड से निवेश की गई सावधि जमा में कुल राशि 31 मार्च 2022 तक ₹101.26 करोड़ थी। हालाँकि, बोर्ड की वार्षिक पेंशन देनदारियों को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए निर्धारित फंड से पूरा नहीं किया जाता है एवं इसे भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त सामान्य अनुदान सहायता से खर्च किया जाता है।
12.	**टी बोर्ड भारत**	**चालू परिसंपत्तियां (अनुसूची 11): ₹8,758.36 लाख** अनुसूचित जाति उपयोजना योजना के प्रावधानों के अनुसार, फैक्ट्री स्थापित होने/कार्य पूरा होने के बाद लाभार्थी को सब्सिडी एक ही किस्त में वितरित की जानी है। चाय बोर्ड ने फैक्ट्री के निर्माण की सुविधा के लिए लाभार्थी के साथ संयुक्त रूप से संचालित चालू खाते में ₹155.00 लाख (मार्च 2019) जमा किए। इस तरह जमा की गई राशि अभी तक लाभार्थी को वितरित नहीं की गई है एवं अभी भी खाते में पड़ी हुई है। चाय बोर्ड ने बैंक खाते में जमा करते समय इसे व्यय के रूप में दर्ज किया है। फैक्ट्री स्थापित होने तक इसे व्यय के रूप में मानने के बजाय अग्रिम माना जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों एवं रिजर्व को उपरोक्त सीमा तक कम करके आंका गया।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7): ₹47,499.33 लाख उपरोक्त में ₹21.56 लाख के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं जो पांच साल से अधिक समय पहले वितरित किए गए थे एवं लाभार्थियों के विवरण उपलब्ध न होने के कारण समायोजित नहीं किए गए थे। हालाँकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, खातों की पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों एवं प्रावधानों को कम दर्शाया गया है तथा आय की तुलना में व्यय की अधिकता को उपरोक्त सीमा तक कम दर्शाया गया है।
		वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7): ₹47,499.33 लाख उपरोक्त में एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर ₹1,705.10 लाख के संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान शामिल है। एक्चुरियल ने अवकाश नकदीकरण का मूल्यांकन करते समय 368 कर्मचारियों के कुल अवकाश शेष को गलत तरीके से 1,02,232 दिन मान लिया है, जबकि यह 96,418 दिन होना चाहिए था। इस प्रकार, कुछ कर्मचारियों के अवकाश शेष पर गलत विचार करने के परिणामस्वरूप संचित अवकाश नकदीकरण (राशि निर्धारित नहीं) के प्रावधान का दोषपूर्ण चित्रण हुआ है।
13.	**तंबाकू बोर्ड**	**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7)** **ए. वर्तमान देयताएं** **3. बकाया देयताएं (राजस्व): ₹1,113.61 लाख** (ए) उपरोक्त में जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के तहत देय जीएसटी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर देयता ₹478.17 लाख शामिल नहीं है। बोर्ड ने ₹478.17 लाख के करों का भुगतान न करने का निर्णय लिया है एवं गुंटूर डिवीजन के उप सहायक आयुक्त (एसटी) से अनुरोध किया है (23 मार्च 2022) कि वे जीएसटी अधिनियम की धारा 74(5) को लागू न करें, क्योंकि ये प्रस्ताव कानून के अनुसार नहीं हैं। जीएसटी अधिकारियों के लंबित निर्णय के कारण, बोर्ड ने

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		न तो जीएसटी अधिकारियों द्वारा पहचानी गई देयता के लिए प्रावधान किया है एवं न ही खातों का हिस्सा बनने वाले नोटों में आकस्मिक देयता के रूप में तथ्य का खुलासा किया है। (बी) उपरोक्त में ₹10.18 लाख की कर देयता शामिल नहीं है, जिसे जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के तहत जीएसटी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया है एवं तंबाकू बोर्ड को सूचित किया गया है (फरवरी 2022)। बोर्ड ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा उपरोक्त दावों के संबंध में भुगतान करने का निर्णय लिया (मार्च 2022)। हालांकि, बोर्ड ने इस संबंध में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों एवं प्रावधानों (अनुसूची-7) को ₹10.19 लाख कम करके दिखाया गया है एवं उसी राशि से वर्ष के लिए अधिशेष को अधिक करके दिखाया गया है।
		वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7) **बी. प्रावधान** **2(ए) ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन एवं अर्ध वेतन अवकाश (अल्पावधि) के लिए देयता: ₹787.38 लाख** **2(बी) ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन एवं अर्ध वेतन अवकाश (दीर्घावधि) के लिए देयता: ₹3,385.06 लाख** 31 मार्च 2022 तक ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन एवं अर्ध वेतन अवकाश के लिए देयता के प्रति अधिक प्रावधान के कारण उपरोक्त राशि को ₹79.06 लाख अधिक बताया गया है, क्योंकि अवकाश वेतन की गणना करते समय, वेतन को 50 प्रतिशत तक सीमित किए बिना, अर्ध वेतन अवकाश के भुगतान की गणना पूरे महीने के लिए की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन एवं अर्ध वेतन अवकाश के लिए देयता के प्रावधान को ₹79.06 लाख तक अधिक दर्शाया गया है - अल्पावधि के लिए ₹1.86 लाख एवं दीर्घावधि के लिए ₹77.20 लाख तक अधिक दर्शाया गया है तथा अधिशेष को भी इतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
IV.	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**	
14.	**भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली**	**आय एवं व्यय खाता** **अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 19): ₹27.79 करोड़** उपरोक्त में ₹1.68 करोड़ के पूर्व अवधि व्यय शामिल नहीं हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए 2019-20 के दौरान ₹10.99 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, लेकिन फर्नीचर एवं फिक्स्चर, बिजली के प्रतिष्ठानों की खरीद एवं दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए ₹3.17 करोड़ का उपयोग किया गया। सीसीआई ने 2018-19 के दौरान ₹0.08 करोड़ एवं 2019-20 से 2020-21 के दौरान ₹2.13 करोड़ इंटीरियर फिटआउट कार्यों पर खर्च किए एवं इसे राजस्व व्यय के रूप में माना। पिछले वर्षों में उठाए गए लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन में, सीसीआई ने ₹3.17 करोड़ को निर्धारित निधियों में जमा किया एवं फर्नीचर एवं फिक्स्चर (एफएंडएफ) एवं इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन (ईआई) के कारण ₹2.21 करोड़ (₹2.13 करोड़ + ₹0.08 करोड़) का पूंजीकृत व्यय किया। हालांकि, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹0.64 करोड़ (एफएंडएफ पर ₹0.48 करोड़ एवं ईआई पर ₹0.16 करोड़) का परिणामी संचित मूल्यह्रास आय एवं व्यय खाते में पूर्व अवधि व्यय के रूप में दर्ज करने के बजाय फंड पर लगाया गया था। इसी तरह, दंडात्मक ब्याज के लिए ₹1.04 करोड़ का भुगतान सीधे पूंजी निधि से डेबिट किया गया था। एएस-5 के अनुसार, पूर्व अवधि की वस्तुओं की प्रकृति एवं राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में अलग से इस तरह से प्रकट किया जाना चाहिए कि वर्तमान लाभ या हानि पर उनके प्रभाव को समझा जा सके। आय एवं व्यय खाते के माध्यम से राजस्व व्यय (जुर्माना एवं मूल्यह्रास) की सुधार प्रविष्टियों का लेखा न करने के परिणामस्वरूप, आय एवं व्यय खाते में पूर्व अवधि के व्यय को कम दिखाया गया एवं साथ ही आय एवं व्यय खाते में अधिशेष को ₹1.68 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		सामान्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए 2019-20 में ₹10.99 करोड़ एवं मंत्रालय से कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए 2020-21 में ₹5.15 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि उपरोक्त अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त हुए थे, इसलिए उन्हें निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। पिछले वर्ष के दौरान उठाए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन में, सीसीआई ने 2019-20 से 2021-22 के दौरान निर्धारित निधि बनाई एवं आवश्यक सुधार प्रविष्टियां की गईं। निर्धारित निधि का समापन शेष 31.03.2022 को ₹31.09 लाख के रूप में समायोजित प्रविष्टियों के बाद गणना की गई थी (जिसमें ₹11.38 लाख की ब्याज आय शामिल है) उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) में अनुदान का समापन शेष 31.03.2020 को ₹7.82 करोड़, 31.03.2021 को ₹ शून्य तथा 31.03.2022 को ₹ शून्य दर्शाया गया है। सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238 (1) में कहा गया है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र फॉर्म जीएफआर 12-ए में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसमें अनुदानों की अप्रयुक्त शेष राशि, अर्जित/सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज, प्राप्त अनुदान आदि का विवरण होना चाहिए। हालांकि, सीसीआई द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में अर्जित ब्याज की राशि शामिल नहीं थी। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 (8) में कहा गया है कि किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था को जारी किए गए अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय को खातों को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत के समेकित कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। सीसीआई द्वारा इसका अनुपालन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
15.	**भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड**	**तुलन पत्र** **संपत्ति: ₹35.12 करोड़** **अचल संपत्तियां (अनुसूची VIII): ₹2.23 करोड़** **सीडब्ल्यूआईपी/विकासाधीन परिसंपत्तियां: ₹0.89 करोड़** भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने आईबीबीआई, मयूर में बिना किसी अनुकूलन के एनआईसीएसआई को फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई-फाइल एमआईएस रिपोर्ट, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी मास्टर विवरण, मास्टर डेटा प्रबंधन, दौरा प्रबंधन प्रणाली, अवकाश प्रबंधन प्रणाली एवं अवकाश एमआईएस रिपोर्ट सहित ई-ऑफिस के कार्यान्वयन का काम सौंपा। भवन को ऋण स्वीकृत किया एवं 28 सितम्बर 2017 को ₹20.20 लाख का भुगतान किया। अवकाश प्रबंधन प्रणाली एवं अवकाश एमआईएस रिपोर्ट को छोड़कर सभी मॉड्यूल 12 नवम्बर 2018 से परिचालन में हैं। चूंकि ई-ऑफिस में अवकाश मॉड्यूल में शामिल अवकाश नियम आईबीबीआई के अवकाश नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए वर्तमान प्रारूप में उनका उपयोग नहीं किया जा सका एवं इसलिए आईबीबीआई के बोर्ड ने अवकाश मॉड्यूल को इन-हाउस विकसित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, ई-ऑफिस के निर्माण के लिए ₹20.20 लाख का भुगतान 2018-19 में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था, न कि इसे प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, नवंबर 2018 से मार्च 2021 की अवधि के लिए मूल्यह्रास, जो ₹20.20 लाख (2018-19: ₹4.04 लाख, 2019-20: ₹8.08 लाख एवं 2020-21: ₹8.08 लाख) बनता है, भी प्रदान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹20.20 लाख अधिक दर्शाया गया है तथा पिछले वर्षों के मूल्यह्रास को ₹20.20 लाख कम दर्शाया गया है, तथा परिणामस्वरूप कॉर्पस फंड को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम</th><th>खातों पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>खातों पर नोट्स:
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट - अनुसूची XXIII
नोट -9.7
आईबीबीआई ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि 'भारत के सार्वजनिक खाते' के तहत 'कॉर्पोरेट परिसमापन खाता' खोलने के बाद, 'अदावाकृत लाभांश' एवं 'परिसमापन प्रक्रिया में अवितरित आय' जमा करने के लिए खोले गए अलग-अलग बैंक खातों में पड़ी शेष राशि को कॉर्पोरेट परिसमापन खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, नोट में उपरोक्त सीमा तक कमी है।
पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण</td><td>तुलन पत्र
अचल संपत्तियां (अनुसूची-VIII)
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 के अनुरूप अचल संपत्ति अनुसूची (अनुसूची-VIII) तैयार नहीं की गई है। अनुसूची में कमियाँ इस प्रकार हैं:
(क) वर्ष के अंत तक कुल मूल्यह्रास के कॉलम में, प्राधिकरण ने वर्ष की शुरुआत में मूल्यह्रास को जोड़े बिना, केवल वर्ष 2021-22 के दौरान लगाए गए मूल्यह्रास की राशि दिखाई है।
(ख) नेट ब्लॉक शीर्षक के अंतर्गत केवल चालू वर्ष के आंकड़े दर्शाए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष के संगत आंकड़े नहीं दर्शाए गए हैं।</td></tr>
</table>

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		आय एवं व्यय खाता **बिक्री/सेवाओं/अन्य/केंद्र सरकार से बजटीय सहायता से आय (अनुसूची XII): ₹27.46 करोड़** वर्ष 2021-22 के दौरान, आईईपीएफए को केंद्र सरकार से ₹27.29 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त हुई एवं केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट में से स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, कार्यालय एवं अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन एवं प्रचार आदि जैसे विभिन्न मदों के तहत कुल ₹27.29 करोड़ का व्यय भी किया गया। हालाँकि, आईईपीएफए ने अपने आय एवं व्यय खाते में केंद्र सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता को ₹27.46 करोड़ दिखाया है, जो केंद्र सरकार से प्राप्त वास्तविक बजटीय सहायता से ₹0.17 करोड़ अधिक है। इसलिए, आईईपीएफए ने अपने आय एवं व्यय खाते में केंद्र सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता को ₹0.17 करोड़ बढ़ा कर दिखाया। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार से प्राप्त आय/बजटीय सहायता को ₹0.17 करोड़ अधिक दर्शाया गया तथा घाटे को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया।
		सामान्य **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-XXV)** कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 (नियम 2018) अधिसूचित (11 अक्टूबर 2018) किए। नियम, 2018 के खंड 3(3) में यह प्रावधान है कि "वित्तीय विवरण प्राधिकरण के कामकाज की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करेंगे"। इसके अलावा, उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित लेखा नीतियों में यह प्रावधान है कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए तथा लेखा की प्रोद्भव पद्धति पर आधारित होते हैं। हालांकि, यह देखा गया

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		कि आईईपीएफए ने अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 1-लेखा परंपरा (अनुसूची-XXV) को निम्नानुसार तैयार किया है: "जब तक अन्यथा न कहा जाए, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं एवं लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति के बजाय लेखांकन के नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में भी लेखांकन के नकद आधार का पालन किया गया था।" उपरोक्त लेखा नीति के आधार पर प्राधिकरण ने अपने खाते नकद आधार पर तैयार किए हैं। इस प्रकार, प्राधिकरण की लेखा नीति एवं वित्तीय विवरण आईईपीएफए (वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 एवं आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। **वित्तीय विवरण का प्रारूप** विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 (नियम 2018) के अनुसार, खातों की अनुसूची III प्राप्त निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से संबंधित है एवं जिसे अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के तहत प्रकट किया जाना है। यह देखा गया कि आईईपीएफए को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से परिभाषित बजटीय शीर्ष के तहत अपने खर्चों के लिए बजटीय सहायता या आवंटन प्राप्त होता है एवं प्राधिकरण को कोई अलग अनुदान या कॉर्पस फंड आवंटित नहीं किया जाता है। हालाँकि, प्राधिकरण ने अपने खातों की अनुसूची-III (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि) में 31 मार्च 2022 तक अचल संपत्तियों के मूल्य से मिलान करने के लिए एक विपरीत प्रविष्टि के रूप में, निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय शीर्ष के तहत ₹0.35 करोड़ की राशि शामिल की है, जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, आईईएफपीए ने प्राप्त निधि का कोई ब्योरा एवं उक्त निधि के चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष के दौरान शुरुआती एवं समापन शेष का खुलासा नहीं

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		किया है, जिसके विरुद्ध खातों की अनुसूची-III के तहत निधि का उपरोक्त उपयोग दिखाया गया है।
		वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 के पैरा 5(2) एवं (3) के अनुसार, वार्षिक लेखा विवरण प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से अधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित एवं अपनाया जाएगा तथा प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, उस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्राधिकरण के अनुमोदित खातों को लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जाएगा। यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए आईईएफपीए के वार्षिक खातों को आईईएफपीए द्वारा 12 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में अपनाया गया था। हालाँकि, स्वीकृत खातों पर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं एक सदस्य के बजाय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार, वार्षिक खातों पर हस्ताक्षर विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा, यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए आईईएफपीए के वार्षिक खातों पर तारीख का भी उल्लेख नहीं किया गया है।
V.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**	
17.	**पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली**	**तुलन पत्र** **देयताएं** **निर्धारित/बंदोबस्ती निधि- (अनुसूची-3): ₹2.50 करोड़** उपरोक्त में 31 मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एवं स्वावलंबन योजना के लिए सरकार से प्राप्त ₹51.46 करोड़ की अप्रयुक्त अनुदान सहायता शामिल नहीं है। पीएफआरडीए (खातों

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम 2015 के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग-अलग निधि के रूप में दिखाया जाना चाहिए एवं किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, उसके लिए किए गए भुगतान, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि को केवल संबंधित निधि के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएफआरडीए ने खातों की अनुसूची-1 में अप्रयुक्त कॉर्पस फंड के समापन शेष के रूप में ₹51.46 करोड़ की राशि दर्शाई थी। इन निधियों को पीएफआरडीए की पूंजी/कॉर्पस फंड के रूप में दर्शाने एवं ऐसे फंडों पर ब्याज को पीएफआरडीए की ब्याज आय के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों को कम करके दिखाया गया एवं चालू देनदारियों को ₹51.46 करोड़ अधिक दिखाया गया। एपीवाई के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान एवं स्वावलंबन योजना एवं एपीवाई अनुदानों की शेष राशि पर अर्जित ब्याज तथा इन अनुदानों से किए गए व्यय के गलत उपचार ने आय एवं व्यय खाते को प्रभावित किया है क्योंकि (ए) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) में ₹172.09 करोड़ (बी) अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय (अनुसूची-22) में ₹16.56 करोड़ (सी) अनुदान एवं सब्सिडी (अनुसूची-13) में ₹203.00 करोड़ (एपीवाई के लिए अनुदान); एवं (डी) अर्जित ब्याज (अनुसूची-17) में ₹0.57 करोड़ की वृद्धि हुई है। एपीवाई के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान एवं उस पर अर्जित ब्याज तथा स्वावलंबन एवं एपीवाई अनुदानों से किए गए सभी व्यय को अनुसूची 3-निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि के माध्यम से किया जाना चाहिए था। हालाँकि, 2021-22 में निर्धारित निधियों पर इस विसंगति के वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि पिछले वर्ष के अप्रयुक्त कॉर्पस का प्रारंभिक शेष/समापन शेष पिछले वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान के गलत लेखांकन के कारण था। 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 को समाप्त वर्षों के लिए एसएआर में बार-बार बताए जाने के बावजूद, पीएफआरडीए

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		ने उपर्युक्त अनुदानों को 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' के तहत नहीं दर्शाया है।
VI.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**	
18.	**दिल्ली विकास प्राधिकरण**	**नजूल - I** **तुलन पत्र** **संपत्ति** **विविध देनदार: ₹105.91 करोड़ (अनुसूची डी)** डीडीए को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के तहत ' नजूल समझौते' के माध्यम से पूर्ववर्ती दिल्ली सुधार ट्रस्ट के अधीन रखी गई सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारियों से ब्याज सहित क्षति शुल्क वसूलने का अधिकार है। हालांकि, 2018-19 से बार-बार टिप्पणी किए जाने के बावजूद, डीडीए ने क्षति शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की है।
		नजूल -II **1) प्राप्ति एवं भुगतान खाता** **अन्य विविध प्राप्तियां: ₹57.64 करोड़** अन्य विविध प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई ₹57.64 करोड़ की राशि का विवरण संबंधित संपत्ति से स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जा सकी एवं न ही उसका मिलान किया गया। इसके अलावा, बिना किसी विवरण के विविध प्राप्तियों के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि की बुकिंग के लिए डीडीए द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है। विवरण/मिलान के अभाव में, ₹57.64 करोड़ की विविध प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी। यह मुद्दा 2019-20 एवं 2020-21 में भी उजागर हुआ था।
		2) बैलेंस शीट एवं आय-व्यय खाता तैयार न करना नजूल- II भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान गतिविधियों से संबंधित है। नजूल-II खातों के संबंध में, डीडीए ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		खाता तैयार किया था। परिणामस्वरूप, नजूल- II खातों की संपत्ति एवं देनदारियाँ तथा आय एवं व्यय को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है। नजूल- II के लिए बैलेंस शीट एवं आय-व्यय लेखा तैयार न किए जाने पर बार-बार टिप्पणी कर रही है। हालाँकि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
		सामान्य विकास खाता **1) खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार खातों को तैयार न करना** प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची एन) की मद संख्या 3 के अंतर्गत कहा है कि सामान्य विकास खाते के वित्तीय विवरण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित खातों के सामान्य प्रारूप में तैयार किए जाते हैं। हालांकि, नीचे दिए गए मुद्दों के मद्देनजर यह कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है: i. खातों के सामान्य प्रारूप के अनुसार, निवेश - निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से तथा निवेश - अन्य को अलग से दिखाया जाना चाहिए। हालांकि, रिजर्व फंड निवेश से संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों में ₹1,134.63 करोड़ का निवेश चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों (अनुसूची एफ) के अंतर्गत शामिल किया गया था। ii. खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का खुलासा लागत/बही मूल्य पर किया जाना चाहिए, हालांकि, ऐसे मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच का अंतर बैलेंस शीट के नोट्स में दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि अंतर का खुलासा खातों के नोट्स में नहीं किया गया था।
		2) देयताएं **अन्य देयताएं** **विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम राशि : ₹591.85 करोड़**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		आवंटियों से अग्रिम राशि - पुनर्वास भूमि मंत्रालय: ₹0.62 करोड़ डीडीए ने 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम' के रूप में ₹591.85 करोड़ एवं 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम' के रूप में ₹0.62 करोड़ को मान्यता दी है। पुनर्वास भूमि मंत्रालय' अन्य देयताएं (अनुसूची सी) शीर्ष के अंतर्गत। इस संबंध में, आवंटियों से प्राप्त अग्रिमों का आवंटी-वार विवरण, प्राप्ति की तारीख एवं आवंटन की वर्तमान स्थिति डीडीए के पास उपलब्ध नहीं है, सिवाय ₹135.78 करोड़ के, जो नरेला में एमआईजी मकानों की बिक्री के कारण दिल्ली पुलिस से प्राप्त राशि है। उपरोक्त विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम' एवं 'आवंटियों से अग्रिम - पुनर्वास भूमि मंत्रालय' शीर्ष के अंतर्गत ₹456.69 करोड़ की शेष राशि की शुद्धता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ था। इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
		3) संपत्ति **प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹9.89 करोड़** ● 15 *प्रतिशत* ओवरहेड शुल्क पर विचार न किए जाने के कारण उपरोक्त राशि ₹0.49 करोड़ कम दर्शाई गई। ● तेहखंड गांव में सामुदायिक भवन-सह-वाचनालय से संबंधित ₹3.27 करोड़ की लागत शामिल है। हालांकि सामुदायिक भवन का काम 28 अगस्त 2015 को पूरा हो गया था, लेकिन इसे पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को ₹3.27 करोड़ से अधिक दिखाया गया, अचल संपत्तियों को ₹1.56 करोड़ से कम दिखाया गया एवं मूल्यह्रास तथा घाटे को ₹1.71 करोड़ से कम दिखाया गया। ● उपरोक्त में ₹6.63 करोड़ (ओवरहेड्स को छोडकर) शामिल हैं जिसे विकास भवन में केंद्रीय एयर कंडीशनिंग प्रणाली की आपूर्ति एवं स्थापना पर खर्च किया गया है। यद्यपि कार्य पूरा हो गया

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		था एवं 09 मार्च 2022 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तथापि, 31 मार्च 2022 तक इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को ₹6.63 करोड़ अधिक दिखाया गया, अचल संपत्तियों को ₹7.24 करोड़ कम दिखाया गया एवं वर्ष के लिए मूल्यह्रास के साथ-साथ घाटे को ₹0.38 करोड़ कम दिखाया गया।
		4) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची एफ): ₹18,760.17 करोड़ **विविध देनदार: ₹479.59 करोड़** खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स (अनुसूची ओ) के नोट नंबर 11 में खुलासा किया गया है कि 31 मार्च 2022 तक विविध देनदारों का पार्टीवार एवं आयुवार विवरण, विधिवत समेटा हुआ आसानी से उपलब्ध नहीं था। डीडीए देनदारों का पार्टीवार एवं आयुवार ब्रेकअप (₹251.11 करोड़ के जल शुल्क को छोड़कर) नहीं रख रहा था; इस तरह लेखापरीक्षा ₹228.48 करोड़ की राशि के विविध देनदारों की प्रामाणिकता, अस्तित्व एवं वसूली के बारे में आश्वासन नहीं दे सका। खातों के नोट्स में केवल यह खुलासा कि देनदारों का समाधान नहीं किया गया था, पर्याप्त नहीं था। भले ही 2013-14 से पिछले पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इस बिंदु को बार-बार उठाया गया था, डीडीए आज तक विविध देनदारों का पार्टीवार एवं आयुवार विवरण नहीं रख पाया है।
		5) आय एवं व्यय खाता **स्थापना एवं प्रशासन (अनुसूची के)** **स्थापना व्यय** **नई पेंशन योजना में योगदान: ₹13.10 करोड़** केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों के लिए नियोक्ता का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया। यह नियम 01.04.2019 से प्रभावी होगा एवं केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान की दरों में वृद्धि के कारण प्रदान किए जाने वाले ₹6.22 करोड़ के मुकाबले, खातों में केवल ₹3.40 करोड़ की राशि प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.82 करोड़ की सीमा तक कम प्रावधान हुआ। इसके लिए गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान के प्रति देयता एवं घाटे को ₹2.82 करोड़ से कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने दो इकाइयों के संबंध में विवरण एवं नियोक्ता के अंशदान के प्रेषण के विवरण के साथ-साथ एनपीएस के लिए कर्मचारियों से ट्रस्टी बैंक खाते में की गई वसूली का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अभाव में, विलंबित धन प्रेषण के कारण ब्याज के प्रति कम प्रावधान के साथ-साथ देयता, यदि कोई हो, की सही मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।
		6) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची - एन) **इन्वेंटरी (मद संख्या 6)** महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची एन) की मद संख्या 6 के अनुसार, इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लेखांकन मानक - 2 का पैरा 25 'इन्वेंट्री के मूल्यांकन' से संबंधित यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर एनआरवी का मूल्यांकन किया जाना है। डीडीए द्वारा एनआरवी का ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप एएस-2 एवं महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 6 का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, खातों का हिस्सा बनने वाले नोटों में इन्वेंट्री के गैर-मूल्यांकन का उचित रूप से खुलासा नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		7) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित लेखांकन मानक-1 के पैरा 24 में कहा गया है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का खुलासा किया जाना चाहिए। हालांकि, डीडीए द्वारा वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेखांकन नीतियों का खुलासा किया गया था, लेकिन वित्तीय विवरणों में 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक संपत्ति' पर लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान इस मुद्दे को उजागर किया गया था; हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
		8) निर्धारित निधियां - नोट संख्या 9 ● नोट सं 9(i) के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि ₹4,997.87 करोड़ थी। इस निधि के विरुद्ध, कुल निवेश ₹4,771.24 करोड़ है (जिसमें ₹4701.69 करोड़ का निवेश, ₹2.38 करोड़ का बैंक बैलेंस एवं ₹67.17 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है)। हालाँकि, अनुसूची ई - निर्धारित/बंदोबस्ती निधि की संपत्ति के अनुसार, कुल निवेश ₹4,771.36 करोड़ (राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए ₹3,363.89 करोड़, सावधि जमा में निवेश किए गए ₹1,337.78 करोड़, बचत बैंक खातों में निवेश किए गए ₹2.38 करोड़ एवं निवेश पर अर्जित ब्याज ₹67.31 करोड़) के रूप में उल्लेखित है। इस प्रकार, ₹0.12 करोड़ का अंतर है, जिसे सुलझाया जाना आवश्यक है। ● नोट सं 9(vi) के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक ईडब्लूएस हाउसिंग रिजर्व बैलेंस ₹570.43 करोड़ था, जो शेड्यूल बी निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से मेल नहीं खाता, जिसके अनुसार ईडब्लूएस हाउसिंग रिजर्व का बैलेंस ₹323.78 करोड़ था। इस प्रकार, ₹246.65 करोड़ के अंतर को समेटने की आवश्यकता है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		• नोट सं 9(vi) के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक इन्वेंट्री का शेष ₹3,012.62 करोड़ था, जो अनुसूची ई से मेल नहीं खाता है, जिसके अनुसार इन्वेंट्री का शेष ₹2,753.67 करोड़ था। इस प्रकार, अंतर ₹258.95 करोड़ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
VII.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**	
19.	**कॉयर बोर्ड**	**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7): ₹1,89,61,69,000** **प्रावधान: ₹180,36,85,000** कॉयर बोर्ड ने पिछले वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2021 तक) के लिए निर्धारित बीमांकिक देयता के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान किया है, जबकि चालू वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के लिए खातों को अंतिम रूप देने से पहले उपलब्ध थी। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार खातों में किया जाने वाला संचित प्रावधान ₹176,17,15,113 है। इसके विपरीत, बोर्ड ने ₹180,36,85,000 का प्रावधान बनाए रखा है, जिसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं एवं प्रावधानों, स्थापना व्यय एवं व्यय पर आय की अधिकता को ₹4,19,69,887 से कम करके दिखाया गया है।
20.	**खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग**	**लेखांकन कन्वेन्शन** महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची 18) के तहत, यह खुलासा किया गया था कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेन्शन के आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखांकन कन्वेन्शन पर खातों के एक समान प्रारूप पर विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के अनुसार, "लेखांकन लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित होगा एवं "गोइंग कंसर्न" की अवधारणा को बनाए रखना होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक खातों को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार एवं अनुमोदित विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम</th><th>खातों पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कॉर्पस/पूंजी निधि

इसमें ₹27.20 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो व्यय से आय की अधिकता है। खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार, व्यय से आय की अधिकता को कॉर्पस/पूंजी निधि में जोड़ा जाना है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजी निधि को कम करके दिखाया गया है एवं रिजर्व एवं अधिशेष को ₹27.20 करोड़ से अधिक दिखाया गया है।</td></tr>
<tr><td>VIII.</td><td colspan="2">पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>तेल उद्योग विकास बोर्ड</td><td>31 मार्च 2022 तक, बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को ₹18,917.94 लाख (अनंतिम) का संचयी घाटा हुआ एवं इसकी नकारात्मक निवल संपत्ति ₹11,410.92 लाख (अनंतिम) थी। हालाँकि, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप 'व्यय से अधिक आय' को ₹5,034.00 लाख तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>'व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को भी ₹9,865.00 लाख तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया, जिसका कारण था:

i) बिएको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए ₹1,200.00 लाख के ब्रिज लोन का प्रावधान न किया जाना।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से सुरक्षित ऋण एवं आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान बीएलएल को दिए गए ₹8,665.00 लाख के ऋणों का प्रावधान न किया जाना।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2020-21 में ₹47.00 लाख की 'भूमि-लीजहोल्ड नोएडा भूमि' के विपूंजीकरण की स्थिति में, आय एवं व्यय खाते में ₹21.00 लाख (यानी अग्रिम लीज किराया) चार्ज करने एवं 'लीज भूमि पर भवन' के लिए ₹26.00 लाख पूंजीकरण करने के बजाय, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने 'लीज भूमि पर भवन' के लिए ₹47.00 लाख की</td></tr>
</table>

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		पूरी राशि को पूंजीकृत किया है। इसके अलावा, अग्रिम लीज किराए की पूंजीकृत राशि के विरुद्ध ₹3.99 लाख की राशि मूल्यह्रास (2020-21 एवं 2021-22) के रूप में चार्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप 'व्यय पर आय की अधिकता' को ₹17.01 लाख से अधिक दर्शाया गया है।
22.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड**	**तुलन पत्र** **पीएनजीआरबी फंड (अनुसूची-1) : ₹35,519.65 लाख** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के पास 31 मार्च 2022 तक ₹35,519.65 लाख की राशि का पीएनजीआरबी फंड नामक कॉर्पस फंड है। यह पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार अधिकृत संस्थाओं से विभिन्न शुल्क, फीस, दंड आदि लगा रहा है/एकत्र कर रहा है। चूंकि पीएनजीआरबी द्वारा अर्जित राजस्व भारत सरकार की ओर से प्राप्त सार्वजनिक धन है, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत परिभाषित सार्वजनिक खाते का हिस्सा होना चाहिए था। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया (जनवरी 2005) कि विनियामक निकायों के धन को सार्वजनिक खाते में रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जिससे उनकी स्वतंत्र स्थिति की रक्षा हो सके। अप्रैल 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा उन्हीं निर्देशों को दोहराया गया। पीएनजीआरबी फंड का संचालन सार्वजनिक खाते के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस फंड को सावधि जमा/चालू/कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा खातों में रखा गया है, जबकि वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इसके वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सीएजी की टिप्पणी के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर किया गया है। चूंकि 31 मार्च 2022 तक पीएनजीआरबी फंड की राशि भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जानी थी, इसलिए इसे 'कॉर्पस/कैपिटल फंड - पीएनजीआरबी फंड' के बजाय 'अन्य चालू देनदारियों' के तहत

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'कॉर्पस/कैपिटल फंड-पीएनजीआरबी फंड (अनुसूची-1)' का बढ़ाकर वर्णन किया गया है। एवं 'अन्य चालू देयताएं (अनुसूची-7)' में प्रत्येक की राशि ₹35,519.65 लाख कम दर्शाई गई है।
23.	**राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी**	**तुलन पत्र** **कॉर्पस/पूंजी निधि (अनुसूची 1): ₹1,369.45 करोड़** इसमें राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को विभिन्न तेल पीएसयू से प्राप्त ₹583.10 करोड़ शामिल हैं, जो इस निधि से अर्जित ब्याज आय से संस्थान के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए हैं। तेल कंपनियों के इस योगदान को एंडोमेंट फंड के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, इसे निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3) के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'कॉर्पस/पूंजी निधि' को ₹583.10 करोड़ अधिक एवं 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' को ₹583.10 करोड़ कम दर्शाया गया है।
		अचल संपत्तियां (अनुसूची 6): ₹436.59 करोड़ **प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी): ₹53.94 करोड़** राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के असम केंद्र के लिए मार्च 2017 तक विभिन्न कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक कार्यालयों आदि का निर्माण किया गया था, जिस पर ₹9.97 करोड़ की लागत आई थी, जिसे प्रशिक्षण के लिए विभिन्न बैच चलाकर अक्टूबर 2017 तक उपयोग में लाया गया। हालाँकि, उक्त परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों के बजाय प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में वर्गीकृत रखा गया था एवं इसलिए, कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया था, जो अक्टूबर 2017 से मार्च 2022 तक ₹0.57 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹9.97 करोड़ अधिक दर्शाया गया, अचल परिसंपत्तियों को ₹9.40 करोड़ कम

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		दर्शाया गया तथा मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित) को ₹0.57 करोड़ कम दर्शाया गया।
		आय एवं व्यय खाता **पूर्व अवधि समायोजन (अनुसूची-16): ₹6.12 करोड़** 2020-21 के लिए मूल्यह्रास की राशि के बराबर 'आस्थगित राजस्व आय' की राशि का गैर-हिसाब रखने के परिणामस्वरूप 'आस्थगित राजस्व आय' को कम दिखाया गया एवं 'पूंजी निधि' को ₹4.98 करोड़ प्रत्येक की सीमा तक अधिक दिखाया गया।
		सामान्य सदन के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (5वीं लोक सभा) 1975-76 की सिफारिशों के अनुसार एवं सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 के अनुसार, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) को सीएजी द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा के लिए 30 जून तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने थे एवं वार्षिक रिपोर्ट 31 दिसंबर तक संसद के समक्ष रखनी थी। आरजीआईपीटी ने, हालाँकि, वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक लेखे 25 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत किए, अर्थात निर्धारित तिथि से लगभग साढ़े तीन महीने की विलंब के बाद।
IX.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**	
24.	**कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता**	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान' शीर्षक में ₹13.93 लाख की राशि शामिल है, जो पीएफ ट्रस्टी को देय बकाया ऋण (डॉक क्लेरिकल एवं सुपरवाइजरी वर्कर्स स्कीम से संबंधित) है। इस ऋण पर 9 प्रतिशत का साधारण ब्याज लगाया गया है। 2019-20 तक एवं 2020-21 से 7 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हालांकि, कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड ने 2007-08 से बकाया राशि पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया है। उपर्युक्त के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप 'वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधान' को कम करके दिखाया गया है एवं साथ ही आय पर व्यय की अधिकता ₹17.27 लाख प्रत्येक है। वर्ष 2020-21

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		के लिए खातों पर टिप्पणी जारी करने के बावजूद, प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
		'चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम' शीर्षक में ₹38.16 लाख (कल्याण निधि से संबंधित) की राशि शामिल है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्ववर्ती कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) से प्राप्त होने वाली राशि है, जो प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है कि 15 वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। चूंकि, बकाया राशि बहुत पुरानी है एवं शेष राशि की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए खातों में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त शीर्ष को अधिक दर्शाया गया है, तथा आय पर व्यय की अधिकता को ₹38.16 लाख कम दर्शाया गया है।
25.	**चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण**	**निधियों का स्रोत** **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - अनुसूची XII: ₹1,174.28 करोड़** **ए)** सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (सिकाल) ने लीज अवधि समाप्त होने से पहले 2016 में जेडी वी बर्थ सरेंडर कर दिया एवं इसके बाद चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी (सीएचपीए) ने शेष लीज अवधि के लिए न्यूनतम गारंटी शुल्क का दावा किया। बाद में, इस मामले पर सिकाल द्वारा उठाए गए विवाद पर एक मध्यस्थता मामले में एक मध्यस्थता पुरस्कार (सितंबर 2019) के अनुसार, सिकाल द्वारा जमा की गई राशि एवं सिकाल द्वारा सीएचपीए को भुगतान किए गए शुल्क के अलावा ₹0.60 करोड़ की राशि एवं ब्याज देय है, जैसा कि पहले निर्देश/लगाया गया था। अपने खातों में, सीएचपीए ने जेडी वी दीर्घ अवधि पट्टे के शीर्षक के तहत सिकाल को देय ₹2.41 करोड़ की राशि का हिसाब लगाया था। इसके अलावा, सीएचपीए ने सिकाल से जमा राशि के तहत ₹1.62 करोड़ की राशि का भी हिसाब लगाया। ₹1.62 करोड़ की जमा राशि के विरुद्ध, ₹0.71 करोड़ (₹0.60 करोड़ एवं ₹0.11 करोड़ - ब्याज)

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		की राशि समायोज्य थी एवं इस प्रकार सिकाल को देय शेष राशि ₹0.91 करोड़ बनती है। इस प्रकार, ₹0.91 करोड़ की देनदारी के विरुद्ध, सीएचपीए ने ₹4.03 करोड़ की चालू देनदारी (₹2.41 करोड़ एवं ₹1.62 करोड़ की जमाराशि) का लेखांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप चालू देनदारी शीर्ष को अधिक दर्शाया गया एवं ₹3.12 करोड़ (₹2.41 करोड़+ ₹0.71 करोड़) तक लाभ को कम दर्शाया गया। **(बी)** चालू देनदारियों के शीर्ष में जंक्शन व्यवस्था के तहत दक्षिण रेलवे को देय ₹3.21 करोड़ की राशि शामिल है। देयता का लेखा-जोखा गलत था क्योंकि दक्षिण रेलवे द्वारा मार्च 2022 तक सीएचपीए द्वारा किए गए मासिक व्यय के लिए ₹3.41 करोड़ की राशि देय थी। इसमें से ₹3.20 करोड़ की राशि को विविध देनदारों के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसलिए, चालू देनदारी के तहत ₹3.21 करोड़ का गलत लेखा-जोखा एवं ₹0.21 करोड़ की सीमा तक विविध देनदारों का कम लेखा-जोखा, चालू देनदारी को ₹3.21 करोड़ तक बढ़ा-चढ़ाकर एवं चालू परिसंपत्तियों (विविध देनदारों) को ₹0.21 करोड़ तक कम करके दिखाया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए लाभ को ₹3.42 करोड़ तक कम करके दिखाया गया। **(सी)** चेन्नई पोर्ट में वैगन संचालन के लिए सीएचपीए एवं दक्षिणी रेलवे के बीच इनर हार्बर समझौते के अनुसार, 2011-12 से 2021-22 तक की अवधि के लिए दक्षिणी रेलवे को देय राशि ₹8.82 करोड़ के बजाय ₹2.18 करोड़ बताई गई। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों को कम करके दिखाया गया एवं लाभ को ₹6.64 करोड़ तक बढ़ाकर दिखाया गया। **(घ)** सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके परिवारों को पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए एक अलग पेंशन फंड बनाए रखा जाता है। पेंशन भुगतान के लिए दायित्व का पता भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च 2022 तक ₹6,077.76 करोड़ की सीमा तक एक्चुरियल मूल्यांकन के माध्यम से लगाया गया था। हालांकि,

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		सीएचपीए का योगदान ₹3,613.72 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,464.04 करोड़ की देयता का कम प्रावधान हुआ। पेंशन फंड के लिए इस देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹2,464.04 करोड़ की वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को कम करके दिखाया गया एवं उस सीमा तक लाभ को अधिक दिखाया गया। **(ई)** अनुलग्नक के निष्पादन में विफलता के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के आधार पर जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता से ₹4.72 करोड़ की प्राप्य राशि की वसूली संदिग्ध है क्योंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम करके एवं लाभ को ₹4.72 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।
		2. प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹127.33 करोड़ **(ए)** भारती डॉक पर बार्ज हैंडलिंग सुविधा के विकास के शीर्षक के अंतर्गत ₹1.04 करोड़ की राशि के लिए विकासाधीन परिसंपत्तियाँ मौजूद नहीं थीं, क्योंकि परिकल्पित परियोजना को बंकर बर्थ के विकास के बदले में छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, राजस्व व्यय के तहत उपरोक्त व्यय को शामिल न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए प्रगति में पूंजीगत कार्य एवं लाभ को ₹1.04 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। **(बी)** एकीकृत शुष्क बंदरगाह के विकास की परियोजना पर किए गए ₹2.24 करोड़ के व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्ज किया गया। हालांकि, परियोजना को छोड़ दिया गया एवं पट्टे पर ली गई भूमि को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए सौंपने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, राजस्व व्यय के तहत उपरोक्त व्यय को शामिल न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य एवं वर्ष के लिए लाभ को ₹2.24 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम</th><th>खातों पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">26.</td><td rowspan="2">कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण</td><td>व्यय
सामान्य
लेखांकन मानक (एएस) - 15 'नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन' के अनुसार, बंदरगाह ने वर्ष 2021-22 के खातों में न तो बीमांकिक मूल्यांकन किया है एवं न ही अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता का प्रावधान किया है।</td></tr>
<tr><td>वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची VIII): ₹766.12 करोड़
मौजूदा कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी अंशदान के कारण देयता एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ₹3,031.33 करोड़ है। हालाँकि, 31 मार्च 2022 तक एलआईसी को दिया गया अंशदान एवं अंशदान पर अर्जित ब्याज केवल ₹675.41 करोड़ था। इस प्रकार, अंशदान में ₹2,355.92 करोड़ की कमी है। पोर्ट ट्रस्ट ने इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों एवं प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है एवं परिणामस्वरूप संचित हानि को ₹2,355.92 करोड़ कम करके दिखाया गया है।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण</td><td>निधियों का उपयोग
अचल पूंजी परिसंपत्तियां (अनुसूची 3)
नेट ब्लॉक: ₹2,285.99 करोड़
उपरोक्त में ₹12.29 करोड़ नेट ब्लॉक की 28 परिसंपत्तियों की लागत शामिल है, जिन्हें वर्ष 2021-22 के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार नष्ट कर दिया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>परिसंपत्तियों की लागत</th><th>2021-22 तक मूल्यह्रास लगाया जाएगा</th><th>परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य</th></tr>
<tr><td>3 परिसंपत्तियां</td><td>0.25</td><td>शून्य</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>25 परिसंपत्तियां</td><td>31.93</td><td>19.89</td><td>12.04</td></tr>
<tr><td>कुल: 28 परिसंपत्तियाँ</td><td>32.18</td><td>19.89</td><td>12.29</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		विघटित परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों (नेट ब्लॉक) में ₹12.29 करोड़ की अधिकता, ₹1.07 करोड़ का मूल्यह्रास तथा ₹1.07 करोड़ तक लाभ को कम दर्शाया गया है।
		वर्तमान संपत्ति **विविध देनदार: ₹646.40 करोड़** उपरोक्त में मेसर्स सीईटीएल पर लगाए गए परिसमाप्त नुकसान के कारण ₹7.15 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसे चालान संख्या ओओटी/एसी/जनवरी22/105 दिनांक 27 जनवरी 2022 के माध्यम से जारी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को कम करके दिखाया गया है एवं परिणामस्वरूप लाभ को ₹7.15 करोड़ कम करके दिखाया गया है।
28.	**भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय**	**देयताएं** **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान** **अन्य चालू देयताएं - (जे) अन्य: ₹ 3,24,25,936** **अन्य चालू देयताएं - (जे) अन्य: ₹ 1,31,84,507 (चेन्नई परिसर)** उपरोक्त शीर्ष में ₹64,53,427 शामिल हैं, जो वर्ष 2012-13 से 2015-2016 तक की अज्ञात विविध प्राप्तियाँ हैं, तथा इन्हें अन्य चालू देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। विवेकपूर्ण लेखांकन अभ्यास के अनुसार, 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित असंगत प्राप्तियों को 'अन्य आय' के रूप में माना जाना चाहिए। 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित प्राप्तियों का समाधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को अधिक दर्शाया गया है तथा आय को ₹64,53,427 कम दर्शाया गया है।
		संपत्ति **अचल संपत्तियां (अनुसूची 8)** **प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹57,69,66,929** **क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹ 1,49,81,503 (मुख्यालय)** उपरोक्त शीर्ष में पूर्ण (जून 2021) कार्य (सं. 1596) के विरुद्ध ₹68,83,669 शामिल हैं, लेकिन पूंजीकृत नहीं किया गया है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		पूंजीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को ₹68,83,669 से अधिक दर्शाया गया एवं भवन (नेट ब्लॉक) को ₹61,95,302 से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, मूल्यह्रास को ₹6,88,366 से कम दर्शाया गया है।
		प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹8,58,63,917 (चेन्नई परिसर) उपरोक्त मद में चेन्नई परिसर में एलईडी फिटिंग के लिए ₹31,20,213 का व्यय शामिल है, जिसे 2020-21 में पूरा करके उपयोग में लाया गया। हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया। गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को ₹31,20,213 तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया एवं अचल संपत्तियों (नेट ब्लॉक) (एलईडी फिटिंग) को ₹25,27,373 तक कम करके दिखाया गया एवं ₹5,92,840 तक मूल्यह्रास किया गया। **प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹85,72,870 (विजाग परिसर)** महत्वपूर्ण लेखा नीति 2.6 के अनुसार, अचल संपत्तियों को वास्तविक लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। एचटी एवं एलटी उपकरण एवं केबलिंग, लैंडस्केप लाइटिंग, फ़ेसेड लाइटिंग, साइनेज, अतिरिक्त कंप्यूटर पावर आउटलेट सहित कार्यशाला क्षेत्र में 11 केवी आपूर्ति का काम सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था। यह काम पूरा हो गया एवं 5 फरवरी 2022 को सौंप दिया गया, लेकिन इसे प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत दिखाया जाना जारी रहा। 11 केवी आपूर्ति कार्य का पूंजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को ₹85,72,870 से अधिक दिखाया गया एवं अचल संपत्तियों (नेट ब्लॉक) के तहत विद्युत प्रतिष्ठानों को ₹81,44,227 एवं मूल्यह्रास को ₹4,28,644 से कम दिखाया गया।
29.	**जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण**	**तुलन पत्र** **निधियों का उपयोग** **दुर्घटना में नष्ट हुए आरएमक्यूसी: ₹52.94 करोड़** उपरोक्त तीन रेल माउंटेड क्वेसाइड क्रेन (आरएमक्यूसी) संख्या 6, 7 एवं 8 के बही मूल्य (बचाव मूल्य का शुद्ध) को दर्शाता है, जो 5

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		अगस्त 2020 को चक्रवाती तूफान के दौरान ढह जाने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद, तीन क्षतिग्रस्त आरएमक्यूसी को खुली निविदा के माध्यम से मेसर्स सिमकॉम एक्जिम को ₹5.25 करोड़ की राशि में बेच दिया गया। चूंकि परिसंपत्ति अब अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में नष्ट हुए आरएमक्यूसी की संख्या को बढ़ाकर बताया गया है, तथा इसी के अनुरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹52.94 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
		पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹3,243.99 करोड़ (अनुसूची 3) उपरोक्त में हार्बर चैनल एवं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट चैनल (चरण-II) को गहरा एवं चौड़ा करने से संबंधित पूंजीगत ड्रेजिंग कार्य का मूल्य ₹1,702.75 करोड़ शामिल है। यह कार्य मेसर्स बोसकालिस स्मिट इंडिया एलएलपी को मेसर्स जान दे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएसआई-जेडीएन संयुक्त उद्यम) के साथ संयुक्त उद्यम में दिया गया (31 मार्च 2017)। यह कार्य 18 फरवरी 2019 को पूरा हुआ एवं बंदरगाह मार्च 2019 से इस सुविधा का उपयोग कर रहा है। हालाँकि, आज तक (31 मार्च 2022) इस राशि का पूंजीकरण नहीं किया गया है। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप सकल अचल संपत्तियों को ₹1,702.75 करोड़ कम करके दिखाया गया है, प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹1,702.75 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है, चालू वर्ष के मूल्यह्रास को ₹17.03 करोड़ कम करके दिखाया गया है, पूर्व अवधि व्यय (मूल्यह्रास) को ₹42.61 करोड़ कम करके दिखाया गया है एवं लाभ को ₹59.64 करोड़ अधिक करके दिखाया गया है। उपरोक्त अवलोकन को 2018-19 से पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
30.	**मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण**	**तुलन पत्र** **निधियों का उपयोग** **अचल/पूंजीगत संपत्ति: ₹497.13 करोड़ (अनुसूची 2)** **पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹82.52 करोड़** उपरोक्त में 2016-18 की अवधि के दौरान कैपिटल ड्रेजिंग पर किए गए ₹73.84 करोड़ खर्च शामिल हैं। इस परियोजना का प्रस्ताव (2014) किसी भी ज्वार की स्थिति में केपसाइज़ जहाजों के नेविगेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था, जिसमें कैपिटल ड्रेजिंग के माध्यम से एप्रोच चैनल एवं बर्थ 5, 6 एवं 7 को गहरा किया गया था, जिसे जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने आदेश (सितंबर 2016) के तहत मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया एवं सितंबर 2016 में काम/परियोजना रोक दी गई। उस समय, केवल 45 *प्रतिशत* काम पूरा हुआ था। प्रबंधन ने (13 अक्टूबर 2020) मंत्रालय को परियोजना को छोड़ने का प्रस्ताव भी दिया क्योंकि उच्च पूंजी लागत, पर्यावरण मंजूरी आदि के कारण निकट भविष्य में एप्रोच चैनल को गहरा करने की परिकल्पना नहीं की गई थी। चूंकि परियोजना (पूंजीगत ड्रेजिंग कार्य) पूरी नहीं हुई थी एवं चैनल इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए ट्रिब्यूनल के आदेश एवं परियोजना को छोड़ने के लिए बंदरगाह की सिफारिश के मद्देनजर, परियोजना पर किए गए व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिए था एवं उसे लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, परियोजना पर किए गए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत व्यय को रोके रखने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को अधिक दर्शाया गया तथा प्रावधान एवं हानि को ₹73.84 करोड़ तक कम दर्शाया गया। यह अवलोकन 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था एवं इसे पोर्ट प्रबंधन द्वारा अभी तक ठीक नहीं किया गया है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		वित्त एवं विविध आय: ₹24.27 करोड़ (अनुसूची 14) सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था को जारी किए गए अनुदान सहायता या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय को खातों के अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य की रिलीज के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, अप्रयुक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज को सरकारी खातों में जमा करने के बजाय, बंदरगाह ने ब्याज को अपनी आय के रूप में माना एवं लाभ एवं हानि खाते में वित्त एवं विविध आय में निम्नानुसार जमा किया: **1.** शिपिंग मंत्रालय ने मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी में चार लेन की कनेक्टिविटी सड़क के शेष हिस्से के निर्माण के लिए बंदरगाह को ₹187 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है। मई 2019 तक बंदरगाह को अनुदान सहायता के रूप में विभिन्न किस्तों में ₹182.74 करोड़ मिले हैं, जिसमें से ₹28 करोड़ खर्च नहीं किए गए हैं। खर्च न की गई राशि को अल्पकालिक निवेश में निवेश किया गया एवं वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1.87 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई। **2.** शिपिंग मंत्रालय ने बर्थ संख्या 5, 6, 7, 8 एवं 9 से नई एंट्री/ एग्जिट रोड तक को जोड़ने वाली 12 मीटर कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिए बंदरगाह को ₹5.76 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है। बंदरगाह को अनुदान सहायता के रूप में पहली किस्त में (9 जनवरी 2021) ₹2.88 करोड़ मिले हैं एवं यह राशि खर्च नहीं की गई है। खर्च न की गई राशि को अल्पकालिक निवेश में निवेश किया गया एवं वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.20 करोड़ की राशि अर्जित की गई। **3.** मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी ने बैना में मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी रेलवे यार्ड में अप-रैंप के निर्माण' के लिए ₹26.13 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक परियोजना प्रस्तुत की एवं

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		सागरमाला योजना के तहत 50% के रूप में ₹13.065 करोड़ के अनुदान का अनुरोध किया। बंदरगाह को मंत्रालय से अनुदान सहायता के रूप में पहली किस्त के रूप में (11 नवंबर 2020) ₹6.00 करोड़ प्राप्त हुए हैं एवं यह राशि खर्च नहीं की गई है। खर्च न की गई राशि को अल्पकालिक निवेश में निवेश किया गया एवं वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.41 करोड़ की राशि अर्जित की गई। इसके परिणामस्वरूप वित्त एवं विविध आय को अधिक दर्शाया गया है, हानि एवं देयता को ₹2.48 करोड़ (1.87 + 0.20 + 0.41) तक कम दर्शाया गया है। 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इसी तरह की टिप्पणी की गई थी एवं पोर्ट प्रबंधन द्वारा इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है।
31.	**मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण**	**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹5,312.05 करोड़** **वर्तमान देनदारियां** वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढांचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को ट्रस्ट के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, तो वर्ष के लिए किए गए खर्च का पता एक्चुरियल मूल्यांकन द्वारा लगाया जाएगा। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड एवं लीव इनकैशमेंट फंड के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है: **(₹ करोड़ में)**

फंड का नाम	31.03.2022 तक एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार देयता प्रदान की जाएगी	31.03.2022 तक फंड में शेष राशि	कमी
1	2	3	4 (2-3)
पेंशन निधि	13,323.66	8,955.34	4,368.32
ग्रेच्युटी फंड	557.63	38.83	518.80
अवकाश नकदीकरण निधि	**221.87**	**--**	**221.87**
कुल	**14,103.16**	**8,994.17**	**5,108.99**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		परिणामस्वरूप, चालू देयताओं को ₹5,108.99 करोड़ कम दर्शाया गया है तथा इसी प्रकार हानि को भी उस सीमा तक कम दर्शाया गया है। उपरोक्त कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2012-13 से इंगित किया जा रहा है। तथापि, बंदरगाह प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
		विविध लेनदार: ₹3,730.60 करोड़ **उपार्जित खर्चे: ₹203.19 करोड़** उपरोक्त में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को देय संपत्ति कर के संबंध में ₹42.02 करोड़ शामिल नहीं हैं। मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण 1995-96 तक एमसीजीएम से वसूले जाने वाले रखरखाव लागत (सड़कों, घाटों आदि, डॉक क्षेत्र के अंदर के रखरखाव के लिए) को समायोजित करके संपत्ति कर का भुगतान कर रहा था। वर्ष 1995-96 में, एमसीजीएम ने रखरखाव लागत के मुद्दे को संपत्ति कर से अलग करने का अनुरोध किया एवं मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण ने इसे स्वीकार कर लिया। एमसीजीएम संपत्ति कर के बदले में ₹4.87 करोड़ प्रति वर्ष (मुंबई पोर्ट अथॉरिटी संपत्तियों के आधार दर योग्य मूल्य) की दर से सामान्य शुल्क का दावा करता है। हालांकि, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी रखरखाव लागत के संबंध में अपने दावे को समायोजित करके केवल ₹3.91 करोड़ प्रति वर्ष की दर से संपत्ति कर के लिए देयता प्रदान कर रही है। इस प्रकार, रखरखाव लागत को समायोजित करके संपत्ति कर के वैधानिक बकाये के प्रति देयता का कम प्रावधान करने के परिणामस्वरूप उपार्जित व्यय एवं हानि को ₹42.02 करोड़ कम दर्शाया गया।
32.	**मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट**	**तुलन पत्र** **पेंशन फंड खाता एवं देयताएं: ₹8,955.34 करोड़ (अनुसूची I)** **खातों पर नोट्स - मद III - बी**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण पेंशन फंड ट्रस्ट का गठन ट्रस्ट डीड (14 जनवरी 2004) के द्वारा कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए किया गया था। पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर साल एक्चुरियल वैल्यूएशन करती है जिसके आधार पर ट्रस्ट द्वारा एलआईसी में पैसा निवेश किया जाता है। एलआईसी द्वारा सूचित 31 मार्च 2022 तक एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता ₹13,323.66 करोड़ (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹8,873.66 करोड़ एवं शेष ₹4,450.00 करोड़ भावी पेंशनभोगियों के लिए) थी। इसके मुकाबले 31 मार्च 2022 तक पेंशन फंड बैलेंस ₹8,955.34 करोड़ था। एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट पर विचार करते हुए, फंड बैलेंस में ₹4,368.32 करोड़ की कमी है। इस कमी के परिणामस्वरूप देनदारियों (पेंशन निधि खाता) एवं परिसंपत्तियों (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम - " मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्य") को ₹4,368.32 करोड़ तक कम दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा 2012-13 से पेंशन देयता हेतु प्रावधान में कमी की ओर इशारा कर रही है।
33.	**न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी**	**3) वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची 17)** **पेंशन/ग्रेच्युटी फंड में योगदान: ₹103.21 करोड़** 31 मार्च 2022 तक एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार पेंशन देयता ₹1,480.86 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 तक खातों में पेंशन फंड बैलेंस ₹1,335.59 करोड़ था। पेंशन फंड देयता के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप वित्त एवं विविध व्यय के साथ-साथ चालू देयता को ₹145.27 करोड़ कम करके दिखाया गया एवं परिणामस्वरूप लाभ को उसी सीमा तक बढ़ाकर दिखाया गया।
34.	**पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण**	ओडिशा सरकार ने विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण के लिए जल संरक्षण निधि (डब्लूसीएफ) बनाने का निर्णय लिया

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		(मई 2015)। इस कोष का निर्माण एकमुश्त अंशदान प्राप्त करके किया जाना था, जो ₹2.50 करोड़ प्रति क्यूसेक पानी की दर से उन उद्योगों को आवंटित किया जाता था, जिन्हें एक (1) क्यूसेक या उससे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 13.50 क्यूसेक पानी की संशोधित आवश्यकता के अनुसार, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को एकमुश्त उपाय के रूप में डब्लूसीएफ में ₹33.75 करोड़ का योगदान देना था। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने पहले ही दो किस्तों में ₹5.57 करोड़ की राशि जमा कर दी थी। इसके बाद, ओडिशा सरकार ने इसे ₹5.64 करोड़ की पांच वार्षिक किस्तों में शेष ₹28.18 करोड़ का भुगतान करने की अनुमति दी। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 2019-22 के दौरान ₹16.91 करोड़ की राशि की तीन किस्तें जमा कीं एवं प्रोद्भव आधार के बजाय नकद आधार पर हिसाब लगाया एवं ₹11.27 करोड़ (दो किस्तों) के शेष बकाये का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त शीर्ष को ₹11.27 करोड़ कम दर्शाया गया है, तथा कर-पूर्व शुद्ध अधिशेष को भी उतनी ही राशि अधिक दर्शाया गया है।
		पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएससीएल) के इक्विटी शेयरों में ₹30 करोड़ का निवेश किया है। इस कंपनी को भारत सरकार द्वारा वित्त जुटाने एवं मन्नार की खाड़ी से पाक खाड़ी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक एक नौगम्य चैनल के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिविधियां करने के लिए बढ़ावा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (14 सितंबर 2007) पर 2007-08 में मुख्य कार्य निलंबित होने के बाद से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी। इस बीच, एसएससीएल ने भी परिसमापन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। परियोजना की अव्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों ने

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को छोड़कर एसएससीएल में अपने-अपने निवेश के खिलाफ पहले ही पूर्ण प्रावधान कर दिया है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त निवेश के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक दर्शाया गया है, प्रावधानों (अनुसूची-6) को कम दर्शाया गया है तथा कर-पूर्व शुद्ध अधिशेष को ₹30 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
35.	**नाविक भविष्य निधि संगठन**	**तुलन पत्र** **निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची -3) : ₹2,610.24 करोड़** **एसपीएफ स्टाफ पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि : ₹18.64 करोड़** एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक पेंशन फंड, ग्रेच्युटी एवं लीव एनकैशमेंट की देनदारी ₹20.91 करोड़ है। चूंकि, 31 मार्च 2022 तक फंड बैलेंस ₹18.64 करोड़ है, इस प्रकार फंड में ₹2.27 करोड़ की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (एसपीएफ स्टाफ पेंशन एवं ग्रेच्युटी फंड) एवं 'स्थापना व्यय' को कम दर्शाया गया है एवं इसी प्रकार ₹2.27 करोड़ की सीमा तक 'अधिशेष' को अधिक दर्शाया गया है। यह मुद्दा 2012-13 से पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाया जा रहा है।
		निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश (अनुसूची 9): ₹2,505.62 करोड़ **डिबेंचर एवं बांड - ₹733.27 करोड़** नाविक भविष्य निधि संगठन ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) संस्थाओं के गैर - परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में ₹18.30 करोड़ की राशि का निवेश किया था। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष कार्यवाही (फरवरी 2019) के अनुसार, आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा दो आईएलएंडएफएस संस्थाओं

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		(आईएलएंडएफएस लिमिटेड एवं आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज) को लाल श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 क्रमशः के लिए आईएलएंडएफएस के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश के मूल्य में कमी के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन ने पूर्ण प्रावधान करने के बजाय ₹4.49 करोड़ की राशि का प्रावधान किया। पोर्टफोलियो मैनेजर के अनुसार (अप्रैल 2022), परिसमापन मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, जो सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों के बीच वितरण का पता लगाने के लिए आवश्यक है हालांकि, नाविक भविष्य निधि संगठन ने खराब निवेशों के लिए पूर्ण प्रावधान नहीं किया है। ₹9.32 करोड़ (₹18.30 करोड़ - ₹8.98 करोड़) के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश एवं निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि को बढ़ाकर बताया गया है। उपरोक्त मुद्दा 2018-19 से पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाया जा रहा है।
36.	**श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (तत्कालीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट)**	वर्ष 2021-22 के दौरान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने अचल संपत्तियों के सकल ब्लॉक में ₹326.35 करोड़ जोड़े। वर्ष के दौरान जोड़ी गई संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यक्तिगत संपत्तियों के पूंजीकरण/उपयोग की वास्तविक तिथि के आधार पर आनुपातिक आधार पर लगाया जाना आवश्यक था। हालाँकि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने इन संपत्तियों पर पूंजीकरण/उपयोग की तिथि की परवाह किए बिना पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹6.21 करोड़ की अधिक मूल्यह्रास राशि वसूल की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर-पूर्व शुद्ध लाभ एवं अचल परिसंपत्तियों (शुद्ध ब्लॉक) में से प्रत्येक में ₹6.21 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढांचे के अनुसार, वर्ष के लिए केवल अधिशेष/घाटे (कराधान एवं सभी विनियोजनों के लिए प्रावधान समायोजित करने के बाद बचा हुआ) को सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने पिछले वर्षों के लिए स्थगित कर देनदारियों एवं आयकर के प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में चार्ज करने के बजाय, इसे सामान्य रिजर्व में डेबिट कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹31.89 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
37.	**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**	**तुलन पत्र** **परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम** **अचल संपत्ति: ₹22.62 लाख** केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार "₹5,000 या उससे कम लागत वाली संपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पूरी तरह से प्रदान किया जाना है" (अनुसूची 24)। वर्ष के दौरान, ₹4,600 प्रति (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी सहित) की दर से 24 इंटरएक्टिव यूपीएस खरीदे गए हैं, जिनकी कुल राशि ₹1,10,400 (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी सहित) है एवं खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार इसे चार्ज करने के बजाय, इसे अचल संपत्तियों के शीर्षक के तहत पूंजीकृत किया गया है। मूल्यह्रास के रूप में ₹18,239 की राशि भी प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा घाटे को ₹92,161 कम दर्शाया गया है।
		आय एवं व्यय खाता **व्यय** **प्रशासनिक व्यय** **मरम्मत एवं रखरखाव: ₹7.87 लाख (अनुसूची 9)** उपरोक्त में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एवं डुअल वान जीगाबिट राउटर की खरीद के लिए ₹87,320 शामिल हैं (एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए ₹67,496 एवं डुअल वान जीगाबिट राउटर के लिए ₹19,824)।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खाते के एकसमान प्रारूप के अनुसार, संपत्ति - अचल संपत्तियों में कंप्यूटर/परिधीय उपकरण एवं सॉफ्टवेयर शामिल हैं। राउटर कंप्यूटर के लिए एक परिधीय उपकरण है एवं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर (3 साल की वैधता के साथ) एक अमूर्त संपत्ति है, जिसे व्यय के रूप में मानने के बजाय पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अचल सम्पत्तियों को कम दर्शाया गया है तथा घाटे को ₹0.87 लाख अधिक दर्शाया गया है। लेखांकन नीति अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में भी मौन है।
38.	**विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण**	**तुलन पत्र** **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान** **ए. वर्तमान देयताएं** **I. भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी फंड: ₹25.69 करोड़** एलआईसी द्वारा प्रस्तुत एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भविष्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता ₹5,651.06 करोड़ है। हालांकि, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने 31 मार्च 2022 तक उपरोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए ₹5,181.29 करोड़ की राशि आवंटित की एवं इस राशि को पेंशन फंड ट्रस्ट एवं ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 तक पेंशन फंड ट्रस्ट एवं ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में निवेश के लिए ₹469.77 करोड़ की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों एवं प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है एवं लाभ को ₹469.77 करोड़ अधिक दिखाया गया है।
		निधियों का उपयोग **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम** **वर्तमान संपत्ति: ₹1,625.88 करोड़** **विविध देनदार: ₹522.94 करोड़**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		मार्च 2014 तक डाउटफुल डेब्ट्स के लिए ₹7.31 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके बाद, हर साल आश्वासन देने के बावजूद, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने संदिग्ध ऋणों के लिए आगे कोई प्रावधान नहीं किया। 31 मार्च 2022 तक ₹530.25 करोड़ के सकल विविध देनदारों में से, पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि ₹109.56 करोड़ (20.66 *प्रतिशत)* थी। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इसी तरह की टिप्पणी शामिल की गई थी। हालाँकि, वर्ष 2021-22 में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
39.	**वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण**	**भूमि: ₹24,45,09,364** उपरोक्त में चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी के कब्जे में मौजूद भूमि का मूल्य ₹24.45 करोड़ की राशि शामिल है। हालांकि, यह पाया गया कि सर्वेक्षण की गई भूमि का मूल्य था एवं सर्वेक्षण न की गई भूमि का मूल्य नहीं था। मूल्यांकन एवं मिलान के अभाव में, 'भूमि' शीर्षक के तहत दिखाया गया आंकड़ा सही एवं उचित मूल्य नहीं दर्शाता है।
		वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम **विविध देनदार - सरकार: ₹49,62,68,951** उपरोक्त में तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए किराए, बिजली एवं पानी के शुल्क के रूप में देय ₹9,56,09,368 की राशि शामिल है। चूंकि गोदामों को मार्च 2015 में तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सरेंडर कर दिया गया था एवं तब से किराए के दावों पर विवाद चल रहा था, इसलिए किराये की आय का लेखा-जोखा राजस्व मान्यता के लिए लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, उपरोक्त शीर्ष एवं पिछली अवधि की आय को ₹9,56,09,368 से अधिक बताया गया था।
X.	**विद्युत मंत्रालय**	
40.	**ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**	**आय एवं व्यय खाता** **अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21): ₹159.50 लाख**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ₹77.88 लाख की राशि स्टंडर्ड्स व लेबलिंग (एसएंडएल) योजना के तहत इलैक्ट्रिक वाहनों व इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए परामर्श शुल्क के रूप में दर्ज की है, जो एसएंडएल योजना से संबंधित नहीं है। इसका लेखांकन इस प्रकार किया जाना चाहिए था: ● फरवरी 2021 से मार्च 2021 तक की अवधि से संबंधित ₹12.98 लाख पूर्व अवधि व्यय के रूप में। ● चालू वर्ष के व्यय के रूप में अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक की अवधि से संबंधित ₹64.90 लाख। इस प्रकार, 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' (अनुसूची-3) में ₹77.88 लाख की राशि कम दर्शाई गई है, इसके अलावा 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची-21) में ₹64.90 लाख, 'अन्य प्रशासनिक व्यय आदि' (पूर्व अवधि) में ₹12.98 लाख कम दर्शाए गए हैं।
41.	**केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग**	**तुलन पत्र** **पूंजी निधि (अनुसूची-1): ₹6786.65 लाख** **सीईआरसी फंड (अनुसूची-2): ₹77,526.78 लाख** **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: (अनुसूची-3): ₹99,966.70 लाख** **आय एवं व्यय खाता** **शुल्क से आय (अनुसूची-13): ₹16,128.28 लाख** **ब्याज आय (अनुसूची-14): ₹248.70 लाख** **अन्य आय (अनुसूची-15): ₹0.64 लाख** केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने सीएजी/लेखा महानियंत्रक से उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना संशोधित निधि संचालन एवं लेखा प्रक्रिया को अपनाया है। यह मुद्दा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीईआरसी को जारी प्रबंधन पत्रों के माध्यम से उठाया गया था एवं वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी टिप्पणी के रूप में उजागर किया गया था। सीईआरसी को अभी तक उसके द्वारा अपनाई गई संशोधित प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे विद्युत अधिनियम 2003,

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		सीईआरसी निधि (संविधान एवं निधि के आवेदन का तरीका) नियम, 2007 एवं सीईआरसी (लेखों एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2007 के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। पूंजी निधि, सीईआरसी निधि, वर्तमान देनदारियों एवं अचल संपत्तियों व अनुदान, शुल्क, ब्याज आय एवं अन्य आय के माध्यम से आय का लेखांकन सीईआरसी फंड (संविधान एवं निधि के आवेदन का तरीका) नियम, 2007 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 98 एवं 99 के अनुरूप नहीं है, जो यह निर्धारित करते हैं कि सीईआरसी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क एवं अन्य राशियों को सीईआरसी फंड में जमा किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान सीईआरसी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क एवं राशियां ₹16,377.62 लाख[66] को आय के रूप में, अर्थात, 'शुल्क से आय', 'ब्याज आय' एवं 'अन्य आय' को इसके आय एवं व्यय खाते में, मानने के बजाय सीईआरसी फंड में जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक बैंक खातों में रखी गई ₹436.54 की राशि, जिसे भारत के सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित किया जाना था, को 'सीईआरसी फंड' के बजाय 'अन्य चालू देनदारियों' के तहत दिखाया जाना चाहिए था। सीईआरसी ने सीईआरसी फंड से पूंजी खाते में केवल ₹6,700 लाख की राशि हस्तांतरित दिखाई है, जबकि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पूंजीगत परिसंपत्तियों (कार्यालय स्थान) के निर्माण के लिए ₹26,828.51 लाख का भुगतान/जमा किया गया है एवं अनुसूची 4ए के तहत दर्शाई गई परिसंपत्तियों के लिए ₹151.36 लाख का भुगतान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आय में ₹16,377.62 लाख, सीईआरसी निधि में ₹4,338.79 लाख तथा पूंजी निधि में ₹20,279.87 लाख तथा चालू देयताओं एवं प्रावधानों में ₹436.54 लाख की कमी दर्शाई गई है।

[66] *फाइलिंग शुल्क/टैरिफ शुल्क ₹9,988.06 लाख + लाइसेंस शुल्क ₹5,984.61 लाख + वार्षिक पंजीकरण शुल्क ₹77.69 लाख + विविध शुल्क ₹77.92 लाख + ब्याज आय ₹248.70 लाख + अन्य आय ₹0.64 लाख*

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		अनुदान सहायता **विद्युत मंत्रालय से अनुदान (अनुसूची-12): ₹ शून्य** **पूंजी निधि (अनुसूची-1): ₹6,786.65 लाख** **सीईआरसी फंड (अनुसूची-2): ₹77,526.78 लाख** विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए ₹8,000 लाख (वेतन सहायता अनुदान: ₹2,150 लाख, एवं सामान्य सहायता अनुदान: ₹5,850 लाख) एवं अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ₹21,000 लाख के अनुदान को मंजूरी दी, जिसे वर्ष 2021-22 के लिए सीईआरसी फंड से जारी किया जाना था। इन अनुदानों में से, सीईआरसी ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में से वर्ष 2021-22 में विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में एनबीसीसी परियोजना में कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए ₹5,789 लाख की राशि (स्थापना व्यय: ₹1,460 लाख, एवं अन्य व्यय: ₹4,329 लाख) का उपयोग किया एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को ₹21,000 लाख का अग्रिम भुगतान किया। हालांकि, अनुसूची-12 (विद्युत मंत्रालय से अनुदान) में, सीईआरसी ने सभी उप-शीर्षकों के अंतर्गत 'शून्य' राशि दिखाई है, जैसे 'वर्तमान अवधि के दौरान सीईआरसी फंड से रिलीज', 'वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल राशि' एवं 'सीईआरसी फंड में वापस स्थानांतरित की गई बचत/अव्ययित राशि'। इसके परिणामस्वरूप अनुदान को ₹5,789 लाख कम दिखाया गया एवं सीईआरसी फंड को उसी राशि से अधिक दिखाया गया। वर्ष 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।
XI.	**वस्त्र मंत्रालय**	
42.	**केंद्रीय रेशम बोर्ड**	**तुलन पत्र** **कॉर्पस फंड (अनुसूची 1): ₹46,850.50 लाख**

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		ए.1 वर्ष के दौरान, बोर्ड ने आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय के अतिरिक्त लाइन मद *"जोड़ें: कॉर्पस फंड में योगदान"* के अंतर्गत पूंजी निधि से कटौती के रूप में ₹489.39 लाख की राशि दिखाई है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के एकरूप स्वरूप के अनुसार, *"कॉर्पस/पूंजी निधि, पूंजी, शेयर पूंजी या स्वामियों के कोष के समान है। इसमें विशेष रूप से कॉर्पस में योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि शामिल है, जो आय एवं व्यय खाते में दिखाए गए शुद्ध आरंभिक परिणामों द्वारा बढ़ाई/घटाई जाती है।"* लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड ने इन लेन-देनों को संबंधित खाता बही के माध्यम से रूट करने के बजाय कॉर्पस/पूंजी निधि में 20 समायोजन प्रविष्टियाँ की हैं एवं चालू वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए इन समायोजनों को ऊपर उल्लिखित लाइन आइटम के तहत पूंजी निधि से कटौती के रूप में दिखाया गया है। ये समायोजन न तो कॉर्पस फंड में विशिष्ट योगदान हैं एवं न ही आय एवं व्यय खाते में दिखाए गए परिचालन परिणामों से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, संशोधित खातों में, पिछले वर्ष के समापन शेष ₹9.75 लाख एवं चालू वर्ष के आरंभिक शेष के बीच का अंतर भी कॉर्पस फंड में समायोजित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप खातों के एक समान प्रारूप का पालन नहीं किया गया है। पिछले वर्षों के दौरान 2020-21 एवं 2019-20 की अलग-अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी संख्या ए.1 के माध्यम से इसी तरह की कमी को इंगित किए जाने के बावजूद, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। **ए.2** केंद्रीय रेशम बोर्ड ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान से अपनी अचल परिसंपत्तियां खरीदी हैं। सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा लेखांकन मानक-12 के अनुसार किया जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड लेखांकन मानक-12 के प्रावधानों के अनुसार 'आस्थगित अनुदान/आय' या 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान' को अलग-अलग नहीं दिखा रहा है। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		आय एवं व्यय खाते में मूल्यह्रास व्यय के विरुद्ध आस्थगित आय के रूप में ₹1,173.92 लाख दिखाए हैं। हालांकि, इस आस्थगित आय को विशिष्ट 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान' से घटाने के बजाय, केंद्रीय रेशम बोर्ड कॉर्पस/पूंजी निधि से आस्थगित आय घटा रहा है। यह लेखांकन उपचार लेखांकन मानक-12 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में आस्थगित आय खाता शेष का खुलासा नहीं किया गया है। पिछले वर्ष 2020-21 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी संख्या डी.4 के माध्यम से इसी प्रकार की कमी की ओर संकेत किए जाने के बावजूद, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
43.	**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली**	**संपत्ति** **चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि (अनुसूची 11): ₹1,74,305.35 लाख** **विविध देनदार (अनुलग्नक-14): ₹3,583.51 लाख** उपरोक्त में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के मुख्यालय द्वारा विभिन्न परिसरों से वसूली योग्य राशि के रूप में ₹61.04 लाख शामिल हैं, जो वर्ष 2017-18 से संबंधित है। अंतर-इकाई लेनदेन होने के कारण, इसे वसूली योग्य के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए एंडोमेंट फंड के खाते में ₹56.64 लाख की राशि को रायबरेली परिसर द्वारा निफ्ट मुख्यालय से वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद, निफ्ट मुख्यालय से परिसर द्वारा वसूली योग्य राशि को अभी भी अंतर-इकाई लेनदेन के रूप में दिखाने के बजाय विविध देनदारों के तहत दिखाया गया है।

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों एवं अधिशेष को ₹117.68 लाख तक बढ़ाकर दिखाया गया है। इसके अलावा, वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न परिसरों के बीच अंतर-इकाई लेन-देन का संतुलन 'शून्य' होना चाहिए ताकि खातों का उचित समेकन दर्शाया जा सके।
		आय एवं व्यय खाता **आय: ₹49,774.68 लाख** **आस्थगित राजस्व आय: ₹2,391.50 लाख** उपरोक्त आस्थगित राजस्व आय, जो पूरी तरह से पूंजी निधि समायोजन (आस्थगित मूल्यह्रास) के कारण है, को आस्थगित मूल्यह्रास की संगत राशि एवं वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान (केंद्र एवं राज्य सरकार) से खरीदी गई परिसंपत्तियों पर लगाए गए कुल मूल्यह्रास एवं परिशोधन के साथ मेल खाना चाहिए। हालाँकि, अनुसूची 2: आरक्षित निधि एवं अधिशेष के अनुसार, आस्थगित मूल्यह्रास की राशि ₹2,390.50 लाख थी एवं अनुसूची 8A एवं 8B के अनुसार, सरकारी अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास एवं परिशोधन ₹2,389.46 लाख था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अनुसूचियों में मूल्यह्रास के आंकड़ों का मिलान नहीं हो पाया है। वर्ष 2017-18 के बाद के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद, निफ्ट ने अभी तक अंतर का समाधान नहीं किया है।
		आकस्मिक देयताएं एवं खातों पर नोट्स (अनुसूची-27) **पूंजी प्रतिबद्धताओं पर नोट** उपरोक्त नोट के तहत दर्शाई गई पूंजी प्रतिबद्धताओं में कन्नूर परिसर के संबंध में 31 मार्च 2022 तक ₹25.99 लाख की लंबित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं थीं एवं इसमें ₹1,793.26 लाख (जोधपुर परिसर, कोलकाता परिसर एवं गांधी नगर परिसर के संबंध में क्रमशः ₹1,686.97 लाख, ₹89.59 लाख एवं ₹16.70 लाख) शामिल थे, जिन्हें पहले ही बैलेंस शीट में पूंजीगत कार्य-

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		प्रगति/निर्माण एजेंसी को अग्रिम के रूप में शामिल किया जा चुका है।
		खातों पर अन्य नोट्स: **(i)** निफ्ट श्रीनगर के लिए प्राप्त ₹14.23 करोड़ के अनुदान को मान्यता न देने के संबंध में नोट संख्या 18 तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि अनुदान को वर्ष 2021-22 के लिए निफ्ट के समेकित खातों में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। **(ii)** निफ्ट ने अपने लेखा-नोट्स में यह खुलासा नहीं किया है कि 2014 के दौरान तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत ₹245.35 लाख में से ₹35.08 लाख की राशि अभी भी तेलंगाना सरकार से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के विभाजन के बाद निफ्ट तेलंगाना के अंतर्गत आता है।
		सामान्य **(i)** अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वार्षिक लेखों पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा वार्षिक लेखों में नहीं किया गया, जैसा कि लेखांकन मानक-1 के अंतर्गत अपेक्षित है। **(ii)** निफ्ट के पास अलग-अलग परिसरों द्वारा बनाए गए छह निर्धारित फंड हैं, जैसे कि गतिविधि शुल्क निधि, पूर्व छात्र संघ निधि, विभाग विकास निधि, केंद्र विकास निधि, परिसर बंदोबस्ती निधि एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम निधि। लेखापरीक्षा ने पाया कि निफ्ट ने इन निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में आय जमा करने की एक समान प्रथा का पालन नहीं किया, क्योंकि इन निधियों में ₹1,463.21 लाख की कुल वृद्धि के मुकाबले आय एवं व्यय खाते के माध्यम से ₹513.46 लाख की आय जमा की गई। पिछले वर्षों में इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद, निफ्ट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। **(iii)** निफ्ट को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। अनुदान को अनुसूची

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		2: आरक्षित एवं अधिशेष (उपशीर्ष: सरकारी अनुदान: पूंजीकृत / अप्रयुक्त) में रखा जाता है। अनुदान को वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान से बनाई गई अचल संपत्तियों की सीमा तक पूंजीकृत किया जाता है। अनुसूची 8ए एवं 8बी के अनुसार, वर्ष के दौरान निफ्ट के सकल ब्लॉक में क्रमशः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों में से कुल ₹10,516.33 लाख (₹10,212.93 लाख एवं ₹303.40 लाख) की राशि जोड़ी गई है। हालांकि, अनुसूची-2 के अनुसार, वर्ष के दौरान ₹9,470.00 लाख की राशि पूंजीकृत की गई है। इस प्रकार, ₹1,046.33 लाख (₹10,516.33 लाख में से ₹9,470.00 लाख कम) का अंतर है, जिसका समाधान आवश्यक है। वर्ष 2020-21 के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद, संस्थान ने आंकड़ों का मिलान नहीं किया है। **(iv)** अनुसूची-7 के अनुसार बंदोबस्ती निधि/विभाग विकास निधि/केंद्र विकास निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियों का आंकड़ा ₹4,515.04 लाख दिखाया गया है। हालांकि, यह आंकड़ा ₹4,789.62 (अनुसूची-1 से हस्तांतरित ₹4,132.84 लाख एवं अनुसूची 8सी के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान बंदोबस्ती निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए ₹656.78 लाख) दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार, ₹274.58 लाख का अंतर है, जिसे सुलझाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान बंदोबस्ती निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियों का आंकड़ा क्रमशः अनुसूची-3, अनुसूची-1 एवं अनुलग्नक-1 में ₹293.41 लाख, ₹656.78 लाख एवं ₹1,871.75 लाख दिखाया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ है कि निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से वास्तव में कितनी परिसंपत्तियां खरीदी गई हैं।
44.	**राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता**	2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए संपत्ति कर का प्रावधान न करने के कारण चालू देनदारियों एवं प्रावधानों को ₹13.43 लाख

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	खातों पर टिप्पणियाँ
		से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'जूट बोर्ड फंड अकाउंट' को भी उसी राशि से अधिक दर्शाया गया है।
		आय शीर्षक के अंतर्गत सावधि जमा पर अर्जित ब्याज उपशीर्षक भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान सहायता से की गई सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को दर्शाता है। सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 230 (8) के अनुसार, अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज को भारत सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, ब्याज को राजस्व के बजाय देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त शीर्ष को अधिक दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष को ₹4.55 करोड़ अधिक दर्शाया गया, तथा इसी प्रकार चालू देयताओं को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया।

अनुलग्नक-VII

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2021-22 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
II.	**कोयला मंत्रालय**
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
3.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
5.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
6.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
7.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता
8.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
IV.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
9.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
V.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**
10.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
11.	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, तूतीकोरिन
VI.	**विद्युत मंत्रालय**
12.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
13.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए), नई दिल्ली
VII.	**वस्त्र मंत्रालय**
14.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-VIII
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2021-22 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
II.	**कोयला मंत्रालय**
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
3.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली *(क्षेत्रीय कार्यालयों में परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया)*
4.	निर्यात निरीक्षण परिषद, दिल्ली एवं निर्यात निरीक्षण एजेंसी, मुंबई
5.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
6.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता
7.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
IV.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई
V.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**
9.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई
10.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप
11.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता
12.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
13.	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, तूतीकोरिन
VI.	**विद्युत मंत्रालय**
14.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद
VII.	**वस्त्र मंत्रालय**
15.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-IX
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2021-22 के दौरान इनवेंटरी (माल) का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
1.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
2.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
3.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता
II.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
4.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी
III.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**
5.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई *(भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई)*
6.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप
7.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता
8.	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, तूतीकोरिन
IV.	**वस्त्र मंत्रालय**
9.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-X
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिन्होंने 2021-22 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
II.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
2.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
3.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, दिल्ली
4.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश
5.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
6.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
7.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
III.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि
9.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई
IV.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
10.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
11.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
V.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**
12.	चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई
13.	कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, कोचीन
14.	मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण, गोवा
15.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई
16.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट, मुंबई
17.	न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर
18.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
19.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम

नोट: उपरोक्त सूची में वे स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन पर निर्धारित देयता की तुलना में कम देयता का प्रावधान किया है।

अनुलग्नक-XI
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के अपने खातों को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
1.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
II.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**
2.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
III.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**
3.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
IV.	**वस्त्र मंत्रालय**
4.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-XII

(पैरा 1.9 में संदर्भित)

मार्च 2023 तक बकाया की गई कार्रवाई नोटों (एटीएन) की स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	बकाया एटीएन की स्थिति	
			एटीएन एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ	विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	-	1
2.	कॉर्पोरेट कार्य	मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	1	-
3.	आवासन एवं शहरी कार्य मामले	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	-	3
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	-	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 17	1	-
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	3	1
4.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	-	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	-	2

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	बकाया एटीएन की स्थिति	
			एटीएन एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ	विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन
5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	-	1
6.	विद्युत	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	-	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	-	1
7.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3		1
8.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	-	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 10	-	1
9.	पर्यटन	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	-	1
		मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2021 की रिपोर्ट संख्या 16	2	-
			7	**16**

अनुलग्नक-XIII

(पैरा 3.1 में संदर्भित)

चालू खाते में धनराशि जमा करने के कारण सरकारी राजकोष को होने वाले ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कोयला ब्लॉक का नाम	सरकार द्वारा निधि की मंजूरी की तिथि	सरकार द्वारा सीओपी को निधि वितरित करने/सीसीओ खाते में जमा करने की तिथि	सरकार द्वारा वितरित राशि (₹)	सीओपी द्वारा निधि वितरित करने की तिथि	सीओपी द्वारा वितरित राशि (₹)	सरकारी खाते में स्थानांतरण तक वितरित न की गई राशि (₹)	वितरित न की गई निधि को सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की तिथि	चालू खाते में रखी गई वितरित न की गई निधि पर ब्याज की हानि की गणना के लिए विचार की गई तिथि	दिनों की संख्या जिसके लिए वितरित न की गई राशि चालू खाते में रखी गई	ब्याज की हानि की गणना के लिए लेखापरीक्षा द्वारा विचार की गई आरबीआई रेपो दर (% प्रति वर्ष)	राजकीय निधि को ब्याज की हानि (₹)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के) = (जे) - (डी)	(एल)	(ए)
1	कस्ता पूर्वी	24-05-2016	20-06-2016	5,27,60,632	निरंक	-	5,27,60,632	19-07-2022	19-07-2022	2220	4	1,28,36,011
2	पर्वतपुर मध्य	20-06-2016	08-07-2016	52,24,67,754	19-07-2016	52,24,67,754	-	निरंक	19-07-2016	11	4	6,29,824
				9,20,00,000	12-09-2016	9,20,00,000	-	निरंक	12-09-2016	66	4	6,65,425
				72,42,000	04-10-2016	72,42,000	-	निरंक	04-10-2016	88	4	69,841
				23,05,000	निरंक	-	23,05,000	19-07-2022	19-07-2022	2202	4	5,56,231
3	डुमरी	19-09-2016	29-09-2016	1,86,40,975	26-12-2016	1,70,00,454	16,40,521	19-07-2022	19-07-2022	2119	4	3,80,960
4	ब्राहमणी एवं चिचोरी पस्तीमल	02-12-2019	13-02-2020	58,31,000	निरंक	-	58,31,000	19-07-2022	19-07-2022	887	4	0
5	जामखानी	13-03-2020	28-10-2020	8,92,08,268	निरंक	-	8,92,08,268	19-07-2022	19-07-2022	629	4	61,49,260
6	मंदाकिनी	13-04-2020	09-06-2020	40,27,55,583	निरंक	-	40,27,55,583	19-07-2022	19-07-2022	770	4	3,39,85,951
7	दुर्गापुर/द्वितीय सरया	13-04-2020	09-06-2020	66,84,09,863	निरंक	-	66,84,09,863	19-07-2022	19-07-2022	770	4	5,64,02,805

क्र. सं.	कोयला ब्लॉक का नाम	सरकार द्वारा निधि की मंजूरी की तिथि	सरकार द्वारा सीओपी को निधि वितरित करने/सीसीओ खाते में जमा करने की तिथि	सरकार द्वारा वितरित राशि (₹)	सीओपी द्वारा निधि वितरित करने की तिथि	सीओपी द्वारा वितरित राशि (₹)	सरकारी खाते में स्थानांतरण तक वितरित न की गई राशि (₹)	वितरित न की गई निधि को सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की तिथि	चालू खाते में रखी गई वितरित न की गई निधि पर ब्याज की हानि की गणना के लिए विचार की गई तिथि	दिनों की संख्या जिसके लिए वितरित न की गई राशि चालू खाते में रखी गई	ब्याज की हानि की गणना के लिए लेखापरीक्षा द्वारा विचार की गई आरबीआई रेपो दर (% प्रति वर्ष)	राजकीय निधि को ब्याज की हानि (₹)
8	रोहने	10-08-2021	27-08-2021	14,31,54,484	25-03-2022	14,31,54,484	-	निरंक	25-03-2022	210	4	32,94,514
9	न्यू पतरापारा	19-08-2021	27-08-2021	31,56,078	निरंक	-	31,56,078	19-07-2022	19-07-2022	326	4	1,12,754
10	उरतन उत्तर	10-05-2021	28-05-2021	8,34,62,110	02-03-2022	8,34,62,110	-	निरंक	02-03-2022	278	4	25,42,736
11	अन्य	13-07-2021	13-07-2021	12,42,314	निरंक	-	12,42,314	19-07-2022	19-07-2022	371	4	50,509
12		12-03-2021	12-03-2021	1,84,310	निरंक	-	1,84,310	19-07-2022	19-07-2022	494	4	9,978
कुल				**2,09,28,20,371**		**86,53,26,802**	**1,22,74,93,569**					**11,76,86,799**

टिप्पणियाँ:

1) क्र.सं. 2 के लिए, परबतपुर सेंट्रल के लिए स्वीकृत कुल ₹62,40,14,754/- में से, 19-07-2016 को ₹52,24,67,754/-, 12-09-2016 को ₹9,20,00,000/- तथा 04-10-2016 को ₹72,42,000/- वितरित किए गए।
2) क्र.सं. 4 के लिए, लेखापरीक्षा को बैंक स्क्रॉल प्रस्तुत न करने के कारण, प्राप्त राशि को स्वीकृति की तिथि के एक माह बाद माना गया तथा परंपरागत दृष्टिकोण लागू करते हुए, ब्याज की हानि की गणना नहीं की गई है।
3) क्र.सं. 8 के लिए, चालू खाते में राशि जमा करने की अवधि अर्थात 27-08-2021 से 25-03-2022 तक के लिए ब्याज की हानि की गणना ₹14,31,54,484 पर की गई है।
4) क्र.सं. 10 के लिए, चालू खाते में राशि जमा करने की अवधि अर्थात 28-05-2021 से 02-03-2022 तक के लिए ब्याज की हानि की गणना ₹8,34,62,110 पर की गई है।
5) परंपरागत दृष्टिकोण को लागू करते हुए, लेखापरीक्षा ने 2016 से 2022 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे कम रेपो दर अर्थात 4% प्रति वर्ष पर विचार किया, जो कि 4% से 6.5% के बीच की रेपो दर थी।

अनुलग्नक-XIV
(पैरा 11.3.1 में संदर्भित)

भारतीय पाककला संस्थान के शासी परिषद तथा वित्त एवं कार्यकारी समिति की संरचना

(क) शासी परिषद की संरचना:

1. अध्यक्ष, पर्यटन मंत्री, भारत सरकार
2. निम्नलिखित तीन अधिकारी पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पदेन प्रतिनिधि होंगे:
   i. सचिव (पर्यटन),
   ii. वित्तीय सलाहकार, एवं
   iii. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद, नोएडा
3. केंद्र सरकार के तीन प्रतिनिधि, संस्कृति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय (आयुष विभाग) से एक-एक व्यक्ति नामित किया जाएगा जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं है।
4. भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले भारत में अग्रणी होटल शृंखलाओं के दो मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य परिचालन अधिकारी
5. निम्नलिखित संगठनों में से प्रत्येक के अध्यक्ष:
   i. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
   ii. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
6. भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो स्वतंत्र पेशेवर
7. भारतीय पाक कला संघ के अध्यक्ष
8. भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले एक प्रख्यात खाद्य इतिहासकार/खाद्य समीक्षक
9. विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जिससे संस्थान संबद्ध होगा
10. संस्थान के निदेशक बोर्ड के पदेन सदस्य सचिव होंगे

(ख) वित्त एवं कार्यकारी समिति की संरचना:

1. सचिव, पर्यटन, भारत सरकार

2. वित्तीय सलाहकार, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद, नोएडा

4. भारत सरकार द्वारा नामित भारत में अग्रणी होटल शृंखलाओं के दो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/मुख्य परिचालन अधिकारियों में से एक

5. भारत सरकार द्वारा नामित दो स्वतंत्र पेशेवरों में से एक

6. भारतीय पाककला संघों के महासंघ के अध्यक्ष, एवं

7. संस्थान के निदेशक।

अनुलग्नक-XV
{पैरा 11.3.5.5 (क) में संदर्भित}

भारतीय पाककला संस्थान के दोनों परिसरों में बुनियादी ढांचे के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियाँ

1. नोएडा परिसर (25 अगस्त 2022 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया)

(i) बेसमेंट में तीन में से दो द्रुतशीतक संयंत्र काम नहीं कर रहे थे।

(ii) पूरे परिसर (शैक्षणिक ब्लॉक, बेसमेंट, बालकों का छात्रावास, बालिकाओं का छात्रावास, अतिथि गृह, रसोई आदि) में स्थापित लिफ्ट रखरखाव के अभाव में उपयोग में नहीं थी।

(iii) बेसमेंट में पांच वॉक-इन फ्रीजर एवं विभिन्न ट्रॉलियां बेकार पड़ी थीं।

(iv) परिसर के प्रतिनिधि ने बताया कि बेसमेंट में स्थापित जल उपचार संयंत्र पीने, खाना पकाने एवं कपड़े धोने के लिए उपयुक्त जल उपलब्ध कराने में असमर्थ था।

(v) भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव के कारण पंप हाउस काम नहीं कर रहा था।

(vi) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा था, एवं अनुपचारित कीचड़ एवं पानी बगीचे में बहाया जा रहा था।

(vii) परिसर के चारों ओर स्थापित सौर स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही थीं। शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास एवं गेस्ट हाउस में स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाले वॉटर हीटर भी काम नहीं कर रहे थे।

(viii) गेस्ट हाउस में 30 कुर्सियों सहित फर्नीचर बेकार पड़ा था।

2. नोएडा परिसर (9 सितंबर 2022 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया)

(i) निदेशक कक्ष का शौचालय काम नहीं कर रहा था।

(ii) पाककला प्रणाली शाला में रखे अग्निशमन उपकरण उपयोग में नहीं थे।

(iii) कैफे एवं कन्फेक्शनरी शॉप काम नहीं कर रही थी। उपकरण जैसे एक्सप्रेस कॉफी मशीन, शेकर, डिस्प्ले एवं काउंटर टेबल एवं रसोई के उपकरण अप्रयुक्त/बेकार पड़े थे।

(iv) ग्राउंड फ्लोर (प्रवेश लॉबी के पास) पर वॉशरूम उपयोग में नहीं था।

(v) भारतीय रेस्तरां की रसोई काम नहीं कर रही थी। बर्तन धोने की मशीन, ग्लास क्रशर मशीन, रेफ्रिजरेटर (5 नग), तंदूर (3 नग), चीनी रेंज, भारतीय रेंज, काम करने की टेबल (6 नग) जैसे सामान अप्रयुक्त पड़े थे।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां की रसोई काम नहीं कर रही थी। चीनी रेंज, सामान्य रेंज, डिमसम बास्केट के साथ डिमसम रेंज, डिश वॉशर, छोटा डेक ओवन (टेबल टॉप), दो दरवाजे वाले अंडर काउंटर चिलर, कॉम्बी ओवन छह-ट्रे, डीप फैट फ्रायर, पास्ता काउंटर, एक्सप्रेसो मशीन, तीन दरवाजे वाले अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर जैसे सामान अप्रयुक्त पड़े थे।

(vii) इंटरनेशनल रेस्टोरेंट के पास के शौचालय उपयोग में नहीं थे।

(viii) मीट फैब्रिकेशन रूम उपयोग में नहीं था एवं वर्किंग टेबल (17 नग), चाकू स्टेरलाइजर, भैंस के मांस को काटने वाला छुरा (2 नग), डीप रेफ्रिजरेटर, हड्डियों का सलाद बनाने वाली मशीन, कीमा बनाने की मशीन (2 नग), वैक्यूम पैकर मशीन जैसे सामान अप्रयुक्त पड़े थे।

(ix) सब्जी तैयार करने वाली लैब में रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम पैक मशीन एवं वर्किंग टेबल (12 नग) जैसे उपकरण उपयोग में नहीं थे।

(x) हलवाई किचन में हैंड वॉश सिंक, दो दरवाजे वाला अंडर काउंटर चिलर, वर्किंग कैबिनेट, वर्किंग टेबल, बर्नर रेंज, चार दरवाजे वाला वर्टिकल चिलर जैसे सामान अप्रयुक्त पड़े थे।

(xi) कन्फेक्शनरी रूम, बेकरी लैब, भारतीय किचन एवं बेसिक ट्रेनिंग किचन में कई तरह के गतावधिक हो चुके खाद्य/किराने के सामान पाए गए।

(xii) बैंक्वेट काम नहीं कर रहा था एवं मेज (10 नग), कुर्सियाँ (48 नग) एवं सोफा (4 नग) जैसे सामान अप्रयुक्त पड़े थे।

(xiii) बैंक्वेट से जुड़ी रसोई काम नहीं कर रही थी एवं हाथ धोने के लिए सिंक, काउंटर के नीचे दो दरवाजे वाला चिलर, काम करने की मेज, कॉफी मशीन, टेबल टॉप, बर्नर जैसी चीजें बेकार पड़ी थीं।

(xiv) लिफ्टों पर अंतिम रखरखाव की तारीख एवं रखरखाव की नियत तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था।

(xv) सभी मंजिलों पर लड़कों के शौचालयों में इन्फ्रा-रेड सेंसर काम नहीं कर रहे थे।

(xvi) परिसर में स्थापित सौर स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही थीं।

(xvii) पूरे परिसर की इमारत (शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास, गेस्ट हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर सहित) खस्ताहाल थी एवं इमारत की दीवारों में दरारें, रिसाव एवं नमी थी।

(xviii) परिसर में स्थापित अग्नि शमन प्रणाली काम नहीं कर रही थी।

(xix) कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं था एवं पुस्तकालय में कोई किताबें, पत्रिकाएँ, जर्नल आदि नहीं थे। पुस्तकालय की दीवारों में रिसाव था।

3. तिरुपति परिसर (27 दिसंबर 2022 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया)

(i) परिसर में तीन बोरवेल लगाए गए थे। हालांकि, बोरवेल लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अभिलेख में नहीं पाई गई।

(ii) लो-टेंशन एवं हाई-टेंशन पावर रूम में जलभराव था।

(iii) केमिकल स्टोर एवं वुड स्टोर का उपयोग नहीं हो रहा था एवं इन स्टोर के अंदर एवं बाहर जलभराव था।

(iv) छात्र भोजन कक्ष की छत की दीवार पर पानी के रिसाव के कारण नमी एवं जंग लग गई थी एवं छत की दीवार में एक छेद था।

(v) ऑफिस ऑपरेशन रूम का उपयोग नहीं हो रहा था एवं कमरे में 9 प्रकोष्ठ, 7 कुर्सियाँ एवं 9 दराज बेकार पड़े थे।

(vi) स्टाफ डाइनिंग रूम का उपयोग नहीं हो रहा था। पानी के रिसाव के कारण नमी एवं रिसाव था। छत में छेद था एवं डिश वॉशर मशीन, सिंक, माउंट स्प्रे, कचरा ढलान टेबल एवं सॉर्टिंग टेबल जैसी चीजें बेकार पड़ी थीं।

(vii) कूड़ेदान इकाई का उपयोग नहीं हो रहा था एवं गारबेज यूनिट में 7 डनेज रैक, 2 एयर कर्टेन, ट्रॉली एवं काउंटर बेकार पड़े थे।

(viii) हलवाई रूम की छत के ब्लॉकों पर जंग लगी हुई थी। इसके अलावा, हलवाई रूम में 7 सामग्री ट्रॉलियां एवं 2 रेफ्रिजरेटर बेकार पड़े थे।

(ix) ग्रॉसरी स्टोर में 16 वायर रैक एवं जनरल स्टोर में 19 वायर रैक एवं 2 सिंक यूनिट बेकार पड़े थे।

(x) चार में से तीन वॉक-इन फ्रीजर काम नहीं कर रहे थे।

(xi) इंजीनियरिंग टूल रूम का उपयोग नहीं हो रहा था एवं पानी के रिसाव के कारण इसकी दीवारों पर सीलन थी।

(xii) भारतीय किचन में कोई राइटिंग बोर्ड नहीं था एवं भारतीय किचन की दीवारों का इस्तेमाल छात्रों द्वारा रेसिपी लिखने के लिए किया गया था। भारतीय किचन में दो अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर भी काम नहीं कर रहे थे।

(xiii) कोल्ड किचन में, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किराना सामान रखने के लिए किया जाता था एवं ग्राइंडर बेकार पड़े थे।

(xiv) बेसिक ट्रेनिंग किचन में ड्रेन ट्रफ ग्रेटिंग में रुकावट के कारण जलभराव एवं जंग लगा था।

(xv) क्वालिटी कंट्रोल लैब की साइड वॉल पर दरारें थीं।

(xvi) कन्फेक्शनरी में फ्रीजर, ब्लास्ट चिलर एवं 10 अंडर काउंटर फ्रीजर इस्तेमाल में नहीं थे।

4. तिरुपति परिसर (28-29 दिसंबर 2022 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया)

(i) तीन लिफ्ट (एक माल लिफ्ट एवं दो यात्री लिफ्ट) वार्षिक रखरखाव अनुबंध के अभाव के कारण उपयोग में नहीं थीं।

(ii) पाक संग्रहालय वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं था। पाक संग्रहालय में कृत्रिम छत की दो टाइलें नहीं थी एवं शौचालय के इन्फ्रा-रेड सेंसर काम नहीं कर रहे थे।

(iii) पुस्तकालय में, किताबें रखने के लिए रैक एवं कुर्सियाँ उपयोग में नहीं थीं।

(iv) परिसर में स्थापित अग्नि अलार्म प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी एवं उसे बंद कर दिया गया था।

(v) नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी निगरानी इकाई कार्य नहीं कर रही थीं।

(vi) मीट फैब्रिकेशन रूम में घुटने से संचालित सिंक कार्य नहीं कर रहा था एवं वॉश बेसिन से पानी के रिसाव के कारण नाली के गर्त में जंग लग गया था।

(vii) सब्जियां/फल/किराना आदि प्राप्त करने के लिए रिसेप्शन रूम का उपयोग रखरखाव से संबंधित वस्तुओं को रखने के लिए किया जा रहा था। सब्जी धोने की मशीन, सब्जी सुखाने की मशीन एवं वाटर कूलर जैसी चीजें बेकार पड़ी थीं।

(viii) गैस बैंक में घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे।

(ix) भारतीय रेस्तरां से जुड़ी भारतीय रसोई में गतिमान तंदूर इस्तेमाल में नहीं था।

(x) भारतीय रेस्तरां काम नहीं कर रहा था एवं रेस्तरां में 40 कुर्सियाँ एवं 6 टेबल जैसी चीज़ें इस्तेमाल में नहीं थीं।

(xi) अंतर्राष्ट्रीय रसोई में, डिमसम स्टीमर, डिश वॉशिंग मशीन एवं घुटने से संचालित सिंक इस्तेमाल में नहीं थे। दीमक द्वारा किए गए नुकसान के कारण अंतर्राष्ट्रीय रसोई का दरवाज़ा हटाया गया था।

(xii) अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां काम नहीं कर रहा था एवं 52 कुर्सियाँ एवं 14 टेबल जैसी चीज़ें बेकार पड़ी थीं।

(xiii) कैफ़े काम नहीं कर रहा था एवं 14 कुर्सियाँ एवं 3 गोल मेजें बेकार पड़ी थीं।

(xiv) बैंक्वेट काम नहीं कर रहा था एवं 167 कुर्सियाँ एवं 21 टेबल जैसी चीज़ें बेकार पड़ी थीं।

(xv) बैंक्वेट किचन में टेबल-टॉप फ्रीजर (3 नग), तंदूर (2 नग), हाई प्रेशर बर्नर (2 नग), वर्किंग टेबल (4 नग), घुटने से संचालित सिंक, ब्रॉड पैन, स्टीमर कम ओवन, बॉयलर, सामान्य बर्नर, वॉश बेसिन, ड्रेन बोर्ड, ड्रायर, स्टेनलेस स्टील रैक एवं डिश वॉशर जैसे उपकरण बेकार पड़े थे।

(xvi) जिम के एक कोने में 19 डाइनिंग टेबल एवं 2 ट्रॉलियाँ रखी हुई थीं।

(xvii) हॉस्टल मेस की दीवारों पर रिसाव एवं नमी थी। डिश वॉशर मशीन एवं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हॉस्टल मेस में बेकार पड़ी थीं।

(xviii) किचन मेस में टेबल-टॉप फ्रीजर, राइस बॉयलर एवं घुटने से संचालित सिंक काम नहीं कर रहे थे।

(xix) बॉयज हॉस्टल, बालिका छात्रावास, एसी कूलिंग टॉवर, वीआईपी सुइट्स, अतिथि गृह, मेस एवं स्टाफ क्वार्टर की छत पर लगाए गए 139 सोलर पैनल काम नहीं कर रहे थे। सोलर पैनल से जुड़ी पानी की पाइपों पर इंसुलेटर एवं सीमेंट की कोटिंग खराब एवं उखड़ी पाई गई।

(xx) बालिका छात्रावास का ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल में नहीं था। इसके अलावा, दीमकों द्वारा नुकसान पहुँचाने के कारण ग्राउंड फ्लोर पर बालिका छात्रावास का दरवाज़ा हटाया गया था। बालिका छात्रावास में सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट के 12 कैमरों में से केवल दो ही काम करते पाए गए। ग्राउंड फ्लोर पर लगा वाटर कूलर भी इस्तेमाल में नहीं था। बालिका छात्रावास की पहली, दूसरी एवं तीसरी मंजिल पर गर्ल्स वॉशरूम, बाथरूम एवं शौचालयों में ख़राब सफाई एवं लाल धब्बे देखे गए।

5. तिरुपति परिसर (2-3 जनवरी 2023 को संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया)

(i) बालिका छात्रावास की दूसरी मंजिल पर स्थित रीडिंग रूम का उपयोग नहीं हो रहा था।

(ii) चिलर को पानी की आपूर्ति करने वाले तीनों वाटर प्रेशर पंप जंग खा रहे थे। वाटर प्रेशर पंप में से एक काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा, चिलर प्लांट की तीन में से दो यूनिट काम नहीं कर रही थीं।

(iii) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा था एवं प्लांट एरिया के फ्लोर पर पानी का रिसाव हो रहा था।

(iv) ग्राउंड फ्लोर पर स्थित गेस्ट हाउस में उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएं जैसे कि किचन, डाइनिंग हॉल, हब रूम, मनोरंजन कक्ष एवं डॉरमेट्री का उपयोग नहीं हो रहा था। पहली एवं दूसरी मंजिल पर स्थित गेस्ट हाउस का भी उपयोग नहीं हो रहा था एवं गेस्ट हाउस की पहली एवं दूसरी मंजिल पर स्थित 20 कमरों में से प्रत्येक में सभी फर्नीचर बेकार पड़े थे। गेस्ट हाउस की दीवारों पर रिसाव एवं सीलन थी।

(v) टाइप-पच्चम क्वार्टर में सोफा, गद्दे के साथ डबल बेड, गद्दे के साथ सिंगल बेड, कुर्सियाँ, लकड़ी की अलमारियां, स्टडी टेबल, चौकोर टेबल जैसे फर्नीचर बेकार पड़े थे। टाइप-पच्चम क्वार्टरों की सीढ़ियों के पास दीवारों पर रिसाव एवं सीलन थी।

(vi) टाइप-द्वितीय एवं तृतीय क्वार्टरों में रसोई के सिंक, बाथरूम, शौचालय काम नहीं कर रहे थे। दीवारों में सीलन, नमी एवं दरारें थीं। गद्दे वाले सिंगल बेड इस्तेमाल में नहीं थे। आठ रसोई ट्रॉलियाँ, एक सब्जी की ट्रे, दो सामान ट्रॉलियाँ रखी हुई थीं। दीमकों द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने के कारण दरवाजे हटाए गए थे।

(vii) शैक्षणिक ब्लॉक, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रसोई, छात्रावास मेस एवं बालिका छात्रावास की इमारतों में दरारें, सीलन एवं नमी थी।

(viii) कंप्यूटर लैब में एक भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगा था। कंप्यूटर लैब में रखी 92 कुर्सियाँ, 88 टेबल एवं 17 दराजें इस्तेमाल में नहीं थीं।

(ix) अनुसंधान कार्य स्टेशन में रखे 14 क्यूबिकल, 13 कुर्सियाँ एवं 3 टेबल इस्तेमाल में नहीं थे।

(x) निदेशक के लिए टाइप-छट्म क्वार्टर उपयोग में नहीं था एवं 12 कुर्सियाँ, रसोई, स्टोर रूम, लकड़ी की अलमारियां एवं गद्दे वाले डबल बेड बेकार पड़े थे।

(xi) जल उपचार संयंत्र काम करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा, मीटिंग रूम, पुस्तकालय, प्रशासनिक अधिकारी के कमरे, भूतल पर व्याख्यान कक्ष, व्यंजन थियेटर, डाइनिंग रूम, इंजीनियरिंग टूल रूम, कंप्यूटर लैब, भारतीय रेस्तरां, अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां एवं बैंक्वेट में आग बुझाने के लिए पानी के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(xii) लड़कों के छात्रावास के वाशरूम एवं शौचालय खराब स्थिति में थे। शौचालयों में इन्फ्रा-रेड सेंसर काम नहीं कर रहे थे। लड़कों के वाशरूम एवं शौचालयों एवं

छात्रावास की सभी मंजिलों में रिसाव एवं नमी थी। नौ सीसीटीवी कैमरों की दृश्यता बहुत कम थी एवं लड़कों के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर चार सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। लड़कों के छात्रावास के भूतल एवं पहली मंजिल पर आपातकालीन अग्नि अलार्म टूटा हुआ था।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in